अष्टम माला, खंड 46, अंक 7

Thursday, 27th April, 1989

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B. 60
Date 5/3/90

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 27 अप्रैल, 1989/7 वैशाख, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
29	8	"(ख) और (ख)" के स्थान पर "(ख) और (ग)" पढ़िये।
45	नीचे से 6	प्रश्न संख्या "4174" के स्थान पर "7174" पढ़िये।
81	नीचे से 13	"(घ)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
87	14	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
101	18	प्रश्न संख्या "7241" के स्थान पर "7247" पढ़िये।
111	5	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
117	1	शीर्षक में "दौसान" के स्थान पर "दौरान" पढ़िये।
125	10	प्रश्न संख्या "728[illegible]" के स्थान पर "7284" पढ़िये।
133	नीचे से 9	"(घ)" के स्थान पर "(चा)" पढ़िये।
154	11	"(ख)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये।
185	नीचे से 8	शीर्षक में "साफ इंडिया" के स्थान पर "आफ इंडिया" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 49, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 38, गुरुवार, 27 अप्रैल, 1989/7 वैशाख, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—18
*तारांकित प्रश्न संख्या : 758 से 760, 763 और 764	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	18—192
तारांकित प्रश्न संख्या : 761, 762 और 765 से 778	18—37
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7165 से 7188, 7190 से 7193, 7195 से 7211, 7213 से 7357 और 7359 से 7362	38—192
सभा पटल पर रखे गए पत्र	192—195
प्राक्कलन समिति	195
विभिन्न प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट कतिपय सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अन्तिम उत्तर दर्शाने वाले विवरण	195
प्राक्कलन समिति	195—196
81वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश	
लोक लेखा समिति	196
162वां प्रतिवेदन	
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	196
58वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	196—199
49वां प्रतिवेदन	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	199—203
(एक) राजस्थान के गंगानगर जिले के उन किसानों को, जिनकी फसलों को ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ था, वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग	
श्री बीरबल	199
(दो) जनता में प्रतिरक्षण के लाभों के प्रति जागरुकता पैदा किए जाने की आवश्यकता	
श्री रणजीत सिंह गायकवाड़	200
(तीन) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार श्रमिकों को निम्नतम मजदूरी दिए जाने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग	
डा० फूलरेणु गुहा	200
(चार) वन अधिकारियों को वन क्षेत्र में, बिजली के खम्भे लगाए जाने की अनुमति देने के निर्देश दिए जाने की मांग ताकि ऐसे क्षेत्र में रहने वाले हरिजनों और आदिवासियों को बिजली उपलब्ध कराई जा सके	
श्री कम्मोदी लाल जाटव	200
(पांच) "स्वामी सहजानन्द" और "रामधारी सिंह दिनकर" की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की मांग	
श्री राज कुमार राय	201
(छः) काकीनाडा से दूरसंचार डिपो स्थानान्तरित किए जाने के निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की मांग	
श्री गोपाल कृष्ण थोटा	201
(सात) पिछड़े क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की अवधि मार्च, 1990 तक बढ़ाए जाने की मांग	
श्री सीता राम जे० गावली	202
(आठ) बिहार के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग	
कुमारी कमला कुमारी	202
वित्त विधेयक, 1989	203—262 और
विचार करने के लिए प्रस्ताव	263—282
श्री एस० बी० चव्हाण	203

विषय	पृष्ठ
श्री आनन्द गजपति राजू	209
श्री हरुभाई मेहता	215
डा० फूलरेणु गुहा	220
श्री एच० एम० पटेल	223
श्री जैनुल बशर	225
कुमारी ममता बनर्जी	229
प्रो० सैफुद्दीन सोज	232
श्री बनवारी लाल बेरवा	237
डा० गौरी शंकर राजहंस	239
श्रीमती डी० के० भंडारी	242
श्री गिरधारी लाल व्यास	244
श्रीमती बसवराजेश्वरी	248
श्री अब्दुल रशीद काबुली	253
श्री डाल चन्द्र जैन	256
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	258
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	263
श्री अजय मुशरान	265
श्री शांता राम नायक	269
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी	272
श्री राम सिंह यादव	275
डा० दत्ता सामन्त	278
डा० जी० विजय रामा राव	281
पंजाब और चण्डीगढ़ के अशांत क्षेत्रों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1987 के प्रवर्तन के बारे में वक्तव्य	262—263
सरदार बूटा सिंह	262

लोक सभा

गुरुवार, 27 अप्रैल, 1989/7 वैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मदर डेयरी का विस्तार

[हिन्दी]

*758. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से निकट भविष्य में विभिन्न शहरों में मदर डेयरी के विस्तार के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) आपरेशन फ्लड-3 के अन्तर्गत मदर डेरियों की दूध को प्रोसेस करने की क्षमता में इस प्रकार वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है :

(1) मद्रास, बंगलौर और हैदराबाद शहरों में विस्तार;

(2) दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई स्थित मदर डेरियों में अतिरिक्त प्रोसेसिंग सुविधाओं का सृजन; और

(3) गांधीनगर (गुजरात) में एक नई मदर डेयरी की स्थापना।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि देश में दूध की कितनी आवश्यकता है और बड़े शहरों में जनसंख्या का कितना जमाव हो रहा है। बड़ी संख्या में देहात के लोग आकर शहरों में बस रहे हैं। वहां पर मदर डेयरी जैसी संस्थाओं का विकास आवश्यक है। इस ओर मन्त्री जी ने बताया कि मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद शहरों में इस सुविधा का विस्तार हो रहा है। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई स्थित मदरडेयरी में अतिरिक्त प्रोसेसिंग सुविधाओं का सृजन किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली में कितनी अतिरिक्त प्रोसेसिंग सुविधा बढ़ाई जा रही है, उसकी क्या क्षमता होगी और इससे कितनी अतिरिक्त जनसंख्या लाभान्वित होगी। यहां पर जो संयंत्र लगाने वाले हैं, यह आप विदेश से मंगा रहे हैं या भारत में ही निर्मित है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में बताया कि कुछ जगहों पर क्षमता बढ़ाई जाएगी। मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद और एक जगह गांधी नगर में नई डेयरी बनाएंगे। जहां तक इनकी क्षमता का ताल्लुक है, बम्बई में कुरला में 4 लाख लीटर की क्षमता को बढ़ाकर 8 लाख लीटर किया जायेगा, दिल्ली में 6.5 लाख लीटर क्षमता को बढ़ाकर 10.5 लाख लीटर और कलकत्ता में 4 लाख लीटर क्षमता को बढ़ाकर 8 लाख लीटर किया जाएगा। इन्होंने दिल्ली के बारे में पूछा है, मैंने तीनो शहरों के बारे में बता दिया है। मद्रास में एक लाख लीटर और बढ़ायेंगे तो तीन लाख हो जायेगी। बंगलौर में तीन लाख लीटर और बढ़ायेंगे तो पांच लाख हो जायेगी। इसी तरह हैदराबाद में दो लाख लीटर और बढ़ायेंगे तो चार लाख लीटर हो जायेगी। इस तरह से हमारा बढ़ाने का प्रस्ताव है। आपरेशन फ्लड-तीन में तकरीबन 1195 करोड़ रुपया सारे मुल्क में खर्च करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इस काम में विकास हो सके और अधिक से अधिक दूध का उत्पादन हो सके। उससे आम आदमी को और छोटे किसानों को दूध का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा और किसान अपनी जीविका आसानी से कमा सकेगा।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना में एक मदर डेरी [illegible] चल रहा है और उसके केन्द्र भी पटना के इर्द-गिर्द काफी खोले जा चुके हैं। क्या राज्य सरकार ने आपके पास उसमें सहयोग का प्रस्ताव भेजा है, अगर भेजा है तो उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, पटना में एक डेरी थी जो वहां की सरकार चला रही थी। उसकी बहुत खस्ता हालत हो गयी थी। खस्ता हालत होने के बाद एन० डी० डी० बी० को टेक-ओवर करने के लिए कहा गया। उसने टेक-ओवर करके, उसकी हालत ठीक करके फिर वापिस बिहार सरकार को दिया है। अब उस डेरी का काम ठीक चल रहा है। उसकी कैपेसिटी एक लाख लीटर की है। हमने कहा है कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कार्यवाही करें। जहां तक आफ आपरेशन फ्लड-तीन से सहायता करने की बात है, वह सहायता एन० डी० डी० बी० उसमें करेगी।

[अनुवाद]

श्री एस० [illegible] रेड्डी : महोदय, मुझे प्रसन्नता हुई है कि विस्तार कार्यक्रम में हैदराबाद को भी शामिल किया गया है, लेकिन क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि हैदराबाद मदर डेरी के विस्तार के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और क्या हैदराबाद के लोगों की आवश्यकताओं के लिए वर्तमान क्षमता पर्याप्त रहेगी और यदि नहीं, तो हैदराबाद के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने बताया था कि हैदराबाद में जो इस समय डेरी है उसकी कैपेसिटी दो लाख लीटर की है, उसको हम डबल करने जा रहे हैं। उसको चार लाख करेंगे। उसके लिए पैसा अलाट हो गया है और बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। हमारी कोशिश होगी कि बहुत जल्दी इसका विस्तार हो जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी : कुल आबंटन कितना है ? मैं कुल आबंटन के बारे में जानना चाहता हूं । यह उत्तर पूर्ण नहीं है । मैंने विशेषकर बजटीय आबंटन के लिए पूछा है ।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अभी मैंने बताया था कि आपरेशन फ्लड तीन में 1195.82 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जो कि सारे मुल्क में खर्च करेंगे । कुछ नयी डेरी बनायेंगे और कुछ का विस्तार करेंगे । पैसे की कोई कमी नहीं है । जहां-जहां विस्तार करना है, नयी डेरी खोलना है जैसे गुजरात में है या जहां कैपेसिटी बढ़ानी है, उस सब के लिए पैसा अलाट कर दिया है । बहुत जल्दी काम शुरू हो जायेगा ।

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी : यदि आप इसके बारे में सूचना अभी नहीं दे सकते । कृपया इसे मेरे पास बाद में भिजवा दीजिए ।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अभी मैंने आपको बताया कि 1195 करोड़ की व्यवस्था इसमें है । पैसे की कोई कमी नहीं है ।

श्री राम सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, पूरे भारतवर्ष में दूध उत्पादन का कार्य राजस्थान में होता है और राजस्थान में प्रति व्यक्ति ढाई सौ ग्राम दूध का औसत है । राजस्थान का दूध दिल्ली या और दूसरी जगहों पर जाता है लेकिन उसके भाव बारह महीने के लिए निश्चित नहीं किए हुए हैं । जब लीन पीरियड होता है, उस वक्त किसान को अपना दूध बहुत ही सस्ती कीमत में देना पड़ता है ।

राजस्थान के किसान और दुग्ध उत्पादकों से, जो दूध पैदा करते हैं जिनका दूध नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में सस्ते दाम पर लिया जाता है क्या उनको एक ही रेट पर जो मई, जून में देते हैं या बीच का रेट मुकर्रर करेंगे जिससे दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन मिले ? जो दूध उत्पादन करने वाले लोग हैं उनको सही कीमत नहीं मिलने के कारण वे इस काम को धीरे-धीरे छोड़ते जा रहे हैं । इसको बढ़ावा देने के लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं जिससे दिल्ली में अधिक दूध आ सके और कमी न रहे ?

श्री भजन लाल : दूध के तीन सीजन होते हैं । एक तो जुलाई, अगस्त से शुरू होता है जो कि बीच का सीजन होता है, एक सर्दियों के महीने में होता है पीक सीजन और एक आजकल के दिनों का लीन का सीजन होता है । आजकल जो भाव है फेडरेशन से 6 रुपये 61 पैसे के हिसाब से मदर डेयरी और डी० एम० एस० दूध लेती हैं । फैडरेशन उसमें जो खर्चा होता है उसको काटकर बाकी पैसा किसान को देता है । इसी तरह से बीच के सीजन में 6 रुपये 4 पैसे और उसके पहले 5 रुपये 58 पैसे

के हिसाब से फैडरेशन से डी० एम० एस० और मदन डेयरी दूध लेती हैं। फैडरेशन उसमें मामूली खर्चा जो आता है उसको कम करके किसान को पैसा दिया जाता है। इन्होंने कहा है कि आंध्र के आंकड़े नहीं बताये, 24 करोड़ रुपये हमने आंध्र को दिये हैं।

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुंझुनू) : जनाबे सदर मोहतरिम, राजस्थान के झुंझुनू इलाके में किसानों की संख्या 12 लाख 11 हजार 583 है। वहां पर किसानों की इतनी बड़ी तादाद को मद्दे-नजर रखते हुए एक मदर डेयरी प्लांट किसी जमाने में लगाया था, लेकिन उसको बन्द करके उन पूरे किसानों को दूध से वंचित कर दिया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सीकर को छोड़ दिया······

श्री मोहम्मद अयूब खां : सीकर भी शामिल है। झुंझुनू को वंचित कर दिया। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि झुंझुनू के इन किसानों की रोजी-रोटी का जो सवाल है उसको मद्देनजर रखते हुए किसानों की तरक्की के लिए क्या उस प्लांट को दुबारा चालू करने की निकट भविष्य में आश्वासन देंगे ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहले कभी इस बात की चर्चा नहीं की। आज इन्होंने बताया है कि झुंझुनू का प्लांट बन्द पड़ा है। इसको जरूर दिखायेंगे और राजस्थान सरकार से भी बात करेंगे। एन० डी० डी० बी० से कहेंगे कि इसको जरूर चालू करे। अगर चलने की स्थिति में हुआ तो उसको जरूर चलायेंगे। एन० डी० डी० बी० की तरफ से 11 करोड़ 26 लाख 70 हजार रुपए राजस्थान को दिये गये हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विलय

[अनुवाद]

*759. **श्री समर कुमार मंडल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण दस्तकारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में किस हद तक सहायता मिली है;

(ख) क्या सरकार का इस समय रुपए में हो रहे अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 4,800 रुपये की सीमा में संशोधन करने का विचार है; और

(ग) क्या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के साथ विलय का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 4800 रुपये वार्षिक आय तक के छोटे तथा

सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों को सबसिडी और ऋण से रूप में सहायता दी जाती है ताकि वे आय सृजित करने वाली परिसम्पत्तियां प्राप्त कर सकें जिससे उन्हें बढ़ती हुई आय हो और इसके परिणामस्वरूप वे गरीबी की रेखा को पार कर सकें। जनवरी-दिसम्बर, 1987 की समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर, 60 प्रतिशत पुराने लाभार्थियों ने 3500 रुपये के स्तर को और 13 प्रतिशत ने 6400 रुपये की संशोधित गरीबी की रेखा को पार कर लिया था। तथापि, लगभग 78 प्रतिशत मामलों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई परिसम्पत्तियों से बढ़ती हुई आय हुई थी, 27 प्रतिशत मामलों में बढ़ती हुई आय 2000 रुपये से अधिक थी, 24 प्रतिशत मामलों में 1001 से 2000 रुपये के बीच और 17 प्रतिशत मामलों में 501 से 1000 रुपये के बीच बढ़ती हुई आय हुई थी। 10 प्रतिशत मामलों में यह 500 रुपये तक थी।

4800 रुपये की सीमा में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री सनत कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के लिए दो कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्धारित आबंटन, जो वास्तव में उनके पास पहुंचे, उस पर निगरानी रखने के लिए क्या तंत्र तैयार किया गया है। इन कार्यक्रमों से वास्तव में अनुसूचित जाति के अनुमानित कितने परिवारों को लाभ हुआ है और इन कार्यक्रमों को शुरू किये जाने के समय से लेकर अब तक के वर्षों में किदने परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर लाया गया है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास जैसे कार्यक्रमों के अन्तर्गत शुरू की गई विभिन्न उपयोजनाओं के परिणाम का किसी स्तर पर कोई अनुमान लगाया गया है और बहुत से निर्धन लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए इन कार्यक्रमों से कहां तक सहायता मिली है ?

श्री जनार्दन पुजारी : इसका साथ-साथ मूल्यांकन किया गया था। साथ-साथ किए गए मूल्यांकन से परिणाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम के वास्तविक प्रभाव का पता चलता है।

जहां तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, यह लक्ष्य कुल आबंटन का 30 प्रतिशत है, लेकिन हमने 44.71 प्रतिशत प्राप्त किया है अर्थात् हमने लक्ष्य को पार कर लिया है। यह समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक बहुत अच्छा निष्पादन है।

अब महिलाओं की ओर आते हुए, हमने अपनी ओर से उनके लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जिनके अन्तर्गत हम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। लगभग 60 प्रतिशत पुराने लाभार्थियों ने 3500/- रुपए के स्तर को पार किया था और 13 प्रतिशत ने 6400/- रुपए की संशोधित गरीबी की रेखा को पार कर लिया है।

श्री सनत कुमार मंडल : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि गरीबी की रेखा का पता लगाने के लिए वर्तमान मानदण्ड क्या हैं और प्रतिदिन रुपए की कीमत के अवमूल्यन को देखते हुए, क्या सरकार वर्तमान मानदण्ड में संशोधन करेगी ?

गरीबी की रेखा के लिए निर्धारित धनराशि की सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार के रास्ते में क्या कठिनाइयां हैं जिससे कि इस कार्यक्रम को और अधिक परिणामजनक तथा लाभदायक बनाया जा सके ?

श्री जनार्दन पुजारी : गरीबी की रेखा योजना विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है और यदि इस प्रश्न को योजना मन्त्रालय को भेज दिया जाए तो बेहतर रहेगा ।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में इन्हें बता दूं कि जहां तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के मापदण्ड का सवाल है, एक इन्सान को खाने के लिए कम से कम लगभग 2300 कैलोरीज की जरूरत होती है । जिसे इतनी कैलोरीज नहीं मिलती उसे हम गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं । वर्ष 1983-84 में एन० एस० एस० ने सर्वे कराया था जिसके अनुसार देश भर में करीब 4 करोड़ 45 लाख परिवार गरीबी की रेखा के नीचे थे जो लगभग कुल जनसंख्या के 40 प्रतिशत थे। सातवी पंचवर्षीय योजना में इन 40 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत घटा कर 28 पर लाने का हमारा लक्ष्य था । हम चाहते हैं आगामी आठवीं पंचवर्षीय योजना में वह प्रतिशत घटकर 10 तक आ जाए । इसके लिए बाकायदा 11 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा अकेले आई० आर० डी० पी० स्कीम के तहत हमने गरीब लोगों को बांटे हैं 1980 से लेकर फरवरी 1989 तक जिसमें से 7 हजार करोड़ लोन की शक्ल में और 4 हजार करोड़ सबसिडी के रूप में गरीब लोगों में वितरित किए हैं ताकि लोगों की हालत सुधर सके ।

श्री मोहम्मद अयूब खां (उधमपुर) : क्या औनरेबल मिनिस्टर यह जानते हैं कि देश में 1983-84 में जो सर्वे हुआ था, वह जल्दी में ही किया गया था, उसकी बाजाब्ता कोई यार्डस्टिक नहीं थी । यदि यह ठीक है तो उसके बाद फ्रैगमैंटेशन ऑफ होल्डिंग की वजह से और दूसरे प्राइस लाइन रोज-ब-रोज बढ़ते जाने की वजह से, इस देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की तादाद लगातार ज्यादा बढ़ती जा रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास को कन्फर्म्ड फीगर्स हैं, क्या आपने कोई टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनाया है कि कब तक देश से गरीबी का उन्मूलन कर दिया जाएगा । यदि आपने कोई डेट या लाइन मुकर्रर की है तो उसे बतायें।

श्री भजन लाल : माननीय सदस्य ने बड़ा अहम सवाल पूछा है, और महत्वपूर्ण भी है लेकिन जैसा आप जानते हैं, इन्होंने कहा सर्वे जल्दी में कराया गया, एसी बात नहीं है, सर्वे जब भी किया जाता है तो सारी बातों के तह तक जाकर, उसके बाद आंकड़े निकाले जाते हैं और किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है ।

यह नहीं है कि आंकड़े लेते समय, जल्दबाजी में आंकड़े गलत दिए हैं···

श्री मोहम्मद अयूब खां : जनाबे-वाला मैंने वह बात अपने तजुर्बे के ऊपर कही है···

श्री भजन लाल : आपका तजुर्बा जल्दबाजी का हो सकता है···(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अयूब खां : जनाबे वाला, मेरा तजुर्बा जल्दबाजी का नहीं, बिल्कुल सही है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने यह पूछा है कि देश से गरीबी कब तक दूर हो जाएगी, इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि भारत की हमेशा कोशिश रही है कि गुरबत जाए और गरीबी को हटाने के लिए अनेकों कार्यक्रम हमारे यहां बने हैं और जैसा कि मैंने अभी बताया कि साढ़े चार करोड़ परिवारों में से 2 करोड़ की सहायता हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में करने जा रहे हैं, बाकी जो लोग बचेंगे इन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में मदद दी जाएगी ताकि गरीबी 28 परसेन्ट से घटाकर 10 परसेंट रह जाए। हमारी कोशिश यही होगी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में देश से गरीबी दूर हो जाए, लेकिन आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि ज्यों-ज्यों मुल्क की आबादी बढ़ती है, त्यों-त्यों साधन सीमित होते जा रहे हैं और धरती भी कम होती जा रही है। इसलिए कोई आदमी यह कहे कि गरीबी जड़ से चली जाएगी, यह बड़ी भारी असंभव बात है। देखना यह है कि भारत सरकार की कोशिश और नीयत क्या है। भारत सरकार की कोशिश और नीयत यह रही है कि कार्यक्रम बनाए और काम गरीब लोगों को दें।

अध्यक्ष महोदय : दरसल बात यह है कि इस मसले पर सरकार और सारी सियासी पार्टियां हैं, वे बैठें और पोपुलेशन कंट्रोल की कोई पक्की बात करें, तभी बात बनेगी, नहीं तो कच्ची बातों से काम नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

इस पर नियन्त्रण करने से पहले हमें जनसंख्या पर नियन्त्रण करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या नेशनल एवरेज से 37 परसेन्ट है, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में अभी भी कुछ ऐसे प्रदेश हैं, जैसे बिहार जहां 47 परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और मैं समझता हूं कि किसी भी प्रान्त में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या से बिहार में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बिहार में जो 47 परसेंट लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए और नेशनल एवरेज से भी कम वहां गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का परसेंटेज आ जाए, इसके लिए क्या कोई विशेष योजना बिहार के लिए बनाई है, ताकि वह उस बढ़ी हुई गरीबी रेखा से उबर सके?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी बताया है—11 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा रुपया आई० आर० डी० पी० में सन् 1980 से लेकर अब तक खर्च किया गया है। जहां तक हमारी दूसरी स्कीमों—एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० का सवाल है, इनको मर्ज कर के एक स्कीम बनाई गई है और 500 करोड़ रुपया जवाहर योजना के लिए रखा गया है। इसके बारे में तफसील के साथ, डिटेल के साथ, प्रधान मन्त्री जी बहुत जल्दी सदन में घोषणा करेंगे और फिर आप महसूस करेंगे कि कितनी शानदार स्कीम लोगों को रोजगार देने के लिए इस मुल्क में बनाई है और उसमें जहां गरीबी ज्यादा है, जैसी कि मिसाल के तौर पर बिहार की बात आई है, वाकई

बिहार के कुछ जिलों में गुरबत ज्यादा है, उन जिलों की ज्यादा सहायता इस स्कीम के तहत की जाएगी।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, इन कार्यक्रमों के द्वारा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी विकास हुआ है जिससे वे सड़कों की स्थिति में काफी सुधार कर पाए हैं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के लिए रखी गई धनराशि में से गत वर्ष सड़कों पर खर्च करने के लिए प्रतिबन्ध था। यह केवल भवनों पर खर्च किया जाना था। अब इन दो कार्यक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, का विलय किया जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री से यह प्रश्न है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के विलय की संशोधित योजना में, क्या सरकार इन धनराशियों को सड़कों के विकास पर खर्च करने की भी व्यवस्था करेगी ? क्योंकि अभी कई लाख गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। एम० एन० पी० श्रेणियों के अन्तर्गत, पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नही कराई गई है। जब तक इसके लिए भी धन की व्यवस्था नहीं की जाती, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास नहीं हो पाएगा। अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी और उपयुक्त अनुदेश जारी करेगी।

दूसरा मुद्दा यह है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आजकल लोगों की आम स्तरों में वृद्धि के कारण सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत काफी गुंजाइश है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और स्वः रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत साइकिलों पर व्यापार जैसी और यूनिटों की स्थापना की जाए जो सब्जियां और फल आदि बेच सकें। दो टहिया वाली साइकिलों अथवा चार पहिया वाली साइकिल गाड़ियों की और यूनिटें निर्धारित की जानी चाहिएं और उनका आवंटन किया जाना चाहिए क्योंकि इससे और अधिक लोगों की सहायता की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है और प्रश्न नहीं है। वह आपके सुझाव पर ध्यान देंगे।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या सरकार आवश्यक कदम उठाएगी और उसके अनुसार कार्यवाही करेगी ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० का पैसा सड़कों पर खर्च नहीं हो रहा, दूसरी जगह खर्च हो जाता है, आन्ध्र की मिसाल दी है तो आन्ध्र में जिस काम के लिए पैसा दिया जाता है उस काम पर खर्च नहीं होता है बल्कि नाम तक चेंज कर देते हैं। इसलिए इनकी शिकायत बिल्कुल वाजिब है, इनको स्टेट गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : आप क्वेश्चन समझ नहीं सके।

श्री भजन लाल : आप बहुत ही लायक, काबिल मेम्बर हैं, आपकी हम तारीफ भी करते हैं, आप सचाई भी कहते हैं, यह भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जहां तक सड़कों पर खर्च करने का

ताल्लुक है, उस स्कीम में 25 परसैंट तक पैसा सड़कों पर खर्च हो सकेगा, कोई पाबन्दी नहीं लगेगी।

श्री अजय मुशरान : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा उनको विदित है कि पिछले 20, 25 वर्षों से जब से कैंटोनमैंट बोर्ड का एक्सपैंशन हुआ तो कई आस-पास के गांवों की जमीनें, सीमांत किसानों की जमीनें एक्वायर की गई और वे बहुत हद तक गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। उनके जो कृषक लेबर थे, वे भी गरीबी की रेखा के नीचे रोज-ब-रोज जा रहे हैं। आपके रूल्स में यह है कि जो कैंटोनमैंट में गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, वे एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० में कवर नहीं होते। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन विशेष परिस्थितियों में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं उनको भी आई० आर० डी० पी० और एन० आर० ई० पी० और जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत लाने का आप आश्वासन देंगे ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जो कैंटोनमैंट बोर्ड के नीचे चले गए, वे रूरल डिपार्टमेंट के क्षेत्र में नहीं रहे, जो कैंटोनमैंट की स्कीम बनेगी वह उसमें आएंगे या शहरों की स्कीम बनती है म्युनिसिपल एरिया में, उसमें आएंगे।

दिल्ली परिवहन निगम के बस रूटों का युक्तिसंगत बनाया जाना

[अनुवाद]

*760. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम द्वारा यात्रियों के लिए उपलब्ध की जा रही बस सेवा किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या और उसमें वृद्धि के अनुरूप है; और

(ख) यदि नहीं, तो दिल्ली परिवहन निगम अधिकारियों ने सभी क्षेत्रों के यात्रियों को संतोषजनक बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु बस रूटों को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम 727 नगर रूटों पर प्रचालन करता है जिन पर प्रतिदिन लगभग 46 लाख यात्रियों का आवागमन होता है। विभिन्न रूटों पर बसों की संख्या और सेवाओं की फ्रिक्वेंसी यातायात की जरूरतों और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। दिल्ली परिवहन निगम ने रूट को युक्तिपरक बनाने का काम शुरू किया है और यह एक अनवरत प्रक्रिया है।

श्री वाई० एस० महाजन : दिल्ली एक बड़ा महानगर है। एक मामले में यहां एक असाधारण बात है कि यात्री मुख्यतः पूरी तरह से डी० टी० सी० बस व्यवस्था पर निर्भर हैं। जैसाकि माननीय मन्त्री ने कहा है 727 नगर रूटों पर प्रतिदिन औसतन 46 लाख लोगों का आवागमन होता है। इसके अलावा अन्तर्राज्यीय नगर रूट भी हैं जो लगभग और 2 लाख लोगों को लाने ले जाने में सहायता करते हैं। नगर में जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण, बस सेवाएं पूरी तरह से अपर्याप्त हो गई हैं।

मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री अथवा सरकार नगर के पूर्व और पश्चिम को जोड़ने के लिए रेल मार्ग प्रणाली शुरू करने पर विचार करेगी जिससे कि बस व्यवस्था पर बोझ को कम किया जा सके।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सरकार के ध्यान में है और हमें भी इस बात की जानकारी है कि दिल्ली की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले $1\frac{1}{2}$ से 2 वर्षों में दिल्ली की जनसंख्या में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अत: हम ऐसे सुझाव पर विचार कर रहे हैं और सरकार का एक परिवहन प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है जिसमें इन सभी व्यवस्थाओं को एक साथ मिलाया जा सके और यात्रियों को रेल से बस अथवा बस से रेल बदलने की समस्या का सामना न करना पड़े, इस पर चर्चा की जा रही है और सरकार इस पर शीघ्र ही निर्णय लेगी।

श्री वाई० एस० महाजन : मेरा दूसरा प्रश्न बस सेवा की क्वालिटी से सम्बन्धित है। डी० टी० सी० हर वर्ष बहुत-सी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, वर्ष 1987 में 181 लोगों की जानें गईं और वर्ष 1986 में 170 लोगों की जानें गईं और मेरा विश्वास है कि यह संख्या हर वर्ष बढ़ रही है। ऐसा इसलिए है कि यातायात को संचालित करने के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नहीं है। उसका परिणाम यह है कि दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। मेरे घर के सामने बस शैल्टर है, और मैंने देखा है कि लोगों को चलती बस से उतरना पड़ता है और चलती बस में ही चढ़ना पड़ता है, बसें रुकती नहीं हैं। दुर्घटनाओं के कारणों में से एक कारण यह भी है। मैंने बम्बई में ऐसा होते कभी नहीं देखा है। (व्यवधान) दिल्ली में लोगों को चलती बस से उतरना पड़ता है और गत सप्ताह मैंने एक व्यक्ति को बस से उतरते देखा और उसकी टांगें टूट गईं।

दूसरी समस्या यह है हम प्राय: यह सुनते हैं कि बसों में अभद्र कंडक्टरों और ड्राइवरों द्वारा महिलाओं से छेड़छाड़ की जाती है। ये घटनाएं भी बढ़ रही हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या माननीय मन्त्री इसके लिए कदम उठाएंगे और यह देखेंगे कि दुर्घटनाओं को कम किया जाए और महिलाओं के साथ छेड़खानी को बन्द किया जाए ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही अप्रिय विषय रहा है और संसद में प्राय: इस पर चर्चा होती रही है और सरकार इसको अपनी ओर से बहुत ही गम्भीरता से लेती रही है और हमने प्रयास किए हैं। हमने डी० टी० सी० के सभी अनुभागों जैसे रखरखाव, कार्यचालन, राजस्व आदि में सुधार किया है। लेकिन व्यवहार एक ऐसा अप्रिय विषय रहा है जिसमें प्रयासों के इतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन उनके परिणाम प्राप्त हुए हैं। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डी० टी० सी० को सबसे अच्छी नगर यात्री सेवा के लिए 'राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद पुरस्कार' दिया गया है जोकि स्वयं······(व्यवधान) यह मेरा निर्णय नहीं है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : यह चालबाजी है अथवा वास्तविक है ?

श्री सुरेश कुरूप : इससे आप अच्छी तरह अनुमान लगा सकते हैं कि देश के अन्य भागों में क्या स्थिति है (व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय, डी० टी० सी० ने गत $3\frac{1}{2}$ वर्षों में काफी कठिन परिश्रम किया है। हमने वास्तव में प्रत्येक अनुभाग में सुधार किया है। मुझे इस तथ्य के राग अलापने की आवश्यकता

नहीं है कि डी० टी० सी० को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् पुरस्कार दिया गया है कि डी० टी० सी० एक सबसे अच्छी सेवा है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एक स्वतन्त्र संस्था है, जोकि प्रत्येक परिवहन के बारे में विचार करती है—बम्बई, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में—जहां सभी यूनिटों पर विचार किया गया है और उत्पादकता के आधार पर, उन्हें यह ट्राफी दी गई है। यह सरकारी मूल्यांकन अथवा विभागीय मूल्यांकन नहीं है। यह उत्पादकता परिषद् का मूल्यांकन है।

लेकिन मैं माननीय सदस्यों के विचारों से सहमत हूं कि उनके व्यवहार में उस सीमा तक सुधार नहीं हुआ है। इसलिए हमने संवाहकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष पाठ्यक्रम चलाए हैं। हम हर सप्ताह उन्हें लैक्चर देते रहे हैं और जहां-जहां हमें रिपोर्ट मिली हैं हम उन लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते रहे हैं। हमें पिछली बार मुनीशा के मामले में रिपोर्ट मिली थी। हमारे पास कोई बस नम्बर नहीं था और न ही किसी व्यक्ति के नाम के बारे में कुछ बताया गया था फिर भी हमने उस व्यक्ति का पता लगाया और इस घटना के 9 से 10 घण्टे के बीच हमने उसको जेल में भेज दिया। अतः सरकार की ओर से प्रयास जारी हैं। लेकिन जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, नगर की यातायात व्यवस्था भी भिन्न है। यहां लोग कभी भी लाइन नहीं बनाते। हम लाइन बनाने में लोगों की सहायता करने के लिए सड़कों पर प्रतिदिन दो हजार सिपाही तैनात करते हैं। किन्तु जब बीस लोग खड़े-खड़े आपस में बतियाते हैं और बस आते ही उसमें चढ़ने के लिए दौड़ते हैं तो उस समय हम सहायता नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : ·······**······

अध्यक्ष महोदय : वह मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। इसकी अनुमति नहीं है। इसलिए मन्त्री महोदय को इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेश पायलट : सरकार प्रयास कर रही है और यदि किसी माननीय सदस्य का कोई विशेष सुझाव है तो उसका स्वागत है। मैं सुधार के लिए उनका सहयोग लेना चाहूंगा। यही नहीं हम व्यवस्था में सुधार करने के लिए जनता से भी सुझाव मांग रहे हैं। हमने प्रत्येक क्षेत्र में खुला दरबार आयोजित किया है। जो भी सुझाव प्राप्त होते हैं हम उन पर विचार करते हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। मैं मन्त्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि जब से उन्होंने इसका कार्यभार संभाला है डी० टी० सी० में सुधार हुआ है। किन्तु जैसाकि उन्होंने दिल्ली के सांस्कृतिक पक्ष का उल्लेख किया है तो दिल्ली की महिलाओं को जितनी वरीयता मिलनी चाहिए दुर्भाग्य से उतनी वरीयता उन्हें नहीं दी जाती है। यदि आप उन क्षेत्रों को देखें जहां कॉलिज हैं या जहां कामकाजी महिलाएं रहती हैं वहां डी० टी० सी० ने बसें उपलब्ध करायी हैं किन्तु महिलाओं के कॉलेज के सामने और विशेषतः उनके कार्य क्षेत्रों, जहां बहुत-सी कामकाजी महिलाएं रहती हैं बस सेवाएं युक्तियुक्त नहीं हैं अतः कामकाजी महिलाओं के लिए रात्रि सेवा के साथ-साथ उचित समयान्तरालों में विशेष बसें भी चलायी जानी चाहिएं, अन्यथा उन्हें सामान्य बसों में यात्रा करनी पड़ेगी। अब, क्या माननीय मन्त्री जो महिलाओं और लड़कियों के लिए उनके अपने विभाग की बजाय महिला कॉलेजों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेंगे?

श्री राजेश पायलट : महोदय, सामान्यतः हम उन बस रूटों (मार्गों) पर महिला स्पेशल चलाते

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं जहां अधिक कामकाजी महिलाएं होती हैं। हमने महिलाओं के लिए बसों में सीटें आरक्षित की हैं किन्तु दुर्भाग्य से पुरुष उन सीटों पर बैठे रहते हैं और महिलाएं उनसे उठने के लिए नहीं कह पातीं। मैंने व्यक्तिगत रूप से बसों में यात्रा करके देखा है कि बहुत-सी महिलाएं उस यात्री से यह अनुरोध करती हैं कि वह सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। (व्यवधान) हमें इस सम्बन्ध में शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं और हमने अनुदेश भी जारी किए हैं। मैंने महिलाओं को यात्रियों से कहते हुए देखा है कि यह सीट महिलाओं के लिए है। उत्तर यह मिलता है कि वह अगले स्टॉप पर उतर रहा है जबकि वह उतरता नहीं है। कई बार संवाहक आकर कहता है कि यह सीट महिलाओं के लिए है किन्तु माफ कीजिए सारी बस उसकी ओर देखती है और कुछ लोग उठकर यह कहते हैं कि क्योंकि सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है अत: उस यात्री को यह सीट खाली कर देनी चाहिए। इस प्रकार की संस्कृति को विकसित होने में अभी समय लगेगा। (व्यवधान) जहां तक माननीय सदस्य के सुझाव का सम्बन्ध है हम महिलाओं के लिए और अधिक विशेष बसें चलाएंगे और कॉलिजों से आने वाले सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं इस बात की कदर करता हूं कि मन्त्री महोदय, आत्म प्रशंसा में मग्न हैं। मैं निश्चित रूप से उन्हें यह बताना चाहूंगा कि एक बड़ी परिवहन व्यवस्था की कुशलता दो कारकों से निर्धारित की जाती है—प्रचालन कुशलता और उससे होने वाली आय। दुर्भाग्य से डी० टी० सी० यात्रियों को सन्तुष्ट करने में असफल रही है और इसमें धन अर्जित करने की क्षमता भी नहीं है। यह बहुत वर्षों से घाटे में चल रही है। मैं समझता हूं कि बड़ी परिवहन व्यवस्था में केवल बसों द्वारा ही दिल्ली की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान व्यवस्था युक्ति-युक्त हो और इसमें कर्मचारियों के व्यवहार में सुधार के साथ-साथ अन्य सुधार किए जाएं। इस मामले में इस बात की आड़ न लें कि नगर की संस्कृति ही ऐसी है। दिल्ली अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मैंने राजनीति में जो थोड़ा बहुत सीखा है वह मैं वर्ष 1979 से श्री खुर्शीद आलम खां से प्राप्त करता रहा हूं। यदि मैंने राजनीति में कुछ भी सीखा है तो वह श्री खुर्शीद आलम खां से ही सीखा है। (व्यवधान) मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि प्रचालन और वित्त पक्ष दो पहलू हैं। मैं सदन को यह सूचित करता रहा हूं कि आज भी देश में डी० टी० सी० का किराया सबसे कम है। छह किलोमीटर की दूरी के लिए बम्बई की बेस्ट (बी० ई० एस० टी०) 75 पैसे से 95 पैसे तक किराया लेती है। मद्रास 70 पैसे लेता है और दिल्ली 50 पैसे लेती है। पन्द्रह किलोमीटर की दूरी के लिए बेस्ट 1.45 रुपये से 1.75 रुपये, मद्रास 1.20 रुपये और दिल्ली 1.00 रुपया किराया लेती है। दूसरा पहलू यह है कि देश में दूसरी ऐसी कोई भी परिवहन व्यवस्था नहीं है जो पुनर्वास कालोनियों, छात्रों को रियायत देती हो जिसकी लागत मोटे तौर पर प्रति वर्ष 25 करोड़ रुपये से लेकर 28 करोड़ रुपये बैठती है। विद्यार्थी के लिए एक माह में कहीं भी यात्रा करने के लिए 12.50 रुपये किराया है। महोदय, क्या आप आज की महंगाई में 12.50 रुपये में एक-माह तक यात्रा कर सकते हैं। यही पहलू हैं जो डी० टी० सी० पर बोझ बने हुए हैं। स्थिति ऐसी है।

वे किराया बढ़ाने के लिए राजी नहीं हैं। सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है। जहां तक प्रचालन सम्बन्धी कुशलता का सम्बन्ध है हमने ईंधन की बचत में सुधार किया है। हम टायरों और बसों के रखरखाव पर होने वाले खर्च में बचत कर रहे हैं। इसमें सुधार हुआ है। इसीलिए हम घाटा कम

कर सके हैं और अच्छी सेवा प्रदान करने में समर्थ हुए हैं। जहां तक उन अन्य पहलुओं, जिनका श्री खुर्शीद आलम खां ने जिकर किया है, का सम्बन्ध है हम इनके लिए कठिन परिश्रम करेंगे और यात्रियों को सन्तुष्ट करने का प्रयास करेंगे। व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए हम प्रयास-रत हैं और हम डी० टी० सी० के व्यवहार में सुधार लाएंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब तो गुरुजी खुश हो गए होंगे आपके।

गुरु जिनादे टप्पणे, चेले जान छिड़प।

श्री बालकवि बैरागी : ये गुरु नहीं हैं, ये उस्ताद हैं साहब।

अध्यक्ष महोदय : एक ही बात है। आपने ट्रांसलेशन ही किया है और कुछ नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन।

श्री चिन्तामणि जेना : मैं प्रश्न संख्या 763 और प्रश्न संख्या 764 को एक साथ लेने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मन्त्री महोदय को कोई आपत्ति नहीं है, तो ठीक है।

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम दोनों प्रश्नों को एक साथ ले सकते हैं।

केरल में समुद्री सम्पदा का विदोहन

***763. प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल में समुद्री सम्पदा के कितने प्रतिशत का विदोहन किया जा रहा है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान इस सम्पदा के विदोहन में अधिकाधिक वृद्धि लाने हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) केरल में समुद्र से पकड़ी जाने वाली मछली इस राज्य की अनुमानित समुद्री मात्स्यिकी का लगभग 42 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) 1989-90 के दौरान केरल में कार्यान्वित की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण

योजनाएं डोरी मत्स्यन, गहरे समुद्र में मत्स्यन, मत्स्यन जलयानों का विकास और समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना हैं। इनके अलावा, पारम्परिक नौकाओं में मोटर लगाने और तट पर लंगर डालने वाले उन्नत जलयानों को चालू करने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो योजनाएं भी केरल में कार्यान्वित की जा रही हैं। मछली उतारने वाले बहुत से केन्द्रों के अलावा, मुनाम्बम, थंगासेरी, पुथिअप्पा और विझिजम मत्स्यन बन्दरगाह के चरण-3 नामक 4 छोटे मत्स्यन बन्दरगाहों का निर्माण कार्य चल रहा है।

उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में पायी जाने वाली मछलियों की किस्में

*764. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में किस किस्म की मछलियां पायी जाती हैं और देश में तथा विदेश में इस प्रकार की मछलियों की कितनी मांग है; और

(ख) उड़ीसा में मत्स्य-उद्योग के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) उड़ीसा के समुद्र तटीय जल में मछलियों तथा शंख मीन की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। उड़ीसा में पकड़ी जाने वाली मछलियों तथा शंख मीनों की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं :—

हिलसा, आयल-सार्डिन, एन्कीवी, टाचीसुरस, शार्क, स्केट, रे, पेनिड प्रान, स्क्विड, कटल फिश, इण्डियन मेकेरल, सोयर फिश, पोम्फ्रेट, हार्स मेकेरल, रोकोड, क्रोकर, इण्डियन सालमन तथा त्रिचुरस। पेनासिड प्रान, स्क्विड तथा कटल फिश की विदेशों में काफी मांग है। मछली की कुछ प्रजातियां जैसे पोम्फ्रेट, सीयर फिश आदि की भी विदेशों में मांग है। पेनासिड प्रान, पोम्फ्रेट, सीयर फिश, हिलसा आदि की देश के बाजार में काफी ऊंची मांग है जबकि अन्य सभी प्रजातियों की मांग देश में या तो ताजे रूप में अथवा संसाधित हालत में है।

(ख) उड़ीसा में मात्स्यकी के विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं इस प्रकार हैं :—

1. मछुआरा विकास एजेन्सियों के जरिए जल कृषि का विकास।
2. मत्स्य बीज उत्पादन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास।
3. समेकित खारा जल मत्स्य फार्म विकास।
4. परम्परागत नौकाओं का मोटरीकरण।
5. उन्नत समुद्रतट अवतरण नौकाओं की शुरुआत।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि केरल की अनुमानित

समुद्री मात्स्यिकी क्षमता लगभग 42 प्रतिशत है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आगे चलकर इसमें कमी आ जाएगी क्योंकि सरकार मत्स्य क्षेत्र को जितनी सहायता प्रदान कर रही है, विशेषत: गरीब मछुआरों को, वह सहायता राशि उनके पास नहीं पहुंच रही है। अब यह सहायता सहकारी समितियों और राज्यों के मात्स्यिकी निगमों को दी गई है। हाल ही में केरल राज्य में वास्तविक पारम्परिक मछली पकड़ने वालों को छोड़कर और साथ ही राजनीतिक नेताओं और लोगों के अन्य वर्गों, जिन्हें सत्तारूढ़ दल चाहता है, को सम्मिलित करके सहकारी समितियां बनाई हैं। (**व्यवधान**)

मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं। मैं इसकी पूरी जिम्मेवारी लूंगा··· ···(**व्यवधान**)···महोदय, वह प्रश्न काल के दौरान व्यवधान नहीं उत्पन्न कर सकते। (**व्यवधान**)

मछुआरों के बिना ही ये सहकारी समितियां हाल ही में बनाई गई हैं। मछुआरों में आन्दोलन और रोष व्याप्त है। और इसी कारण केरल सरकार इन सहकारी समितियों के चुनाव नहीं करा सकी है हालांकि इसके लिए तारीख निश्चित की गई थी।···(**व्यवधान**)···यह प्रश्न केरल से सम्बन्धित है। आप प्रश्न पढ़िए।

श्री सुरेश कुरूप : सामान्य बयान न दीजिए।···(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : घबराते क्यों हैं, काम अपने काम से करेंगे।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, आप इन्हें पूरक प्रश्न करने की अनुमति दे दें, इसके बाद वह जो चाहें पूछ सकते हैं। उन्हें इस तरह से मेरे भाषण में व्यवधान उत्पन्न न करने दें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनके भाषण में बाधा उत्पन्न न करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप वक्तव्य देने के बजाय प्रश्न क्यों नहीं करते ?

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : वह केरल की सन्दिग्ध समस्याओं का जिकर कर रहे हैं। आप परेशान क्यों हो रहे हैं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, जो सहायता दी गई है वह बिचौलियों की जेबों में जा रही है। आपने थंगासेरी परियोजना, बन्दरगाह परियोजना का उल्लेख किया जो केन्द्र सरकार की सहायता से शुरू की गई हैं। राजनीतिकरण इस हद तक बढ़ गया है कि उद्‌घाटन समारोह में उस निर्वाचन क्षेत्र के केन्द्रीय मन्त्री को भी सूचित नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ है कि मत्स्यन क्षेत्र का पूर्णत: राजनीतिकरण कर दिया गया है। इसलिए इन मछुआरों को सरकार द्वारा दी जा रही सहायता नहीं मिल रही है जिससे केरल में होने वाले मत्स्य उत्पाद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आपको इसकी जानकारी है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, कृपया देखिए कि प्रश्न क्या है और वे क्या अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री श्याम लाल यादव : निसन्देह, केरल देश का एक ऐसा राज्य है जहां मछली बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती है और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मछुआरों को समुचित सहायता भी दी जाती है। केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजनार्थ बहुत अधिक धन प्रदान कर रही है और सरकार ने अनुदेश जारी किए हैं कि परम्परागत सक्रिय मछुआरों को सहायता दी जाए। हम समाचार-पत्रों में पढ़ते रहते हैं और सदस्य भी यह शिकायत करते हैं कि परम्परागत मछुआरों को सहकारी समितियों में शामिल नहीं किया जा रहा है और कुछ बाहरी तत्वों को इनमें शामिल किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे उन समितियों के नाम जिलावार बताएं जहां ऐसा हो रहा है। तभी हम राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम उन्हें यह स्वीकृत मानदण्ड अपनाने के लिए राजी कर सकते हैं कि इन सहकारी समितियों में केवल सक्रिय मछुआरों को ही शामिल किया जाना चाहिए तथा किसी बाहरी तत्व को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए ताकि दी जा रही सुविधाएं वास्तविक मछुआरों तक पहुंच सके।

जहां तक थंगासेरी परियोजना का सम्बन्ध है, शायद सदन को यह मालूम है कि माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने अपनी केरल यात्रा के दौरान लगभग 3668 लाख रु० का एक पैकेज कार्यक्रम घोषित किया था। इस कार्यक्रम में 4 स्थानों पर मत्स्य बन्दरगाह बनाना, 3 स्थानों पर मछली उतारने के केन्द्र स्थापित करना और खारापानी मत्स्य पालन विकास अभिकरण बनाना तथा अन्य कार्य शामिल हैं। थंगासेरी परियोजना 1411 लाख रु० लागत की प्रमुख परियोजना है। इसमें भारत सरकार का हिस्सा 705.50 लाख रुपए का है और नवम्बर, 1988 के दौरान 25 लाख रुपए की राशि दी थी। अत्यधिक प्रयासों के बाद राज्य सरकार ने थंगासेरी परियोजना को अपनी मंजूरी दी। इसमें कोई शक नहीं है कि इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी परन्तु यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का इससे कोई अधिक सम्बन्ध नहीं है। राज्य सरकार ने अपने ढंग से कार्य आरम्भ कर दिया है और मैं समझता हूं कि यह मत्स्य उद्योग के हित में नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में परम्परागत नावों में मोटर लगाने की योजना भी एक योजना है। महोदय, परम्परागत नावों में आऊट बोर्ड मोटर लगाकर यह कार्य किया जा सकता है। मछुआरे साधारण नावों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वे लाखों रुपए खर्च करके बड़ी नाव नहीं खरीद सकते। परम्परागत नावों में मोटर लगाने के लिए लगभग 10,000 रु० से 20,000 रु० तक की आवश्यकता पड़ती है। ये मोटरें हमारे देश में नहीं बनती। राज्य निगम द्वारा ये मोटरें आयात करने पर पिछले वर्ष 25 प्रतिशत शुल्क लगाया था। लेकिन प्राइवेट पार्टियों द्वारा आयात करने पर 90 प्रतिशत शुल्क लगता है। यह फिर भी ठीक है। परन्तु दुर्भाग्यवश राज्य निगम ने पिछले वर्ष इनका आयात नहीं किया।

श्री तम्पन थामस : कमीशन कितना है ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह काम आपकी पार्टी कर रही है। क्या आपको यह नहीं पता ?

(व्यवधान)

मेरा अभिप्राय है कि राज्य निगम आयात नहीं कर रहे हैं। पिछले वर्ष उन्होंने आयात नहीं

किया। इसके परिणामस्वरूप, बेचारे मछुआरों को आयातित आऊट बोर्ड मोटरें नहीं मिल रहीं हैं और उन्हें नुकसान हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह राज्य मत्स्य पालन निगम को ऐसी आऊट बोर्ड मोटरें आयात करने के लिए और सभी क्षेत्रों में इन आऊट बोर्ड मोटरों पर आयात शुल्क कम करने के लिए कहेंगे ताकि मछुआरों को सस्ते दामों पर ये मोटरें मिल सकें।

श्री श्याम लाल यादव : यह सच है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मछली पकड़ने वाली परम्परागत नौकाओं से अधिक मछली पकड़ने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 5000 परम्परागत नौकाओं में ये मोटरें लगाई जानी थी। केरल में 1000 परम्परागत नौकाओं में मोटरें लगायी जानी थी और 1986-87 से 1988-89 के दौरान केरल में 700 नौकाओं की मंजूरी दी गई थी। इस योजना में 50 प्रतिशत राजसहायता की व्यवस्था की गई थी जिसका वहन केन्द्र सरकार और राज्य सरकार आधा-आधा करती हैं परन्तु यह राशि 7500 रु० से अधिक नहीं होगी। शेष 50 प्रतिशत राशि बैंक ऋण द्वारा प्रदान की जाती है। 1986-87 और 1988-89 के दौरान 26.25 लाख रु० जारी किए गए।

जहां तक सीमा शुल्क का सम्बन्ध है, राज्य मत्स्य पालन निगम द्वारा ऐसी आऊट बोर्ड मोटरें आयात करने पर अप्रैल, 1988 आयात शुल्क घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया था। मार्च, 1989 में, इस शुल्क को कम करके 35 प्रतिशत कर दिया गया। परन्तु मत्स्य पालन निगम के अलावा, मत्स्य पालन सहकारी संघों को भी इस रियायती शुल्क दर पर आयात करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए, मेरे विचार में, अधिकांश परम्परागत मछुआरों को इस 35 प्रतिशत की रियायती दर का लाभ मिलेगा क्योंकि मत्स्य पालन सहकारी संघ मछुआरों का ही एक संघ है। अतः अधिक से अधिक मछुआरे इस रियायत से लाभान्वित हो सकते हैं और इससे परम्परागत मछुआरों को अपनी नौकाओं को आधुनिक बनाने में सहायता मिलेगी। मेरे विचार में, इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

श्री चिन्तामणि जेना : यह मेरे प्रश्न संख्या 764 का अनुपूरक प्रश्न है। उड़ीसा राज्य के विशाल तटवर्ती क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, उड़ीसा तट से समुद्री उत्पाद और मछलियां प्राप्त करने की दिशा में अब तक समुचित प्रयास नहीं किए गए हैं। अतः उड़ीसा के समुद्र तट से अधिकतम समुद्री उत्पाद प्राप्त करने के बारे में सरकार की क्या योजना है? इसके अतिरिक्त मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उन्होंने उड़ीसा राज्य में अनेक केन्द्रीय योजनायें कार्यान्वित की हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य में ऐसी कितनी एफ० एफ० डी० ए० योजनायें चल रहीं हैं? क्या राज्य सरकार ने विशेष रूप से पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एफ० एफ० डी० ए० योजनाओं की संख्या बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है? इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

श्री श्याम लाल यादव : जैसा कि मैंने प्रश्न के भाग 'ख' के उत्तर में एक वक्तव्य में कहा है कि उड़ीसा में कम से कम पांच योजनायें शुरू की गई हैं और उनमें सहायता दी जा रही है। पूरी तरह से कार्यान्वित होने पर इन योजनाओं से मछुआरों को मछली का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप वर्ष 1983-84 से उड़ीसा में मछली उत्पादन बढ़ा है। उस समय कुल उत्पादन 97,625 टन था। वर्ष 1987-88 में, उत्पादन बढ़कर 1,17,000 टन हो गया। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उत्पादन बढ़ रहा है। एफ० एफ० डी० ए० योजनाओं की कुल संख्या 13 है। एक उड़ीसा में है। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार इन सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तेजी से प्रयास कर रही है और इनसे मछुआरों को सहायता मिलेगी।

यदि माननीय सदस्य इन परियोजनाओं का ब्यौरा पृथक से चाहते हैं तो मैं उन्हें दे सकता हूं। परन्तु इनकी सूची बहुत बड़ी है।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, माननीय सदस्य ने एक आरोप लगाया है कि परम्परागत मछुआरों के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता उन तक नहीं पहुंचती है और इसे बिचौलिए खा जाते हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें केरल में इस बारे में संसद सदस्यों सहित किसी से भी कोई शिकायत प्राप्त हुई है और क्या सरकार के पास ऐसा कोई सबूत है। यदि हां, तो क्या वह इस सभा को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम लाल यादव : जैसा कि मैं अपने उत्तर में माननीय सदस्य को बता चुका हूं यह बात समाचारपत्रों में भी छपी है। मैंने माननीय संसद सदस्यों से भी सुना है। मैंने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे ऐसी घटनायें बतायें जिनमें नियमों का उल्लंघन किया गया है और गैर-मछुआरों को सहकारी समितियों में शामिल किया गया है।

श्री सुरेश कुरूप : मेरा प्रश्न था कि परम्परागत मछुआरों के लिए दी जाने वाली सहायता उन्हें नहीं मिलती और उसे बिचौलिए हड़प कर जाते हैं। **(व्यवधान)**

श्री श्याम लाल यादव : गैर-मछुआरों को सहकारी समितियों में शामिल किया जाता है। यह उनका आरोप था।

श्री सुरेश कुरूप : मैं जानना चाहता हूं कि क्या केरल में यह सहायता बिचौलिए हड़प गए हैं।

श्री के० एस० राव : महोदय, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में, एक स्थान है मछलीपत्तनम जहां खारे पानी में 'प्रान' मछली पैदा करने की बहुत गुंजाइश है। इस बारे में बहुत से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार भूमि देने में मछुआरों को प्राथमिकता नहीं दे रही है बल्कि हजारों एकड़ खारे पानी वाली जमीन प्रमुख कम्पनियों को दे रही है और पीढ़ियों से मछली पकड़ने के काम में लगे परम्परागत मछुआरों की उपेक्षा कर रही है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह आंध्र प्रदेश सरकार से मालूम करके यह सुनिश्चित करेंगे कि मछलीपतनम में और उसके इर्द-गिर्द समुद्र उत्पाद बढ़ाने के लिए प्रमुख कम्पनियों की अपेक्षा केवल मछुआरों को ही प्राथमिकता दी जाए।

श्री श्याम लाल यादव : मैं इसकी जांच करूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग

*761. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परीक्षा प्रणाली में सुधार

*762. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में परीक्षा प्रणाली में सुधार को उच्च प्राथमिकता दी जानी थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस सम्बन्ध में क्या उपलब्धियां रही हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) परीक्षा प्रणाली में सार्थक सुधार लाने के लिए समय-समय पर कई उपायों का सुझाव दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 कार्रवाई योजना तथा 7वीं योजना में व्यापक तथा सार्थक सुधारों की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। उच्चतर तथा स्कूल क्षेत्रों में सुधारों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा की गई सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :—

1. **विश्वविद्यालय स्तर पर**

(1) फाइनल परीक्षा के एक सम्पूरक के रूप में सतत आंतरिक मूल्यांकन आरम्भ करना।

(2) प्रश्न बैंकों का विकास।

(3) अंक प्रणाली के स्थान पर ग्रेड प्रणाली शुरू करना।

(4) सेमेस्टर प्रणाली शुरू करना।

(5) प्रत्येक पेपर के पाठ्य-विवरण को सुपरिभाषित ईकाइयों/विषय के क्षेत्रों में निर्धारित करना।

(6) पिछली परीक्षाओं में आए प्रश्नों की पुनरावृत्ति करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र पाठ्य-विवरण के महत्वपूर्ण भाग न छोड़ दें।

(7) छात्रों को प्रश्नों का उत्तर देते समय विकल्प पर प्रतिबन्ध। यदि विकल्प दिया जाए तो यह किसी प्रश्न का चयन करने के बजाय बारी-बारी से प्रश्नों द्वारा होना चाहिए।

(8) व्याख्यान, शैक्षिक कक्षाएं प्रयोगों आदि सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करके ही परीक्षाएं आयोजित करना।

(9) परीक्षाएं उचित प्रकार से आयोजित करने के लिए प्रबन्ध जैसे कि प्रभावशाली सुरक्षा, उचित निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण, लाउडस्पीकर तथा अन्य बाधाओं आदि से परीक्षा केन्द्रों

को दूर रखना, उड़नदस्ते तैनात करना तथा नकल करने और अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों पर कठोर कार्रवाई करना।

2. स्कूल स्तर पर

(1) परीक्षा सुधारों से मूल्यांकन की वैधता और विश्वनीयता में वृद्धि होनी चाहिए और परीक्षाएं शिक्षण अध्ययन में सुधार का एक शक्तिशाली साधन होनी चाहिए।

(2) डिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विचार करके परीक्षा सुधार सम्पूर्णता से तैयार करना।

(3) कक्षा VIII तक रोकने की कोई नीति और कोई सार्वजनिक परीक्षा नहीं होनी चाहिए।

(4) बोर्ड अथवा आवधिक परीक्षाओं पर बल नहीं दिया जाना चाहिए और व्यापक सतत मूल्यांकन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

(5) व्यापक सतत् मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन में गैर-शैक्षिक क्षेत्रों को शामिल करना।

(6) वस्तुपरकता तथा न्यायसंगतता बढ़ाने के लिए बाह्य परीक्षा के आयोजन में सुधार।

(7) परीक्षा के परिणामों में अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रतिस्थापित करना और सेमेस्टर प्रणाली शुरू करना।

(8) भागों में परीक्षाएं पास करने और अनुवर्ती प्रयासों द्वारा छात्र के ग्रेड में सुधार करने के लिए अवसर।

(9) स्कूल स्तर की समाप्ति पर स्वेच्छा के आधार पर राष्ट्रीय परीक्षा सेवा शुरू करना।

(ग) इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वियन के फलस्वरूप उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :—

विश्वविद्यालय स्तर

(1) 74 विश्वविद्यालयों ने विभिन्न स्तरों पर सतत आन्तरिक मूल्यांकन शुरू किया है।

(2) 25 विश्वविद्यालयों ने प्रश्न बैंक विकसित किए हैं।

(3) 45 विश्वविद्यालयों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ग्रेड प्रणाली को अपनाया है।

(4) 71 विश्वविद्यालयों ने सेमेस्टर प्रणाली शुरू की है।

(5) 56 विश्वविद्यालयों ने आयोग को सूचित किया है कि उन्होंने पाठ्यक्रम को इकाइयों/विषय क्षेत्रों में विभाजित करने के उपाय शुरू किए हैं।

(6) 53 विश्वविद्यालयों ने यह निर्णय किया है कि परीक्षक पिछली परीक्षाओं में निर्धारित प्रश्नों की पुनरावृत्ति करने के लिए स्वतन्त्र होने चाहिए।

(7) 50 विश्वविद्यालयों ने यह निर्णय किया है कि प्रश्नों के उत्तर देने के विकल्प को पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई तक सीमित कर देना चाहिए।

(8) 52 विश्वविद्यालयों ने लेक्चरों/शैक्षिक कक्षाओं, प्रयोगशाला सत्रों, आदि की न्यूनतम संख्या की अपेक्षा को पूरा किए बिना परीक्षाएं आयोजित न करने पर सहमति व्यक्त की है।

(9) 45 विश्वविद्यालयों ने वि० अ० आ० को सूचित किया है कि वे परीक्षाएं उचित प्रकार से आयोजित करने को सुनिश्चित करने के उपाय कर रहे हैं, जैसे कि प्रभावशाली सुरक्षा उपाय उचित पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण और नकल करने तथा अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने से सम्बन्धित मामलों में सख्त कार्रवाई करना।

स्कूल स्तर

क्रम सं०	परीक्षा सुधार कार्यक्रम के लिए उपाय	वे राज्य जिन्होंने सुधार कार्यक्रम शुरू किए हैं
1	2	3
1.	प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए नीति-विवरण (संरचनाओं) का विकास।	आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, सी० आई० एस० ई०, जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हरियाणा, त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
2.	मूल्यांकन में प्रशिक्षित व्यक्तियों में से प्रश्न-पत्र निर्धारकों की नियुक्ति।	आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सी० आई० एस० सी० ई०, जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु, हरियाणा, गोवा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
3.	प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए प्रश्न-पत्र निर्धारकों के पैनलों की नियुक्ति।	आंध्र प्रदेश, असम, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, सी० आई० एस० सी० ई०, त्रिपुरा, गोवा, उत्तर प्रदेश।
4.	विभिन्न योग्यताओं की जांच करने के लिए प्रश्न-पत्र में अंकों की निश्चित अनुपातिक प्रतिशतता का आबंटन।	आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, सी० आई० एस० सी० ई०, जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश, के० मा० शि० बो०, हरियाणा, मणिपुर, त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश।
5.	प्रश्न-पत्र के माध्यम से पाठ्यक्रम को प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करना।	आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, सी० आई० एस० सी० ई०, के० मा० शि० बो०, जम्मू व काश्मीर, मणिपुर, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गोवा, उत्तर प्रदेश।

1	2	3
6.	प्रश्न-पत्र में विशिष्ट उल्लिखित प्रश्नों को प्रारम्भ करना।	आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, सी० आई० एस० सी० ई०, के० मा० शि० बो०, हरियाणा, त्रिपुरा, गोवा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
7.	प्रबन्ध किस्म के प्रश्नों के अतिरिक्त प्रश्न-पत्रों में लघु उत्तर प्रश्न शामिल करना।	आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, सी० आई० एस० सी० ई०, के० मा० शि० बो०, हरियाणा, त्रिपुरा, गोवा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
8.	प्रश्न-पत्रों में वस्तुपरक किस्म के प्रश्न (विविध विकल्प) शुरू करना।	आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, सी० आई० एस० सी० ई०, त्रिपुरा, गोवा, उत्तर प्रदेश।
9.	प्रश्न-पत्रों के निर्धारण के लिए प्रश्न बैंकों का प्रयोग।	गुजरात, राजस्थान, सी० आई० एस० सी० ई०, गोवा, बिहार, के० मा० शि० बो०, हरियाणा, पश्चिम बंगाल।
10.	प्रश्न-पत्रों में समूचे विकल्प समाप्त करना।	आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, के० मा० शि० बो०, उत्तर प्रदेश।
11.	स्वयं प्रश्न-पत्र निर्धारक द्वारा प्रत्येक प्रश्न-पत्र सहित अंक योजना का विकास।	असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, सी० आई० एस० सी० ई०, के० मा० शि० बो०, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
12.	निर्धारित पृथक समय-सीमाओं सहित निर्धारित उत्तर तथा स्वतन्त्र उत्तर के लिए प्रश्न-पत्र को दो पृथक खण्डों में विभाजित करना।	आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, सी० आई० एस० सी० ई०।
13.	उत्तर-पुस्तिकाओं का केन्द्रीयकृत स्थान मूल्यांकन शुरू करना।	आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सी० आई० एस० सी० ई०, के० मा० शि० बो०, उ० प्र०, त्रिपुरा, गोवा।

1	2	3
14.	परीक्षा-परिणामों की यांत्रिकी जांच शुरू करना।	आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, सी० आई० एस० सी० ई०, के० मा० शि० बो०, उ० प्र०।
15.	ग्रेड-पद्धति अपनाने पर सहमति।	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सी० आई० एस० सी० ई०, त्रिपुरा, कर्नाटक।
16.	विषय-वार परिणामों का उन्हें तुलनीय बनाने के लिए निर्धारण।	गुजरात, केरल, सी० आई० एस० सी० ई०।
17.	छात्रों को भागों में परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनुमति देना।	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, पंजाब, के० मा० शि० बो०।
18.	छात्रों को अनुवर्ती परीक्षा में बैठकर अपने ग्रेडों में सुधार करने की अनुमति देना।	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, पंजाब, के० मा० शि० बो०।
19.	विज्ञान विषय में व्यावहारिक कार्य के मूल्यांकन में उत्पाद तथा निष्पादन, दोनों को निश्चित करना।	असम, गुजरात, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, सी० आई० एस० सी० ई०, त्रिपुरा, के० मा० शि० बो०, गोवा, उ० प्र०।
20.	आन्तरिक मूल्यांकन योजना में छात्र विकास के शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित करना।	राजस्थान, तमिलनाडु।
21.	बाह्य-परीक्षा मूल्यांकन सहित आंतरिक मूल्यांकन का पृथक प्रमाण-पत्र जारी करना।	राजस्थान।

1	2	3
22.	प्रश्न-पत्र निर्धारकों के लिए पुर्नानिवेशन के रूप में व्यापक तौर पर प्रश्न-पत्रों का विश्लेषण।	राजस्थान।
23.	सामान्य कृतियों, अंक में सह-संबंध, प्रत्येक विषय की कार्यात्मक कीमत आदि का पता लगाकर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण।	राजस्थान।
24.	पाठ्यचर्या, शिक्षण पाठ्य-पुस्तकों तथा मूल्यांकन, आदि में दो स्कूलों को स्वायत्तता।	राजस्थान।
25.	खुली पुस्तक परीक्षा।	उत्तर प्रदेश।

नए भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों (आई० आई० टी०) का खोला जाना

[हिन्दी]

*765. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन राज्यों में जहां भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान के स्तर के तकनीकी संस्थान नहीं हैं, नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्व-रोजगार प्राप्त महिलाओं सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

*766. **डा० फुलरेणु गुहा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्व-रोजगार प्राप्त महिलाओं सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) स्वीकार की गई तथा कार्यान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) स्व-नियोजित महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्रों की महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों पर यह विभाग सम्बन्धित मंत्रालयों/राज्य सरकारों के परामर्श से विचार कर रहा है ।

नौवहन और पत्तन कार्यकरण में सुधार

*767. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसियेटेड चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि पत्तन कार्यकरण सहित नौवहन देश के निर्यात प्रयासों में सबसे बड़ी बाधा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) निर्यातकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए नौवहन और पत्तन कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) एसोसिएटेड चैम्बर्स और कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री आफ इण्डिया द्वारा तैयार किए "एक्सपोर्ट ग्रोथ" नामक पृष्ठभूमि दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि देश में निर्यात सम्बन्धी प्रयासों में पत्तन प्रचालनों सहित नौवहन एक बड़ी अड़चन है। उपर्युक्त दस्तावेज में यह संकेत नहीं दिया है कि ये निष्कर्ष किस आधार पर निकाले गए हैं और न ही इस प्रकार के अनुमान के समर्थन में कोई आंकड़े ही प्रस्तुत किए गए हैं।

(ख) सरकार इस विचार से सहमत नहीं है कि पत्तन प्रचालनों सहित नौवहन देश के निर्यात प्रयासों में एक अड़चन है। निर्यातकों को शिपिंग लाइनों के सम्बन्ध में काफी छूट है और पत्तन निर्यातकों द्वारा प्रस्तावित सभी कार्गो को हैंडल करने में सक्षम है।

(ग) देश के निर्यात प्रयासों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा पत्तन और नौवहन सेक्टरों में सुधार लाने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। नौवहन और पत्तन प्रचालनों को सुदृढ़ करने के लिए किये गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) महा पत्तनों के कार्य निष्पादन की निरन्तर मानीटरिंग।

(2) पत्तनों में निर्यातकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रत्येक पत्तन में पत्तन प्राधिकारियों और पत्तन प्रयोक्ताओं की समितियां गठित की गई हैं।

(3) स्टीवडोरिंग लाइसेंस जारी करने को उदार बना दिया गया है और पत्तन न्यासों/गोदी श्रमिक बोर्डों ने भी स्टीवडोरिंग कार्य करना शुरू कर दिया है, इस प्रकार इस क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्द्धा शुरू हो गई है।

(4) पत्तनों में चरणबद्ध ढंग से कार्गो हैंडलिंग और बर्थिंग सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है।

(5) आधुनिक उपस्कर लगा कर कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है।

(6) न्हावा सेवा में आधुनिक कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं के साथ एक नया महापत्तन विकसित किया गया है।

(7) जहाजों की खरीद सम्बन्धी कार्य निष्पादन को व्यवस्थित किया गया।

भारत और थाईलैंड का संयुक्त आयोग

*768. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और थाईलैंड ने व्यापार और आर्थिक समझौतों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आयोग गठित करने हेतु समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

स्थायी और दीर्घकालिक आधार पर द्विपक्षीय सम्बन्धों का विस्तार करने और उन्हें बढ़ाने के लिए भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक संयुक्त आयोग का गठन किया गया है। द्विपक्षीय सहयोग का संवर्धन करने के तौर-तरीकों पर विचार करने के लिए विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता में इस आयोग की बैठक बारी-बारी से भारत और थाईलैंड में होगी।

मोटे अनाज का उत्पादन

*769. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग गेहूं और चावल की अपेक्षा इन्हें अधिक पसन्द करते हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को महाराष्ट्र में किस प्रकार लागू किया जाएगा ?

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : (क) से (घ) सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान देश में मोटे अनाजों का उत्पादन लगभग 26.00 मिलियन मीटरी टन हुआ, क्योंकि योजना के पहले तीन वर्षों में लगातार सूखा पड़ा था। आशा है कि 1988-89 के दौरान करीब 32 मिलियन मीटरी टन का उत्पादन होगा। सरकार देश में प्रभावी विस्तार प्रणाली, कम समय में पकने वाली तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रयोग तथा वर्षा सिंचित/बारानी खेती को प्रौद्योगिकी के प्रचार के माध्यम से मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने और उसे स्थिर बनाने के लिए कदम उठाती रही है।

देश में मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मक्का तथा कदन्न के मिनिकिट कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रयुक्त धन तथा महाराष्ट्र को आबंटित धन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपये)

वर्ष	देश	महाराष्ट्र
1985-86	49.98	14.58
1986-87	57.42	15.67
1987-88	36.88	12.12
1988-89	90.01	13.02
1989-90 (लक्ष्य)	120.00	15.43

विशेष अनाज उत्पादय कार्यक्रम के अन्तर्गत भी मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता देने की योजना के अंतर्गत एक घटक के रूप में किसानों को मोटे अनाजों के मिनिकिट भी बांटे जाते हैं।

भारतीय समुद्री माध्यस्थम नियम

*770. **श्री एच० ए० डोरा : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय माध्यस्थम परिषद् ने सरकार से अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री माध्यस्थम प्रक्रिया के अनुरूप भारतीय समुद्रीय माध्यस्थम नियम बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ख) ये प्रश्न नहीं उठते।

सावित्री महिला महाविद्यालय भंजनगर, उड़ीसा को विश्वविद्यालय आयोग द्वारा मान्यता प्रदान करना

*771. **श्री सोमनाथ रथ : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री महिला महाविद्यालय, भंजनगर, उड़ीसा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अन्तर्गत बरहामपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी रूप से मान्य महाविद्यालय के रूप में अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया है;

(ख) क्या महाविद्यालय ने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान और सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है और महाविद्यालय को कितनी धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है और कब तक ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 7वीं योजना के दौरान अवर-स्नातक शिक्षा के विकास तथा कालेजों को बुनियादी सहायता की योजनाओं के अन्तर्गत कालेज ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता के लिए आवेदन किया था। बुनियादी सहायता के अन्तर्गत कालेज का प्रस्ताव अनुमोदित करके 1,54,900 रुपये आबंटित किए गए हैं, जो पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं और उपकरणों को खरीदने तथा भारत में अध्यापकों को शैक्षिक सम्मेलनों में भाग लेने तथा 3 अल्पकालिक अध्यापक अध्येता वृत्तियों के लिए उपलब्ध किए जायेंगे।

7वीं योजना के दौरान, अवर-स्नातक शिक्षा के विकास की योजना के अन्तर्गत कालेज, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 4 लाख रु० तक का अनुदान प्राप्त करने का पात्र है। चूंकि आयोग ने कालेज से कुछ आवश्यक सूचना मांगी है, अतः इस योजना के अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव को अंतिम रूप, सूचना प्राप्त होने के पश्चात् ही दिया जाएगा।

शैक्षिक संस्थाओं में प्रावेशिक (कैपिटेशन) शुल्क पर रोक

*772. श्री टी० बशीर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी इंजीनियरी एवं मेडिकल कालेजों द्वारा प्रावेशिक (केपिटेशन) शुल्क लेने की प्रथा पर पूर्ण रोक लगाने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) भारत सरकार तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के व्यावसायिकरण करने तथा प्रतिव्यक्ति शुल्क वसूल करने के साथ-साथ इसकी अभिव्यक्तियों का लगातार विरोध करती है। राज्य सरकारों को समय-समय पर सम्बोधित किया जाता रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को हाल ही में तकनीकी शिक्षा पद्धति की समेकित आयोजना, इसका प्रोत्साहन तथा विनियमन के लिए सांविधिक अधिकार दिये गये हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के कार्य ढांचे के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानदण्डों और मार्ग-दर्शी रूपरेखाओं को पूरा करने के लिए सही उपाय करने का अवसर दिया गया है। ऐसी संस्थाओं को, जिन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदण्डों के उल्लंघन में स्थापित किया गया है अथवा दाखिला और शुल्क सम्बन्धी मार्गदर्शी रूपरेखाओं अथवा न्यूनतम मानदण्डों और मानकों का पालन नहीं करती, वे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा उनकी मान्यता समाप्त करने का जोखिम लेंगी।

जहां तक मेडिकल शिक्षा का सम्बन्ध है, भारतीय मेडिकल परिषद् अधिनियम, 1956 का संशोधन करने के लिए एक विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत कर दिया गया है और अब यह संसद की संयुक्त समिति के सम्मुख प्रस्तुत है। इस विधेयक में भारतीय मेडिकल परिषद् द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों आदि के लिए शुल्क के मानदण्डों को निर्धारित करने के साथ-साथ प्रतिव्यक्ति शुल्क वसूलने को समाप्त करने का प्रावधान है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशों से प्रस्ताव

*773. डा० जी० एल० कनौजिया :
डा० दत्ता सामन्त :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेशी कम्पनियां भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश पाने की इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विदेशी कम्पनियों ने सरकार के समक्ष निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं तथा किन-किन प्रस्तावों को किन शर्तों पर मंजूरी दी गई है; और

(ग) इन कम्पनियों का इस क्षेत्र में कितना पूंजी-निवेश करने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) खाद्य

प्रसंस्करण के क्षेत्र में विदेशी सहयोग/पूंजी निवेश से सम्बन्धित 19 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 13 प्रस्तावों को जून, 1988 के बाद स्वीकृति दे दी गई है। स्वीकृत प्रस्तावों में लगभग 15 करोड़ रुपये के विदेशी पूंजी निवेश की परिकल्पना की गई है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

*774. **प्रो० पराग चालिहा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन कुछ नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार कर रहा है;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों ने सुझाव दिए हैं कि यह कार्यालय किन-किन स्थानों पर खोले गए; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर संगठन की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अपेक्षित क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। नये क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकता का निर्धारण व्यापक रूप से प्रशासनिक और पर्यवेक्षीय सुविधा से किया जाता है।

(ख) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्कूलों के पुनःसामूहीकरण और नये क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकता की जांच कर रहा है।

(ग) और (घ) कुछ संसद सदस्यों ने क्षेत्रीय कार्यालयों के खोलने के बारे में सुझाव दिये हैं और केन्द्रीय विद्यालय संगठन इसकी जांच कर रहा है।

दमन और दीव में कीटनाशी दवाओं की बिक्री

*775. **श्री गोपाल के० टंडेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान दमन और दीव में किन-किन कीटनाशकों, कितनी श्रेणियों के कीटनाशकों तथा उनकी कितनी मात्रा की बिक्री करने अथवा दुकानों में रखने व वितरण करने हेतु लाइसेंस दिए गए; और

(ख) प्रत्येक लाइसेंसधारी द्वारा पिछले तीन वर्षों में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का माल बेचा गया ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) कीटनाशियों, जिन्हें बिक्री करने, भंडारण करने या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने अथवा वितरण करने हेतु लाइसेंस जारी किए गए हैं, की सूची संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

ऐसे लाइसेंसों में कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गयी है।

(ख) अपेक्षित जानकारी सामान्य रूप से सरकार द्वारा संकलित नहीं की जाती है। तथापि, कुछ लाइसेंसधारियों के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण-2 में दी गयी है।

विवरण-1

गत तीन वर्षों के दौरान दमन और दीव प्रशासन द्वारा दमन और दीव में जिन कीटनाशियों की बिक्री करने, भंडारण करने या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने अथवा वितरण करने हेतु लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, उन कीटनाशियों के नाम

क्रम सं०	कीटनाशियों का नाम
1	2
1.	एल्ड्रिन 39 प्रतिशत ई० सी०
2.	एल्यूमीनियम फोस्फाइड (टैन) 56 प्रतिशत
3.	एरेस्ट 50 प्रतिशत डब्ल्यू० पी०
4.	बी० एच० सी० 50 प्रतिशत डब्ल्यू० पी०
5.	बी० एच० सी० 50 प्रतिशत डी० पी०
6.	बायोसिप 10 प्रतिशत ई० सी०
7.	बोयोफेन 20 प्रतिशत ई० सी०
8.	बूटाक्लोर टैकनीकल
9.	बूटाक्लोर 50 प्रतिशत ई० सी०
10.	कैप्टन 50 प्रतिशत डब्ल्यू० पी०
11.	कार्बनडाजिम टैकनीकल
12.	कार्बनडाजिम 50 प्रतिशत डब्ल्यू० पी०
13.	कार्बिल 50 प्रतिशत डब्ल्यू० पी०
14.	कार्बिल 85 प्रतिशत डब्ल्यू० पी०
15.	साईपरमैथ्रिन टैकनिकल
16.	साईपरमैथ्रिन 10 प्रतिशत ई० सी०

1	2
17.	साईपरमैथ्रिन 25 प्रतिशत ई० सी०
18.	डी० डी० टी० 5 प्रतिशत डी० पी०
19.	डी० डी० टी० 10 प्रतिशत डी० पी०
20.	डी० डी० टी० 50 प्रतिशत डब्ल्यू० पी०
21.	डी० डी० टी० 25 प्रतिशत ई० सी०
22.	डियजिनीन 20 प्रतिशत ई० सी०
23.	डिकोफोल 18.5 प्रतिशत ई० सी०
24.	डाइनेथोएट टैकनिकल
25.	डाइमेथोएट 30 प्रतिशत ई० सी०
26.	डियूरोन 50 प्रतिशत डब्ल्यू० पी०
27.	ड्यूरगेट 30 प्रतिशत ई० सी०
28.	2, 4-डी ईयल ईस्टर साल्ट
29.	एन्डोसल्फान टैकनिकल
30.	एन्डोसल्फान 35 प्रतिशत ई० सी०
31.	एन्डोसल्फान 4 प्रतिशत डी० पी०
32.	इथियोन टैकनिकल
33.	फेनवलरेट टैकनिकल (94 प्रतिशत)
34.	फेनवलरेट 20 प्रतिशत ई० सी०
35.	ग्लाइफोसेट 41 प्रतिशत एस० एल०
36.	हैक्साथिर 75 प्रतिशत डब्ल्यू० पी०
37.	हैक्साविन 50 प्रतिशत डब्ल्यू० पी०
38.	हैमोक्स 25 प्रतिशत ई० सी०
39.	आइसोप्रोट्यूरोन 50 प्रतिशत डब्ल्यू० पी०
40.	आइसोप्रोट्यूरोन 75 प्रतिशत डब्ल्यू० पी०
41.	लिन्डेन 15 प्रतिशत स्मोक जनरेटर (कैनन)
42.	मेलाथिओन टैकनिकल
43.	मेलाथिओन 5 प्रतिशत डी० पी०

1	2
	44. मेलाथिओन 50 प्रतिशत ई० सी०
	45. मेन्कोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू० पी०
	46. मारबेक्स सुपर 100
	47. एम० ई० एम० सी० 6 प्रतिशत एच० जी०
	48. मेथाइलीराथियोन 20 प्रतिशत डी० पी०
	49. मेथाइलीराथियोन 50 प्रतिशत ई० सी०
	50. मोनोकोटोफोस टैकनिकल
	51. मोनोक्रोटोफोस 36 प्रतिशत एस० एल०
	52. मोनोफोस 40
	53. ओरथन 75 प्रतिशत एस० पी०
	54. ओक्सीडेमीटोन मेथिल 25 प्रतिशत ई० सी०
	55. फेन्डल 50 प्रतिशत ई० सी०
	56. फेनल मेरक्यूरिक एक्टेट 1 प्रतिशत एच० जी० (ड्राई सीड ड्रैसिंग)
	57. पी० एम० ए० टैकनिकल
	58. फोरेट टैकनिकल
	59. फोरेट 10 प्रतिशत जी० आर०
	60. फोसकिल 35 प्रतिशत एस० एल०
	61. फोसफेमिडोन 85 प्रतिशत एस० एल०
	62. क्विनेलफोस टैकनिकल
	63. क्विनलफोस टैकनिकल 25 प्रतिशत ई० सी०
	64. रिडोमिल एम० जैड 72 प्रतिशत
	65. सल्फर 80 प्रतिशत डब्ल्यू० पी०
	66. सल्फर 85 प्रतिशत डी० पी०
	67. थिरम 75 प्रतिशत डब्ल्यू० एस०
	68. जिंक फास्फेट टैकनिकल

विवरण-2

गत तीन वर्षों में कुछ लाइसेंस धारकों द्वारा मात्रा और राशि के रूप में कारोबार

क्रम सं०	लाइसेंस धारक का नाम	कारोबार					
		1986-87		1987-88		1988-89	
		मात्रा मी० टन में	राशि लाख रु० में	मात्रा मी० टन में	राशि लाख रु० में	मात्रा मी० टन में	राशि लाख रु० में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	फिकम आर्गेनिक लि०	514.250	205.98	547.250	220.71	194.750	48.24
2.	सुपर इंडस्ट्रीज	434.37	35.10	359.29	61.70	279.06	29.08
3.	सरिन इंडिया लि०	—	—	—	—	2.00	348.34
4.	रैलिस इंडिया लि०	—	—	—	—	0.69	67.22
5.	प्रैसिडेंट इंडस्ट्रीज	—	—	98.92	17.42	88.40	63.74
6.	गुजरात मार्केटिंग	—	—	—	—	0.58	65.44
7.	भारत पल्वेराइजिंग मिल्स प्रा० लि०	3.41	433.60	3.36	358.90	6.49	111.83
8.	इंडस्ट्रियल मिनरल एण्ड केमिकल कं० प्रा० लि०	0.05	6.20	—	—	—	—
9.	गुजरात इंसेक्टिसाइड्स लि०	2.42	1026.98	3.45	1355.19	5.42	1702.70
10.	गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन	—	—	—	—	8.93	1227.55
11.	खटाऊ जंकर लि०	—	—	—	—	33.500	173.00

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	पारुल पेस्टिसाइड्स	—	—	—	—	1.29	1.58.77
13.	एक्सल इंडस्ट्रीज लि०	8.15	802.63	13.85	1459.77	19.82	1973.34

केरल में समन्वित बाल विकास सेवा परियोजनाओं का कार्यान्वयन

*776. **श्री के० मोहनदास** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान समन्वित बाल विकास सेवा परियोजनाओं सम्बन्धी योजना का विस्तार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल में किन-किन ब्लाकों में यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 में 500 नई केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) परियोजनाएं स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। इस वर्ष जिन ब्लाकों में इस कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा, उनके नामों के बारे में राज्य सरकार के परामर्श से शीघ्र निर्णय किया जाएगा।

बिहार में फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

*777. **श्रीमती मनोरमा सिंह** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बिहार में कौन-कौन से जिले चुने गए हैं;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब कितने व्यक्तियों को लाभ मिला है; और

(ग) इस बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 की खरीफ फसल के लिए किन-किन फसलों को शामिल किया गया था ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) बिहार सरकार ने अपने सभी 39 जिलों को बृहत फसल बीमा योजना के कार्यान्यिन के लिए चुना है।

(ख) रबी 1987-88 के अन्त तक बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कुल 393713 किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ग) खरीफ, 1988-89 के दौरान, बिहार में बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत धान और मक्का की फसलों को शामिल किया गया था ।

भूमि संरक्षण हेतु राज्यों को धनराशि का आबंटन

[अनुवाद]

*778. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक तटीय राज्य को भूमि संरक्षण हेतु तीन वर्षों में वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) एक सारणीबद्ध विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) नदी घाटी परियोजना के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना और बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध तथा उपचारित क्षेत्रों के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान तटीय राज्यों को निर्मुक्त की गयी वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण-पत्र ।

इकाई

वित्तीय : लाख रुपये
क्षेत्र : हजार हैक्टेयर में

क्रम सं०	समुद्र तटवर्ती राज्यों के नाम	वर्ष					
		1986-87		1987-88		1988-89	
		क्षेत्र	वित्तीय	क्षेत्र	वित्तीय	क्षेत्र*	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.49	90.00	7.18	110.00	6.70	112.20
2.	गुजरात	2.35	82.45	2.49	82.56	2.05	85.70
3.	कर्नाटक	10.42	170.00	7.90	179.94	8.60	180.00
4.	केरल	1.33	80.00	1.16	80.00	1.05	80.00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	महाराष्ट्र	2.91	96.00	1.95	130.00	2.65	100.30
6.	उड़ीसा	9.66	194.00	10.00	180.30	6.25	198.50
4.	तमिलनाडु	3.75	128.00	3.77	131.00	2.75	135.50
8.	पश्चिम बंगाल	2.46	161.00	2.84	173.10	3.00	180.40
9.	गोवा	—	—	—	—	—	—
10.	दमन व दीव (संघ शासित क्षेत्र)	—	—	—	—	—	—
11.	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	—	—	—	—	—	—
	योग :	41.37	1001.45	37.29	1066.9	33.05	1072.60

*अनन्तिम ।

गंगा नदी द्वारा भूमि कटाव

7165. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा गंगा नदी द्वारा किए जाने वाले भूमि कटाव का कभी सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष सिफारिशें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश में गंगा बेसिन के चतुर्थ-कल्पीय भूवैज्ञानिक तथा भूआकृति मानचित्रण के दौरान, गंगा में कुछ एकाकी मंडलों में सक्रिय क्षरण देखा गया है। अस्तु गंगा बेसिन के कुछ चुने हुए भू-भागों में पर्यावरण अध्ययन आरम्भ किए गए हैं, जिनके 1990 तक पूरा होने की आशा है ।

बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड की स्थापना हेतु आदिवासी गांवों का अधिग्रहण

7166. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड की स्थापना हेतु दक्षिण बिहार के सिंहभूम जिले में चांडिल के समीप कितने आदिवासी गांवों का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अधिग्रहण किए गए सम्पूर्ण क्षेत्र तथा विस्थापित परिवारों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) भू-स्वामियों को प्रति एकड़ कितना मुआवजा दिया गया है;

(घ) क्या बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड ने विस्थापित परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने के बारे में कोई समझौता किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को दिए जाने वाले अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पशुधन गणना

7167. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 में होने वाली पशुधन गणना पूरी हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रकाशित पशुधन गणना से पशुओं से प्राप्त उत्पादों और उनके मूल्य का भी आकलन प्राप्त हो जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) चौदहवीं पंचवर्षीय पशुधन गणना 1987 में होनी थी । लेकिन, 1987 में सूखे को गम्भीर स्थितियों के कारण सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश यह गणना नहीं कर सके । तदनुसार, जो राज्य 1987 के दौरान यह गणना नहीं कर सके उन्हें 1988 के दौरान गणना करने की अनुमति दी गई । चौदहवीं पशुधन गणना करने की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है । यह देखा जा सकता है कि 9 राज्यों तथा 4 संघ शासित प्रदेशों ने 1987 में पशुधन गणना को (संदर्भ तिथि 15 अक्तूबर, 1987) जबकि 11 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों ने यह गणना 1988 में की (संदर्भ तिथि 15 अक्तूबर, 1988)। लेकिन, पांच राज्य 1988 में भी यह गणना नहीं कर सके । किन्तु उन्होंने 1989 में यह गणना करने की पुष्टि की है । उनकी संदर्भ तिथियां प्रत्येक राज्य के सामने दी गई हैं ।

(ख) जिन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने 1987 में गणना की थी उनमें से ही कुछेक अब तक अनन्तिम निष्कर्ष निकाल पाये हैं (पता चला है कि अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए कार्य चल रहा है ।) गणना के अन्तिम आंकड़े अभी तक सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से नहीं मिले हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न ही नही उठता ।

विवरण

चौदहवीं पशुधन गणना की वर्तमान स्थिति

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	संदर्भ की तिथि
1	2	3
राज्य	**1987**	
1.	आन्ध्र प्रदेश	15 अक्तूबर, 1987
2.	गोवा	—तदैव—
3.	केरल	—तदैव—
4.	मध्य प्रदेश	—तदैव—
5.	महाराष्ट्र	—तदैव—
6.	मणिपुर	—तदैव—
7.	मिजोरम	—तदैव—
8.	नागालैंड	—तदैव—
9.	त्रिपुरा	—तदैव—
संघ शासित प्रदेश		
1.	दादरा और नगर हवेली	—तदैव—
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—तदैव—
3.	लक्षद्वीप	—तदैव—
4.	पांडिचेरी	—तदैव—
राज्य	**1988**	
1.	अरूणाचल प्रदेश	16 अक्तूबर, 1988
2.	असम	—तदैव—
3.	बिहार	—तदैव—
4.	गुजरात	—तदैव—
5.	हरियाणा	—तदैव—
6.	जम्मू और कश्मीर	—तदैव—

1	2	3
	7. मेघालय	—तदैव—
	8. राजस्थान	—तदैव—
	9. सिक्किम	—तदैव—
	10. तमिलनाडु	—तदैव—
	11. उत्तर प्रदेश	—तदैव—
संघ शासित प्रदेश		
	1. चण्डीगढ़	—तदैव—
	2. दिल्ली	—तदैव—
राज्य	1989	
	1. कर्नाटक	31-8-1989
	2. हिमाचल प्रदेश	1-4-1989 (अनन्तिम)
	3. उड़ीसा	15-5-1989
	4. पश्चिम बंगाल	15-6-1989
	5. पंजाब	15-1-1989

बस्तर (मध्य प्रदेश) में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

7168. **श्री मानकूराम सोढी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार से विशेषकर बस्तर जिले में खनिज पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान आशय पत्रों की मंजूरी के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान आशय पत्र जारी किए गए तथा वहीं स्थापित उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में मानसून का असफल रहना

[अनुवाद]

7169. **श्री एन० डेनिस** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु में मानसून असफल रहने से कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1988 के दक्षिण-पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान, तमिलनाडु में लगभग 40 सैन्टीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य वर्षा से 24 प्रतिशत अधिक थी। तथापि, 1988 के उत्तर-पूर्वी मानसून मौसम के दौरान वर्षा कम मात्रा में हुई। परन्तु दक्षिण-पश्चिमी मानसून में आई अच्छी वर्षा के कारण वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु में कृषि उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कालेज

7170. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक भी कालेज नहीं है जिसके कारण दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई का स्तर असन्तोषजनक है;

(ख) क्या हैप्पी आवर्स फाउन्डेशन, दिल्ली ने एक प्रशिक्षण संस्थान आरम्भ किया था किन्तु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा इसका अनुमोदन और मूल्यांकन किए जाने के बावजूद सरकार द्वारा इसे मान्यता दिए जाने में अत्यधिक विलम्ब किए जाने के कारण वर्ष 1978 में बन्द कर दिया गया था; और

(ग) क्या "हैप्पी आवर्स फाउन्डेशन, दिल्ली के अग्रगामी प्रयासों को देखते हुए उसे अपना पाठ्यक्रम पुनः आरम्भ करने के लिए सरकारी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं। दिल्ली में डिग्री स्तर पर दो तथा नर्सरी स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के चार मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण कालेज हैं।

(ख) दिल्ली प्रशासन के रिकार्ड के अनुसार, यह संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं था। अतः संस्थान के बन्द होने से सम्बन्धित तथ्य दिल्ली प्रशासन की जानकारी में नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं। दिल्ली प्रशासन के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विभिन्न पत्तन न्यासों में छोटे मछुआरों का प्रतिनिधित्व

7171. **श्री सोड़े रमैया** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें विभिन्न पत्तन न्यासों में उसके सदस्यों को निर्यातक के सूद्र में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न पतन न्यासों में छोटे मछुआरों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) वाणिज्य मन्त्रालय ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के बम्बई, विजाग, कलकत्ता, कांडला, मद्रास, और मंगलूर पत्तन न्यासों में प्राधिकरण के प्रतिनिधियों की नियुक्ति सम्बन्धी अनुरोध भेजा था ।

(ग) और (घ) जी, नहीं। पोर्ट ट्रस्ट के कार्यालयों में छोटे मछुआरों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्हें पोर्ट ट्रस्टों में प्रतिनिधित्व दिया जा सके ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में प्रिंसिपलों और वाइस प्रिंसिपलों की नियुक्ति

7172. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में प्रिंसिपल/वाइस प्रिंसिपल के वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिए कोई नियम बनाए गए हैं;

(ख) क्या विश्वविद्यालय द्वारा इसके विभिन्न कालेजों में प्रिंसिपल/वाइस प्रिंसिपल के पदों पर नियुक्ति हेतु कोई वरीयता सूची बनाई जाती है;

(ग) क्या एक वाइस प्रिंसिपल की नियुक्ति में विश्वविद्यालय की वरीयता सूची/नियमों का कोई उल्लंघन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अध्यादेश XVIII के क्रमशः धारा 4(4) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कालेज में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की नियुक्ति की जाती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार, इसको अध्यादेशों के उल्लंघन के किसी मामले की कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में विचाराधीन पासपोर्ट आवेदन पत्र

7173. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में 1 जनवरी, 1988 को कितने पासपोर्ट आवेदन पत्र विचाराधीन थे;

(ख) वर्ष 1989 के दौरान पासपोर्ट के लिए कितने नए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इसी वर्ष के दौरान कार्यालय-वार कितने आवेदन पत्रों का निपटान किया गया;

(ग) 1 जनवरी, 1988 को प्रत्येक कार्यालय में कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थे;

(घ) पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने में औसत कितना समय लगता है; और

(ङ) क्या कुछ कार्यालयों में पिछले बकाया पड़े आवेदन पत्रों को देखते हुए वर्ष 1989 के दौरान इसके कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) 6 से 8 सप्ताह ।

(ङ) चूंकि पदों के सृजन पर रोक लगी हुई है इसलिए पासपोर्ट कार्यालयों में मौजूदा अमले को विभिन्न कार्यालयों में कार्य की मात्रा के अनुसार पुनः आबंटित किया जा रहा है । वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक से भी अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले की जांच करें ।

विवरण

क्रम सं०	पासपोर्ट कार्यालय	दिनांक 1-1-1988 को अनिर्णित पड़े पासपोर्ट आवेदन पत्र	वर्ष 1988 में प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों की संख्या	वर्ष 1988 स्वीकृत पासपोर्ट आवेदन पत्रों की संख्या	दिनांक 1-1-89 को बकाया पासपोर्ट आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद	10286	98483	88928	17356
2.	बैंगलोर	5500	50946	48488	11690
3.	बरेली	18221	63052	53678	18642
4.	भोपाल	3876	21793	19929	1437

1	2	3	4	5	6
5.	भुवनेश्वर	821	6009	4965	1711
6.	बम्बई	15080	224471	216526	20040
7.	कलकत्ता	12578	54339	51688	6573
8.	चण्डीगढ़	22328	80079	67331	24498
9.	कोचीन	22870	134109	164767	40964
10.	दिल्ली	11119	100299	92476	10630
11.	गुवाहाटी	669	4164	3628	1506
12.	हैदराबाद	7856	121028	88358	39389
13.	जयपुर	7653	50573	40997	13778
14.	जालन्धर	50501	74881	70492	60047
15.	कोजिकोड	14896	108804	80238	41962
16.	लखनऊ	7761	53939	43794	20087
17.	मद्रास	7538	84211	84158	10782
18.	पटना	5227	12793	11527	4242
19.	पणजी	—	12274	12162	386
20.	श्रीनगर	5465	9217	8269	5069
21.	तिरूचिनापल्ली	10772	95285	89185	15198
	योग :	241017	1460748	1341584	365987

अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थाओं के विनियमन हेतु राज्यों में कानून बनाना

4174. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने शिक्षा के विनियमन सम्बन्धी कानून पारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से राज्य हैं तथा सम्बन्धित अधिनियम कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने अल्प संख्यक समुदायों सम्बन्धी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना को विनियमित करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने से सम्बन्धित कानून बनाए हैं;

(घ) यदि हां, तो ये राज्य कौन-कौन से हैं और ये कानून किस किस तारीख को बनाए गए हैं; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बात का ध्यान रखने के लिए इन कानूनों की जांच की गई है कि इन अधिनियमों अथवा इनके अन्तर्गत बनाए गए कानूनों से अल्पसंख्यकों के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत उल्लिखित संवैधानिक अधिकार का किसी भी प्रकार उल्लंघन अथवा अपक्षरण तो नहीं होता है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ग) जी, हां।

(ख) और (घ) संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा होने के कारण, राज्य सरकारों शैक्षणिक अधिनियमों/विनियमनों को बनाने के लिए और उनके कार्यान्वियन के लिए अधिकार हैं। इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा सूचना नहीं रखी जा रही है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार जब तक कानून द्वारा आवश्यक न हो, तब तक इन अधिनियमों/विनियमनों की जांच नहीं करती है। भारत सरकार को संविधान के अधीन अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के प्रति दी गई गारण्टी का उल्लंघन करने वाले राज्य के कानून अथवा नियमों के किसी भी विशिष्ट उदाहरण की जानकारी नहीं रखती है।

दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके कालेजों के गैर-शिक्षा कर्मचारियों द्वारा राजनीतिक दलों में शामिल होना

[हिन्दी]

7175. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय तथा इसके सम्बद्ध कालेजों के गैर-शिक्षा कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये कर्मचारी किस सम्बद्ध नियम के अन्तर्गत किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय का कोई भी गैर-शिक्षण कर्मचारी किसी भी राजनैतिक दल/संगठन का सदस्य नहीं होगा अथवा किसी भी राजनैतिक दल के कार्यकलाप में भाग नहीं लेगा अथवा संसद अथवा विधान सभा और अन्य प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में प्रधानाचार्यों के पदों में पदोन्नत किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवार

[अनुवाद]

7176. **श्री पूरन चन्द्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तदर्थ आधार पर प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किए गए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों के कुछ व्यक्तियों को स्नातकोत्तर शिक्षक/उप-प्रधानाचार्य के रूप में पर्याप्त अनुभव न होने के बावजूद भी उन्हें प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया था;

(ग) क्या सक्षम अधिकारी द्वारा इनके कम अनुभव को अभी तक माफ नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित 26 व्यक्तियों को दिल्ली प्रशासन द्वारा 1988 में तदर्थ आधार पर प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया था।

(ख) उपरोक्त सभी 26 व्यक्तियों ने भर्ती नियमावली में यथा निर्धारित न्यूनतम अनुभव की आवश्यकता को पूरा किया।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उप-प्रधानाचार्यों को उनके विरुद्ध शिकायतें लंबित होने के कारण प्रधानाचार्यों के पद पर पदोन्नत न किया जाना

7177. **श्री पूरन चन्द्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन दिल्ली में उन उप-प्रधानाचार्यों के नाम आदि का ब्यौरा क्या है जिनकी पदोन्नति उनके विरुद्ध लम्बित पड़ी शिकायतों के कारण, प्रधानाचार्य के पद पर नहीं की गई है;

(ख) इन उप-प्रधानाचार्यों में से प्रत्येक को किस-किस तारीख से पदोन्नति नहीं दी गई;

(ग) क्या सरकारी आदेशों के अनुसार लम्बित शिकायतों के बावजूद पदोन्नति दी जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त व्यक्तियों को पदोन्नति न देने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) निम्नलिखित उप-प्रधानाचार्यों की सतर्कता सम्बन्धी निकासी (क्लीरिएंस) न होने की वजह से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सका :—

1. श्री डी० आर० निम

2. श्री के० सी० राकेश

3. श्री पी० सी० आर्य

4. श्री सी० पी० एस० तोमर

5. श्री वी० के० चौधरी

6. श्रीमती सन्तोष कपूर

(ख) पहले पांच मामलों में पदोन्नतियां 14-3-88 से नहीं दी गइ हैं और छठे मामले 14-9-88 से नहीं दी गई है ।

(ग) और (घ) सरकार के आदेश यह हैं कि उन मामलों में पदोन्नतियां रोक दी जाती हैं जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सम्भावना होती है ।

दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में विद्यालय प्रमुख के रूप में स्वतन्त्र रूप से कार्यरत उप-प्रधानाचार्य

7178. **श्री पूरन चन्द्र** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के किन-किन सीनियर सेकेन्डरी स्कूलों में विद्यालय प्रमुख के रूप में उप-प्रधानाचार्य स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहे हैं; और

(ख) उपर्युक्त उप-प्रधानाचार्य प्रत्येक स्कूल में किस-किस तारीख से विद्यालय-प्रमुख के रूप में स्वतन्त्र रूप से कार्यभार संभाले हुए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उप प्रधानाचार्यों के ब्यौरे/तारीखों सहित उन सीनियर माध्यमिक स्कूलों के नाम जहां स्वतन्त्ररूप से उप प्रधानाचार्यों के रूप में काम कर रहे हैं

उप प्रधानाचार्य (महिलाएं)

क्रमांक	राजकीय कन्या सीनियर माध्यमिक स्कूल	तारीख
1	2	3
1.	(जी० जी० एस० एस० एस०) रानी गार्डेन	1-3-89
2.	नन्द नगरी	1-10-88

1	2	3
	3. बी० बी० एल० के० यमुना विहार	1-12-88
	4. जावला	1-12-88
	5. बुलबुली खाना	1-11-88
	6. एस० एम० मार्ग	15-2-89
	7. समेपुर	1-11-88
	8. सुल्तानपुरी	15-1-89
	9. अशोक विहार (पी० एच०-2)	1-3-89
	10. सागरपुर	1-2-89
	11. घोंडा	11-11-88
	12. मण्डावली	15-12-88
	13. 1.2 सी-बी० एल० के० यमुना विहार	अगस्त, 1988
	14. सी० आर० पार्क	1-4-89
	15. कुवबसड़	मई, 1988
	16. मालवीय नगर	1-4-89
	17. कृष्णा नगर	1-4-89
	18. आर० पी० बाग	1-3-89

उप प्रधानाचार्य (पुरुष)

क्रमांक	राजकीय बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल	तारीख
1	2	3
1.	पी० एस० पी० रोड़, नागलोई	1-11-88
2.	चांदपुर मजरा	16-9-88
3.	एम० एल० नरेला	17-9-88
4.	काराला	1-2-89
5.	राजोकरी	1-10-88
6.	टिकरी कालान	1-11-88

1	2	3
7.	रोशनारा रोड (प्रथम शिफ्ट)	23-9-88
8.	शक्ति नगर नं० 3	1-4-89
9.	मोरी गेट (काबली गेट) नं०2	1-4-89
10.	माडल टाउन, नं० 2	1-4-89
11.	सेन्धु	1-4-89
12.	कालका जी नं० 2	1-4-89
13.	प्रहलाद पुर	1-4-89
14.	आनन्दवास	1-4-89

शत प्रतिशत साक्षरता वाले नगर/जिले

7179. **श्री के० मोहनदास** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा कस्बा/नगर अथवा जिला है जहां के शत-प्रतिशत लोग साक्षर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन स्थानों में साक्षरता अभियान तेजी से चलाने वाले लोगों को सम्मानित करने का कोई प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

लाइट हाउस एण्ड लाइट शिप्स डिपार्टमेंट के मुख्यालय को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करना

7180. **श्री राम सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइट हाउस एण्ड लाइट शिप्स डिपार्टमेंट के मुख्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लाइटहाउस और लाइटशिप विभागों के मुख्यालय में कितने कर्मचारी हैं और स्थानांतरण के फलस्वरूप इस पर कितना खर्च आने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) राजधानी में भीड़भाड़ कम करने सम्बन्धी सरकार की नीति के अनुपालन में विभाग के मुख्यालय को नोएडा में निर्मित होने वाले अपने भवन में ले जाने का निर्णय लिया गया है।

(ग) दीपघर और दीपपोत विभाग के कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या 129 है। कार्यालय को वास्तविक रूप से स्थानान्तरित करने पर 1.25 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें भूमि और भवन की पूंजी लागत शामिल नहीं है।

बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची के कर्मचारियों के साथ भेदभाव

7181. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची के कर्मचारी छुट्टी आदि लेकर विधान सभा/संसद के चुनाव लड़ सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को छुट्टी की अवधि का वेतन भी दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उन मामलों का ब्यौरा क्या है, जिसमें कर्मचारियों को ऐसी छुट्टी की अवधि के लिए वेतन नहीं दिया गया है; और

(घ) इन मामलों में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी, हां। अवकाश अवधि के वेतन की अदायगी संस्थान के नियमानुसार एक प्रकार के ग्राह्य अवकाश द्वारा अभिशासित होती है।

(ग) और (घ) संस्थान के सहायक प्रोफेसर श्री कैलाश बिहारी को 14-2-1985 से 6-3-1985 तक की अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया गया था, परन्तु यह बिना वेतन का अवकाश था, क्योंकि यह विशेषअधिकार अवकाश को परिवर्तित करने के पात्र थे। अन्य कर्मचारी श्री के० के० सुरेका, मेस लेखाकार ने चुनाव लड़ने के लिए अनुमति प्रदान करने और अवकाश प्रदान करने तथा 9-2-85 से 8-3-1985 तक की अवधि के अपने पूर्वाग्रहण अधिकार के हेतु आवेदन किया जो उसे किए गए। संस्थान श्री सुरेका को देय अवधि के लिए वेतन सहित विशेषाधिकार अवकाश प्रदान करने के लिए उनके प्रत्यावेदन पर विचार कर रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में प्राध्यापकों के वेतनों के लिए पृथक खाते खोलना

7182. **श्री पी० तुलसीराम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली के कालेजों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे कर्मचारियों को वेतन भुगतान तथा अन्य व्यय-मदों के लिए पृथक खाते रखें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन कालेजों में ये खाते रखे गए हैं;

(घ) इन कालेजों का ब्यौरा क्या है जिनमें पृथक खाते अभी तक नहीं खोले गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और पृथक खाते कब खोले जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मई, 1988 में, दिल्ली के कालेजों के प्रिंसिपलों को अपना यह निर्णय सूचित किया कि कालेजों को निम्नलिखित के लिए अलग-अलग खाते खोलने चाहिए : (1) स्टाफ के लिए वेतनों का भुगतान और (2) आयोग द्वारा जारी किए गए अनुदानों से खर्चे की अन्य मदें। वेतन के भुगतान के लिए अपेक्षित राशि अलग-अलग खातों में रखी जानी चाहिए और किसी भी हालत में यह अन्य खर्चों के लिए काम में नहीं लानी चाहिए और कालेज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्टाफ का वेतन ठीक समय पर दे दिया है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेश जाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति की मंजूरी

7183. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार उच्च शिक्षा और शोध कार्य के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों को शिक्षा विभाग द्वारा कितनी छात्रवृत्तियां दी गई;

(ख) प्रति वर्ष प्रत्येक छात्रवृत्ति पर औसतन कितनी राशि खर्च होती है;

(ग) इन छात्रवृत्तियों के लिए वर्ष-वार कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

(घ) छात्रवृत्ति देने हेतु छात्रों के चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) प्रत्येक वर्ष 50 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं, और उनकी संख्या निर्धारित हैं।

(ख) प्रत्येक छात्रवृत्ति की लागत प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए भिन्न-भिन्न हैं और यह इस प्रकार है :

उत्तर डाक्ट्रल	7350/- अमरीकी डालर
पी० एच० डी०	19610/- अमरीकी डालर
एम० टेक	10550/- अमरीकी डालर
बी० टेक	8702/- अमरीकी डालर

इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों के निवास-स्थान से पोतारोहण तक का आने जाने का वायुयान

भाड़ा जमा प्रथम श्रेणी का रेलवे भाड़ा दिया जाता है। इसके अलावा, स्वैच्छिक चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा किस्त भी अनुमत्य है। इसके साथ-साथ 700/- रुपए तक के उपस्कर भत्ते आदि का भी भुगतान किया जाता है।

(ग) 1986-87	1987-88	1988-89
542	717	622

(घ) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं का चयन इस उद्देश्य के लिए विधिवत गठित एक चयन समिति द्वारा किया जाता है।

राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से होने वाली मौतें

7184. **श्री सोडे रमैया** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सड़क परिवहन निगमों की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में कोई निगरानी रखी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का वर्ष 1988-89 का रिकार्ड क्या है; और

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान विभिन्न राज्य सड़क परिवहन निगमों की बसों से होने वाली मौतों का राज्य-वार संख्या क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सड़क दुर्घटनाओं के रुख की मोनिटरिंग की जाती है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दक्षिण भारतीय भाषाओं हेतु अकादमी

7185. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में दक्षिण भारतीय भाषाओं हेतु एक अकादमी खोलने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतिभा छात्रवृत्ति

7186. **श्री मौरिस कुजूर** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतिभा छात्रवृत्ति के लिए गत तीन वर्षों में कितने छात्र योग्य पाये गए;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा कितनी वितरित की गई;

(ग) क्या स्वीकृत राशि का नियमित रूप से एवम् समय पर वितरण किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और नियमित रूप से तथा समय पर वितरण करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्नाटक में पशुपालन और मुर्गीपालन योजनायें

7187. श्री **एच० बी० पाटिल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1989-90 के दौरान मुर्गी पालन, बकरी और सूअर पालन से सम्बन्धित विकास योजनायें कार्यान्वित करने के लिए कर्नाटक सरकार को सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1989-90 में वास्तव में दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां । केन्द्रीय सरकार का मुर्गी पालन तथा भेड़ विकास योजनाओं के कार्यान्वियन में कर्नाटक राज्य को सरकार को सहायता देने का प्रस्ताव है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित योजनाओं के लिए 1989-90 के दौरान कर्नाटक सरकार की सहायता देगी :—

(1) ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए और पिछड़े हुए, आदिवासी तथा अन्य दूर-दराज इलाकों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिए बैकयार्ड मुर्गी-पालन उत्पादन यूनिटों की स्थापना की एक योजना । 1989-90 में दी जाने वाली धनराशि की रकम 1988-89 के दौरान हुई इस योजना की प्रगति पर निर्भर करेगी ।

(2) प्रजनक खंडों को सुधारने के लिए अच्छे किस्म के "जर्म-प्लाज्म" के उत्पादन और वितरण के वास्ते बड़े भेड़ प्रजनक फार्म को सहायता अनुदान किए जाएंगे । 1989-90 के लिए 15.00 लाख रुपए नियत किए गए हैं ।

(3) भेड़ उत्पादों के सुचारू विपणन के लिए कर्नाटक भेड़ और भेड़ उत्पाद विकास बोर्ड का गठन किया गया है और 1989-90 के लिए 5.00 लाख रुपए की धनराशि नियत की गई है।

(4) विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत बछड़े/मेपने पाले जाते हैं तथा भेड़, मुर्गी और सूअर उत्पादन यूनिट खोले जाते हैं, 1989-90 के दौरान कर्नाटक में कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना के लिए 60.00 लाख रुपए नियत किए गए हैं।

(ग) पिछले वर्ष के दौरान इस्तेमाल हुए धन के बारे में सूचना प्राप्त होने के बाद ही या निर्मुक्त करने का प्रस्ताव है ।

शिक्षा सेवा आरम्भ करना

7188. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य सम्बद्ध सेवाओं की तरह एक भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करने का विचार है;

(ख) क्या प्रस्तावित सेवा वर्ष 1989-90 में आरम्भ कर दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, इस दिशा में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय शिक्षा सेवा को एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इस उपलक्ष्य में ब्यौरेवार प्रस्ताव तैयार करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित शिक्षा के प्रबन्ध की समिति का एक उप-ग्रुप बनाया गया है। प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिए इस पर सभी सम्बन्धितों से और आगे चर्चा तथा परामर्श करने की आवश्यकता होगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु वित्तीय सहायता

7190. **श्री एस० पलाकोन्ड्रायुडू** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए चालू वर्ष में सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) 10 समुद्री मात्स्यकी ट्रालर और एक आधार पोत खरीदने के लिए आन्ध्र प्रदेश मत्स्य निगम को सहायता प्रदान करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से मई, 1988 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव

की जांच की गई और राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि वे आन्ध्र प्रदेश मत्स्य निगम से विहित फार्म में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहें ।

योग्यता एवं आर्थिक साधनों पर आधारित छात्रवृत्तियों से संबंधित मामले में अन्तिम निर्णय

7191. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियों के बारे में 28 अप्रैल, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8787 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा इस प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान करने सम्बन्धी मामले में इस बीच अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि दे दी गई है जिनके मामले में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि की अदायगी कब तक कर दी जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राशि को निकाल लिया गया है । और छात्रवृत्ति पाने वालों के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई ।

(घ) छात्रवृत्ति की राशि ग्रीष्म अवकाश के लिए स्कूल बन्द होने से पहले दे दी जाएगी ।

दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में प्रधानाचार्यों के पदों पर नियुक्ति

7192. **श्री पूरन चन्द्र** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति तदर्थ आधार पर की जाती है;

(ख) क्या उक्त पदोन्नतियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता है;

(ग) क्या उक्त पदोन्नतियां वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं;

(घ) क्या उक्त पदोन्नतियों में उन स्नातकोत्तर शिक्षकों/उप-प्रधानाचार्यों की पदोन्नति नहीं की गई थी जिनकी गुप्त रिपोर्ट प्रतिकूल थी; और

(ङ) प्रतिकूल गुप्त रिपोर्ट के कारण किन-किन व्यक्तियों को पदोन्नति नहीं दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके तदर्थ पदोन्नतियां की जाती हैं ।

(ग) ये तदर्थ पदोन्नतियां वरीयता-एवं-योग्यता के आधार पर की गई हैं ।

(घ) और (ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा यथा सूचित किसी को भी प्रतिकूल गोपनीय रिपोर्टों के कारण 1988 में तदर्थ पदोन्नति में सुपरसीड नहीं किया गया है ।

पेयजल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

7193. **श्री कदूरी नारायण स्वामी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को, विश्व बैंक से वर्ष 1986 से 1988 के दौरान पेयजल परियोजनाओं के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि प्राप्त हुई और इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में भेजे गए प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आन्ध्र प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से इस समय कोई पेयजल सप्लाई परियोजना नहीं चल रही है । विश्व बैंक ने राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के लिए 114 मिलियन डालर का ऋण दिया है जोकि एक बहु-राज्यीय परियोजना है जिसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कार्यान्वित किया जा रहा है । आन्ध्र प्रदेश के लिए कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया गया है जिसका अंश सहायता घटकों पर पात्र खर्चों के संदर्भ में होगा ।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई 220.39 करोड़ रुपए की संशोधित अनुमानित लागत पर संशोधित "हैदराबाद जल सप्लाई तथा स्वच्छता परियोजना" की शहरी विकास मंत्रालय में तकनीकी जांच की जा रही है ।

केरल में पेयजल सुविधाएं

7195. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पेयजल की व्यवस्था करने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को मंजूरी कब दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्र० सं०	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु०)
1.	पोथानकड़ गांव को पाइप द्वारा जल सप्लाई योजना	57.10
2.	राजाकड गांव को पाइप द्वारा जल सप्लाई योजना	81.46

(ग) राज्य सरकार को कुछेक पहलुओं में योजनाओं को संशोधित करने की सलाह दी गई है। संशोधित योजनाएं अभी प्राप्त होनी हैं।

मध्याह्न भोजन योजना

[हिन्दी]

7196. **श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया :**
श्री एस० एम० गुरड्डी :
श्री दिनेश गोस्वामी :
श्री जी० एस० बासवराजु :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण देश में स्कूल के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(घ) यह योजना कब से कार्यान्वित की जाएगी;

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना के परिणामों का अध्ययन किया है क्योंकि गुजरात में इस योजना के कार्यान्वियन के बाद छात्रों की संख्या में कमी आई थी; और

(च) यदि हां, तो इस नई योजना में इन त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या अनुदेश जारी करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) इस समय केन्द्रीय संसाधनों में से देश भर में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 18 राज्य अपने संसाधनों में से प्रारम्भिक स्कूलों में बच्चों के लिए भिन्न-भिन्न कवरेज के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पाकिस्तान से बातचीत

[अनुवाद]

7197. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दिनांक 22 फरवरी, 1989 को सियाचिन में भारतीय सेना पर पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई तथाकथित गोलाबारी और सियाचिन से भारतीय सेना को हटाने की पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की मांग के बारे में पाकिस्तान से बातचीत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) सरकार को 22 फरवरी की घटना और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री के वक्तव्य की जानकारी है। उम्मीद है कि शीघ्र ही रक्षा सचिव के स्तर पर होने वाली वार्ता में सियाचिन सम्बन्धी मामलों पर चर्चा की जाएगी।

नागार्जुन कोंडा में बौद्ध स्थल की उत्खनन रिपोर्ट

7198. **श्री धी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन कोंडा में विख्यात बौद्ध स्थल की खुदाई का कार्य वर्ष 1962 में ही पूरा हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसकी कोई उत्खनन-रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) नागार्जुन कोण्डा से उत्खनन कार्य के दौरान निकाले गए पुरावशेषों और संरचनात्मक अवशेषों में प्रागैतिहासिक काल से गोलकोण्डा के कुतब शाही के पतन तक के कालक्रम में अन्तरालों के साथ सांस्कृतिक तारतम्य जोड़ दिया है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विकास का युग आन्ध्र के इक्ष्वाकुओं (ईसवी सन् की तीसरी-चौथी शताब्दी) के नाम से प्रसिद्ध है।

(ग) से (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1975 में उत्खनन कार्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट की

एक पुस्तक (मेमोयर सं० 75 के रूप में) प्रकाशित की है जिसमें घाटी में महापाषाणी अवशेषों सहित प्रागैतिहासिक सम्पत्ति के लिए किए गए अनुसंधानों को समाविष्ट किया गया है।

नागार्जुनकोण्डा के उत्खनन कार्यों की संक्षिप्त रिपोर्टें भारतीय पुरातत्व एक समीक्षा (1954-55 से 1960-61) के विभिन्न संस्करणों में और प्राचीन भारत सं० 16 (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली का एक बुलेटिन, 1962) के एक लेख "नागार्जुनकोण्डा के बौद्ध स्मारकों के कुछ पहलू" में भी प्रकाशित की गई हैं। नागार्जुनकोण्डा के ऐतिहासिक काल के पुरावस्तु सम्बन्धी अवशेषों पर एक अन्य पुस्तक तैयार की जा रही है।

जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम

7199. **श्री प्रताप भानु शर्मा :**
डा० बी० एल० शैलेश :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

शिशु मृत्यु दर में कमी

7200. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मिली सफलता के बारे में कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समेकित बाल विकास योजना क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर में और अधिक कमी लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) योजना के प्रारम्भ अर्थात् वर्ष 1975 से ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थित आई० सी० डी० एस० के लिए केन्द्रीय तकनीकी समिति अनिवार्य स्वास्थ्य एवं पोषाहार पैरामीटर पर अनुसंधान अध्ययन कर रहा है। इनमें से एक अध्ययन शिशु मृत्यु दर (आई० एम० आर०) के बारे में

था जो 1987 में किया गया। इस अध्ययन के परिणाम 1982 में किए गए अध्ययन तथा 1987 के नमूना पंजीकरण प्रणाली (सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

शिशु मृत्यु दर

	1982 के अध्ययन के अनुसार आई० सी० डी० एस० के क्षेत्रों में	1987 के अध्ययन के अनुसार आई० सी० डी० एस० के क्षेत्रों में	1987 के नमूना पंजीकरण प्रणाली (एस० आर० एस०) के अनुसार
1. कुल	88.2	82.6	95
2. ग्रामीण	89.5	86.3	104
3. शहरी	80.2	71.3	61

(ग) लक्ष्य समूहों को दिए जाने वाले पोषाहार में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ एक संवीक्षा की जाती है तथा शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य, महिला तथा बाल विकास सैक्टरों में परियोजना स्तर पर समुन्नत समन्वय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली में तिपहिये स्कूटर और टैक्सी चालकों के विरुद्ध शिकायतें

7201. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में तिपहिये स्कूटर और टैक्सी चालकों के विरुद्ध गत छः महीने के दौरान सवारियों को ले जाने से इन्कार करने, मीटर से अधिक किराया लेने और दुर्व्यवहार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उन वाहनों के दोषी ड्राइवरों/मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है;

(ग) क्या पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के बावजूद ड्राइवरों के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें अनुशासित बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) दिल्ली पुलिस प्राधिकारियों ने यह सूचित किया है कि अक्तूबर, 88 से मार्च, 89 तक पिछले 6 महीनों के दौरान यात्री लाने-ले-जाने के लिए मना करने, अधिक किराया वसूलने और दुर्व्यवहार के बारे में तिपहिया वाहनों के विरुद्ध 2,753 शिकायतें और टैक्सियों के विरुद्ध 236 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। परिवहन निदेशालय, दिल्ली के प्रवर्तन प्रभाग को भी अधिक किराया वसूलने की 12, मना करने की 13 और दुर्व्यवहार की 12 शिकायतें प्राप्त हुई।

(ख) दोषी वाहनों के सम्बन्ध में 522 परमिट निलम्बित कर दिए गए हैं और न्यायालय में 817 चालान प्रस्तुत किए गए हैं। 341 मामलों में कम्पाउण्ड चालान शुल्कों की वसूली की गई है। शेष के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि तिपहिया तथा टैक्सी चालकों के रवैए में सुधार हुआ है।

गोरखधंधा कम करने और बेईमान आटो रिक्शा/टैक्सी आपरेटरों द्वारा अधिक किराया वसूलने की प्रवृत्ति रोकने के क्रम में दिल्ली प्रशासन का तौल और माप विभाग भाड़ा-मीटरों की अचानक जांच करता है। दिल्ली प्रशासन ने सभी आटो रिक्शाओं पर इलेक्ट्रोनिक भाड़ा मीटर लगाने का भी प्रस्ताव तैयार किया है।

मोटरयान अधिनियम, 1988 में प्रावधान किया गया है जिसके तहत तिपहिया वाहन चलाने से मना करने पर 50 रुपए तक और चौपहिया वाहनों के मामले में 200 रुपए तक जुर्माना लगेगा।

शीरा को छोड़कर अन्य कच्चे माल से अल्कोहल के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन पत्र

7202. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शीरा के अतिरिक्त अन्य कच्चे माल से अल्कोहल तैयार करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु कितने आवेदन-पत्र महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपनी संतुति सहित केन्द्रीय सरकार को प्रेषित किए गए हैं, ऐसे आवेदन-पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि कोई लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं तो इसके क्या कारण हैं और उक्त लाइसेंस कब तक जारी किए जाएंगे ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

कलकत्ता पत्तन से गाद निकालना

7203. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गाद निकालने से कलकत्ता पत्तन में बड़े जहाजों के आने में किस हद तक सुविधा हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : कलकत्ता पोर्ट में दो गोदी प्रणालियां हैं—कलकत्ता गोदी और हल्दिया गोदी। पिछले कुछ वर्षों में निकर्षण और रीवर ट्रेनिंग कार्यों से डुबाव में सुधार लाया गया है। उपरोक्त मिले जुले प्रचालनों के प्ररिणामस्वरूप कलकत्ता और

हल्दिया गोदियों में पिछले तीन वर्षों के दौरान डुबाव की उपलब्धता नीचे के विवरणों में दी गई है।

डुबाव की उपलब्धता

(दिवसों/वर्ष की संख्या जिसके लिए दिया गया डुबाव उपलब्ध है)

कलकत्ता (बहिर्गमन)

वर्ष	6.5 मी० और अधिक	7.0 मीटर और अधिक	7.5 मी० और अधिक	8.0 मी० और अधिक
1986	144	56	2	शून्य
1987	223	150	88	39
1988	280	201	122	59

हल्दिया (बहिर्गमन)

वर्ष	7.5 मी० और अधिक	8.0 मी० और अधिक	8.5 मी० और अधिक	9.0 मी० और अधिक
1986	317	170	48	शून्य
1987	358	260	117	29
1988	354	305	177	42

इससे पत्तन को लम्बी अवधि तक गहरे डुबाव वाले जहाजों को खड़ा करने में मदद मिली है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग में तमिल भाषा के पद

7204. **श्री एस० तंगराजू :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग में तमिल भाषा का ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निदेशालय के तमिल भाषा खण्ड में कुछ पदों पर ऐसे व्यक्ति नियुक्त हैं जिन्हें तमिल भाषा की समुचित जानकारी नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) आन्तरिक समायोजन से विभिन्न श्रेणियों के 13 अतिरिक्त पदों की व्यवस्था केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में तमिलनाडु पत्राचार पाठ्यक्रम एकक की वर्तमान संख्या बढ़कर 21 व्यक्ति हो गयी है।

(ग) और (घ) सहायक शिक्षा अधिकारी के पद पर विनियमित भर्ती के लम्बित पड़े होने, एक अधिकारी को जिसे तमिल में दक्षता प्राप्त नहीं है, परन्तु भर्ती नियमों की सभी अन्य आवश्यकताएं संतोषजनक ढंग से पूरी करता है, जनहित में दिन-प्रतिदिन का कार्य चलाने के लिए कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से तदर्थ आधार पर अभी हाल ही में नियुक्ति की है।

केन्द्रीय विद्यालयों के निलम्बित प्रधानाचार्य

7205. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय विद्यालयों के कुछ प्रधानाचार्यों को विभिन्न आरोपों के अन्तर्गत निलंबित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कोई मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच करने के लिए सौंपा गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय नं० 1 भटिंडा के प्रिंसिपल श्री ए० पी० अग्रवाल और केन्द्रीय विद्यालय, जोरहाट के प्रिंसिपल श्री एस० पी० सिंह चकोर, को हाल ही में निलम्बित कर दिया गया है। श्री अग्रवाल, पुलिस द्वारा पकड़े गए थे और उन्हें 48 घण्टे से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया। उन पर, स्कूल के ग्रुप "घ" के एक कर्मचारी से रिश्वत लेने का तथाकथित आरोप था। तदनुसार उन्हें 24-10-88 (उस तारीख से जब वे पुलिस की हिरासत में ले लिए गए थे (से सी० सी० एस०) (सी० सी० ए०) नियमावली, 1965 के नियम 10(2) के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया गया था।

सहायक आयुक्त (सिल्चर) से अवज्ञा कार्य और तथाकथित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर श्री एस० पी० सिंह चकोर को दिनांक 20-3-89 से निलम्बित कर दिया गया था। तथापि, उन्होंने न्यायालय से अपने निलम्बन के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है।

(ग) जी, नहीं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा त्रिभाषा फार्मूले का कार्यान्वयन

7206. **श्री शांति लाल पटेल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय हाल ही में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा से सम्बद्ध विद्यालयों में त्रिभाषा फार्मूले के कार्यान्वयन में संस्कृत को हिन्दी के साथ "क्लब" करने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अदालती आदेश का पालन करते हुए केन्द्रीय विद्यालयों में संस्कृत को पुन: तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) कुछ व्यक्तियों द्वारा दायर की गई एक याचिका पर, उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 17-3-1989 को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सितम्बर, 1988 में जहां तक स्कूलों में संस्कृत के शिक्षण को प्रभावित करने वाली जारी की गई अध्ययनों की संशोधित योजना के क्रियान्वयन को रोकने के लिए एक अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया है । उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों के अनुसरण में, सभी केन्द्रीय विद्यालयों के इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं कि सितम्बर, 1988 से पूर्व यथा उपलब्ध स्थिति के अनुसार भाषाओं के शिक्षण की योजना को पुन: चालू किया जाए । इन अनुदेशों के अन्तर्गत पूर्व की तरह सभी केन्द्रीय विद्यालयों की कक्षा 5 से 9 में संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जायेगा ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की संयुक्त संयन्त्र समिति

7207. **श्री अनिल बसु : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की संयुक्त संयन्त्र समिति के कार्यों में कटौती करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कलकत्ता के संयुक्त संयंत्र समिति कर्मचारी संघ से इस बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) ज्ञापन में संयुक्त संयंत्र समिति के कार्यों के हल्का करने की ओर संकेत किया गया है । ज्ञापन में इस बात पर बल दिया गया है कि समिति को कायम रखा जाए तथा इसके आधार को व्यापक बनाया जाए । इस तरह के ज्ञापनों में दिए गए सुझावों को सरकार द्वारा किए जाने वाले आवधिक पुनरीक्षण के दौरान ध्यान में रखा जाता है ।

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और उनके रखरखाव पर किया गया व्यय

7208. श्री जी० भूपति : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव तथा उनकी मरम्मत पर पृथक-पृथक कितनी धनराशि व्यय की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार की सूचना के अनुसार 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण पर हुआ खर्च इस प्रकार है :—

(लाख रु०)

वर्ष	विकास कार्य	अनुरक्षण और मरम्मत
1986-87	2297.42	646.51
1987-88	990.81	821.47
1988-89	876.39 (2/89 तक)	736.92 (2/89 तक)

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों की सम्पत्ति का बीमा

7209. श्री गदाधर साहा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को सम्पदा निवेश के संबंध में बीमा सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए गए वास्तविक लाभों और राहतों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गयी पशुधन परिसम्पत्तियों के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। यह बीमा सुविधा भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा इसके सहायक कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों ने बीमा कम्पनी के साथ मिलकर एक मास्टरपालिसी तैयार की है जिसकी शर्तें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी हैं।

(ख) लाभार्थी प्रीमियम की रियायती दरों पर बीमा सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं जो उन्हें दुधारू गाय, भैंस, बछड़ों, सांड, बैलों आदि के लिए बीमाकृत राशि (जो क्रय समिति द्वारा निर्धारित परिसम्पत्ति का मूल्य है), का प्रतिवर्ष 2.25 प्रतिशत तथा भेड़, बकरियों, सुअरों, ऊंट, घोड़ों, गधों, खच्चर आदि के लिए प्रतिवर्ष 2.75 प्रतिशत देना होता है। 3, 4 अथवा 5 वर्षों की दीर्घावधि पालिसियों के लिए प्रीमियम दरों में और भी रियायत उपलब्ध हैं। प्रीमियम सम्बन्धी व्यय को सरकारी

एजेंसी तथा लाभार्थी द्वारा 4 : 5 के अनुपात में वहन किया जाता है। जहां बैंक भाग लेने के लिए सहमत होते हैं तो व्यय लाभार्थी सरकारी एजेंसी तथा बैंक द्वारा क्रमशः 4 : 3 : 2 के अनुपात में वहन किया जाता है।

यदि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थी के पास और दुधारु पशु हैं जिनके लिए कोई ऋण अथवा सबसिडी नहीं ली गयी है, ऐसे दुधारु पशुओं का भी प्रीमियम की रियायती दरों पर बीमा किया जा सकता है। इसके अलावा, उन लाभार्थियों जिन्होंने अपना ऋण खाता बन्द करवा दिया है, वे ऋण खाता बन्द करवाने के बाद आगामी तीन वर्षों के लिए ऋण तथा सबसिडी के जरिए लिए गए पशुओं का ब्याज की रियायती दरों पर बीमा करवा सकते हैं, बशर्ते कि पशुओं की बीमा करने योग्य आयु सीमा अधिक न हो गई हो।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को पुरस्कार

7210. **श्री सैफुद्दीन अहमद :**
श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के रजत जयन्त समारोहों के अवर पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा हाल ही में इसके 15 क्षेत्रों में कुछ शिक्षकों को पुरस्कार दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या रचनात्मक लेख के लिए भी किसी कर्मचारी को कोई पुरस्कार दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए गए थे :—

(1) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कम से कम 10 वर्षों की सेवा।

(2) सेवा का अच्छा रिकार्ड।

(3) शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान।

(4) विद्यालय तथा समुदाय में अच्छी प्रतिष्ठा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तटवर्ती गांवों को पीने के पानी की सप्लाई

7211. डा० टी० कल्पना देवी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में श्री काकुलम जिले में स्थित उड्डनाम क्षेत्र के तटवर्ती गांवों में पेयजल सप्लाई की "कम्प्रेहेन्सिव पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम" को केन्द्रीय सरकार द्वारा मन्जूरी दे दी गयी है;

(ख) इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार का नार्वे और स्वीडन से विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने "कम्प्रेहेन्सिव पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम" के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने की मन्जूरी दे दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 6.9 करोड़ रुपए है।

(ग) परियोजना को प्रेरित करते समय राज्य सरकार ने नार्वे और स्वीडन से विदेशी वित्तीय सहायता मांगी थी। तथापि, निर्धारित पद्धति के अनुसार वित्त पोषण करने वाली एजेंसी का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा नहीं किया जाता है। वे परियोजनायें, जिन्हें द्विपक्षीय सहायता प्राप्त करने की उपयुक्तता के बारे में इस विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति दे दी जाती है, वित्त मन्त्रालय को भेजी जाती है जो इस बात का निर्धारण करता है कि परियोजना को किस द्विपक्षीय एजेंसी को दिया जाए।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) परियोजना की ग्रामीण विकास विभाग में तकनीकी जांच की जा रही है।

जलालाबाद में भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा

7213. श्री उत्तम राठौड़ :
श्री शरद दिघे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जलालाबाद शहर पर अफगान विद्रोहियों के भारी आक्रमण के परिणामस्वरूप इस नगर के निकट भारतीय मूल के लोगों के मरने के बारे में हाल ही में प्राप्त हुए समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार को इन खबरों पर क्षोभ हुआ है। इस समय अफगानिस्तान में भारतीय मूल के जो व्यक्ति और भारतीय राष्ट्रिक रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में हमने अपनी चिन्ता से अफगानिस्तान सरकार को अवगत करा दिया है। अफगानिस्तान की सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह इस सम्बन्ध में हमें अपना सहयोग देगी।

"स्क्रैप शोर्टेज हिट्स मिनि स्टील प्लान्ट्स"

[हिन्दी]

7214. **श्री दिनेश गोस्वामी :**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 मार्च, 1989 के "दि ट्रिब्यून" समाचार पत्र में "स्क्रैप शोर्टेज हिट्स मिनि स्टील प्लान्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जम्मू एवं कश्मीर में छोटे इस्पात संयंत्र संकट में है और कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई के कारण रूग्ण होते जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन उद्योगों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उन्हें पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रबन्ध करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) देश के लघु इस्पात संयंत्रों को 1988-89 दौरान इस्पात गलन स्क्रैप की कमी का सामना करना पड़ा। तथापि, सरकार को, मुख्यतः स्क्रैप की अनुपलब्धता के कारण किसी संयंत्र को बन्द करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) से (च) वर्ष 1987-88 में गर्म ब्रिक्वेटिड लोहे (सहित) 19 लाख टन स्क्रैप के आयात की तुलना में वर्ष 1988-89 के दौरान 22 लाख टन स्क्रैप का आयात किया गया, जो 15 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 1989-90 के दौरान और अधिक गलन स्क्रैप उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की बकाया राशि का नकद भुगतान

[अनुवाद]

7215. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतनमानों के संशोधन के कारण कुछ अवधि के मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की बकाया, राशि, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भविष्य निधि में जमा कर दी गयी थी, का अब नकद भुगतान करने के आदेश जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारियों को इस धनराशि का नकद भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) वेतनमानों में संशोधन के सम्बन्ध में आवास भत्ते तथा नगर भत्ते की बकाया राशि को भविष्य निधि में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं किया गया था।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा समर्थन-मूल्यों का निर्धारण

7216. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा किसानों के लिए 12 से 15 प्रतिशत के लाभ का अन्तर रखकर कृषि उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण किया जाता है; और

(ख) उन फसलों तथा क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें किसानों को गत वर्ष के दौरान फसल को खेती की अवधि के दौरान पूंजी-निवेश पर ब्याज तथा अन्य देयताओं पर धनराशि खर्च करने के पश्चात् मुनाफा प्राप्त हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) अर्थव्यवस्था की समग्र जरूरतों को दृष्टिगत रखते हुए और उत्पादक तथा उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए मूल्य सम्बन्धी एक संतुलित और समेकित ढांचा विकसित करने के लिए कृषि लागत तथा मूल्य आयोग अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर की सिफारिश करते समय न केवल किसी विशिष्ट वस्तु की अर्थव्यवस्था के समूचे ढाचे की व्यापक धारणा को ध्यान में रखता है, बल्कि उत्पादन लागत सहित बहुत से महत्वपूर्ण घटकों को भी ध्यान में रखता है । निर्धारित किए गए मूल्यों में न केवल उत्पादन की लागत को शामिल किया जाता है, बल्कि लाभ के उचित मार्जिन की भी व्यवस्था की जाती है ताकि किसानों को पूंजी निवेश करने और उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके । इस प्रकार विभिन्न फसलों के सम्बन्ध में निर्धारित किए गए मूल्यों में लाभ का कोई निश्चित मार्जिन शामिल नहीं है । उत्पादन की लागत में न केवल अदा की गई समूची लागत

शामिल है, बल्कि भूमि और परिवार-श्रम सहित स्वतः स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियों को आरोपित कीमत भी शामिल है, जिसके लिए किसान नकद रूप में कोई व्यय नहीं करते।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा द्वारा परियोजनाएं प्रस्तुत किया जाना

7217. **श्री ब्रज मोहन महंती** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछड़े राज्यों से प्राप्त इन परियोजनाओं को मन्जूरी प्रदान करने में कोई प्राथमिकता दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के अन्त तक उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुई सभी परियोजनाओं को या तो अनुमोदित कर दिया गया है अथवा अस्वीकार कर दिया गया है। अतः कोई भी परियोजना लम्बित अथवा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा में नहीं है।

(ख) और (ग) राज्यों से प्राप्त हुई परियोजनाओं को यदि वे सब तरह से पूर्ण थी, कम से कम समय में अनुमोदित करने के प्रयास किए गए थे। परियोजनाओं के ब्यौरे पूर्ण न होने अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक परियोजनायें प्रस्तुत करने के कारण कठिनाइयां सामने आई। जवाहर रोजगार योजना के नए कार्यक्रम जो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और पहले के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का उत्तरवर्ती कार्यक्रम है, के अन्तर्गत कार्यों के चयन और उन्हें निष्पादित करने की शक्तियां पंचायत समितियों द्वारा तकनीकी अनुमोदन किए जाने के आधार पर ग्राम पंचायत को सौंपी गई है। अब किसी भी परियोजना को केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर प्रदेश में नवोदय और केन्द्रीय विद्यालय

[हिन्दी]

7218. **चौधरी अख्तर हसन** :
श्री हरीश रावत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक कितने नवोदय और केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं और वे कहां-कहां खोले गए हैं;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 1989-90 के दौरान ऐसे विद्यालय खोलने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का नवोदय विद्यालय खोलने में पिछड़े, सीमावर्ती, पर्वतीय और जनजातीय जिलों को प्राथमिकता देने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) उत्तर प्रदेश में अब तक खोले गए केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) नवोदय विद्यालय योजना में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में यथा सम्भव ग्रामीण/सुदूर क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले औसतन प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने की परिकल्पना की गयी है। तथापि, वित्तीय कठिनाइयों ने सरकार को वर्ष 1989-90 के दौरान और अधिक नवोदय विद्यालय खोलने के कार्यक्रम का धीमा करने पर बाध्य कर दिया है। शैक्षिक सत्र वर्ष 1989-90 के दौरान नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय

1. एयर फोर्स स्टेशन नं० 1, आगरा।
2. आगरा छावनी नं० 2, ग्रांड परेड रोड, आगरा छावनी।
3. मनोरी, एयर फोर्स स्टेशन, इलाहाबाद।
4. नई छावनी, इलाहाबाद।
5. इफ्फको टाऊनशिप, डा० फूलपुर, इलाहाबाद।
6. आजमगढ़।
7. बबीना छावनी।
8. एयर फोर्स स्टेशन, इज्जत नगर, बरेली।
9. बरेली नं० 1, जाट रेजिमेन्टल सेन्टर, बरेली।
10. बरेली नं० 2, ए० एस० सी० न्यू रोड, बरेली छावनी।
11. बीरपुर देहरादून।
12. वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।
13. हाथीबरकला नं० 1, देहरादून।
14. हाथीबरकलां नं० 2, देहरादून।
15. आर्डनेंस फैक्टरी, रायपुर, देहरादून।
16. तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
17. वीरभद्र, ऋषिकेश, जिला-देहरादून।

18. हरिद्वार नं० 1, भेल, रानीपुर, हरिद्वार ।

19. हरिद्वार नं० 2, भेल, रानीपुर, हरिद्वार ।

20. एयर फोर्स स्टेशन, हिन्डन, गाजियाबाद ।

21. आर्डनैंस फैक्टरी मुरादनगर, गाजियाबाद ।

22. सी० आर० पी० एफ०, रामपुर ।

23. राणा प्रताप मार्ग, झांसी छावनी ।

24. अरमापुर आर्डनैंस फैक्टरी, काल्पीरोड, कानपुर ।

25. ए० फो० स्टे०, चकेरी नं० 1, कानपुर ।

26. ए० फो० स्टे०, चकेरी नं० 2, कानपुर ।

27. आई० आई० टी०, कानपुर ।

28. गढ़वाल राइफल, लैंसडोन, जिला-पौढ़ी गढ़वाल ।

29. ए० एम० सी० सेन्टर, लखनऊ ।

30. आर० डी० एस० ओ० आलमबाग, लखनऊ ।

31. मथुरा नं० 1, निकट गोल्फ ग्राऊंड, मथुरा—कैंट ।

32. मथुरा नं० 2, मथुरा रिफाइनरी प्रोजैक्ट ।

33. डोगरा लाइन्स, मेरठ छावनी ।

34. पंजाब लाइन्स, मेरठ छावनी ।

35. सिख लाइन्स, मेरठ छावनी ।

36. मुगलसराय, जिला-वाराणसी ।

37. वाराणसी कैंट ।

38. वाराणसी नं० 1, ब० हि० वि० परिसर, वाराणसी ।

39. वाराणसी नं० 2, डीजल लोको वर्कशाप, वाराणसी ।

40. भरकटिया, पिथौरागढ़ ।

41. राय बरेली ।

42. रानीखेत, अलमोड़ा ।

43. बी० ई० जी० सैन्टर, रुड़की छावनी ।

44. ए० फो० स्टे०, सरसावा, सहारनपुर ।

45. स्टेशन मुख्यालय, शाहजहांपुर ।

46. सिंगरौली सुपर थरमल पावर प्रोजैक्ट, शक्तिनगर, जिला-मिर्जापुर।
47. लेक व्यू कैम्प, तालबहेट।
48. मैमोरा ए० एफ० एस०, लखनऊ।
49. स्टेशन मुख्यालय, फैजाबाद।
50. ए० एफ० एस०, गोरखपुर।
51. ए० एफ० एस०, बमरौली।
52. कानपुर छावनी।
53. ओ० सी० एफ०, शाहजहांपुर।
54. 52 माऊंटेन आर्टिलेरी ब्रिगेड रायवाला, जिला देहरादून।
55. ए० एफ० एस० हिन्डन नं० 2।
56. सैक्टर जे०, अलीगंज, लखनऊ।
57. काशीपुर, जिला-नैनीताल।
58. आई० वी० आर० आई० मुक्तेश्वर, जिला-नैनीताल।
59. बनबासा, जिला-नैनीताल।
60. नोएडा कम्पलैक्स, जिला-गाजियाबाद।
61. उन्नाव।
62. गोमती नगर, डा० महानगर, लखनऊ।
63. छियोकी, इलाहाबाद।
64. एम० टी० पी० सी०, डा० रिहन्द नगर, जिला मिर्जापुर।
65. देहरादून कैन्ट, देहरादून।
66. भेल टाऊनशिप, जगदीशपुर ओ० क्षेत्र, जिला-सुल्तानपुर।
67. विशेष केन्द्रीय विद्यालय, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद।
68. आई० एम० ए०, देहरादून।
69. ए० एफ० एस०, बक्शी का तलाब, लखनऊ।
70. ए० एफ० एस०, चकेरी नं० 3, कानपुर।
71. ओ० ई० एफ० हजरतपुर, जिला-आगरा।
72. बुलन्दशहर।
73. आर० आर० सी०, फतेहगढ़।
74. ए० एफ० एस० दादरी, जिला-गाजियाबाद।

75. नं० 60 स्क्वैड्रन ए० एफ० एस० सराबी तनय, जिला-मेरठ।

76. क्लीमेंट टाऊन, देहरादून।

77. ओ० ई० एफ०, कानपुर कैन्ट।

78. ओ० एफ०, आर्मापुर।

79. बैरक रोड, जिला-आगरा।

80. झांसी जी० पी० ओ०, झांसी।

81. इफ्फको आंवला प्रोजैक्ट, आंवला, बरेली।

82. अल्मोड़ा।

83. राजकीय अफीम फैक्टरी, गाजीपुर।

84. अमहट, जिला-सुल्तानपुर।

85. न्यू टिहरी टाऊन, टिहरी गढ़वाल।

86. कंसैन, उत्तरकाशी।

87. रेलवे कालोनी, झांसी नं० 3, झांसी।

88. मुरादाबाद।

89. इज्जत नगर माडल कालोनी, जिला-बरेली।

90. एस० जी० पी० जी० आई०, राय-बरेली रोड, लखनऊ।

91. आई० टी० आई०, मनकापुर, जिला-गोंडा।

92. आई० टी० आई०, राय बरेली।

93. ओरैया गैस पावर प्रोजैक्ट, दिव्यापुर, जिला-इटावा।

94. आई० टी० बी० पी० कैम्पस, सीमाद्वार, देहरादून।

95. ओ० ई० एफ० नं० 2, कानपुर।

96. बाबूगढ़, जिला-गाजियाबाद।

97. लखनऊ छावनी।

98. जोशीमठ, जिला-चमोली।

99. बाद, जिला-मथुरा।

100. एन० एस० आई० कल्याणपुर, कानपुर।

101. आई० टी० आई०, नैनी, जिला-इलाहाबाद।

102. एस० एस० बी० श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

नवोदय विद्यालय

क्रम सं०	ग्राम	जिला
1	2	3
1.	सरधना	मेरठ
2.	रुद्रपुर	नैनीताल
3.	डावा-सेमर	फैजाबाद
4.	बुकलाना	बुलन्दशहर
5.	चौबारी	बरेली
6.	मड़िआहू	जौनपुर
7.	बरुआसागर	झांसी
8.	गौरीगंज	सुल्तानपुर
9.	बावन-बुजुर्गबल्ला	राय बरेली
10.	अंगल अगाही	गोरखपुर
11.	जीयनपुर	आजमगढ़
12.	देलवाड़ा	ललितपुर
13.	महूदरवाजा	फर्रुखाबाद
14.	पठेराकलां	मिर्जापुर
15.	कीर्तनपुर	बहराइच
16.	उत्तराखंड विद्यापीठ	चमोली
17.	खोला गढ़	टिहरी
18.	सरसौल	कानपुर
19.	ताड़ीखेत	अल्मोड़ा
20.	देवरिया	गोंडा
21.	मेजाखास	इलाहाबाद
22.	डुंडीर	उत्तरकाशी
23.	बहादुरपुर	बस्ती

1	2	3
24.	पैगांव	मथुरा
25.	दादरी	गाजियाबाद
26.	ग्रामसभा अकबरगंज	सीतापुर
27.	कुन्डोल	आगरा
28.	ओगू	उन्नाव
29.	बघरा	मुजफ्फरनगर

बंगलौर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एकेडमिक स्टाफ कालेज

[अनुवाद]

7219. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित कोई अकेडमिक स्टाफ कालेज बंगलौर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय भाषा संस्थान द्वारा विनिश्चित भाषाओं का विकास

7220. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री केन्द्रीय भाषा संस्थान द्वारा विनिश्चित भाषाओं के विकास के बारे में 24 मार्च, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 430 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भाषा संस्थान द्वारा विनिश्चित 68 भाषाओं के नाम क्या हैं और इनमें से उन 34 भाषाओं के नाम क्या हैं जिन्हें संवर्द्धन कार्य हेतु चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना के दौरान इन 34 भाषाओं में से प्रत्येक भाषा के जिसमें हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली पहाड़ी भी शामिल है विकास के लिए अब तक वास्तव में क्या कार्य किया गया है;

(ग) इनमें से प्रत्येक भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है जिन्होंने उन्हें 1981 की जनगणना में उन भाषाओं को मातृ भाषा स्वीकार किया है;

(घ) सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान साहित्य अकादमी और केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा इन भाषाओं के विकास हेतु सामूहिक अथवा पृथक रूप से अलग-अलग वास्तव में कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है;

(ङ) क्या आठवीं योजना के दौरान साहित्य के संवर्धन और विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि इन भाषाओं को मान्यता प्रदान करने की दृष्टि से इन्हें समृद्ध तथा विकसित किया जा सके; और

(च) साहित्य अकादमी के भाषा विकास बोर्ड के कार्यकरण का वास्तविक ढांचा तथा इस समय इसके सदस्यों के नाम क्या हैं और सातवीं योजना के शेष वर्षों के दौरान उनके लिए यदि कार्य योजना बनाई गई है, तो वह क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) अनुबन्ध के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण में उल्लिखित 34 भाषाओं में केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने भाषाई सामग्री अर्थात् व्याकरण, भाषा कोष, स्कूल प्रवेशिका सहित अनुदेशात्मक सामग्री और कुछ मामलों में साक्षरता प्रवेशिका तैयार की है। पहाड़ी 34 भाषाओं में से एक भाषा नहीं है। तथापि संस्थान ने हिमाचल प्रदेश का एक सामाजिक भाषाई सर्वेक्षण प्रकाशित किया है जिसमें पहाड़ी भाषाओं के प्रयोग की पद्धतियों का अध्ययन शामिल है।

(ग) महापंजीकार के कार्यालय के अनुसार भारतीय ने सूचित किया है कि यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर	—	8.00 लाख रु०
साहित्य अकादमी	—	1.00 लाख रु०

(ङ) यह निधियों पर निर्भर करेगा कि जो अन्ततः VIII योजना में प्रदान की जाएगी जिसे अब तैयार ही किया जा रहा है।

(च) साहित्य अकादमी ने सभी भाषाओं के विकास कार्य को आरम्भ करने के लिए एक भाषा विकास बोर्ड गठित किया है, जिनके लिए प्रकाशन और साक्षरता सम्बन्धी गतिविधियों, विशेषकर निम्नलिखित संग्रह के प्रकाश के लिए अकादमी से मान्यता प्रदान किया जाना वांछनीय है :

(क) लोक साहित्य का संग्रह।

(ख) पड़ोसी भाषाओं से अनुवाद और इसके विपरीत।

(ग) कुछ महत्वपूर्ण भाषा कोषों और व्याकरणों का पुनः मुद्रण ताकि ये भाषाएं पर्याप्त रूप से विकसित हो सके। अकादमी, गैर-मान्यता प्राप्त कुछ साक्षर संघों के साथ पत्र व्यवहार कर रही है जिनमें, संदर्भ पुस्तकों जैसे भाषा कोषों, व्याकरण इत्यादि के प्रकाशन के अनुमानों के लिए कहा जा रहा है। ऐसे अनुमान, राज्य अकादमियों या सरकारी विभागों, जहां ऐसी कोई राज्य अकादमियां नहीं है, के माध्यम से प्राप्त किए जाने की सम्भावना है।

भाषा विकास बोर्ड के सदस्य हैं :

1. डा० बी० के० भट्टाचार्य (अध्यक्ष, साहित्य अकादमी)
2. प्रो० गंगाधर गाडगिल (उपाध्यक्ष, साहित्य अकादमी)
3. प्रो० एस० के० वर्मा
4. प्रो० थोमती दोनप्पा
5. प्रो० आर० एन० श्रीवास्तव
6. प्रो० बी० एच० कृष्णामूर्ति
7. प्रो० मुकुन्द माधव शर्मा
8. प्रो० इन्द्र नाथ चौधरी (सचिव, साहित्य अकादमी)

विवरण

(1) निम्नलिखित 75 जनजातीय तथा सीमावर्ती भाषाएं अब भारतीय केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा इस समय अध्ययन की जा रही भाषाओं के रूप में सूचित की गई हैं :—

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में कार निकोबारीज; अरुणाचल प्रदेश में आदि, अपतानी, मिश्मी, नोक्ते, तगिन, मोन्या, नीशि, असम में बोडो, कर्बी, मीरी, दीमासा, राम; बिहार में कुरुख, मुन्दरी, माल्टो; दादरा और नागर हवेली में डूंगर वरली (भीली) दावर वरली (भीली); हिमाचल प्रदेश में सीप्ती, पहाड़ी; जम्मू और काश्मीर में लद्दाखी (बोधी), पुरकी (बल्टी), शिना, ब्रोकस्कट, गोजरी; कर्नाटक में जेनूकुरुबा, सोलीगा; लक्षद्वीप में महलु; महाराष्ट्र में कोलमी; मणिपुर में मणिपुरी (मीथीई), थाडाऊ, (कूकी), थंगखुल, हमर, पाइते, अनल, गंगते, कोमरेन, रोनगमई, वाईफीई, जोयू, माओ; मध्य प्रदेश में गोन्डी (अबुजमारिया), दोरली, नीसन होर्न मारिया; मेघालय में खासी, गारो, जयन्तिया; मिजोरम में मिजो (लुशाई); नागालैंड में आवो, अंगामी, सेमा लोथा, कोन्यक, जेमी, लियागंमाई रेंगमा, चोकरी, खीझा, फोन, चांग, संगतम, चीमचुनगेर, खीयाम्मीयूनगन, नागा पीदगीन; उड़ीसा में कुवी, साओरा, गुतोब, भूमीज, हो, कोया; राजस्थान में बागड़ी (भीली) सिक्किम में सिक्मि भूटिया; तमिलनाडु में कोटा; त्रिपुरा में काक बोरोक (त्रिपुरी) पश्चिम बंगाल में सन्थाली।

(2) संवर्धनात्मक कार्य के लिए भारतीय केन्द्रीय भाषा संस्थान द्वारा पता लगाई 34 भाषाओं के नाम :

क्रम सं०	भाषा का नाम
1	2
1.	कार निकोबारीज
2.	अदी

1	2
3.	कारबी
4.	कुरुख
5.	मुन्दरी
6.	डूंगर वरली (भीली)
7.	डावर वरली (भीली)
8.	लदाखी (बोधी)
9.	पुरकी (बाल्टी)
10.	शिना
11.	ब्रोकस्कट
12.	गोजरी
13.	जेनू कुरुबा
14.	महल
15.	मणिपुरी (मीथीई)
16.	थादाऊ
17.	थानगखुल
18.	हमार
19.	मायो
20.	गोन्डी (अबुज मारिया)
21.	मिजो
22.	आओ
23.	अनूगामी
24.	सेमा
25.	लोथा
26.	कोनयाक
27.	चोकरी
28.	खीझा
29.	बागड़ी

1	2
30.	कुवी
31.	साओरा
32.	गुतोब (गदाबा)
33.	काक बोरोक
34.	सन्ताली

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए पदोन्नति नीति

7221. श्री मुही राम सैकिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन की नीति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन के तदर्थ गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 240 दिन अथवा अधिक दिनों तक कार्य करने की स्थिति में नियमित करने की व्यवस्था है;

(ख) क्या सिलचर क्षेत्र में ऐसे कुछ कर्मचारियों को नियमित करने की बजाये सेवामुक्त कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस बीच उन्हें पुनः काम पर बुला लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तदर्थ गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाएं उनके सेवा अभिलेखों (ए० सी० आर०) की जांच करने के बाद नियमित कर दी जाती हैं यदि वे ऐसी तदर्थ नियुक्ति के 240 दिन पूर्ण कर लेते हैं बशर्ते कि वे भर्ती नियमों के अधीन पात्र हों और नियमित रिक्तियों के लिए भर्ती किए गए हों। इसके साथ ही केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा यह निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी तदर्थ नियुक्ति 6 माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं की जाएगी।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा शैक्षिक सर्वेक्षण

7222. श्री टी० बाल गौड़ : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किए गए पांचवें शैक्षिक सर्वेक्षण

के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिकता विद्यालय स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों की दर में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से इस चिन्ताजनक रवैये पर तुरन्त ध्यान देने तथा इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करने का अनुरोध किया है;

(घ) क्या सरकार ने इन आदिवासी क्षेत्रों के विद्यालयों में विशेष गैजट, उपकरण आदि उपलब्ध कराकर सामान्य शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इनका क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के दौरान, आदिवासी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले छात्रों की दर की कोई अलग से जांच पड़ताल नहीं की गई थी। सम्पूर्ण देश के लिए किए गए Vवें सर्वेक्षण में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कक्षा V में नामांकन कक्षा-1 के नामांकन का 49.3 प्रतिशत था। इससे चौथे सर्वेक्षण में मालूम हुए आंकड़ों की तुलना में किसी गिरावट का पता नहीं चलता है।

(ग) सर्वसुलभ नामांकन और कक्षा में बनाए रखने को प्रोन्नत करने तथा सावधानीपूर्वक सूक्ष्म आयोजना एवं उचित योजनाओं के जरिए पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या कम करने को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिकता दी गई है जो कि केन्द्र और सभी राज्यों की समान नीति है।

(घ) और (ङ) आपरेशन ब्लैक बोर्ड की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत देश में आदिवासी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों समेत सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक शारीरिक तथा शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 1987-88 के दौरान, देश में आदिवासी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्कूलों समेत 1,13,417 प्राथमिक स्कूलों को शामिल करने के लिए 24 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों को 110-61 करोड़ रुपए की राशि की केन्द्रीय सहायता दी गई थी तथा 1988-89 के दौरान, 151.90 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे तथा आदिवासी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्कूलों समेत और अधिक 1,39,862 प्राथमिक स्कूलों को शामिल करने के लिए 20 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों को 135.73 करोड़ रुपए वास्तव में मुक्त किए गए थे।

केन्द्रीय विद्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों की भर्ती एवं पदोन्नति

7223. **श्री राम कुमार राय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो शैक्षणिक सत्रों के साथ-साथ चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों की भर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षित पदों का श्रेणी वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो सत्रों के दौरान खुली भर्ती तथा विभिन्न श्रेणियों में पदोन्नति से भरे गए पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ पद खाली पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में रोग ग्रस्त फसलों पर कृषि अनुसंधान कार्य

7224. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कृषि एवं वाणिज्यिक फसलों को प्रभावित करने वाले रोगों के सम्बन्ध में किए जा रहे अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सफलता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) महोदय, कृषि और व्यावसायिक फसलों के प्रमुख रोगों के प्रबन्ध और निदान विज्ञान पर अनुसंधान कार्य केरल विश्वविद्यालय और भा० कृ० अ० प० के केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा केरल राज्य के विभिन्न स्थानों पर विशेष समस्याओं सम्बन्धी समयबद्ध तदर्थ योजनाएं भी चल रही हैं। बागानी और बागवानी फसलों के रोगों पर अनुसंधान कार्य केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड़, केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम और राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, कालीकट में चल रहे हैं।

(ख) महत्वपूर्ण फसलों की रोग सम्बन्धी प्रमुख समस्याओं की पहचान करने और प्रबन्ध में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं।

(ग) सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इस बात की पुष्टि हुई है कि नारियल के जड़ मुर्झान रोग का माइक्रोप्लाज्मा जैसे जीवों से सम्बन्ध है। अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से प्रमुख हैं—जलीय खरपतवारों जैसे पानी फर्न और जलकुम्भी (वाटर हायसिन्थ) का जैविक नियन्त्रण, गन्ने के रोगों का प्रबन्ध, धान के सूत्रकृमियों (नेमाटोड्स) की पहचान आदि।

पशु चिकित्सा कालेज, पटना की परियोजनाओं को मंजूरी

7225. **डा० सी० पी० ठाकुर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु चिकित्सा कालेज, पटना द्वारा उन्नत अनुसंधान हेतु भेजी गई कुछ परियोजनाओं को अमेरिकन सेन्टर, पटना द्वारा मंजूरी दी गई है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति कब दी जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) महोदय, बिहार पशु चिकित्सा कालेज, पटना द्वारा प्रस्तुत की गयी "भैंसों में भ्रूण स्थानान्तरण टैक्नोलाजी" नामक एक अनुसंधान प्रायोजना जिसे अमेरिका भारत रुपया निधि (फण्ड) (यू० एस० आई० एफ०) से सहायता दी जानी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को प्राप्त हो गई है ।

(ख) 31 दिसम्बर, 1989।

केरल के आदिवासी क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय खोलना

7226. **श्री के० कुन्जम्बु :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के विभिन्न नवोदय विद्यालयों में कुल कितने छात्रों के नाम दर्ज हैं; और

(ख) इनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रतिशत कितना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1,550।

(ख) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से क्रमश: 19.9 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत हैं।

अलौह धातुओं की लागत

7227. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी लौह धातुओं की घरेलू उत्पादन लागत इनकी अन्तर्राष्ट्रीय लागत से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण इन धातुओं पर अतिरिक्त अनेक वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है तथा ये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता से बाहर होते जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन धातुओं की उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) देश में उत्पन्न प्रमुख अलौह-धातुएं हैं— एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता और सीसा। जहां तक एल्यूमिनियम का सम्बन्ध है, देश में उत्पादित एल्यूमिनियम के मूल्य एल्यूमिनियम धातु के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से सामान्यतः पूर्ण प्रतियोगी हैं। अन्य अलौह-धातुओं, जैसे तांबा, जस्ता तथा सीसा के उत्पादन की घरेलू लागत अयस्क के क्षीण ग्रेड, उपोत्पादों से कम प्रति-प्राप्ति ऊंची बिजली दर, लघुस्तरीय परिचालन तथा अन्य निवेश लागतों के कारण अधिक है। अलौह-धातुओं के मूल्य का तैयार माल के उत्पादन में उनके उपयोग की मात्रा की सीमा तक प्रभाव पड़ता है।

(ग) देश में तांबा, जस्ता तथा सीसा की उत्पादन लागत में कटौती के लिए किए गए कुछ

उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) क्षमता उपयोग तथा खान उत्पादकता में सुधार

(2) ऊर्जा खपत में कटौती

(3) कड़े लक्ष्य गत नियन्त्रण

(4) श्रमशक्ति का कुशल नियोजन

(5) वर्तमान प्रद्रावकों तथा शोधनशालाओं को, यथा-आवश्यकता निर्बाध बनाना तथा आधु-निकीकरण करना

(6) नवीन प्रौद्योगिकी व उपयोग

(7) एकीकृत रामपुरा-अगूचा सीसा जस्ता परियोजना की स्वीकृति, जहां अयस्क में उच्च धातु अंश है।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक अभिलेखागार के निर्माण के लिए अनुदान

7228. **श्री खुर्शीद आलम खां** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने अपने लिए एक ऐतिहासिक अभिलेखागार के निर्माण हेतु कुछ अनुदान राशि की मांग की है;

(ख) क्या यह अनुरोध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त धनराशि के कब तक आबंटित किए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) जामिया मिलिया इस्लामिया ने अप्रैल 1988 में विश्वविद्यालय में एक पुरातत्व सेल की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और जामिया के हित के विषयों की प्रदर्शनियों के लिए प्रयोग करने के वास्ते एक वीथि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मांगी। प्रदर्शनी वीथि के निर्माण का प्रस्ताव प्रत्यक्ष रूप से पुरातत्व सेल से सम्बन्धित नहीं था। अतः आयोग ने अक्तूबर, 1988 में जामिया मिलिया इस्लामिया के अनुरोध को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।

ब्रिटिश विदेश मन्त्री के साथ हुई बातचीत का परिणाम

7229. **श्री शरद दिघे** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश विदेश मंत्री के हाल के भारत दौरे के दौरान उनके साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला;

(ख) क्या ब्रिटेन से भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने हेतु कारगर कदम उठाने सम्बन्धी विषय पर भी बातचीत की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) ब्रिटिश विदेश एवं राष्ट्रमंडल कार्य मंत्री की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने पूर्व-पश्चिम सम्बन्ध, मध्यपूर्व, दक्षिण अफ्रीका, चीन, अफगानिस्तान और कम्पूचिया के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया। भारत और ब्रिटेन के पारस्परिक सम्बन्धों पर भी चर्चा हुई।

(ख) और (ग) जी, हां। यूनाइटेड किंगडम में आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए कारगर कदम उठाने के प्रश्न पर भी चर्चा हुई।

रोहिणी, दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना

7230. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान रोहिणी, दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) वर्ष 1989-90 के दौरान नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

महाराष्ट्र में कुही ताल्लुक में टंगस्टन की खोज

7231. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में कुही ताल्लुक में टंगस्टन की खोज करने के लिए गत कुछ महीनों के दौरान कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुही ताल्लुक में टंगस्टन के विशाल भण्डार पाए गए हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में टंगस्टन की खोज के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पूर्वकृत आरम्भिक खोज के आधार पर, कुही खोबना टंगस्टन निक्षेप के विस्तृत गवेषण का कार्य खनिज गवेषण निगम लि० को सौंपी गयी है, जिसके लिए सरकार ने धन दिया है।

(ख) और (ग) चूंकि गवेषण कार्य अभी भी जारी है, इसलिए भंडारों का सही आकलन नहीं किया जा सकता। निगम द्वारा खनिज गवेषण हेतु प्रौद्योगिकी के अन्तरण एवं आर्ट कम्प्यूटर युक्त डाटा प्रोसेसिंग के विकास और परिष्करण अध्ययनों के लिए फ्रांस की एक फर्म से तकनीकी सहायता ली जा रही है।

"दस लाख कुंओं की योजना"

7232. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और वर्ष 1989-90 के लिए "दस लाख कुंओं की योजना" के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के संदर्भ में राज्यवार क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस योजना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को किस हद तक सहायता मिली है;

(ग) प्रत्येक राज्य में इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छोटे और मझौले किसानों की कितने एकड़ भूमि को खुले कुओं से निःशुल्क सिंचाई की सुविधा दी गयी; और

(ग) इन खुले कुंओं से सिंचाई हेतु पानी निकालने के लिए उन्हें क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 10 लाख कुंओं की योजना के अन्तर्गत 1988-89 के दौरान राज्यवार निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धियां संलग्न विवरण में दर्शायी गई हैं। वर्ष 1989-90 के लिए लक्ष्य वर्ष 1988-89 के लक्ष्यों के समान ही होंगे।

(ख) 10 लाख कुंओं की योजना में निःशुल्क ओपन कुंओं की व्यवस्था की गई है जिसका अभिप्राय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित छोटे तथा सीमान्त किसानों तथा मुक्त बन्धुवा मजदूरों जिनमें से अधिकतर गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं, को लाभ पहुंचाना है। इस तरह योजना के अन्तर्गत लगभग सारा लाभ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ही मिलता है जो गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं तथा लघु व सीमांत किसान हैं।

(ग) चूंकि योजना वर्ष 1988-89 के दौरान ही शुरू की गई थी तथा इस पर कार्य बरसात के मौसम के बाद ही आरम्भ किया जा सका था, अतः सिंचाई द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्राप्त हुए लाभों का ब्यौरा इस योजना के कुछ समय कार्यान्वित किए जाने के बाद ही मालूम हो सकेगा।

(घ) दस लाख कुंओं की योजना के अन्तर्गत पानी निकालने के यन्त्रों की व्यवस्था हेतु जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार योजना के अन्तर्गत कुएं के लिए लाभार्थी को आवेदन-पत्र के साथ पम्प सैट हेतु समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सहायता प्राप्त करने के लिए एक अलग फार्म लगाना

होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने की जरूरत है कि जहां कहीं पम्पसैटों की आवश्यकता है, वे कुएं का कार्य पूरा होने के साथ-साथ ही उपलब्ध करा दिए जाएं तथा सारा कार्य एक ही योजना के भाग के रूप में किया जाए।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत दस कुंओं की योजना का निष्पादन

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लक्ष्य	पूरे किए गए कुंओं की सं० (संख्या)	पूरे किए जा रहे कुंओं की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	25500	754	5311	
2.	अरुणाचलम	352	—	—	असूचित।
3.	असम	—	—	—	कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।
4.	बिहार	25000	7886	18832	
5.	गोआ	232	2	—	
6.	गुजरात	12000	426	7543	
7.	हरियाणा	—	—	—	कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।
8.	हिमाचल प्रदेश	1000	शून्य	शून्य	
9.	जम्मू व कश्मीर	1500	—	—	असूचित।
10.	कर्नाटक	4000	86	शून्य	
11.	केरल	—	—	—	कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।
12.	मध्य प्रदेश	31000	3108	1594	
13.	महाराष्ट्र	23000	—	8280	कार्य मानसून के बाद शुरू होगा।
14.	मणिपुर	400	—	—	

1	2	3	4	5	6
15.	मेघालय	—	—	—	कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।
16.	मिजोरम	—	—	—	कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।
17.	मिजोरम	400	44	—	
18.	उड़ीसा	25000	618	—	
19.	पंजाब	—	—	—	कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।
20.	राजस्थान	20000	259	7414	
21.	सिक्किम	—	—	—	कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।
22.	तमिलनाडु	5000	2014	—	
23.	त्रिपुरा	500	—	—	असूचित।
24.	उत्तर प्रदेश	2395	—	—	
25.	पश्चिम बंगाल	15000	—	—	कार्य सर्दी का मौसम खत्म होने के बाद आरंभ होगा।
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।
27.	चंडीगढ़	39	—	—	
28.	दादरा और नगर हवेली	126	—	9	
29.	दिल्ली	—	—	—	कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।
30.	दमन और दीव	80	—	—	
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।
32.	पांडिचेरी	—	—	—	कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।
	योग :	192524	15197	59283	

उर्वरकों का आयात

7233. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों का अभी भी आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के उर्वरक आयात किए गए ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी, हां।

(ख) 1986-87 से 1988-89 के दौरान आयातित उर्वरकों का मूल्य नीचे दिया है :—

वर्ष	लागत और भाड़ा मूल्य (रु० करोड़ों में)
1986-87	651.00
1987-88	223.77
1988-89	697.66 (अनंतिम)

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों की सुविधाएं

7234. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंगनबाड़ी केन्द्रों की सुविधा बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का बिहार के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधा उपलब्ध करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा, जिला-वार इस पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) जी, नहीं। बिहार राज्य सहित देश भर में शुरू की गई समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) योजना की सुविधा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है। 1975 में शुरू किए गए कार्यक्रम का चरणबद्ध विस्तार किया जा रहा है। 1975-76 में बिहार के लिए प्रारम्भ में 3 आई० सी० डी० एस० परियोजनायें शुरू की गई थीं और अब बिहार राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या 168 तक पहुंच गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा 590 ब्लाकों में से 157 ब्लाकों में हैं तथा 11 शहरों के लिए शहरी आई० सी० डी० एस० परियोजनाएं इनके अतिरिक्त हैं। इनमें से, वर्ष 1988-89 में 26 परियोजनाएं स्वीकृत की गई जिनमें 23 ग्रामीण/जनजाति परियोजनाएं भी शामिल हैं। ये परियोजनाएं अब चलाई जा रही हैं।

मार्च 1989 में 142 परियोजनाओं से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इन परियोजनाओं के 13416 रिपोर्टिंग आंगनवाड़ी केन्द हैं जिनमें 12673 केन्द्र 10.30 लाख लाभ प्राप्तकर्ताओं को पूरक पोषाहार प्रदान कर रहे हैं तथा 13311 आंगनवाड़ियां 4.74 लाख बच्चों (3-6 वर्ष की आयु के) को अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा प्रदान कर रही हैं।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है योजना का चरणबद्ध विस्तार किया जा रहा है।

राज्य सरकारों को योजना के लिए केन्द्रीय अनुदान एकमुश्त दिया जाता है। इस तरह के अनुदान जिला-वार नहीं दिए जाते।

भारतीय छात्रों का समाजवादी ब्लाक के देशों को प्रस्थान

7235. **श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हमारे देश के छात्र उच्च शिक्षा के लिए सोवियत संघ तथा समाजवादी ब्लाक के अन्य देशों में जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन छात्रों को कौन-कौन से संगठन भेज रहे हैं तथा इनके चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं;

(ग) इन छात्रों को उन देशों में किन-किन विषयों का अध्ययन कराया जाता है;

(घ) क्या पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्हें दी गई डिग्री सरकार से मान्यता प्राप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का इन डिग्रियों की मान्यता देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) भारत सरकार और सम्बन्धित सरकार दोनों द्वारा प्रदत्त विभिन्न छात्रवृत्तियों एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारतीय छात्रों की एक बड़ी संख्या पूर्वी यूरोप के अन्य देशों तथा सोवियत संघ को जाते हैं। भारत की ओर से मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, शिक्षा विभाग की तरफ से सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के लिए मुख्य एजेंसी है, जिनका समय समय पर सम्बन्धित देशों द्वारा हस्ताक्षर/नवीनीकरण किया जाता है। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत चयन शिक्षा विभाग द्वारा अपनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। सोवियत संघ के मामले में, वे अपने मिशन और भारत इण्डो-सोवियत मैत्री सोसाइटी के सम्पर्क से अतिरिक्त छात्रवृत्तियां प्रदान करता है।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग अध्ययन की मुख्य शाखाएं हैं।

(घ) और (ङ) सोवियत संघ में विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा की संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियां भारत में रोजगार के लिए मान्यता प्राप्त हैं।

आन्ध्र प्रदेश में पुरातत्व स्थलों का उत्खनन

7236. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों का उत्खनन कार्य कुछ यूरोपीय ऐजेंसियों को सौंपा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को आवास निर्माण ऋण

7237. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के आवास निर्माण ऋण मंजूर करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) भारत सरकार के कर्मचारियों को लागू भवन निर्माण अग्रिम राशि देने के लिए नियमों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने आवश्यक परिवर्तन के साथ अपना लिया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार नियमों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

तमिलनाडु में स्वच्छ पानी में मछलियों और झींगा का पालन

7238. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में स्वच्छ पानी में मछलियों और झींगा पालन के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) भारत सरकार ने ताजे पानी में मछली और झींगा पालन के विकास के लिए तमिलनाडु में कोई नई योजना शुरू नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"एण्टी इण्डियन बियास इन यू० के० एण्ट्री लाज" शीर्षक से समाचार

7239. **डा० बी० एस० शैलेश** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1989 के "टेलीग्राफ" में "एण्टी इण्डियन बियास इन यू० के० एंट्री लाज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने ब्रिटेन की सरकार के साथ इस मामले पर बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने डी० एन० ए० परीक्षण के संबंध में खबरें देखी हैं ताकि उन माता-पिता के बच्चों से संबंधित कुछ मामलों को फैसला किया जा सके जो ब्रिटिश नागरिक बन गए हैं अथवा ब्रिटेन में बस गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने समय-समय पर ब्रिटिश प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है ताकि इस बात का सुनिश्चयन किया जा सके कि इन विनियमों में कोई भारत विरोधी प्रवृति न हो। ब्रिटेन के आप्रवासन कानून सामान्यतः प्रतिबन्धकारी हैं। तथापि, सामान्य किस्म के मसले और कुछ विशेष मसले पिछले दिनों में यू० के० की सरकार के साथ उठाए गए हैं। डी० एन० ए० परीक्षण के सम्बन्ध में ऐसा लगता है कि इन नियमों में भारत विरोधी कोई प्रवृत्ति नहीं है क्योंकि ये नियम लगभग सभी देशों पर लागू होते हैं जिनमें भारतीय उप महाद्वीप भी शामिल हैं। जब डी० एन० ए० परीक्षण किया गया था, उस समय ब्रिटिश प्राधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने भारत सरकार को आश्वासन दिया था कि ये परीक्षण पूर्णतः माता-पिता की इच्छा पर निर्भर करते हैं।

सिक्किम में उर्वरकों की खपत

7240. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान और 1989 में अब तक सिक्किम में उर्वरकों की कुल कितनी मात्रा में खपत हुई है;

(ख) क्या चालू खरीफ एवं रबी मौसमों के लिए सिक्किम में उर्वरकों की खपत का कोटा निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान सिक्किम के लिए उर्वरकों की सप्लाई बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1988-89 (1 अप्रैल, 1988 से 31 मार्च 1989 तक) के दौरान सिक्किम में उर्वरकों की अनुमानित खपत 2,056 मीटरी टन उर्वरक पोषक तत्व (एन+पी+के) है।

(ख) और (ग) 1989-99 के दौरान सिक्किम में उर्वरकों की खपत का लक्ष्य 3000 मीटरी टन उर्वरक पोषक तत्व है। वर्तमान खरीफ, 1989 मौसम के लिए सिक्किम में उर्वरकों की आवश्यकता 1710 मीटरी टन उर्वरक पोषक तत्व आंकी गई है।

(घ) तथा (ङ) प्रत्येक राज्य की जिसमें सिक्किम शामिल है, उर्वरकों की आवश्यकता प्रत्येक फसल मौसम के लिए मौसम शुरू होने से काफी पहले आंकी जाती है। तदनुसार उर्वरकों की सप्लाई की जाती है जिससे कि समूची अनुमानित आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

"टिशू कल्चर" प्रयोगशालाएं

7241. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में प्रथम "टिशू कल्चर" प्रयोगशाला स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी प्रकार की प्रयोगशाला पूणे में भी कार्य कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो स्थापना के बाद से इस प्रयोगशाला में तथा अन्य प्रयोगशालाओं में वृक्षों के कितने पौदों का विकास किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

7242. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर बंगाल में दार्जीलिंग, जालपाईगुड़ी और कूचबिहार के स्वैच्छिक संगठनों को वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता मंजूर कराने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि इस प्रकार है :—

· अनुदान के लिए पात्र स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आवेदन पत्र सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ विहित प्रपत्र में सम्बन्धित राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों को भेजे जाते हैं। जो संस्थान सहायता के पात्र समझे जायें, उनका राज्य बोर्ड के किसी सदस्य अथवा राज्य बोर्ड से सम्बन्धित निरीक्षणालय स्टाफ के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण किया जाता है जो अपनी रिपोर्ट राज्य बोर्ड को प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य बोर्ड अपनी सिफारिशों के साथ आवेदन पत्रों को अनुदान स्वीकृत करने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को भेजते हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड इन सिफारिशों की समीक्षा

करने के बाद ऐसे मामलों के सम्बन्ध में औपचारिक संस्वीकृति देता है जो केन्द्रीयकृत कार्यक्रमों के अन्तर्गत उनके अधिकार क्षेत्रों में आते हैं। शिशु गृह कार्यक्रमों के अन्तर्गत तथा सभी विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों के अन्तर्गत दो यूनिटों तक के अनुदान के नवीकरण किए जाने के मामले में संबंधित राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड संस्त्रीकृतियां जारी करते हैं और उसकी सूचना केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को भी देते हैं।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान दार्जिलिंग, जालपाईगुड़ी और उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिलों में स्वयंसेवी संगठनों को स्वीकृत की गई धनराशि निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	जिला	स्वीकृत धनराशि		
		1986-87	1987-88	1988-89
1.	दार्जिलिंग	78,372	60,810	86,153
2.	जालपाईगुड़ी	5,250	58,725	71,265
3.	कूच बिहार	27,124	23,124	90,481

स्कूल रहित गांव

7243. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे गांवों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया था जिनमें कोई स्कूल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और प्रत्येक राज्य में और विशेष रूप से गुजरात में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है;

(ग) किसी गांव में स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(घ) सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ और स्कूल खोलने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) रा० शै० अ० तथा प्र० प०० द्वारा आयोजित पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, 30 सितम्बर, 1986 की संदर्भ तिथि से, 300 अथवा उससे अधिक की आबादी वाली 5·99% बस्तियों में या तो बस्तियों के भीतर या 1 किलो मीटर की पैदल दूरी में अब तक प्राइमरी स्कूल/कक्षाएं नहीं थी। राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के कार्यान्वयन के लिए तैयार किए कार्रवाई कार्यक्रम में परिकल्पना की गयी है कि सभी राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासन सुनिश्चित करेंगे कि वे

300 की आबादी वाली (जनजाति/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों के मामले में 200) सभी बस्तियों में 1 किलोमीटर की पैदल दूरी में एक प्राइमरी स्कूल मुहैया करें। सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से, जहां आवश्यक हो, तदनुसार नए स्कूल खोलने के लिए अनुरोध किया गया है। यह सदैव एक सतत प्रक्रिया होगी क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि, नई बस्तियों की स्थापना आदि की आवश्यकता परिवर्तित होती रहेगी।

प्राइमरी शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य योजनाओं में प्रावधान किया गया है।

विवरण

300 अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों में प्राइमरी स्कूल/कक्षाएं

क्रम सं० राज्य/संघ शासित प्रदेश	संख्या	बस्तियों में (%)	1 कि० मी० की दूरी में (%)	बस्तियों में अथवा 1 कि० मी० की पैदल दूरी में बिना प्राइमरी स्कूल/कक्षाओं की संख्या
1 2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	35245	91.06	99.07	327
2. अरुणाचल प्रदेश	574	80.31	87.80	70
3. असम	21579	78.38	92.71	1573
4. बिहार	63131	73.70	95.05	3125
5. गोआ	1037	59.59	91.61	87
6. गुजरात	19798	96.50	99.23	152
7. हरियाणा	6456	94.02	98.81	77
8. हिमाचल प्रदेश	3587	64.12	89.41	380
9. जम्मू और काश्मीर	5807	83.90	94.06	345
10. कर्नाटक	26055	92.89	97.36	688
11. केरल	6066	75.16	88.34	707
12. मध्य प्रदेश	51108	87.92	95.69	2203
13. महाराष्ट्र	36910	93.12	98.37	602
14. मणिपुर	1262	88.99	98.18	23

1	2	3	4	5	6
15.	मेघालय	1566	89.34	95.79	66
16.	मिजोरम	407	97.79	98.28	07
17.	नागालैंड	709	98.59	99.58	03
18.	उड़ीसा	29333	82.76	96.24	1103
19.	पंजाब	10763	96.26	99.58	45
20.	राजस्थान	28746	87.09	90.83	2636
21.	सिक्किम	346	83.53	90.46	33
22.	तमिलनाडु	32071	80.15	95.44	1462
23.	त्रिपुरा	2372	58.52	86.72	315
24.	उत्तर प्रदेश	102238	47.61	86.01	14303
25.	पश्चिम बंगाल	42230	73.07	96.71	1389
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	171	72.51	88.30	20
27.	चण्डीगढ़	21	90.48	100.00	—
28.	दादरा और नागर हवेली	99	65.66	89.90	10
29.	दमन और दीव	45	60.00	93.33	03
30.	दिल्ली	199	95.48	100.00	—
31.	लक्षद्वीप	6	100.00	100.00	—
32.	पांडिचेरी	239	82.00	98.74	03
	समस्त भारत	530176	76.98	94.01	31757

केन्द्रीय गांधी स्मारक संग्रहालय

7244. **श्री मोहनभाई पटेल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय गांधी स्मारक संग्रहालय को अनुदान सहायता देनी बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या धनराशि के अभाव की वजह से गांधी संग्रहालय खराब स्थिति में है; और

(घ) गांधी संग्रहालय और महात्मा गांधी से सम्बन्धित अन्य स्थलों के विकास और अनुरक्षण के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय गांधी संग्रहालय संस्कृति विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण नहीं है । इसका प्रबन्ध एक पंजीकृत सोसाइटी-संग्रहालय समिति कर रही है ।

(घ) संग्रहालयों के पुनर्गठन और विकास की योजना के अन्तर्गत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता तभी प्रदान की जाती है जब संग्रहालय ऐसे अनुदान के लिए आवेदन करते हैं । अब तक इन संग्रहालयों को दिए गए अनुदानों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

महात्मा गांधी से सम्बद्ध संग्रहालयों को अब तक दिए गए अनुदान

क्रम सं०	स्थान का नाम	अनुदान का वर्ष	राशि (रु०)
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय,	1986-87	45,000
	राजघाट, नई दिल्ली	1987-88	1,00,000
			1,45,000
2.	गांधी स्मृति और दर्शन समिति	1986-87	40,00,000
		1987-88	42,00,000
		1988-89	45,00,000
	अन्य स्थानों पर महात्मा गांधी से संबद्ध संग्रहालय		
1.	बापू बस्मा संग्रहालय एवं पुस्तकालय हरिजन सेवा संघ, किंग्जवे कैंप, दिल्ली	1987-88	1,00,000

1	2	3	4
	2. गांधी संग्रहालय, उ० प्र० गांधी स्मारक निधि, गांधी भवन, लखनऊ		2,85,000
	3. मणि भवन गांधी संग्रहालय, 19 लेबुरनम रोड, गमदेवी रोड, बम्बई		2,44,900
	4. गांधी स्मारक संग्रहालय तम्मुक्कम, मदुरै		1,11,910
	5. गांधी राष्ट्रीय स्मारक सोसाइटी,	1985-86	10,000
	आगा खान पैलेस,	1986-87	1,00,000
	नगर रोड, पुणे		
			1,10,000
	6. गांधी स्मारक संग्रहालय,	1986-87	16,000
	हरिजन आश्रम,	1988-89	1,00,000
	अहमदाबाद ।	1988-89	2,50,000
			3,66,000

व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी योजना

7245. **श्री मोहनभाई पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रत्येक राज्य में कितने विद्यालयों को चुना गया है;

(ख) इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के कितने विद्यालयों को शामिल किया गया है; और

(ग) देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकीकरण की योजना के अन्तर्गत, लगभग 2584 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए 22 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है। प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में शामिल किए गए स्कूलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या के बारे में विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकीकरण की योजना पर विभिन्न सम्मेलनों तथा सेमिनारों में इसके उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए राज्य शिक्षा प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर विशेष रूप से विचार करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति भी है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उन स्कूलों की संख्या जिनके लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम मंजूर किए गए हैं
1.	आंध्र प्रदेश	353
2.	असम	50
3.	बिहार	43
4.	गोवा	20
5.	गुजरात	159
6.	हरियाणा	65
7.	हिमाचल प्रदेश	15
8.	कर्नाटक	149
9.	केरल	100
10.	मध्य प्रदेश	369
11.	महाराष्ट्र	319
12.	मणिपुर	3
13.	मिजोरम	4
14.	नागालैंड	4
15.	उड़ीसा	181
16.	पंजाब	67
17.	राजस्थान	75
18.	तमिलनाडु	200
19.	उत्तर प्रदेश	350
20.	पश्चिम बंगाल	39
21.	चण्डीगढ़	9
22.	दिल्ली	10
	कुल :	2584

लद्दाख में सिंधु घाटी की सभ्यता से पूर्व की सभ्यता से सम्बन्धित प्राचीन स्मारकों की खोज

7246. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिकों ने जम्मू और काश्मीर के लद्दाख जिले में प्राचीन गुफाएं और प्रागेतिहासिक चूल्हा खोजे हैं जिससे पाषाण युग संस्कृति के नए साक्ष्य उपलब्ध होते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से पहले के हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके बारे में कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) जनरल आफ करन्ट साइंस ने अपने अंक दिनांक 20 मार्च, 1989 के वोल्यूम 58 में एक लेख छापा था जिसमें यह दावा किया गया था भू-वैज्ञानिकों को लेह के समीप गाइक में सिंधु के टेरस पर चूल्हे के अवशेष मिले हैं जिसके ऊपर कार्बन की सी परत मिली है जिसे चारकोल को सी-14 निर्धारण पर (4721) 130 ईसा पूर्व के समय का बताया जाता है और इस प्रकार यह परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व का है। तथापि, इससे सम्बन्धित अन्य सामग्री और पुरातत्वीय अवशेषों के अभाव में इसे सिन्धु घाटी सभ्यता के पूर्व का "एक पाषाण युग की संस्कृति" कहना अनुपयुक्त होगा।

बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी, मेसरा रांची द्वारा विभिन्न शुल्कों में वृद्धि

7241. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी मेसरा, ने हाल ही में ट्यूशन शुल्क, होस्टल रूम किराया और परीक्षा शुल्क आदि में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस इंस्टीट्यूट द्वारा की गई इस वृद्धि के कारण गरीब और मध्यम श्रेणी के परिवारों के मेधावी विद्यार्थी इस इंस्टीट्यूट में प्रवेश पाने से वंचित हो जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी, हां। संस्थान से शैक्षिक सत्र 1988-89 से निम्नलिखित रूप से फीस बढ़ा दी हैं :—

संस्थान की फीस	पुरानी दरें	संशोधित दरें
1	2	3
1. शिक्षा शुल्क	600.00	1500.00

1	2	3
बी० ई० एम० बी० ए०/एम० सी० ए०	1200.00/1000	1500.00
एम० ई०/एम० फार्म	400.00	1500.00
2. कमरे का किराया	180.00	720.00
3. परीक्षा		
अवर स्नातक	120.00	200.00
उत्तर स्नातक	245.00	250.00
4. पुस्तकालय		
अवर स्नातक	20.00	150.00
उत्तर स्नातक	20.00	250.00
5. छात्र सेवाएं	58.00	250.00
6. दाखिला/पंजीकरण	10.00	100.00
7. प्रवेश परीक्षा	100.00	150.00

संस्थान ने आंशिक रूप से बजट सम्बन्धी कमी को पूरा करने के लिए अपने वित्तीय संसाधनों में सुधार करने के लिए फीस बढ़ा दी हैं।

(ग) और (घ) संस्थान के पास चूंकि निर्धन तथा मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क वृत्ति और आधी निःशुल्क शिक्षावृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है, अतः उपरोक्त उपायों का इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं हैं।

सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेने हेतु सोवियत संघ और जापान की यात्रा पर भेजे गए कलाकार

7248. **श्री एन० डेनिस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेने के लिए सोवियत संघ और जापान की यात्रा पर कितने कलाकार भेजे गए;

(ख) उनमें पुरुष, महिला और बाल कलाकारों की अलग-अलग संख्या कितनी थी; और

(ग) उनका चयन किए जाने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) 1988 के दौरान कुल 808 कलाकार सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेने के लिए सोवियत संघ और जापाम भेजे गए थे। इनमें 551 पुरुष तथा 257 महिला कलाकार थे। बाल कलाकार नहीं भेजे गए थे।

(ग) कलाकारों का चयन इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से गठित चयन समितियों की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की राजदूतावासों में वाणिज्य दूत अधिकारी के रूप में नियुक्ति

7249. **श्री एन० डेनिस** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को अन्य देशों में स्थित भारतीय राजदूतावासों में वाणिज्य-दूत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय ऐसे कितने अधिकारी भारतीय राजदूतावासों में काम कर रहे हैं।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय इस प्रकार के दस अधिकारी हैं।

ट्रकों के लिए राष्ट्रीय परमिट

7250. **श्री एन० डेनिस** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने आज तक राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र वार ट्रकों के लिए कितने राष्ट्रीय परमिट जारी किए;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य ऐसे परमिट एक निर्धारित संख्या में ही जारी कर सकता है; और

(ग) यदि हां, तो परमिटों की ये संख्याएं किस आधार पर निर्धारित की जाती हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रीय प्रशासनों द्वारा जारी राष्ट्रीय परमिटों की संख्या के बारे में अद्यतन स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा ट्रकों के लिए जारी राष्ट्रीय परमिटों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परमिटों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	6825
2.	अरुणाचल प्रदेश	171

1	2	3
3.	असम	4218
4.	बिहार	2892
5.	गोवा	2837
6.	गुजरात	4349
7.	हरियाणा	6067
8.	हिमाचल प्रदेश	1238
9.	जम्मू और कश्मीर	5474
10.	कर्नाटक	4084
11.	केरल	3978
12.	मध्य प्रदेश	8708
13.	महाराष्ट्र	12947
14.	मणिपुर	241
15.	मेघालय	1338
16.	मिजोरम	शून्य
17.	नागालैंड	845
18.	उड़ीसा	6163
19.	पंजाब	12010
20.	राजस्थान	8919
21.	सिक्किम	लागू नहीं
22.	तमिलनाडु	6638
23.	त्रिपुरा	531
24.	उत्तर प्रदेश	14273
25.	पश्चिम बंगाल	5189
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	लागू नहीं
27.	चण्डीगढ़	686
28.	दादरा और नगर हवेली	181
29.	दमन और द्वीव	शून्य
30.	दिल्ली	8185
31.	लक्षद्वीप	लागू नहीं
32.	पांडिचेरी	201

कोचीन शिपयार्ड द्वारा कर-राहत के लिए अनुरोध

7251. श्री एन० डेनिस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड ने हाल ही के वर्षों में केरल सरकार से कर में राहत देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां। कोचीन शिपयार्ड ने केरल सरकार से जहाज निर्माण कारोबार पर बिक्री कर की लेवी से छूट देने का अनुरोध किया है।

हल्दिया गोदी परियोजनाओं की पुनरीक्षा

7252. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन तीन हल्दिया गोदी परियोजनाओं की, जिनको पहले जापान की विदेश आर्थिक सहयोग निधि द्वारा वित्तपोषण के लिए चयन किया गया था, नए सिरे से पुनरीक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत और विदेशी प्राधिकारियों द्वारा इन परियोजनाओं की मंजूरी देने में अत्यधिक प्रक्रियात्मक विलम्ब किए जाने के परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं की लागत में, मुख्य रूप से रुपए की तुलना में येन के मूल्य में हुई बढ़ोतरी के कारण वृद्धि हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की लागत में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(ङ) विदेश आर्थिक सहयोग निधि द्वारा वित्त पोषण करने की क्या शर्तें हैं और इन्हें देश के लिए कहां तक लाभदायक समझा जाता है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा वित्त पोषण के लिए हल्दिया गोदी परिसर में तीन परियोजनाओं का चयन किया गया है :—

(1) द्वितीय तेल जेटी का निर्माण।

(2) मौजूदा तेल जेटी को सुदृढ़ बनाना।

(3) कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं में वृद्धि करना।

तथापि, कलकत्ता पत्तन न्यास ने स्थल के अद्यतन मुआयने पर आधारित मौजूदा तेल जेटी को सुदृढ़ बनाने से सम्बन्धित परियोजना की आवश्यकता पर तकनीकी परामर्श मांगा है।

(ग) टेंडर आमन्त्रित करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए विदेश आर्थिक सहयोग निधि के

अन्तर्गत कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं और इन प्रक्रियाओं को अपनाना होगा। यह सच है कि लागत में वृद्धि होने का मुख्य कारण रुपए की तुलना में येन के मूल्य में वृद्धि हुई है।

(घ) रुपए—येन पैरिटी में अन्तर के फलस्वरूप द्वितीय तेल जेटी के सम्बन्ध में अनुमानित मूल्य वृद्धि 854.6 लाख रु० है (31-12-88 की स्थिति के अनुसार)। दो अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में चूंकि अनुमानों को अभी संस्वीकृत नहीं किया गया है, अतः मूल्य वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ङ) इस परियोजना के लिए जापान से विदेश आर्थिक सहयोग निधि ऋण की 30 वर्ष की अवधि में अदायगी की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट की अवधि शामिल है और ऋण पर 3.25% वार्षिक की दर पर ब्याज लिया जाएगा। ऋण की शर्तें आकर्षक हैं।

हुगली नदी को खतरे से बचाने के लिए व्यापक योजना के दूसरे चरण के कार्यान्वयन हेतु धनराशि

7253. **श्री समर कुमार मंडल** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में हुगली नदी का प्रवाह वर्ष 1982 से निरन्तर खराब हो रहा है और कलकत्ता पत्तन न्यास प्राधिकरण ने इस खतरे का सामना करने के लिए एक व्यापक नदी प्रशिक्षण और तलकर्षण कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा नदी की सफाई करने और तल से अपेक्षित गहराई तक गाद निकालने के लिए व्यापक कार्यक्रम के दूसरे चरण को कार्यान्वित करने के किए गए प्रयास केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए अब तक धनराशि प्रदान न किए जाने के कारण व्यर्थ सिद्ध हुए हैं;

(ग) क्या इस गम्भीर स्थिति से हल्दिया नहर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और नायाचारा द्वीप के पश्चिमी गाइडवाल की सुरक्षा के लिए, जिसमें से कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों को जाने वाले जहाज गुजरते हैं, ज्यो फॅबिक अथवा ज्योमेंट्रेस सहित नदी की तलहटी को उपयुक्त बनाने के लिए कब तक धनराशि प्रदान की जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा रीवर ट्रेनिंग तथा निकर्षण कार्यों के फलस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता में हुगली के डुबाव में सुधार हुआ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता और हल्दिया में उपलब्ध डुबाव नीचे दिए गए हैं :—

डुबाव की उपलब्धता

(दिवसों/वर्ष की संख्या जिसके लिए दिया गया डुबाव उपलब्ध है)

कलकत्ता (बहिर्गमन)

वर्ष	6.5 मी० और अधिक	7.0 मी० और अधिक	7.5 मी० और अधिक	8.0 मी० और अधिक
1986	144	56	2	शून्य
1987	223	150	88	39
1988	280	201	122	59

हल्दिया (बहिर्गमन)

वर्ष	7.5 मी० और अधिक	8.0 मी० और अधिक	8.5 मी० और अधिक	9.0 मी० और अधिक
1986	317	170	48	शून्य
1987	358	260	117	29
1988	354	305	177	42

(ख) व्यापक स्कीम की चरण-I अब तक पूरा नहीं हुआ है और इसलिए चरण II के लिए इस समय धनराशियां रिलीज करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हल्दिया चैनल में डुबाव में सुधार हुआ है जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर से देखा जा सकता है।

(घ) नदी तल की जियोफ़ब्रिक सामग्री द्वारा नयाचार द्वीप के आसपास की सुरक्षा का काम चल रहा है।

नए क्षेत्रों में कृषि विकास का प्रसार

7254. श्री सनत कुमार मंडल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन द्वारा जिला स्तर पर कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में किए अध्ययन में पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे नये क्षेत्रों में कृषि विकास को पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में, विशेषकर पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन जैसे पिछड़े क्षेत्रों में, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन की "भारतीय कृषि विकास के प्रतिमान—एक जिला स्तरीय अध्ययन" नामक रिपोर्ट को 28 मार्च, 1989 को योजना आयोग के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था। इस अध्ययन की महत्वपूर्ण सिफारिशों में जल प्रबन्ध, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई के प्रावधान, जल विभाजक प्रबन्ध में पूंजी निवेश और पूर्वी क्षेत्र सहित नए क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना शामिल है।

कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसे अब विशेष खाद्यान्न कार्यक्रम—चावल, के साथ मिला दिया गया है। इसके अलावा, वर्षा सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास कार्यक्रम और छोटे तथा मार्जिनल किसानों की सहायता जैसे अभिवृद्धि (प्रस्ट) कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं ताकि कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक परिवारों को सहायता

7255. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में कितने परिवारों की सहायता करने का लक्ष्य रखा गया था;

(ख) वर्ष 1988-89 में इस योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों की सहायता की गई;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1988-89 के दौरान 31.94 लाख परिवारों को सहायता देने का प्रस्ताव था।

(ख) से (घ) विभिन्न/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त हुई प्रगति के अनुसार 1988-89 के दौरान सहायता किए जाने वाले 31.94 लाख परिवारों के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले लगभग 34.21 लाख परिवारों को सहायता दी गई है।

वन क्षेत्रों में खनिज संसाधनों का विकास

7256. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापक पैमाने पर वनों की कटाई के कारण देश के कुछ वन-क्षेत्रों में खनिज संसाधनों का विकास अवरुद्ध हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में खनिज संसाधनों का विकास करने तथा वनों को और कटाई से बचाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अस्तित्व में आने के साथ ही वन भूमि का खनन कार्यों सहित वन्येतर प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने की दशा में, केन्द्र सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। इस प्रकार की अनुमति देने से पूर्व, यह सुनिश्चित किया जाता है कि पट्टाधारी खनन संक्रियाओं से नष्ट हुए वन क्षेत्र के बराबर गैर-वन्य भू-भाग में अथवा खनित क्षेत्र के दो-गुने के बराबर भू-भाग में या तो स्वयं वृक्षारोपण करेगा अथवा उसकी व्यवस्था करेगा। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा खनिज रियायत नियम, 1960 में समुचित संशोधन किए जाने से यह भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि पट्टाधादी खनन/पूर्वेक्षण कार्यों के दौरान नष्ट हुए वृक्षों की संख्या से दो गुने वृक्ष लगायेगा और पट्टा अवधि के दौरान उनकी देखभाल करेगा।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण के ये उपाय इसलिए किए गए हैं, ताकि खनिज संसाधनों के विकास के दौरान होने वाले वन-विनाश की भली भांति भरपाई की जा सके।

मत्स्य पोतों का आयात

7257. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से बड़े व्यापारिक घराने मछली पकड़ने का व्यवसाय कर रहे हैं और उनके पास विद्यमान मत्स्य पोतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इस व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए निकट भविष्य में मत्स्य पोतों का आयात करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन पोतों का किन-किन देशों से आयात किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या इन पोतां की मांग पूरी करने के लिए इनका देश में ही निर्माण करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) और (ग) समुद्र मात्स्यकी ट्रालरों का आयात करने की अनुमति प्राइवेट कम्पनियों और राज्य मत्स्य निगम को दी जाती है। 1988 में प्राइवेट कम्पनियों/निगमों को समुद्री मात्स्यकी जलयानों का हालैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, जापान, मेक्सिको आदि देशों से आयात करने की अनुमति दी गई थी।

(घ) 21 मान्यताप्राप्त भारतीय शिपयार्ड हैं जो समुद्री मात्स्यकी ट्रालरों का निर्माण करने में सक्षम हैं। समुद्री मात्स्यकी ट्रालरों की मांग के एक भाग को भारतीय शिपयार्डों द्वारा पूरा किया जाता है।

उड़ीसा में निकल के भण्डार

7258. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में निकल के भण्डार पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी खुदाई के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निकल का प्रतिवर्ष भारी मात्रा मे आयात किया जाता है; और

(घ) उड़ीसा के कटक जिले की सुकिन्दा घाटी में निकल अयस्क स्रोतों का विकास करके उनसे निकल निकालने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार 1-1-85 को उड़ीसा में विभिन्न ग्रेड निकिल के कुल भंडार 219.65 मिलियन टन थे।

सुकिन्दा निकिल भण्डारों के आधार पर 4800 टन वार्षिक निकिल तथा 200 टन वार्षिक कोबाल्ट क्षमता के निकासी संयन्त्र की स्थापना हेतु अप्रैल, 1974 में मंजूरी दी गई थी। प्रौद्योगिकी के, प्रायोगिक संयंत्र स्तर पर परीक्षण करने पर, संतोषजनक परिणाम नहीं निकले। अतः उपलब्ध आंकड़ों का पुनः मूल्यांकन आवश्यक हो गया। मूल्यांकन पर साध्यता रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अतिरिक्त गवेषण, प्रयोगशाला तथा प्रायोगिक संयंत्र परीक्षण करना आवश्यक प्रतीत हुआ। यह पाया गया कि अकेले परवर्ती अध्ययन के लिए ही 48.71 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। सुकिन्दा में निकिल उत्पादन हेतु प्रतिकूल अर्थक्षमता तथा धन की तंगी को देखते हुए, परियोजना पर आगे कार्य नहीं किया जा सका।

गत तीन वर्षों के दौरान, आयातक एजेन्सी खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयातित निकिल का ब्यौरा इस प्रकार है।

(टन में)

वर्ष	मात्रा
1986-87	3424
1987-88	6535
1988-89 (अनन्तिम)	5900

त्रिवेन्द्रम में पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय का दर्जा बढ़ाना

7259. **श्री टी० बशीर** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में कोई पासपोर्ट कार्यालय नहीं है और वहां केवल एक पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय है;

(क) क्या दक्षिण केरल के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान सम्पर्क कार्यालय का एक पूर्ण विकसित पासपोर्ट कार्यालय के रूप में दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कहां तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य में मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां। त्रिवेन्द्रम में एक सम्पर्क पासपोर्ट कार्यालय है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्तमान सम्पर्क कार्यालय का दर्जा बढ़ाने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि केरल में कोचीन और कोजीकोड में पहले ही दो पूर्णाकार पासपोर्ट कार्यालय हैं।

नेशनल स्कूल आफ ड्रामा

7260. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के शैक्षणिक कार्यकरण से सम्बन्धित मामलों की जांच करने के लिए नेशनल स्कूल आफ ड्रामा की कोई समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सोसाइटी ने विद्यालय के नियमों, उपनियमों, शैक्षणिक कार्यकरण तथा छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों सहित विद्यालय के अन्य सम्बद्ध मामलों की जांच करने हेतु श्री गिरीश कर्नाड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीत समिति का गठन किया है।

(ख) किसी विशिष्ट समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन, यह निर्णय किया गया कि समिति को तीन चार माह तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी चाहिए। सोसाइटी ने 16 अप्रैल, 1989 की अपनी बैठक में समिति से अपनी सिफारिशें यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का आग्रह किया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एककों में निदेशकों की नियुक्ति

7261. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत अनेक एककों में निदेशक के पद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन पदों को शीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृषि शास्त्री) : (क) और (ख) महोदय, ऐसी कोई भी इकाई नहीं है जहां पर निदेशक नहीं हैं लेकिन निम्नलिखित संस्थानों/केन्द्रों में स्थानापन्न/कार्यकारी निदेशक कार्य कर रहे हैं :

1. कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, बम्बई।
2. जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर।
3. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर।
4. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला।
5. राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर।
6. राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, कालीकट।
7. राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान, पुत्तूर।
8. राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद।
9. भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची।
10. राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबन्ध अनुसंधान केन्द्र, फरीदाबाद।
11. राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान, करनाल।
12. राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर।
13. केन्द्रीय कृषि इन्जीनियरी संस्थान, भोपाल।

(ग) और (घ) केन्द्रीय कृषि इन्जीनियरी संस्थान, भोपाल के निदेशक का अस्थायी तौर पर मुख्यालय में स्थानांतरण किया गया है। दूसरे मामलों में, कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल के माध्यम से भर्ती करने की कारंवाई शुरू की गई है।

कृषि विकास के लिए बजट आबंटन में बिहार का हिस्सा

[हिन्दी]

7262. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के बजट में कृषि विकास के लिए आबंटित की गई राशि में से बिहार का कितना हिस्सा है;

(ख) उपरोक्त धनराशि में से बिहार के विभिन्न विकास कार्यों के लिए व्यय की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार द्वारा की गई मांग को पूरा करने के लिए यह धनराशि अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) बिहार के वास्ते वर्ष 1989-90 के लिए प्लान आवंटन 1800 करोड़ रुपए हैं। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए, जिनमें वानिकी और वन्य जीवन भी शामिल है अनन्तिम तौर पर आवंटित धनराशि 106.38 करोड़ रुपए है।

(ख) चूंकि वर्ष 1989-90 अभी शुरू नहीं हुआ है इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि विभिन्न विकासपरक कार्यक्रमों पर कितना खर्च होने की आशा है।

(ग) और (घ) प्लान आवंटन को बिहार की राज्य सरकार के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया गया था।

बूचड़खानों का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

7263. श्रीमती बसवराजेश्वरी :
श्री शान्तिलाल पटेल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्रृंगवेरपुर में उत्खनन कार्य

7264. श्री रामपूजन पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में श्रृंगवेरपुर में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उत्खनन कार्य आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार श्रृंगवेरपुर की धार्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए इसे पर्यटक स्थल घोषित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक पर्यटक स्थल घोषित किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) श्रृंगवेरपुर में उत्खनन कार्य, 1976-77 से 1985-86 के बीच संयुक्त रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला द्वारा शुरू किया गया था। उत्खनन कार्य में पजावे में पकाई हुई ईंटों का 200 मीटर लम्बा तालाब तथा सिक्कों, टेराकोटा की लघु मूर्तियों, तांम्र-पात्र तथा बर्तनों जैसी पुरावस्तुएं मिली हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

मरूभूमि विकास कार्यक्रम के लिए सहायता

7265. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का देश के मरूभूमि क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए विशेष सहायता स्वीकृत करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता देने का विचार है तथा यह सहायता कब तक दी जाएगी;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित धनराशि और वास्तव में अब तक दी गई धनराशि कितनी है;

(घ) क्या यह धनराशि देश की मरूभूमि क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) देश के मरूभूमि क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए, 1977-78 से मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी० डी० पी०) कार्यान्वित किया जा रहा है। सातवीं योजना के दौरान, इसके लिए 245 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया था जिसमें से अब तक 166.65 करोड़ रुपये रिलीज किए गए हैं। वार्षिक आबंटन राज्यों की पहले रिलीज की गई निधियों को उद्देश्य पूर्ण ढंग से उपयोग करने में कार्यान्वियन क्षमताओं और योजना के लिए संसाधनों की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखकर किए गए हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन क्षेत्रों में राज्य सरकारों की क्षेत्रीय विकास गतिविधियों में केवल योगदान करना है।

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विकास केन्द्रों को पक्की सड़कों से जोड़ना

[हिन्दी]

7266. **श्री मानकू राम सोढी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में विकास केन्द्रों को पक्की सड़कों से जोड़ने हेतु वर्ष 1983 में मध्य प्रदेश सरकार से कोई अनुमान प्राप्त हुए हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अनुमानों को अब तक अपनी वित्तीय स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो स्वीकृति कब तक दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से लगभग 119 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 6050 किलोमीटर लम्बी सड़कों के निर्माण हेतु एक मास्टर प्लान 1983 में भूतल परिवहन विभाग को प्राप्त हुई थी जो उस वर्ष में योजना से सम्बन्धित कार्य को देख रहा था।

(ख) और (ग) उपरोक्त प्रस्ताव के प्राप्त होने के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में विशिष्ट प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार द्वारा 1983-84 में भेजी गई 3 सड़क परियोजनाओं को उसी वर्ष स्वीकृत कर दिया गया था जिनकी लागत 4.09 करोड़ रुपए थी। 1984-85 और 1985-86 में प्राप्त प्रस्तावों को वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण स्वीकृत नहीं किया जा सका था। योजना को 1987-88 से बन्द कर दिया गया है और निधियां अब वचनबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए ही उपलब्ध कराई जाती हैं।

घटिया किस्म के पटसन का उत्पादन

[अनुवाद]

7267. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घटिया किस्म के पटसन के मूल्यों को कम कर दिया है, जिससे पटसन उत्पादन घटिया किस्म की फसल का उत्पादन न कर पायें;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अन्य क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप इससे घटिया किस्म के पटसन के उत्पादन में कितनी कमी आयी है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पटसन के रेशे को क्वालिटी पटसन रेशा गलाने की पर्याप्त सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तथापि पटसन के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पटसन रेशा गलाने की अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, ताकि रेशे की क्वालिटी में सुधार करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जा सके।

कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट पर विचार

7268. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1989-90 के लिए खरीफ की फसल हेतु तैयार की गई मूल्य नीति के बारे में कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर कब तक विचार किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) कृषि लागत और मूल्य आयोग ने धान, खरीफ के मोटे अनाजों, खरीफ दालों, खरीफ तिलहनों, कपास और वी० एफ० सी० तम्बाकू के लिए वर्ष 1989-90 मौसम के खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। सरकार ने आयोग की सिफारिश स्वीकार करते हुए 1989-90 के मौसम के लिए अच्छी औसत किस्म की बुनियादी किस्म की कच्ची कपास की एच०-4 किस्म के लिए 650/- रुपए प्रति क्विंटल तथा एच-414/एच-777 किस्म के लिए 540/- रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। अन्य फसलों के बारे में इस आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेने के लिए विचार किया जा रहा है।

भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा कर्नाटक में स्वर्ण गवेषण कार्य

7269. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90 के दौरान कर्नाटक में स्वर्ण के गवेषण कार्य के लिए भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या इस राशि को दूसरे राज्यों में खर्च किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार की धनराशि को दूसरे कार्यों पर व्यय किए जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) कर्नाटक में स्वर्ण अयस्क की गवेषण में तेजी लाने के लिए सरकार अन्य क्या कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वर्ष 1988-89 के दौरान कर्नाटक में स्वर्ण गवेषण के लिए [illegible] रुपए की राशि का प्रावधान किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कर्नाटक में स्वर्ण खोज कार्य में तेजी लाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अतिरिक्त ड्रिलिंग रिग्स उपलब्ध कराने के साथ बड़े पैमाने पर रसायन विश्लेषण कार्य भी करा रहा है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य सरकार तथा खनिज गवेषण निगम, भारत गोल्ड माइन्स लि० और हट्टी गोल्ड माइन्स लि० जैसे संगठनों में संपर्क बनाए हुए है।

आठवीं योजना के दौरान प्राथमिक शिक्षा के लिए अपेक्षित आवश्यक धनराशि

7270. श्री वी० कृष्ण राव : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना अवधि के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनुमानतः कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह धनराशि पर्याप्त होगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो धनराशि की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ङ) उस शिक्षा क्षेत्र सहित प्रारम्भिक शिक्षा जिसका भाग है आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार किया जा रहा है । आठवीं योजना के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं । कुल मिलाकर योजना के लिए संसाधनों की उपलब्धता तथा विभिन्न क्षेत्रों और कार्यक्रमों के बीच कोषों का अन्तः क्षेत्रीय आवंटन का अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है ।

अफ्रीकी एशियाई खेल, 1991

7271. श्री वी० कृष्ण राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 में आयोजित किए जाने वाले अफ्रीकी-एशियाई खेलों के स्थान के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खेलों के आयोजन पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) जी, हां । प्रथम अफ्रीकी-एशियाई खेल 1991 में दिल्ली में आयोजित होंगे ।

(ग) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन जो भारत के लिए राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति है, द्वारा इन खेलों के आयोजन पर होने वाले अनुमानित खर्च का पता लगाया जा रहा है ।

केरल को सूखा राहत सहायता

7272. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर मानसून की विफलता के कारण केरल के कौन-कौन से जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में स्थिति का अध्ययन करने के लिए कोई विशेष दल भेजने का प्रस्ताव है; और

(ग) सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) वर्ष 1983 के उत्तर-पूर्वी मानसून के न आने से हुए सूखे के लिए राहत हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग के सम्बन्ध में केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन के अनुसार, राज्य के सभी 14 जिलों में 1988 के उत्तर-पूर्वी मानसून के दौरान कम/बहुत कम वर्षा हुई। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पीने के पानी की सप्लाई विनियमित करने के लिए टैंकर लगाए गए हैं। इसक अतिरिक्त, खुदे कुंओं को ड्रिप करने तथा मौजूदा खुदे कुंओं को ऊर्जित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए रोजगार सृजन कार्य प्रारम्भ किए गए हैं।

नारियल के मूल्यों में स्थिरता

7273. **प्रो० पी० जे० कुरियन** :
श्री टी० बशीर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत नारियल के मूल्यों में कमी को रोकने के लिए उसका रक्षित भंडार बनाने के कार्य में "नेफेड" तथा अन्य ऐजेन्सियों को भी शामिल किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नारियल के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए अन्य क्या उपाय करने का विचार है?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, 1989 मौसम के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। यदि मूल्य न्यूनतम समर्थन स्तर से नीचे गिर जाएं तो मूल्य समर्थन कार्य करने के लिए केन्द्रीय मुख्य एजेन्सी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड को सिफारिश की गई है।

(ग) नारियल के मूल्य में स्थिरता लाने के लिए केरल में कोपरा के मण्डी हस्तक्षेप मूल्य घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर इस विभाग में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

बिहार में केन्द्रीय पुस्तकालय

7274. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने केन्द्रीय पुस्तकालय हैं;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पुस्तकालयों को अनुदान देती है; और

(ग) यदि हां, तो यह अनुदान किस आधार पर दिया जाता है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पटना, बिहार में एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय है, जो सच्चिदानन्द सिन्हा पुस्तकालय के रूप में प्रसिद्ध है। तथापि, केन्द्र सरकार का ऐसा कोई पुस्तकालय नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्र द्वारा वित्त पोषित राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता अनुदान देता है, जिसे (1) कुछ अनुमोदित योजनाओं के अन्तर्गत राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान तथा सम्बन्धित राज्य द्वारा समतुल्य आधार पर बराबर-बराबर वहन किया जाता है और (2) कुछ अनुमोदित योजनाओं के अन्तर्गत राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा अनुदान असमतुल्य आधार पर अर्थात् पूर्णतः प्रदान किए जाते हैं। अनुदान सामान्यतः सम्बन्धित राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर दिया जाता है।

बिहार में फलों का प्रसंस्करण करने वाले एकक

[हिन्दी]

7275. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में फलों का प्रसंस्करण करने वाले एककों की संख्या कितनी है;

(ख) इन एककों की क्षमता-उपयोग क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास उक्त राज्य में ऐसे कुछ और एककों की स्थापना किए जाने के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 31-12-1988

की स्थिति के अनुसार, बिहार में फल उत्पाद आदेश (एफ० पी० ओ०) 1955 के अधीन लाइसेंस शुदा यूनिटों की संख्या 47 थी।

(ख) इन यूनिटों का क्षमता-उपयोग 7-13% के बीच रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एशियाई खेल, 1990 के लिए तैयारियां

[अनुवाद]

7276. श्री चन्द्र किशोर पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बीजिंग में वर्ष 1990 में होने वाले एशियाई खेलों की तैयारी के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) जी, हां। बीजिंग एशियाई खेलों के लिए प्राथमिकता विषयों और खेलों का पता लगाया गया है। उन खिलाड़ियों का भी पता लगाया गया है जिनकी अच्छे प्रदर्शन की आशा है और उनको भारतीय और जहां आवश्यक हो, विदेशी प्रशिक्षकों और खेल विज्ञान विशेषज्ञों के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षण शिविरों में गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन की नियमित रूप से देखरेख की जा रही है तथा उन्हें श्रेष्ठ सम्भव खेल उपस्कर, पौष्टिक आहार और उच्च कोटि की प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

नल कूप लगाना

7277. डा० फूलरेणु गुहा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और वर्ष 1988-89 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार कितने नलकूप लगाए गये; और

(ख) उनमें से कितने नलकूप अभी भी कार्य कर रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाए गए ट्यूबवैलों की संख्या की विस्तार से निगरानी नहीं रख रही है।

(ख) आग सर्वेक्षण से पता चलता है कि लगभग 85 प्रतिशत ऐसे ट्यूबवैल एक समय विशेष पर कार्य कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सहायता

7278. **डा० फूलरेणु गुहा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) पश्चिम बंगाल के विभिन्न विश्वविद्यालयों को वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान पश्चिम बंगाल में विभिन्न विश्वविद्यालयों को उनके सामान्य विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पश्चिम बंगाल में केवल एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अर्थात् विश्व-भारती विश्वविद्यालय है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान योजना व योजनेत्तर के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को दिए गए अनुदान का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	(रु० लाख में)
1986-87	663.49
1987-88	855.35

तथापि विश्वविद्यालय से व्यय का लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

(रु० लाख में)

क्र० सं०	पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालयों का नाम (केन्द्रीय विश्वविद्यालय छोड़कर)	वर्ष	
		1986-87	1987-88
1.	बर्दवान विश्वविद्यालय	48.81	92.79
2.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	110.12	179.53
3.	जादवपुर विश्वविद्यालय	280.21	230.56
4.	कल्याणी विश्वविद्यालय	46.94	63.55
5.	उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय	33.69	77.65
6.	रविन्द्र भारती	20.96	28.93
	जोड़ :	540.73	673.01

हक्सर पैनल रिपोर्ट

7279. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हक्सर पैनल रिपोर्ट में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कब तक प्रस्तुत की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी, नहीं। हक्सर समिति की रिपोर्ट में विलम्ब नहीं हुआ है। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि :—

(1) हक्सर समिति को अध्यक्ष और सदस्यों की सहमति प्राप्त करने के बाद 24 मार्च, 1988 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिसूचना में यह निर्धारित था कि हक्सर समिति की रिपोर्ट 31 मार्च, 1989 तक प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(2) तत्पश्चात्, हक्सर समिति ने अपने विचार-विमर्श के दौरान संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं के माध्यम से जनमत का पता लगाने के लिए अपने क्षेत्र को व्यापक बनाने का निर्णय लिया। इसने अपने विचारार्थ विषयों के प्रमुख मुद्दों पर संस्थाओं और व्यक्तियों में पारस्परिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण शहरों का दौरा करने का भी निर्णय लिया।

(3) प्रक्रिया सम्बन्धी कारणों से हक्सर समिति के लिए एक पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति में काफी विलम्ब हुआ। यह नियुक्ति दिसम्बर, 1988 में ही की जा सकी।

(4) इसी प्रकार, हक्सर समिति के कार्यकरण के लिए आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति में भी कठिनाई आयी। हक्सर समिति के लिए आवास प्राप्त करने और उसे सुसज्जित कराने में भी कठिनाई हुई। इन सब कारणों से यह समिति 1988 के अन्त में ही अपना कार्य प्रभावी ढंग से आरम्भ कर सकी।

(ग) इसके विचारार्थ विषयों के सन्दर्भ में, जिनमें शीर्ष संस्थाओं तथा देशभर में फैली ऐसी ही संस्थाओं में पारस्परिक सहयोग करना शामिल है और साथ ही आरम्भिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए हक्सर समिति ने यह महसूस किया कि इसका कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए। समिति से अब अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1989 तक सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया है।

दो से अधिक फसलें लगाना

7280. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक वर्ष में दो से अधिक फसलें उगाने की योजना महाराष्ट्र में लागू की जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों का क्या अनुभव रहा है और इससे कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ऐसी कृषि का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कोई सहायता/परामर्श प्रदान करती है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वर्ष में दो से अधिक फसलें उगाने की कोई केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं है, अतः इसके महाराष्ट्र में लागू किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

महाराष्ट्र में खनिजों का पता लगाने के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

7281. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में खनिजों का पता लगाने के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का इस कार्य को बड़े पैमाने पर करने हेतु राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा पिछले चार वर्षों के दौरान किए गए कार्यों से और अधिक खनिज निक्षेपों का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण महाराष्ट्र में खनिजों की खोज हेतु राज्य भूविज्ञान और खनन निदेशालय के साथ तालमेल करके लगातार सर्वेक्षण कार्य कर रहा है।

(ग) और (घ) गत चार वर्षों के दौरान, पश्चिमी घाट में कोल्हापुर क्षेत्र में बाक्साइट के नए निक्षेपों, चन्द्रपुर और नागपुर जिलों में कोयला, नागपुर जिले में तांबा, जस्ता तथा टंगस्टन निक्षेपों, चन्द्रपुर में फ्लूराइट तथा सिन्धु दुर्ग जिले में ग्रेफाइट और लौह अयस्क होने का पता चला है ।

वर्ष 1989-90 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य

7282. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के लिए खाद्य उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कार्य-योजना तैयार की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1989-90 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का 175 मिलियन मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ख) उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चावल, गेहूं, मक्का और दलहनों (अरहर और चना) के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम की ओर विशेष ध्यान दिया गया है । विशेष चावल

उत्पादन कार्यक्रम, जो पूर्वी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा था, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-चावल के साथ भी एकीकृत किया गया है। एक केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न केन्द्रीय योजनाएं जैसे चावल, गेहूं, कदन्न और मक्का के लिए मिनिकिट कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

"डाट बस्टर्स" को दोष मुक्त किए जाने के मामले पर भारतीय समुदाय में चिन्ता

7283. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जरसी नगर में भारतीय समुदाय में 1987 में नवरोज मोदी नामक एक व्यक्ति को पीटने के दोषी चार किशोरों "डाट बस्टर्स" को बहुत हल्का दण्ड दिए जाने की संभावना के समाचार से उत्तेजित हैं;

(ख) क्या जरसी नगर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में भारतीय लोगों के खिलाफ हाल हो में रंगभेद नीति से प्रेरित हिंसक घटनायें हुई हैं और भारतीय लोगों को प्रायः नस्लवादी उपहास किया जाता है;

(ग) क्या "डाट बस्टर्स" द्वारा उत्पन्न की गई समस्या पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समुदाय के खिलाफ बढ़ती हुई हिंसक घटनाओं का प्रमाण है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का न्यू जरसी में रह रहे भारतीय लोगों को इन "डाट बस्टर्स" द्वारा नगर से बाहर निकालने की धमकी पर भारतीय समुदाय में व्याप्त रोष और उनकी लाचारी से अमरीका की सरकार को अवगत कराने के लिए राजनयिक स्तर पर क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) न्यू जरसी शहर का भारतीय समुदाय इस बात से उत्तेजित और चिन्तित था कि नवरोज मोदी की हत्या के मामले में जूरी ने चार अभियुक्तों को हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया है और उन्हें केवल उत्तेजनाकारी/साधारण हमले के आरोप में दोषी पाया। इस समुदाय ने अपने आपको संघटित किया और 9 अप्रैल को जरसी शहर के न्यायालय के सामने विरोध स्वरूप एक बैठक की जिसमें काफी लोग शामिल हुए। 20 अप्रैल को जज ने उत्तेजनाकारी हमले के आरोप के तीन अभियुक्तों यानी राल्फ कोन्जालेज (18 वर्ष) लुईस पदिला (17 वर्ष) और डेनियल एल० एसेवेदो (16 वर्ष) को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। चौथे अभियुक्त विलियम एसेवेदो (18 वर्ष) को 26 मई को साधारण हमले के आरोप में अभी सजा सुनाई जानी है। पहले तीन अभियुक्तों को दी गई 10 वर्ष की कैद की सजा पर भारतीय समुदाय और श्री नवरोज मोदी के माता-पिता ने स्पष्ट रूप से संतोष व्यक्त किया।

(ख) जरसी शहर में भारतीयों के विरुद्ध रंगभेद नीति से प्रेरित हमले सितम्बर से दिसम्बर, 1987 की अवधि में हुए थे। उसके बाद से भारतीय समुदाय के विरुद्ध केवल इक्का-दुक्का घटनाएं हुई हैं।

(ग) "डाट बस्टर्स" की घटना केवल न्यू जरसी शहर में हुई जहां काफी संख्या में भारतीय अपेक्षाकृत वंचित और जातीय रूप से अशांत क्षेत्र में रहते हैं। समग्र रूप से अमरीका में भारतीय एक

सम्मानित और खुशहाल समुदाय के हैं और आमतौर से उन पर रंगभेद सम्बन्धी दुर्व्यवहार या आक्रमण नहीं किए जाते ।

(घ) न्यूयार्क स्थित भारत का प्रधान कोंसलावास ने न्यू जरसी के प्राधिकारियों के साथ (महा-धिवक्ता और गवर्नर के स्तर पर) और वाशिंगटन स्थित भारत का राजदूतावास ने विदेश विभाग के सितम्बर-दिसम्बर, 1987 की अवधि में भारतीय समुदाय के विरुद्ध रंगभेद नीति की घटनाओं पर राजनयिक स्तर पर विभिन्न कार्रवाइयां कीं । उक्त कार्रवाइयों और न्यू जरसी राज्य और अमरीका के प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप जरसी शहर में भारतीय समुदाय के विरुद्ध रंगभेद सम्बन्धी घटनाएं काफी कम हो गई हैं ।

अध्यापकों के लिए सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

7287. **प्रो० पराग चालिहा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 अगस्त, 1987 को घोषित किए गए वरिष्ठ तथा चयन ग्रेड वेतनमानों को पाने के लिए प्रत्येक श्रेणी के अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि उसने पिछले 12 वर्षों के सेवा काल के दौरान पन्द्रह दिन की अवधि का कम से कम एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया हो;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने पिछले 12 वर्षों के दौरान ऐसा एक भी पाठ्यक्रम सेवा काल के दौरान आयोजित नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संगठन के अध्यापकों को जो अन्यथा योग्य हैं केवल इसी कारण से वरिष्ठ और चयन ग्रेड के लिए अयोग्य माना जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) प्रत्येक शिक्षक से उसके दक्षता अवरोध पार करने अथवा वरिष्ठ वेतनमान या चयन वेतनमाय में पदोन्नत होने से पहले प्रत्येक 6 वर्षों में एक बार कम से कम 3 सप्ताहों के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अपेक्षित होता है बशर्ते कि जहां पर ऐसे प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था न की जा सकती हो, वहां पर नियोक्ता प्राधिकारी किसी विशेष समयावधि के लिए शिक्षकों के वर्ग को छूट दे सकते हों ।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रतिवर्ष प्राथमिक शिक्षकों, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों तथा स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम आयोजित करता है। उस शिक्षक से, जिसने पिछले 5 वर्षों में एक बार भी किसी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया हो, ऐसे पाठ्यक्रमों में भाग लेना अपेक्षित होता है।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने ऐसे शिक्षकों को 2 वर्ष की छूट दे दी है । जिन्होंने पिछले 6 वर्षों में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लिया है ।

केन्द्रीय विद्यालयों में +दो स्तर पर अधिक वैकल्पिक विषय शुरू किया जाना

7285. **प्रो० पराग चालिहा :**
श्री मानवेन्द्र सिंह :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन को केन्द्रीय विद्यालयों में +दो स्तर पर और अधिक नए वैकल्पिक विषय आरम्भ करने के बारे में कुछ अभ्यावेन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर संगठन की प्रतिक्रिया क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने केन्द्रीय विद्यालय में जमा दो स्तर पर शारीरिक शिक्षा, संगीत, ड्राइंग, नागरिक शास्त्र तथा संगणक विज्ञान और जैसे और अधिक विषयों को आरम्भ करने की मांग की है। इस संबंध में यह महसूस किया गया है कि केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरित कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तदनुसार, समूचे देश में पाठ्यक्रमों की एकरूपता का स्तर होना वांछनीय है। जमा दो स्तर पर और अधिक विषय प्रदान करने से अतिरिक्त शिक्षकों तथा कक्षा कक्षों के लिए अत्यधिक निधियों की आवश्यकता में वृद्धि होगी। संसाधनों के अभाव को ध्यान में रखते हुए, अधिक संख्या में उन विषयों को आरम्भ करने की सलाह नहीं दी जाती जिनके लिए देश के विभिन्न भागों में स्थित स्कूलों में मांगे आंशिक हैं। अतः केन्द्रीय विद्यालयों में जमा दो स्तर पर इन नए विषयों को आरम्भ करने के सुझाव को संभव नहीं पाया गया है।

जलपोत मरम्मत याडों (शिप रिपेरिंग याडं) की स्थापना

7286. **श्री मोहनभाई पटेल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने जलपोत मरम्मत याडं (शिप रिपेरिंग याडं) हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या ये याडं मांग के अनुसार पर्याप्त नहीं हैं और मरम्मत के अभाव में अनेक जलपोत बेकार पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या देश में और अधिक जलपोत मरम्मत याडं (शिप रिपेरिंग याडं) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) नौवहन महानिदेशालय के साथ रजिस्टर्ड जहाज मरम्मतकर्ता यूनिटों तथा उनके स्थानों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मौजूदा जहाज मरम्मत सुविधाएं राष्ट्रीय जरूरतों की पूर्ण पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ग) विकास सलाहकर (जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत) के हाथ हुए विचार-विमर्श के अनुसार 1988-89 के दौरान सरकार ने संयुक्त क्षेत्र में एक ड्रेज मरम्मत काम्पलेक्स तथा प्राइवेट क्षेत्र में एक फलोटिंग डाइडाक की संस्वीकृति दी है। अभी सरकार के समक्ष कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत में नौवहन महानिदेशक, बम्बई के साथ रजिस्टर्ड जहाज मरम्मत यार्डों की सूची

क्र० सं०	स्थान
1	2

बम्बई

1. मंगला इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा० लिमिटेड।
2. पटेल इन्जीनियरिंग वर्क्स।
3. डोलफिन आफशोर इन्टरप्राइसेस (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड।
4. मैरिन इलैक्ट्रीकल्स एण्ड रिफरजीरेशन इन्जीनियरिंग वर्क्स।
5. संगवी रिकन्डीशनर प्राइवेट लिमिटेड।
6. बम्बई पोर्ट ट्रस्ट।
7. सी० एस० डीजल इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड।
8. मझगांव डाक लिमिटेड।

मद्रास

1. गुडविल इन्जीनियरिंग वर्क्स।
2. टेबना मेरिन प्राइवेट लिमिटेड।
3. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट।
4. चौखानी इन्टरनेशनल लिमिटेड।

कलकत्ता

1. कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट (रजिस्ट्रेशन के तहत)

1	2
	2. हुगली डाक एण्ड पोर्ट इन्जीनियर्स लिमिटेड ।
	3. सिंह हिन्दुस्तान मैरिन (प्रा०) लिमिटेड ।
कोचीन	
	1. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ।
विशाखापत्तनम	
	1. हिन्दुस्तान शिपयार्ड ।
गोवा	
	1. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ।
काकीनाडा	
	1. ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड ।
गांधीधाम	
	1. जेसोड मेरीन्स ।

जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना प्रारम्भ करना

7287. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना प्रारम्भ की गई हैं;

(ख) वर्ष 1989 और 1990 के लिए आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य-वार ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के अन्तर्गत कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

फल और सब्जियों को बीमा योजना में शामिल करना

7288. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फसल बीमा योजना जैसी फल और सब्जियों की कोई बीमा योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) फिलहाल गेहूं, धान, कदन्न, तिलहन तथा दलहन वृहत फसल बीमा योजना के अधीन शामिल की जाती हैं । सरकार इन फसलों के मामले में भारी हानि उठा रही है । अतः फिलहाल फलों तथा सब्जियों सहित किसी अन्य फसल बीमा में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । सरकार का विचार इन फसलों के मामले में और अनुभव प्राप्त करने का है जो कि फिलहाल वृहत फसल बीमा योजना के आती है ।

महाराष्ट्र में कृषि उत्पादन

7289. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन के क्षेत्र में महाराष्ट्र देश का एक अग्रणी राज्य है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान गेहूं, गन्ने, तिलहन और चावल की कितने-कितने क्षेत्र पर खेती की गई;

(ग) क्या कृषि उत्पादन क्षेत्र, विशेषकर गन्ने का, बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) देश में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में महाराष्ट्र एक अग्रणी राज्य है ।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में गेहूं, गन्ना, तिलहन और चावल के अन्तर्गत कवर किया गया क्षेत्र नीचे दिया गया है :—

फसल	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	
	1986-87	1987-88
गेहूं	7.36	7.33
गन्ना	2.80	2.92
तिलहन	21.35	23.82
चावल	15.27	13.70

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरक संयन्त्रों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना

7290. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्तमान उर्वरक संयन्त्रों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का विचार है ताकि उचित मूल्यों पर इसे उपलब्ध कराया जा सके;

(ख) क्या वर्तमान संयंत्र अपनी उत्पादन क्षमता से बहुत कम उत्पादन कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश में उर्वरकों को कमी को पूरा करने हेतु संयन्त्रों की पूरी उत्पादन क्षमता के उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) यद्यपि वर्तमान उर्वरक संयंत्रों का विस्तार करने का कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं है, फिर भी कुछ मामलों में विस्तार पर विचार किया जा सकता है जो किसी विशेष क्षेत्र में उर्वरक की मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर, कच्चे माल और इन्फास्ट्रक्चर की उपलब्धि, अन्तर्ग्रस्त लागत आदि पर निर्भर करेगा। उर्वरकों के मूल्य आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचित किए जाते हैं और ये वर्तमान संयंत्रों को स्थापित क्षमता से सम्बद्ध नहीं है।

(ख) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन जैसी रुग्ण कम्पनियों के संयंत्रों को छोड़ कर, 1988-89 के लिए अन्य संयंत्रों की औसत क्षमता उपयोगिता 88 प्रतिशत से अधिक थी।

(ग) संयंत्रों के रख-रखाव में सुधार के अतिरिक्त, उनके क्षमता उपयोगिता स्तर में सुधार लाने के लिए कैप्टिव पावर संयंत्र स्थापित किए गए हैं/किए जा रहे हैं। इसके अलावा, पुराने और जीर्ण संयन्त्रों के लिए पुनरुद्धार और पुनर्वास योजनाएं तैयार की गयी है/की जा रही है ताकि उनके उत्पादन निष्पादन में सुधार किया जा सके।

केन्द्रीय विद्यालयों में विकलांग बच्चों को शिक्षा

7291. **श्री शान्ति लाल पटेल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में मेधावी तथा विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) तेज पढ़ने वाले शिक्षार्थियों को सहायता, दिशा-निर्देश तथा पर्याप्त अवसर प्रदान करने की दृष्टि से, मेधावी बच्चों के लिए त्वरित पढ़ाई का एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

इस कार्यक्रम में शुरू किए गए कार्यकलापों में तत्कालिक पर्यावरण का पर्यवेक्षण करना, क्षेत्रीय यात्राओं के जरिए सुदूर पर्यावरण की खोज करना, अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ाना, हस्तलिखित पत्रिकाओं,

जांच करने वाली परियोजनाओं तथा शैक्षणिक और सांस्कृतिक रुचि के विभिन्न पक्षों सम्बन्धी रिपोर्टें तैयार करना, विभिन्न विषयों पर प्रश्नोत्तर की तैयारी तथा चर्चा करना, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम तथा कहानियों, कविताओं आदि का नाटकीकरण करना है। मनोरंजन हेतु पढ़ने, कतरन-रजिस्टरों की तैयारी, सृजनात्मक लेखन, दौरों, रिपोर्टों के अनुसरण में भ्रमण तथा सर्वेक्षण जैसे कार्यकलाप भी अवकाशों तथा छुट्टियों के दौरान छात्रों द्वारा आरम्भ किए जाते हैं। शैक्षणिक तथा सह-पाठ्यचर्या कार्यक्रमों में भी अभिभावकों का सहयोग लिया जाता है।

शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में, कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है और कक्षा-कक्ष सम्बन्धी शिक्षा अन्य बच्चों के साथ उनको दी जाती है। तथापि, शैक्षणिक रूप से पिछड़े बच्चों की सहायता करने की दृष्टि से, केन्द्रीय विद्यालयों में एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है। इन बच्चों के लिए इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान, अभिभावकों के साथ सम्पर्क, विभिन्न विषयों में उपचारात्मक शिक्षा देना, आदि शामिल हैं। छात्र-साधारण परियोजना, साधारण कविताओं का अध्ययन, पुस्तकों का अध्ययन, संशोधन अभ्यासों के बाद प्रश्नों तथा उत्तरों को भी तैयार करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे विभिन्न विषयों के अध्ययन में इन बच्चों की सहायता करते हैं। मनोरंजन के लिए अध्ययन करना, कतरन-रजिस्टरों आदि की तैयारी, आदि जैसे कार्यकलाप भी अवकाशों तथा छुट्टियों के दौरान इन छात्रों द्वारा शुरू किए जाते हैं।

ग्रामीण पेय-जल योजना का समय पर पूरा न होना

7292. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 मार्च, 1989 के टाइम्स आफ इण्डिया में ग्रामीण पेय-जल योजना में गतिरोध के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उक्त समाचार के परिप्रेक्ष्य में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लक्ष्यों और उनकी पूर्ति के उपायों की समीक्षा की गयी है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्यों में 1988-89 के लक्ष्यों की प्राप्ति में आई गिरावट को गम्भीरता से लिया है और मामले को उचित उपचारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित राज्यों के साथ उठाया है। ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लक्ष्यों, केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धि और कार्यपद्धति, 55 मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों और 5 उप-मिशनों में गतिवधियों के कार्यान्वियन के बारे में 24-26 अप्रैल, 1989 को हुई मिशनों के मुख्य अभियन्ताओं और कार्यकारी निदेशकों की बैठक में समीक्षा की गई है। राज्यों को कार्यान्वियन तन्त्र को तेज करने की सलाह दी गयी है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सके और प्रबन्ध सूचना प्रणाली सहित कार्यान्वियन तन्त्रों को सुव्यवस्थित किया जा सके।

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत दस जमा दो जमा तीन प्रणाली

7293. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10+2+3 शिक्षा प्रणाली को कार्यान्वित करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) इस नीति के क्या परिणाम निकले हैं तथा बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के लिए लोगों को रोजगार दिलाने में यह किस प्रकार सहायक सिद्ध होगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 10+2 योजना सभी राज्यों द्वारा कार्यान्वित की गयी है। जहां तक 10+2+3 पद्धति का सम्बन्ध है, इसे संघ शासित प्रदेश दिल्ली, दमन तथा दीव और पांडिचेरी के अलावा आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा तथा तमिलनाडु, राज्यों में कार्यान्वित किया गया है।

कुछ राज्यों में, 10+2+2 पद्धति पास कोर्स के लिए है और 10+2+3 पद्धति आनर्स स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए है।

(ख) स्कूल शिक्षा की 10+2 पद्धति को अपनाने का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष +2 स्तर पर इस लिहाज से शिक्षा का व्यावसायिकरण करता रहा है ताकि छात्रों को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लाया जा सके।

+2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ करने का अर्थ यह है कि वैयक्तिक रोजगार में वृद्धि तथा दक्षता प्राप्त जनशक्ति की मांग तथा आपूर्ति के बीच विसंगति को दूर करना और उन छात्रों को एक विकल्प प्रदान करना जो बिना किसी विशेष लाभ अथवा उद्देश्य के उच्च शिक्षा जारी रखे हुए हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से यह आशा की जाती है कि इनसे स्वतः रोजगार के लिए छात्रों में सक्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी तथा विद्यमान तथा उभरते क्षेत्रों में आवश्यक व्यावसायिक सक्षमता विकसित करके दक्षताप्राप्त कार्मिकों की निरन्तर प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके।

+3 स्तर पर पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रायोगिक स्वरूप के पाठ्यक्रमों अथवा प्रयोगोन्मुख पाठ्यक्रमों का प्रावधान है, जिसे विश्वविद्यालय क्षेत्र की स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चुन सकते हैं। प्रयोगोन्मुख विषयों के रूप में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों को इस उद्देश्य से शुरू किया जाना चाहिए कि छात्रों को उस विषय की जानकारी हो तथा उन्हें उसकी दक्षता/तकनीकी प्रदान की जाएं जो उन्हें स्थानीय उद्योगों में रोजगार प्राप्त करने तथा स्नातक करने के बाद अपना व्यवसाय/स्वतः रोजगार प्रारम्भ करने में मदद कर सकें।

सरसों तथा काली सरसों के लिए लाभप्रद मूल्यों का निर्धारण

[हिन्दी]

7294. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरसों तथा काली सरसों (रायडा) के मूल्य निरन्तर गिरते जा रहे हैं;

(ख) क्या उक्त मदों के मूल्यों में कमी के बावजूद तेल के मूल्यों में कमी नहीं हुई है;

(ग) क्या सरकार का उत्पादकों के लाभ के लिए सरसों तथा काली सरसों के लिए लाभप्रद मूल्य निर्धारित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तथा किस प्रकार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 के दौरान, उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के कारण 1987-88 में अस्वाभाविक रूप से ऊंचे रहे । रेपसीड/सरसों और सरसों के तेल के थोक मूल्यों में कमी आयी है ।

(ग) और (घ) फसल वर्ष 1988-89 के लिए उचित औसत क्वालिटी की रेपसीड/सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 460/- रुपये प्रति क्विटल निर्धारित किया गया है ।

जवाहर लाल नेहरू रोजगार के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देना

7295. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** :
　　श्री हरीश रावत :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के दौरान देश के प्रत्येक गरीब परिवार के एक सदस्य को लाभकारी रोजगार देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को उक्त योजना के अन्तर्गत चयन किए जाने वाले जिलों की संख्या में वृद्धि करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उपरोक्त मानदण्ड के आधार पर जिलों का चयन करने हेतु राज्य सरकारों से सुझाव आमंत्रित किए हैं;

(च) यदि हां, तो चयन हेतु किन-किन जिलों का सुझाव दिया गया है; और

(छ) क्या सरकार का विचार इस योजना में चयन हेतु देश के बाडमेर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को तरजीह दिए जाने का है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (छ) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की अतिदेय राशि

[अनुवाद]

7296. **श्री गदाधर साहा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिदेय-राशि के मामलों की, राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार, संख्या कितनी है;

(ख) इस प्रोग्राम के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्त्ताओं पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) स्थिति को नियन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय स्तर पर जनवरी से दिसम्बर, 1987 तक के समवर्ती मूल्यांकन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 42 प्रतिशत मामलों में ऋण की वापिसी अदायगी के सम्बन्ध में कोई अतिदेय राशि नहीं थी। 6 प्रतिशत मामलों में अतिदेय राशि 250 रुपए तक, 25 प्रतिशत मामलों में 251 रुपए से 1000 रुपए तक, 18 प्रतिशत मामलों में 1001 रुपए से 2000 रुपए के बीच तथा 9 प्रतिशत मामलों में 2000 रुपए से अधिक थी। राज्यवार तथा संघशासित वार अतिदेय की राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

अतिदेय के मामलों में 54 प्रतिशत मामलों का कारण अपर्याप्त आय सृजन, 10 प्रतिशत मामलों में अप्रत्याशित आपदायें (बीमारी, मृत्यु आदि) 33 प्रतिशत मामलों में ऋण की अदायगी की कड़ी अनुसूची तथा शेष 3 प्रतिशत मामलों में अन्य कारण थे।

(ख) और (ग) समवर्ती मूल्यांकन के निष्कर्षों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्य/संघ शासित सरकारों को तत्काल भेज दिया जाता है।

विवरण

(प्रतिशत)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कोई अतिदेय नहीं	अतिदेय की राशि	
		1000 से 2000 के बीच	2000 से अधिक
1	2	3	4
अखिल भारत	42	13	9
आंध्र प्रदेश	42	13	6
अरुणाचल प्रदेश	97	1	0
असम	8	32	19
बिहार	24	26	15
गोआ	62	0	13

1	2	3	4
गुजरात	50	14	3
हरियाणा	27	27	23
हिमाचल प्रदेश	59	10	3
जम्मू और काश्मीर	59	8	10
कर्नाटक	36	26	8
केरल	27	17	8
मध्य प्रदेश	31	25	7
महाराष्ट्र	43	16	8
मणिपुर	74	21	4
मेघालय	100	0	0
मिजोरम	100	0	0
नागालैंड	100	0	0
उड़ीसा	32	16	2
पंजाब	71	14	5
राजस्थान	33	19	7
सिक्किम	30	25	25
तमिलनाडु	44	17	10
त्रिपुरा	15	17	7
उत्तर प्रदेश	51	17	10
पश्चिम बंगाल	26	13	10
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	33	27	17
चण्डीगढ़	35	40	15
दार और नगर हवेली	60	10	10
दिल्ली	55	25	10
दमन और दीव	62	0	13
लक्षद्वीप	58	0	8
पांडिचेरी	30	20	15

केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों पर बीमा योजना लागू करना

7297. **श्री सैफुद्दीन अहमद** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूह बीमा योजना के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन के स्कूलों के कर्मचारियों की तुलना में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों का कम राशि के लिए बीमा किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी, केन्द्र सरकार की सामूहिक बीमा योजना द्वारा अभिशासित होते हैं जबकि केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जो कि सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त निकाय है, के कर्मचारी जीवन बीमा निगम की सामूहिक बचत सम्बद्ध बीमा योजना द्वारा अभिशासित किए जाते हैं। जीवन बीमा निगम, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर के जोखिम को शामिल करने के लिए सहमत नहीं था।

केन्द्रीय विद्यालय, चुखा (भूटान) को बन्द करना

7298. **श्री सैफुद्दीन अहमद** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय, चुखा (भूटान) को शीघ्र ही बन्द किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय विद्यालय, चुखा के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा वहीं से भर्ती किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उनकी सेवाएं अन्य कर्मचारियों की ही तरह इस विद्यालय के बन्द होने के बाद भी जारी रहेंगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्थानीय रूप से केवल 7 कर्मचारियों को भर्ती किया गया था।

(घ) जी, हां। स्थानीय रूप से भर्ती किए गए भारतीय राष्ट्रिकों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा खपाया जाएगा और उन्हें अन्य केन्द्रीय विद्यालयों में तैनात किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में फूलों की खेती

7299. **श्री हरीश रावत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फूलों की खेती का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) राज्य सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 25 लाख रुपए के परिव्यय से उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पुष्पकृषि विकास से संबंधित एक कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रही है, जिसमें मुख्यत: केन्द्रीय फूलों की फसलों की पौध रोपण सामग्री की आपूर्ति शामिल है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को सरल और कारगर बनाना

[हिन्दी]

7300. **श्री हरीश रावत** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क परिवहन का पुनंगठन करने की कोई विशेष योजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो उन क्षेत्रों में जहां सड़क परिवहन ही यातायात का एकमात्र साधन है, परिवहन सुविधाओं को सरल और कारगर बनाने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन सहित राज्य या संघ क्षेत्र में सड़क परिवहन के संगठन की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य या संघ क्षेत्र की है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की कोई स्कीम नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में कृषि कालेज

[अनुवाद]

7301. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में कितने कृषि कालेज हैं;

(ख) इन कालेजों में कुल कितने विद्यार्थी हैं;

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में कृषि कालेज खोलने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) महोदय, तीन ।

(ख) पश्चिम बंगाल के तीन महाविद्यालयों के पूर्व स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रति वर्ष 311 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है ।

(ग) से (ङ) कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की जिम्मेवारी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की

है तथा राज्य के कृषि विश्वविद्यालय की उपलब्ध जनशक्ति तथा मौजूदा वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त कृषि महाविद्यालय शुरू करने की आवश्यकता पर निर्णय लेते हैं।

दिल्ली के स्कूलों द्वारा बस किराए के अतिरिक्त सेवा प्रभारों की वसूली

7302. श्री विशेक गोस्वामी :
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मार्च, 1989 के इण्डियन एक्सप्रेस में "सर्विस चार्जेज इन एडीशन टु बस फीस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली के स्कूल सेवा प्रभार के नाम पर छात्रों से नियमित बस शुल्क के अतिरिक्त धनराशि वसूल कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अतिरिक्त धनराशि की वसूली पर रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) स्कूलों द्वारा सेवा शुल्कों के रूप में अधिक राशि वसूल करने के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन को किसी अभिभावक अथवा छात्र ने शिकायत नहीं की है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड द्वारा सोने की बिक्री

[हिन्दी]

7303. श्री विशेक गोस्वामी :
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड ने नई नीति के अनुसार सोने की बाजार में बिक्री की है;

(ख) यदि हां, तो जून, 1988 से जनवरी, 1989 तक कुल कितना सोना बेचा गया और इस अवधि के दौरान इस संगठन में सोने की कितनी मात्रा उपलब्ध थी;

(ग) क्या इस नई नीति के अन्तर्गत बाजार में सोने की बिक्री में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) भारत गोल्ड माइन्स लि० द्वारा खुले बाजार में स्वर्ण बिक्री की नई नीति का क्रियान्वयन आरम्भ हो गया है। कम्पनी ने अब तक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच० एम० टी०) को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए 47.5 कि० ग्रा० स्वर्ण बेचा है। यह बिक्री स्वर्ण नियन्त्रण प्रशासक से अनुमति लेकर की गई है। निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार, खुले बाजार में अधिक स्वर्ण की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। भारत गोल्ड माइन्स लि० के पास इस समय 917.0 कि० ग्रा० अनबिका स्वर्ण स्टाक है।

होस्टल वाले केन्द्रीय विद्यालय

[अनुवाद]

7304. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों का ब्यौरा क्या है जहां बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए और बालक तथा बालिकाओं दोनों के लिए संयुक्त होस्टल की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या केन्द्रीय चतुर्थ वेतन आयोग ने उपरोक्त सभी प्रकार के होस्टल और अधिक संख्या में खोलने के लिए सिफारिश की थी; और

(ग) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान निर्मित किए जाने वाले होस्टलों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 10 केन्द्रीय विद्यालयों में केवल लड़कों के लिए छात्रावास की सुविधाएं हैं जबकि 2 केन्द्रीय विद्यालयों में केवल लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधाएं हैं। केवल एक ही ऐसा केन्द्रीय विद्यालय है जहां लड़के तथा लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधाएं हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पास और अधिक स्कूलों में छात्रावास खोलने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। यदि कुछ विशेष स्कूलों में छात्रावास सुविधाओं की जरूरत होती है तो के० वि० संगठन उस पर विचार करेगा।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकों को वाहन अग्रिम

7305. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान वाहन अग्रिम के रूप में प्रयोग करने हेतु कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई थी; और

(ख) इस अवधि के दौरान वाहन अग्रिम के आवेदनकर्ताओं तथा प्राप्त करने वालों की संख्या का श्रेणीवार तथा वाहन वार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 15.00 लाख रु० ।

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन के 186 कर्मचारियों को मोटर साईकल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम राशि प्रदान की गई थी । आवेदनों पर कार्रवाई चूंकि क्षेत्रीय कार्यालयों में की गई थी अत: केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्राप्त आवेदनों की संख्या के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, साईकल अग्रिम राशि के लिए प्राप्त आवेदनों तथा उन्हें संस्वीकृत किए जाने की संख्या से सम्बन्धित ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालय का सहायक आयुक्त साईकल अग्रिम राशि संस्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं ।

दो भारतीय जहाजों के गायब होने की घटना की जांच करना

7306. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नित्य नानक और नित्य राम नायक दो भारतीय जहाजों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की घटना की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके चालक-दल के परिवारों को मुआवजा तथा बीमा सम्बन्धी दावों का भुगतान किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने नित्य राम और नित्य नानक के गायब होने से संबंधित केस संख्या 5/85-ए० सी० बी० (1)/दिल्ली के बारे में अपनी जांच-पड़ताल पूरी कर ली है । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच-पड़ताल के साथ-साथ मर्चेंट शिपिंग एक्ट की धारा 360 के तहत भी जांच की गई थी । प्रधान अधिकारी (मर्केंटाइल मैरीन विभाग), बम्बई ने दो जहाजों के लापता होने के सम्बन्ध में (1) मेसर्स मैनी शिपिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई (2) श्री हरचरण सिंह मैनी, प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स मैनी शिपिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड और (3) श्री डी० सी० शारदा, तकनीकी प्रबन्ध के विरुद्ध मर्चेंट शिपिंग एक्ट की धारा 441 के साथ पठित धारा 334, 335, 350, 436 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120(ख) के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304क के तहत अपराध करने के आरोप में चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट, बम्बई की अदालत में 2 शिकायतें दायर की हैं । उपर्युक्त दोनों मामले चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट, बम्बई की अदालत में निर्णयाधीन हैं ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सुनवाई के लिए लम्बित दोनों मामलों में उनके द्वारा एकत्र साक्ष्यों का उपयोग किया जाए ।

(ग) और (घ) संदर्भाधीन दोनों जहाजों के मालिक ने मौतों तथा व्यक्तिगत सामान के नुकसान की एवज में मुआवजे की राशि के रूप में 42,65,233/- रु० आयुक्त, कामगार मुआवजा, बम्बई के पास

जमा करा दिए हैं। आयुक्त ने निम्नलिखित ढंग से उक्त राशि का वितरण किया है :—

1. मृतकों के आश्रितों/निकटतम सम्बन्धियों को भुगतान की गई कुल राशि	23,23,707/- रु०
2. सम्बन्धित प्राधिकरणों को जहां आश्रित रह रहे थे भुगतान के लिए हस्तान्तरित कुल राशि	19,41,526/- रु०
3. आयुक्त, कामगार मुआवजा, बम्बई के पास शेष राशि	शून्य

"खिलौना बैंक"

[हिन्दी]

7307. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खिलौना बैंकों के माध्यम से बच्चों के विकास के सम्बन्धी अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) खिलौना बैंकों के माध्यम से बच्चों का विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश भर में कई स्थानों पर खिलौना बैंक खोले गए हैं।

(ख) खिलौना बैंक योजना के अन्तर्गत खिलौने स्कूलों में एकत्र कर के खिलौना बैंक में जमा कर दिए जाते हैं और फिर विभिन्न आंगनवाड़ियों, बालवाड़ियों, शिशु देख-भाल केन्द्र और दिवस देख-भाल केन्द्रों आदि में बांट दिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य बच्चों में मिल-बांटने की भावना उत्पन्न करना है। इस योजना के लिए कई राज्यों/संघ शासित प्रदेश के प्रशासनों ने उत्साहवर्धक रुचि दिखाई है। प्राप्त सूचना से पता चला है कि 1988-89 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 2,20,000 खिलौने एकत्र करके बांटे गए हैं।

लोक साहित्य अकादमी की स्थापना

[अनुवाद]

7308. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपलब्ध लोक साहित्य की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए एक लोक साहित्य अकादमी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के कार्यान्वयन के लिए तैयार "कारंवाई योजना" के अन्तर्गत लोक साहित्य और कला संस्थानों की स्थापना की परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है। इन संस्थानों का लक्ष्य लोक साहित्य और भारतीय संस्कृति की मौखिक परम्परा की समृद्ध विरासत के प्रलेख तैयार करना और उसका परिरक्षण करना है। इन परियोजनाओं को 8वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में समझा जा रहा है। "कारंवाई योजना" में इस अवधारणा पर बल तो दिया गया है किन्तु अभी तक इस आशय का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

कर्नाटक में स्टेडियम का निर्माण

7309. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में बंगलौर शहर के विभिन्न स्थानों में नये स्टेडियमों तथा बिदर में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने अभी तक कोई सहायता दी है;

(ग) यदि हां, तो सहायता राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन स्टेडियमों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) कर्नाटक सरकार ने दिसम्बर 1988 में बिदर में जिला स्टेडियम के निर्माण हेतु 5.00 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता मांगी थी। चूंकि यह प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में नहीं भेजा गया था, इसलिए राज्य सरकार से इसे निर्धारित प्रपत्र में भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। बंगलौर शहर के विभिन्न भागों में नए स्टेडियमों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय भाषा नीति

7310. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी कोई राष्ट्रीय भाषा नीति बनाने का निर्णय किया है जिसमें एक ओर क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों का संवर्धन हो और पूरे देश के लिए सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का विकास एवं स्वीकृति सुनिश्चित हो तथा हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाने के लिए स्त्रोत भाषा के रूप में संस्कृत को स्वीकार कर लिया जाए जैसा कि अनुच्छेद 351 में उपबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो त्रिभाषा फार्मूला के अतिरिक्त प्रस्तावित नीति की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार सातवीं योजना के दौरान ऐसी कोई नीति विकसित करेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) भाषाओं के संवर्धन के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति शिक्षा नीति, 1968 में निहित है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में दोहराया गया था। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं—देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, जिससे उनको स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाया जा सके, स्कूल शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर त्रि-भाषा सूत्र का कार्यान्वयन, हिन्दी का संवर्धन तथा विकास करना जिससे इसे सम्पर्क भाषा बनाया जा सके और संस्कृत पढ़ने के लिए सुविधाओं का प्रावधान करना।

संस्थाओं को विश्वविद्यालय के रूप में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करना

7311. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष 1988-89 में 31 मार्च, 1989 तक किन्हीं संस्थाओं को विश्वविद्यालय के रूप में मान्यताप्राप्त का दर्जा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन संस्थाओं को विश्वविद्यालय का दर्जा देने में क्या विशेष मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या किन्हीं अन्य संस्था को भी यह दर्जा देने का मामला सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 में केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह विश्वविद्यालय के अलावा किसी उच्च शिक्षा की संस्था को समविश्वविद्यालय वाली संस्था के रूप में अधिसूचित करे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में ऐसे संस्थानों को समविश्वविद्यालय घोषित करने का प्रावधान है जो संस्थान ऐतिहासिक तथा अन्य कारणों से विश्वविद्यालय नहीं है तथा विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षणिक क्षेत्र में उच्च स्तर का कार्य कर रहे हैं व उन्हें समविश्वविद्यालय का स्तर देने से वे उच्च शिक्षा और अनुसंधान से सम्बन्धित आदर्शों को विकसित करने में समर्थ होंगे।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित संस्थानों को समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है :—

(1) बिरला तकनीकी संस्थान, मेसरा, रांची।

(2) राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर।

(3) तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे।

(4) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली।

(5) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति ।

(6) केन्द्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी ।

(7) श्री अविनाशिलिंगम गृह विज्ञान व उच्च शिक्षा महिला संस्थान, कोयम्बटूर ।

(8) केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, वर्सोवा, बम्बई ।

(9) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल ।

(ग) और (घ) पांच संस्थानों को समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए जाने की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर जहां भी आवश्यक है वहां सम्बन्धित मन्त्रालयों/भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों तथा अन्य एजेन्सियों से विचार-विमर्श करके उन पर कार्रवाई की जा रही है । संस्थान को समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए जाने का कोई समय निश्चित नहीं किया गया है क्योंकि विभिन्न एजेन्सियों की सलाह से प्रस्तावों की विस्तृत जांच की आवश्यकता है तथा समविश्वविद्यालय का स्तर चाहने वाले संस्थानों को कुछ शर्तें पूर्ण करना आवश्यक है ।

राज्यों में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की योजनाएं

7312. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वयं अथवा राज्यों के सहयोग से विभिन्न राज्यों में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के सम्बन्ध में कोई योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इनकी संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वर्ष 1989-90 के लिए और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ऐसी योजनाएं तैयार किए जाने की सम्भावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जलमार्गों को छोड़कर सभी अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है । संगत स्कीमों को सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अपनी राज्य की योजनाओं तथा केन्द्रीय सरकार के केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में शामिल करने के लिए प्रक्षेपित किया जाता है । प्रारम्भिक रूप से शामिल करने पर सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों सम्बन्धी वार्षिक बजटों में धन नियत करने के लिए ब्यौरेवार प्रस्ताव भेजे जाते हैं । भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अपने अक्तूबर, 1986 में अस्तित्व में आने के समय से ही इस कार्य में राज्य सरकारों की मदद कर रहा है ।

1989-90 के दौरान विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन के लिए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की आठ स्कीमों को शामिल किया गया है जो मुख्यतः जलमार्गों के जलीय सर्वेक्षणों और तकनीकी आर्थिक अध्ययनों से सम्बन्धित हैं ।

हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई स्कीम न तो प्रक्षेपित की गई थी और न ही तैयार की गई थी।

(ग) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1989-90 के लिए किसी अतिरिक्त स्कीम तैयार किए जाने की सम्भावना नहीं है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्विषय इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति प्राप्त किए बिना स्थापित विश्वविद्यालय

7313. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि सातवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना राज्यों ने कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं तथा स्थापित विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विश्वविद्यालयों की संख्या में भविष्य में इतनी अंधाधुन्ध वृद्धि न हो ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) नये विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पहले अनुमोदन प्राप्त करने की औपचारिक आवश्यकता नहीं है। तथापि, जिस किसी भी मामले में आयोग से परामर्श लिया जाता है, उनके विचार राज्य सरकारों को बता दिए जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श किए बिना राज्यों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों के नाम उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के प्रावधानों के अनुसार 17 जून, 1972 के पश्चात् स्थापित सभी विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय स्त्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया जाना है। अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में शर्तें निर्धारित करते हुए नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं जिन्हें नए विश्वविद्यालयों को, उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपयुक्त घोषित किए जाने से पहले पूर्ण करने होते हैं। मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(1) विशिष्ट विशेषताएं;

(2) अभिशासन की पद्धति के साथ अधिनियम की अनुरूपता;

(3) आवास, सुख साधनों, आदि के लिए सुविधाएं;

(4) एक प्रोफेसर, दो रीडर व उचित संख्या में लेक्चररों की नियुक्ति; और

(5) परिसम्पत्ति का सृजन, जिसकी कुल मिलाकर लागत कम से कम 2 करोड़ रुपए हो।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् में आने वाले विदेशी शिष्टमंडल

7314. श्री राज कुमार राय : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् स्वयं आगन्तुकों का कार्यक्रम तैयार करता है अथवा अन्य मंत्रालयों द्वारा दिए गए कार्यक्रमों का अनुसरण करता है;

(ख) यदि हां, तो परिषद् द्वारा गत तीन वर्षों में कितने शिष्टमंडलों की अगवानी की गई और भारत यात्रा के दौरान प्रत्येक शिष्टमंडल के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शिष्टमंडलों के आमंत्रण से प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् देश में आने वाले और विदेश जाने वाले आगन्तुकों का कार्यक्रम स्वयं तैयार करता है। इसके अलावा, यह अन्य मंत्रालयों और संगठनों की ओर से देश में आने वाले आगन्तुकों और प्रतिनिधिमंडलों से सम्बन्धित कार्यकलाप भी देखता है।

(ख) सूचना संकलित की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ग) इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विदेशों के साथ सद्भावना बढ़ाना और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित करना, व्याख्यान, दौरों, सेमिनारों, बैठकों, आदि के माध्यम से भारतीय संस्कृति के सभी पहलुओं के बारे में सूचना और जानकारी का प्रसार करना है। इन सभी मामलों में मोटे तौर पर ये उद्देश्य पूरे हुए हैं।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा आयातित वस्तुएं

7315. श्री राज कुमार राय : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा आयात लाइसेंस लिए बिना गत तीन वर्षों में किन-किन वस्तुओं का आयात किया गया;

(ख) क्या आयात की गई वस्तुएं भारत में उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) प्रत्येक वस्तु पर कितने सीमा शुल्क की अदायगी की गई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ में भारत-महोत्सव में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों को रिकार्ड करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद की ओर से मास्को स्थित भारत का राजदूतावास ने एक नेशनल स्पेयर बैटरी पैक केस सहित एक मूवी कैमरा एन० वी०-एम० 5 ई० एन० बी० एच० एस० माडल का आयात किया था। सोवियत संघ में भारत महोत्सव समाप्त होने के बाद इसे वापस भारत ले आया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 30,540/- रुपए।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा बनाई गई फिल्में

7316. **श्री राज कुमार राय** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा फिल्मों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी और प्रत्येक फिल्म पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा उनका निर्देशन किसने किया है; और

(ग) इन्हें कब प्रदर्शित किया जाएगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने केवल वीडियो फिल्में बनायी हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ये फिल्में विदेशी लोगों में सूचना का प्रसार करने के उद्देश्य से विदेश स्थित भारतीय मिशनों को सप्लाई के लिए बनाई गई हैं। इन फिल्मों को सार्वजनिक रूप से दिखाने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

फिल्म का नाम	खर्च की गई राशि	निर्देशक का नाम
1. भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूपों के बारे में 5 वीडियो फिल्में, भारत नाट्यम, ओडिस्सी, कत्थक, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी पर एक-एक फिल्म। प्रत्येक फिल्म की अवधि एक घण्टा है।	1.25 लाख रु०	श्री सिद्धार्थ बासु, इण्टरमीडिया सर्विसेज
2. 35 मिनट की "यूनिवर्स आफ डान्स" शीर्षक की एक परिचयात्मक वीडियो फिल्म।	90,000/-	श्री के० एस० श्रीनिवासन

नारियल की पौध का निर्यात

7317. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान नारियल की पौध का बड़े पैमाने पर निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को कितने-कितने मूल्य की कितनी-कितनी पौध का निर्यात किया गया;

(ग) क्या नारियल की पौध की सप्लाई के लिए विदेशों से कोई और आर्डर प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) नारियल पौधों के निर्यात से नियन्त्रण हटाने की अनुमति दी गई है। नारियल पौधों के निर्यात तथा उनके मूल्य के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) नारियल पौधों की आपूर्ति के लिए विदेशों से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ा किया जाना

7318. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात के भारी दबाव वाले और अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन सैक्टरों को चुना गया है और इन सैक्टरों में उक्त राजमार्गों को चौड़ा करने सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. विभिन्न राज्यों में सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल परियोजनाएं

क्रम संख्या	रा॰रा॰सं॰	कार्य का नाम	लम्बाई कि॰मी॰	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	5	कि॰मी॰ 488/2—420.45 मद्रास विजयवाड़ा	12.3 (एल॰ ए॰)	0.60 83.72
2.	5	कि॰ मी॰ 355—395 और 395—434.2 चिलकालू-रिपैट-गुंटूर-विजयवाड़ा	82.6	

1	2	3	4	5
3.	9	कि० मी० 8/4—8/5, पूणे-हैदराबाद	—	0.06
4.	9	कि० मी० 525/5—520/5	5	1.06
5.	5	विशाखापत्तनम-अनाकापल्ली	46	46.80
		कुल :	145.9	132.78
बिहार				
6.	2	बड़बड्डा-पश्चिम बंगाल सीमा	42.4	25.37
		कुल :	42.4	25.37
चंडीगढ़				
7.	21	कि० मी० 1.20—4.00	2.80	0.50
8.	21	कि० मी० 4.00—8.30	4.30	1.00 संस्वीकृत
		कुल :	7.10	1.50
दिल्ली				
9.	1	कि० मी० 5.00—8.50	3.50	1.20
10.	8	कि० मी० 0—3.76, पालम मोड़-गुड़गांव	3.76	1.20
11.	10	कि० मी० 12—16	4.00	1.50
		कुल :	11.26	3.90
गुजरात				
12.	8	कि० मी० 0—6/9 अहमदाबाद बाईपास और 212—218	6	1.50 आंशिक संस्वीकृति
13.	8	कि०मी० 130—212, वदोदरा-खरोड	88	9.50 -वही-

1	2	3	4	5
14.	8	कि० मी० 262—381, मितघोला पुल-महाराष्ट्र बार्डर (मिट्टी का कार्य और पुलिया)	120	6.00
15.	8	कि० मी० 104/4—130/6, वदोदरा बाईपास	26	6.55
16.	8ए	कि० मी० 0/0—7/0, लिंक रोड	7	0.85
17.	8ए	कि० मी० 7/0—12/0, अहमदाबाद-बगोदरा	5	0.60
18.	8ए	कि० मी० 104—147, चोटीला-लिम्बदी	43	2.15 आंशिक स्वीकृति
19.	8ए	कि० मी० 357—362, गांधी धाम के समीप	5	0.75
20.	नेट	अहमदाबाद-वदोदरा-एक्सप्रेसवे	93	137.00 संस्वीकृति
21.	8सी	कि० मी० 16—44	28	9.50
		कुल :	421	174.40

हरियाणा

22.	1	कि० मी० 50—130, मुरथल-करनाल	80	40.16 स्वीकृत
23.	1	कि० मी० 130—212 करनाल-पंजाब बोर्डर	82	51.73
24.	2	कि० मी० 37.3—42.30	5	0.85 स्वीकृत
25.	2	कि० मी० 56.6—59.05	2.45	0.30 स्वीकृत
26.	2	बल्लभगढ़—यू० पी० बोर्डर	56	30.12
27.	8	कि० मी० 30—36.636	6.65	0.95 स्वीकृत
28.	8	दिल्ली-गुड़गांव, रिलाइंड भाग	6.57	0.60 स्वीकृत
29.	10	कि० मी० 35—70, दिल्ली-रोहतक	35	25.00
30.	8	कि० मी० 36—74, गुड़गांव-धारूहेड़ा	38	16.00
		कुल :	311.67	174.71

1	2	3	4	5
कर्नाटक				
31.	7	कि० मी० 8—18, बंगलौर-होसुर	10	0.80
32.	7	कि० मी० 18—33 —वही—(आई/ सी० एल० ए०)	15	2.30
33.	7	कि० मी० 548—500 बंगलौर-हैदराबाद (एल० ए०)	48	2.30
34.	7	कि० मी० 557—548 बंगलौर-हैदराबाद	9	0.70
35.	4	कि० मी० 304—317, बंगलौर-मद्रास (एल० ए० केवल)	13	0.30
36.	4	कि० मी० 324.5—317.5, बंगलौर-मद्रास	7	0.50
37.	4	कि० मी० 23.80—30 बंगलौर-पूणे	6	0.50 स्वीकृत
38.	4	कि० मी० 30—66 —वही— (एल० ए० केवल)	36	0.50
39.	17	कि० मी० 343—366, करवार-मंगलौर (आई०/सी०)	23	3.40 सिर्फ 97 कि० मी० एल० ए०
		कुल :	167*	9.70
केरल				
40.	47	कि० मी० 326.1—342.0 अलवे-अर्नाकुलम आई०/सी० एल० ए०	15.6	1.50
		कुल :	15.6	1.50
मध्य प्रदेश				
41.	3	देवास-इंदौर और इंदौर बाईपास	56.6	54.20
42.	6	कि० मी० 286—310, रायपुर-भिलाई-दुर्ग	20	2.00
		कुल :	76.6	56.20

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र				
43.	3	कि० मी० 414—418, नासिक बाईपास	4	0.80
44.	4	कि० मी० 39—60 इनक्लूडिंग एल० ए०	20	4.25
45.	4	कि० मी० 26—39	15	5.00 आंशिक स्वीकृति
46.	4	कि० मी० 94.5—79.3 चौक खोपाली	15.2	3.80
47.	4	लोअर बारघाट, सेक्शन II	—	0.60
48.	4	कलाम्बोली जं०—कि० मी०78.6	40	27.04
49.	4	मम्बरा गांव होकर गुजरती	—	0.10 स्वीकृत
50.	8	4 लेन में बदलने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण	—	0.56
51.	8	कि० मी० 497—439, वसीन क्री-माना	58	43.00
52.	9	मील 8—23	15	3.40
		कुल :	167.2	88.55
उड़ीसा				
53.	5	कटक-भुवनेश्वर	23	44.00
54.	5	एल० ए० ई० डब्ल्यू और सी० डी० वर्क्स	—	0.80
55.	5	कि० मी० 2.25—3.55 फेज II	1.30	0.50 आंशिक स्वीकृति
56.	5	तालडांडा पुल के पहुंच मार्ग	1.00	0.30
57.	5	रसुलगढ़-पालासुमी कि० मी० 2.49—3.515	1.10	0.30
58.	5	भीड़भाड़ वाले स्थानों में	6	3.50
		कुल :	32.40	49.40

1	2	3	4	5
पंजाब				
59.	1	कि० मी० 252—374, खन्ना-जालंधर	92	67.63 स्वीकृत
60.	1	कि० मी० 212—252 हरियाणा बोर्डर-सरहिंद	40	41.50
61.	एन० एच० एस०	भीड़भाड़ वाले स्थानों पर	5	1.50 स्वीकृत
		कुल :	137	110.63
राजस्थान				
62.	8	कि० मी० 231—248, दिल्ली-जयपुर	17	4.00 स्वीकृत
		कुल :	17	4.00
तमिलनाडु				
63.	45	मद्रास-विलुपुरम	39	16.10
64.	7	कि० मी० 33—43, बंगलौर-कृष्णागिरी, एल० ए० केवल	9	0.50
		कुल :	48	16.60
उत्तर प्रदेश				
65.	2	कि० मी० 21.26—46.257, वाराणसी-बिहार बार्डर	25	10.00
66.	2	इलाहाबाद अर्बन लिंक	20	5.00
67.	2	कि० मी० 150—199.6, मथुरा-आगरा	49.6	37.80
68.	24	गाजियाबाद-हापुड़	36	20.00
69.	2	हरियाणा बार्डर मथुरा	55	37.88
		कुल :	185.6	160.60

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल				
70.	2	बिहार बार्डर-नुनिया-रानीगज	37	63.59
71.	2	कलकत्ता-दुर्गापुर एक्सप्रेसवे	65	58.41
72.	31	कि० मी० 562—574	12	6.00
73.	34	कि० मी० 14.4—20 (एल० ए०)	3.6	0.50
		कुल :	117.6	128.50

शैक्षिक संस्थाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि

7319. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा एक अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो पिछले सर्वेक्षण से अब तक देश में प्राइमरी स्तर, अपर प्राइमरी स्तर पर, हाई स्कूल स्तर पर और हायर सेकेन्डरी स्तर पर शैक्षिक संस्थाओं में छात्रों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या यह वृद्धि उक्त प्रयोजन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, दाखिले में निम्नलिखित बढ़ोतरी हुई हैं :

कक्षाएं	चौथा सर्वेक्षण	पांचवा सर्वेक्षण
कक्षा 1 से 5	6,86,02,224	8,66,83,289
कक्षा 6 से 8	1,79,58,477	2,72,00,656
कक्षा 9 से 10	70,38,568	1,14,74,962
कक्षा 11 से 12	18,33,573	34,40,863

(ग) प्रारम्भिक शिक्षा का आशान्वित व्यावसायिकरण कार्यान्वित नहीं हो पाया है। इसके साथ-साथ स्कूलों से पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाली की निरन्तर ऊंची दर ने उच्च कक्षाओं में दाखिले में रोक लगा दी है।

(घ) प्रारम्भिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की ऊंची दर और सर्वव्यापी दाखिले की अपेक्षा कम दाखिले के कारण स्कूलों में अपर्याप्त सुविधाएं तथा सामाजार्थिक घटक हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के बाद शैक्षिक निवेशों में सुधार करने के लिए उपायों की एक शृंखला आरम्भ की गयी है।

केरल में वर्ष 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य

* 7320. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1988-90 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुरू किए जाने वाले निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके लिए कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) वार्षिक योजना 1989-90 में संस्वीकृति के लिए शामिल अनुमानित लागत के साथ-साथ केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्य : **केरल**
सड़क कार्य

वार्षिक योजना 1989-90

क्र० सं०	रा० रा० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई कि०मी०	अनुमानित लागत लाख रुपए	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
		क. अधिक यातायात वाले समूह			
	47.	**1. क्वीलन-त्रिवेन्द्रम रोड**			
		क. दोहरी लेन में चौड़ा करना (बगैर सुदृढ़ किए)			
		1 (कि० मी० 498/6—506/0	9.4	50.00	

1	2	3	4	5	6
		ख. कमजोर दोहरी लेन खंडों को सुदृढ़ करना			
		1. कि० मी० 551/9—560/4	8.5	65.00	
		2. कायाम-अलप्पी-क्वीलोन रोड			
		क. कमजोर दोहरी लेन खंड को सुदृढ़ करना			
		(i) कि० मी० 387—392	5	30.00	
		(ii) कि० मी० 420—444 और 470/5—474/0	27.5	195.00	
		3. अलवाई-अर्नाकुलम रोड			
		क) चार लेनों में चौड़ा करना			
		1) 326—342 कि० मी०—भूमि अधिग्रहण	16	150.00	
		कुल "क"		490.00	
ख. मझौले यातायात वाले समूह					
17.		1. कासनकोड-कोनानूर रोड			
		क) दो लेनों में चौड़ा करना (मजबूत किए बिना)			
		1) 90/0—87/0 कि० मी०	3	40.00	
		2. कानानूर-कालीकट-अलवाई			
		क. दो लेनों में चौड़ा करना (मजबूत किए बिना)			
		1) 160/0—171/0 कि० मी०	11	70.000	
ख. भीड़भाड़ वाले शहरों के पास बाइपासों की व्यवस्था करना					
		कालीकट बाईपास, फेज 1, निर्माण		250.00	
		कुल :		360.00	

ग. कम यातायात वाले समूह

समूह "घ" में जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा

1	2	3	4	5	6
घ. विविध मदें					
		सी० डी० कार्य (जहां आवश्यक हों	एल० एस०	30.00	
		कि० मी० 487/835—488/972 खण्ड में डूबने वाली/पानी जमा होने वाली सड़क को ऊंचा करना	एल० एस०	25.00	
		कि० मी० 23—33 एल० ए० में रिप्लाइन्मेंट	एल० एस०	37.00	
		कि० मी० 342/942—360/400—एल० ए० में रिएलाइन्मेंट	एल० एस०	100.00	
		जंक्शनों ज्योमेट्रिक्स लेबल क्रासिंग मार्गस्थ सुविधाओं पेड़ लगाने, सर्वेक्षण, और जांच पड़ताल आदि में सुधार	एल० एस०	80.00	
			कुल "घ"	272.00	
			सम्पूर्ण योग	1122.00 लाख रुपए	
			अर्थात्	11.2 करोड़ रुपए	

पुल कार्य

श्रेणी I—II

शून्य

श्रेणी III मिसिंग लिंकों और बाईपासों पर बड़े पुलों के निर्माण सहित कमजोर, पतले और क्षतिग्रस्त बड़े पुलों का पुनर्निर्माण/चौड़ा करना

1	2	3	4	5	6
1.	47	त्रिवेन्द्रम बाईपास पर बड़ा पुल	80	140.00	

क) पुल 80.00

ख) अप्रोचेज 60.00

140.00

1	2	3	4	5	6
2.	47	त्रिवेन्द्रम बाईपास पर अकुलम पुल	100	100.00	
			क) कुल	240.00	
		श्रेणी IV छोटे पुल			
3.	17	कि० मी० 97/450 पर पुल	40	20.00	
4.	17	कि० मी० 382/4 पर पुल	40	20.00	
5.	17	कि० मी० 475/265 पर चेरापलम थोडू पुल	15	9.00	
6.	17	चेम्पालेन थांडा थिलकोदोरटा	30	15.00	
7.	47	कुलथूर थोडू पुल—त्रिवेन्द्रम बाईपास पर	25	15.00	
			ख) कुल	79.00	
		श्रेणी V रा० रा० पर पुल चार लेनिंग के लिए प्रस्तावित			
8.	47	कि० मी० 329 पर पेरियार पुल	150	90.00	
9.	47	कि० मी० 331/1 पर पेरियार पुल	135	80.00	
10.	47	कि० मी० 335/1 पर पुल	10	10.00	
11.	47	कि० मी० 337/00 पर इटामलाथोडू पुल	22	15.00	
12.	47	कि० मी० 342/2 पर एडापल्ली पुल	28	20.00	
			ग) कुल	215.00	

1	2	3		4	5
		श्रेणी VI रोड ओवर/अंडर ब्रिजेज			
13.	17	कि० मी० 196/8 पर रोड ओवर ब्रिज		—	45.00
		क) पुल	30.00		
		ख) एप्रोचेज	15.00		
			45.00		
				घ) कुल	45.00
रा० रा० विविध					
		पुल सर्वेक्षण जांच पड़ताल, एल० ए०, रेटिंग इत्यादि		—	101.00
				ङ) कुल	101.00
				सम्पूर्ण योग क+ख+ग+घ+ङ	= 680.00
					अर्थात् 6.80 करोड़ रुपए

टिप्पणी :—वार्षिक योजना 1989-90 में शामिल किए जाने वाले अतिरिक्त निर्माण कार्यों की सूची (पिछली योजना के गैर स्वीकृत कार्य) अभी तैयार की जानी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दो भागों में विभाजित करना

7321. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दो भागों में विभाजित करने का विचार है; और

(ख) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान मंजूर करने से संबंधित कार्य मानव संसाधन मंत्रालय की देख-रेख में करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों के लिए अनुदान सहायता

7322. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों में पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों के लिए विशेष अनुदान-सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में इन सड़कों का पता लगाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ग) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करती है कि पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों के लिए आबंटित की गई धनराशि को केवल इन्ही प्रयोजनों के लिए खर्च किया जाए ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) संवैधानिक रूप से भारत सरकार उन्हीं सड़कों के लिए जिम्मेदार है जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। पर्वतीय और दुर्गम इलाकों सहित अन्य सभी सड़कों की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राष्ट्रीय राजमार्गों की जिम्मेदारी केन्द्र की होने के कारण राज्य सरकार को सहायता अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उपग्रह के माध्यम से खनिजों की खोज

7323. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग" तकनीक के माध्यम से किन्हीं नये खनिज स्रोतों का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) किसी नए खनिजधारी क्षेत्र का केवल दूर संवेदी उपग्रह तकनीकों का उपयोग करके निर्धारण नहीं किया गया है, हां, अब तक लैंडसेट बिम्बसृष्टि निर्वचन और विमान वाहित भूभौतिकी आंकड़ों को मिलाकर और उनके समेकित संश्लेषण द्वारा तथा साथ ही जमीनी भू-रासायनिक गवेषण करके, आन्ध्र प्रदेश में शीशा और जस्ता खनिजधारी कुछ क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए होस्टल

7324. **श्री खुर्शीद आलम खां** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में होस्टल आवास की भारी कमी है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय होस्टल में छात्रों को भी रिहायशी आवास मिलने में कठिनाई होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में होस्टल निर्माण के लिए विश्वविद्यालय को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावास की कुछ कमी है। 1988-89 के दौरान, विश्वविद्यालय को छात्राओं से छात्रावास के लिए 94 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और 74 लड़कियों को आवास दिया गया था। जामिया मिलिया इस्लामिया ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 190.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 500 छात्रों के लिए एक छात्रावास भवन के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के छात्रों को खेलकूद की सुविधाएं

7325. **श्री खुर्शीद आलम खां** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामिया मिलिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में खेल कूद की सुविधाएं बहुत कम हैं;

(ख) क्या जामिया में खेल-कूद कम्पलैक्स के निर्माण हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव बहुत पहले सरकार को भेजा था; और

(ग) यदि हां, तो खेल-कूद कम्पलैक्स के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय के लिए कब तक धनराशि स्वीकृत कर दी जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जामिया मिलिया इस्लामिया में इस समय निम्नलिखित सुविधाएं हैं :—

(1) बैडमिंटन कोर्ट	—	2
(2) बासकेट बाल कोर्ट	—	1
(3) टेनिस कोर्ट	—	2
(4) वाली बॉल कोर्ट	—	2
(5) हाकी फील्ड	—	2
(6) फुटबाल फील्ड	—	1
(7) क्रिकेट पिच	—	2

(ख) विश्वविद्यालय ने जनवरी 1987 में एक बहु-उद्देशीय स्टेडियम, व्यायामशाला, 2 टेनिस कोर्ट और बासकेट बाल कोर्ट के निर्माण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(ग) मई, 1988 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 30 लाख रुपए के आबंटन के भीतर एक इनडोर व्यायामशाला के निर्माण को अनुमोदित किया। आयोग ने 7.5 लाख रुपए के अनुदान की पहली किस्त जामिया मिलिया इस्लामिया को दिनांक 3-10-1988 को संस्वीकृत कर दी है।

थाइलैंड के प्रधान मंत्री की यात्रा के परिणाम

7326. **श्री शरद दीघे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1989 में भारत की यात्रा पर आए थाइलैंड के प्रधान मंत्री के साथ हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ख) क्या बातचीत के दौरान थाइलैंड के महाद्वीप के पश्चिम तटों पर गहरे समुद्र में पत्तन का निर्माण करने के लिए थाइलैंड को भारत के सहयोग देने से सम्बन्धित विषय पर विचार-विमर्श हुआ था और यदि हां, तो क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) थाईलैंड के प्रधानमन्त्री के साथ बातचीत के दौरान भारत और थाईलैंड के बीच पारस्परिक सम्बन्धों की समीक्षा की गई थी। यह निर्णय किया गया कि द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार किया जाए, तेल क्षेत्र सहित तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया जाए और संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा दिया जाए। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भी विचार-विमर्श किया।

(ख) थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने हमें यह तो बताया कि उनकी योजना है कि थाईलैंड के पश्चिमी तट पर-जो अंडमान सागर के सामने पड़ता है, गहरे समुद्र में बन्दरगाह विकसित की जाए किन्तु इस परियोजना के लिए भारत के साथ सहयोग करने के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श नहीं हुआ और न ही ऐसे कोई समझौते विचाराधीन हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

[हिन्दी]

7327. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पिछड़े जिले, गिरिडीह के अन्तर्गत भांडसे गांव में प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए काफी समय से मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना से पहले उक्त केन्द्र की स्थापना की मंजूरी देने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बिहार

के गिरिडीह जिले के भांडसे गांव में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु केन्द्र स्थापित करने की कोई मांग नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश को धनराशि का आबंटन

[अनुवाद]

7328. **श्री बी० तुलसीराम : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को अगले दो वर्षों अर्थात् 1989 और 1990 के लिए आबंटित की गई धनराशि राज्य की न्यूनतम आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धनराशि में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विाकस विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को आबंटन वर्ष दर वर्ष आधार पर किए जाते हैं जो कि उपलब्ध संसाधनों और साथ ही योजना आयोग के परामर्श से निधियों के आबंटन हेतु अपनाए गए मानदण्ड पर निर्भर करते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1989-90 के लिए आंध्र प्रदेश के लिए आबंटन (केन्द्र+राज्य) 5502.906 लाख रुपए हैं।

कृषि विज्ञान-केन्द्र

7329. **श्री बी० तुलसीराम : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ख) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों में दिए जा रहे प्रशिक्षण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ऐसे केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जिनके अपने पक्के भवन नहीं हैं?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) महोदय विवरण नीचे दिया गया है :

(रु० लाख में)

	1986-87	1987-88	1988-89	कुल
आबंटित बजट	40.92	26.26	26.56	93.74
रिलीज की गई	43.92	28.66	29.45	102.03

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) अनन्तपुर, विजयनगरम और श्रीकाकुलम के कृषि विज्ञान केन्द्रों के पास अपने पक्के भवन नहीं हैं ।

बन्दगोभी में कीड़ों को रोकथाम हेतु नई तकनीक का विकास

7330. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्यान संस्थान, बंगलौर में बन्दगोभी में कीड़ों की रोकथाम हेतु कोई नई तकनीक विकसित की गयी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विकसित किए गए नए तरीकों पर कोई सामग्री उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस प्रकार की संकलित जानकारी प्रशिक्षण प्रयोजन तथा छात्रों के उपयोग हेतु सभी कृषि वैज्ञानिक संस्थानों को उपलब्ध कराई गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, हां। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, (आई० आई० एच० आर०) बंगलौर द्वारा एक नई टेक्नालॉजी का विकास किया गया है जिसमें ट्रैप फसल (कीड़ों को फंसाने वाली फसल) के रूप में बन्द गोभी के खेत में सरसों उगाई जाती है। नई पद्धति में नाशक जीव प्रबन्ध के लिए बन्द गोभी के स्थान पर सरसों की तरफ ध्यान केन्द्रित हो गया है क्योंकि सरसों, बन्द गोभी की अपेक्षा नाशक जीवों को अधिक आकर्षित करती है। इस नई टेक्नीलॉजी को अपनाने के साथ ही बन्द गोभी में ठीक समय पर केवल तीन छिड़काव कर देना ही पर्याप्त है। इस छिड़काव से उगाई गई बन्द गोभी खाने के लिए सुरक्षित रहती है। जब सरसों की फसल पर कीड़े लगते हैं तो उस पर चुने हुए रसायनों का ठीक तरह से छिड़काव करके कीड़ों को नियंत्रित किया जा सकता है।

(ख) जी, हां।

(ग) ट्रैप फसल के बीज और सिफारिश की गयी कीटनाशी दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं।

(घ) जी, हां। बन्द गोभी की खेती के लिए एक मुश्त कृषि क्रियाओं से संबंधित साहित्य तैयार किया जा चुका है और उसे व्यापक रूप से वितरित किया गया है।

विश्व हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना

7331. **डा० ए० के० पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी विद्यार्थियों को विशेषकर हिन्दी का अध्ययन सुविधाजनक बनाने के लिए विश्व हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना हेतु, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित उप-समिति द्वारा तैयार किए गए विधेयक के प्रारूप पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन की क्या टिप्पणियां हैं;

(ख) इन टिप्पणियों के सन्दर्भ में इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस विद्यापीठ की स्थापना के लिए क्या समय-सीमा रखी गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की यह राय है कि सभी विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभागों को पहले से ही स्थापित किया जा चुका है। अतः एक अलग हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करना सम्भव नहीं होगा। दूसरा, अन्य हलकों से भी भाषा के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की मांग होगी। अतः भाषा के आधार पर किसी विश्वविद्यालय की स्थापना वांछनीय नहीं है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के सुझावों पर एक उप समिति द्वारा 17 अगस्त, 1988 को आयोजित इसकी एक बैठक में चर्चा की गई थी। उप-समिति के विचार-विमर्शों को ध्यान में रखते हुए प्रारूप विधेयक का अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) विद्यापीठ की स्थापना के लिए कोई समय सारणी निर्धारित नहीं की गई है।

कृषि विज्ञान मेला

7332. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदमपुर, हरियाणा में कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया था तथा बाद में इसे उत्तर प्रदेश में आयोजित करने का विचार किया गया;

(ख) यदि हां, तो इस मेले में भाग लेने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मेले पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई तथा इसमें राज्य सरकार का अंश कितना था ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रकाशन एवं सूचना प्रभाग जिसने प्रदर्शनी का आयोजन

किया, उस पर 25,000/- रुपए खर्च किए थे। उसमें भाग लेने वाले संस्थानों/अभिकरणों ने अलग से अपने प्रदर्शनों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया था।

विवरण

आदमपुर, मण्डी, हिसार में 22-23 जनवरी, 1989 को आयोजित कृषि विज्ञान मेले में भाग लेने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची

1. कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, हिसार।
2. भारतीय कृषक उर्वरक कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. नेशनल एग्रीकल्चरल कौपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, हिसार।
6. गुजरात नर्मदा फर्टिलाईजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड।
7. इण्डियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली।
8. पी० पी० सी० एल०, नई दिल्ली।
9. सैन्ट्रल स्टेट फार्म कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली (हिसार)।

उच्च शिक्षा पर नियन्त्रण

7333. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्च शिक्षा पर नियन्त्रण रखने वाली वर्तमान संस्थाओं का स्वरूप क्या है;

(ख) विश्वविद्यालयी शिक्षा की नीति बनाने, आयोजना और उसे कार्यान्वित करने के मामले में उन्हें कितनी स्वायत्तता प्राप्त है;

(ग) क्या सरकार ने यह जानने के लिए वर्तमान नियन्त्रण व्यवस्था की कोई समीक्षा की है कि देश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में बहु प्राधिकरण व्यवस्था किस हद तक सहायक हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सन् 1956 में विश्वविद्यालयों में स्तरों के समन्वय तथा निर्धारण के लिए स्थापित किया था। आयोग के पास देश में उच्च शिक्षा की प्रोन्नति के लिए अनेक योजनाएं हैं। आयोग ने परामर्श, सलाह और सहयोग की पद्धति अपनाई है। विश्वविद्यालय या तो संसद के अधिनियम या सम्बन्धित राज्य विधान मण्डलों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। विश्वविद्यालयों का स्वरूप स्वायत्त शासी हैं और वे प्रशासनिक और शैक्षिक रूप से स्वतन्त्र हैं और अध्ययन के अपने पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं और डिग्रियां आदि प्रदान कर सकते हैं।

(ख) से (घ) उच्च शिक्षा की नीति और आयोजना के वर्तमान साधनों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गठन से पहले पुनर्विचार किया गया था। नीति में निम्नलिखित परिकल्पना की गई हैं :

(1) सामान्यत: उच्च शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, तकनीकी, कानूनी अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए सभी क्षेत्रों में नीति में सहयोग व सामंजस्य के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना।

(2) राज्य स्तर पर समन्वय और आयोजना के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषदों की स्थापना।

(3) बड़ी संख्या में स्वायत्त शासी कालेजों की स्थापना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य उच्च शिक्षा परिषद और स्वायत्त शासी कालेजों की स्थापना के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाएं निर्धारित की हैं और राज्य सरकारों को ये मार्गदर्शी रूपरेखाएं भेज दी हैं।

पोटाश उर्वरक का आयात

7334. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसानों द्वारा पोटाश उर्वरक का भारी मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या इसकी मांग पूरा करने के लिए देश में इसका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन देशों से कितने-कितने मूल्य का पोटाश उर्वरक आयात किया जा रहा है;

(घ) क्या स्वदेशी उर्वरक का मूल्य आयातित उर्वरक के मूल्य से अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) भूमि में पोटाश की कमी की मात्रा पर निर्भर रहते हुए किसानों द्वारा पोटासिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है।

(ख) पोटासिक उर्वरकों की सम्पूर्ण आवश्यकता को आयातों से पूरा किया जाता है क्योंकि देश में वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद पोटासिक उर्वरकों का कोई स्रोत नहीं है।

(ग) 1988-89 के दौरान पोटासिक उर्वरकों का देश-वार आयात तथा इसका मूल्य नीचे दर्शाया गया है :—

(रु० करोड़ों में)

क्र०सं०	देश	सी० एण्ड एफ० मूल्य
1	2	3
1.	जी० डी० आर०	84.53

1	2	3
2.	जोर्डन	76.79
3.	पश्चिम जर्मनी	42.38
4.	फ्रांस	13.47
5.	हौलेण्ड	9.24
6.	यू० एस० एस० आर०	10.00
7.	कनाडा (कनाडियन इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के अन्तर्गत सहायता सहित)	38.56
	योग :	280.97

(घ) और (ङ) देश में पोटासिक उर्वरकों का कोई स्वदेशी उत्पादन नहीं है। इसलिए आयातित उर्वरक तथा स्वदेशी रूप से उत्पादित पोटासिक उर्वरक के मूल्य की तुलना करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अधिक जल युक्त वाले उर्वरकों का विकास

[हिन्दी]

7335. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिस भूमि में रसायन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है उसकी तुलना में जैव खाद के प्रयोग वाली भूमि में जल का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिक जल धारण की क्षमता वाले उर्वरकों का विकास करने का है; और

(घ) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, मिट्टी की संरचना सुधरती है तथा उसकी जल धारण क्षमता में सुधार होता है। चूंकि रेतीली मिट्टी में वर्षा या सिंचाई का पानी जल्दी ही नीचे चला जाता है इसलिए कार्बनिक खादों का उपयोग करने से मिट्टी की उपरोक्त कमी दूर हो जाती है और फसलों को अधिक पानी मिल जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना

[अनुवाद]

7336. **डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

पुरातत्व संस्थान में रिक्त पड़े पद

7337. **श्री सी० माधव रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में 1984 में एक पुरातत्व संस्थान की स्थापना की गयी थी;

(ख) क्या विभाग में उपलब्ध अनेक अनुभवी और योग्य विशेषज्ञों के होने के बावजूद तकनीकी और अकादमिक पद रिक्त पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो कितने पद रिक्त पड़े हैं और इन पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पुरातत्व विद्यालय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का अभिन्न अंग था, को 1984 में पुरातत्व संस्थान के रूप में परिवर्तित किया गया था।

(ख) और (ग) पुरातत्व संस्थान के लिए संस्वीकृति विभिन्न वर्गों के 19 शैक्षिक/तकनीकी पदों में से इस समय 11 पद रिक्त हैं और संस्थान की वृद्धि के साथ तालमेल रखकर इन्हें धीरे-धीरे भरा जाएगा जैसी कि मानदण्डों में व्यवस्था है ।

मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक स्मारकों का रख-रखाव

[हिन्दी]

7338. **श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग में मध्य प्रदेश में प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों के रख-रखाव एवं विकास के लिए किसी कार्यवाही योजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू किया गया है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों में स्मारकों के संरक्षण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा संरक्षित महत्वपूर्ण स्मारक और स्थल जिन्हें संरक्षण के लिए शामिल किया गया है, वे हैं : बाग गुफाएं, मण्डु (जिला धार) स्थित बाग और स्मारक, चन्देरी (जिला गुना) स्थित स्मारक, खजुराहो (जिला छत्तरपुर) स्थित मंदिर, ग्वालियर किला परिसर (जिला ग्वालियर), माला देवी मन्दिर, गिरासपुर (जिला विदिशा) और काकनमठ मन्दिर, सुहानिया (जिला मुरेना) संरक्षण कार्य के महत्वपूर्ण मदों में अन्य बातों के साथ-साथ सहायक स्तम्भों की व्यवस्था, बीमों को बदलना, चिनाई को मजबूत करने सहित इमारतों को जलरोधी बनाना, टूटे-फूटे पत्थरों को बदलना, उभरे हुए भागों को पुनः ठीक करना और आधारभूत-चबूतरे को सुदृढ़ करना तथा रासायनिक उपचार शामिल है।

(ग) जी, हां।

मानव संसाधन विकास

[अनुवाद]

7339. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मानव संसाधन विकास और जिला स्तर पर रोजगार के संसाधन जुटाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है अथवा कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय (डी० जी० ई० टी०) ने चुनिन्दा जिलों में "कौशल विकास सर्वेक्षण" आयोजित किए हैं। शिक्षा विभाग ने भी वकालत की है तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के सन्दर्भ में जिलावार व्यावसायिक सर्वेक्षणों में सहायता की है। जहां तक जिला स्तर पर नियोजन की उत्पत्ति का सम्बन्ध है, अनेक गरीबी विरोधी/मजदूरी-नियोजन कार्यक्रम हैं : जो आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० आदि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जिला स्तर पर क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इनके अलावा दो और कार्यक्रमों, अर्थात् एस० ई० पी० यू० पी० (शहरी निर्धन के लिए स्वतः रोजगार कार्यक्रम) और एस० ई० ई० यू० वाई० (शिक्षित बेरोजगार युवक को स्वतः रोजगार प्रदान करने की योजना) का लक्ष्य शहरी निर्धन तथा शिक्षित बेरोजगार युवा को रोजगार प्रदान करना है।

(ग) औपचारिक शैक्षिक सुविधाओं अर्थात् विश्वविद्यालयों/कालेजों/स्कूलों/व्यावसायिक संस्थाओं के तीव्र विस्तार के अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (रा० सा०

मि०) नवोदय विद्यालयों आपरेशन ब्लैकबोर्ड, पुनर्गठित गैर-औपचारिक शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षक-शिक्षा जैसे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वैधानिक संकट

7340. **श्री शरद दिघे** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वैधानिक संकट पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस संकट को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी, नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद व शैक्षिक परिषद्, जो विश्वविद्यालय की क्रमशः मुख्य कार्यकारी तथा मुख्य शैक्षिक प्राधिकरण हैं की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं। परन्तु विश्वविद्यालय कोर्ट की बैठक अगस्त 1987 से नहीं हुई है। कुलपति, विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी तथा शैक्षिक अधिकारी हैं और विश्वविद्यालय के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण और निरीक्षण करते हैं, जो सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।

उड़ीसा में पानीकोयली-क्योंझर-रायमुंडा-राउरकेला सड़क के निर्माण के लिए सहायता

7341. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पानीकोयली-क्योंझर-रायमुंडा-राउरकेला सड़क को चौड़ा करने और उसे मजबूत बनाने के प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान करने और वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जी, हां। उड़ीसा सरकार ने एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषण से इस सड़क में सुधार लाने का प्रस्ताव तैयार किया है। उसे एशियाई विकास बैंक को प्रस्तुत कर दिया गया है।

बालिकाओं की शिक्षा पर राज्यों द्वारा वहन किए जाने वाला व्यय

7342. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का सेकेन्ड्री स्तर तक बालिकाओं की शिक्षा के सम्पूर्ण वित्तीय भार को वहन करने का विचार है;

(ख) क्या प्राइमरी तथा सेकेन्ड्री शिक्षा के लिए चलाए जा रहे बालिका होस्टल सरकार के खर्च से चलाये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा कितना वित्तीय भार वहन किया जाता है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) लड़कियों के लिए आठवीं कक्षा तक शिक्षा अधिकांश सरकारी, सहायताप्राप्त तथा स्थानीय निकाय के स्कूलों से पहले ही निःशुल्क है। भारत के राष्ट्रपति ने 17 जनवरी, 1985 को संसद के संयुक्त अधिवेशन में अपने अभिभाषण में यह घोषणा की थी कि सातवीं कक्षा तक लड़कियों की शिक्षा पूरे देश में निःशुल्क की जाएगी। तदनुसार भारत सरकार ने "शिक्षा के सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी स्तर पर लड़कियों से वसूल किए जाने वाले शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति" की एक योजना तैयार की थी। इस योजना के अन्तर्गत—IX—XII में लड़कियों के लिए शिक्षा को निःशुल्क बनाने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रतिपूर्ति की जा रही है। तथापि, भारत सरकार ने उच्चतर माध्यमिक स्तर तक लड़कियों की शिक्षा का पूर्ण वित्तीय-दायित्व नहीं सम्भाला है।

(ख) और (ग) लड़कियों के लिए होस्टलों के निर्माण की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लिए कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और व्यय केन्द्र और राज्यों सरकारों द्वारा 50 : 50 के आधार पर वहन किया जाता है जबकि संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को शत-प्रतिशत के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

समुद्री जहाजों को तोड़ने सम्बन्धी उद्योग

7343. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों को तोड़ने के उद्योग खुले बाजार में स्क्रैप बनाने हेतु विदेशी जहाजों को खरीदने की अनुमति दिए जाने पर लौह और इस्पात उद्योग की मांग को पूरा कर सकते हैं;

(ख) क्या इस प्रोत्साहन से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी;

(ग) खुले बाजार में स्क्रैप बनाने हेतु विदेशी जहाज खरीदने के लिए अनुमति देने में क्या बाधाएं आ रही हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार का इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन (एम० एस० टी० सी०) के माध्यम से स्क्रैपिंग के लिए जहाजों को आयात करने की वर्तमान नीति संतोषजनक है। एम० एस० टी० सी० ने वर्ष 1987-88 के दौरान पुराने जहाजों के 1.5 लाख एल० डी० टी० की तुलना में 1988-89 में 2.37 लाख एल० डी० टी० का आयात किया।

(ग) और (घ) यह प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु में ग्रामीण गोदामों का निर्माण

7344. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार से गांवों में गोदामों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में तमिलनाडु को कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी, हां। ग्रामीण गोदामों की स्थापना हेतु योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु राज्य सरकार से ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 1.11 लाख मीटरी टन की कुल भण्डारण क्षमता सृजित करने वाले 111 ग्रामीण गोदामों के निर्माण का अनुमोदन किया गया था और योजना के शुरू होने के लेकर अब तक 1.075 करोड़ रुपए की राशि भी केन्द्रीय सबसिडी के रूप में रिलीज की गई थी।

सड़क दुर्घटनाएं

7345. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान और चालू वर्ष में अब तक राज्यवार कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ख) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप राज्य-वार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए ?

जल-भूतल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) चालू वर्ष की सड़क दुर्घटनाओं का संकलन नहीं किया गया है और राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। कलैंडर वर्ष 1988 के सम्बन्ध में राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रीय प्रशासनों से प्राप्त सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, केरल, नागालैंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, दमन और दीव के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वर्ष 1988 के लिए सड़क दुर्घटना आंकड़ा

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	जख्मी व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	147	61	184
3.	असम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	बिहार	9890	2401	2065
5.	गोवा	1816	154	621
6.	गुजरात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	हरियाणा	4161	1449	4150
8.	हिमाचल प्रदेश	909	386	1427
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3494	563	3800
10.	कर्नाटक	17134	3281	21481
11.	केरल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	मध्य प्रदेश	21445	2902	18175
13.	महाराष्ट्र	31696	6237	24741
14.	मणिपुर	426	88	603
15.	मेघालय	202	70	347
16.	मिजोरम	214	104	393
17.	नागालैंड	लागू नहीं	17	54
18.	उड़ीसा	5069	971	6463
19.	पंजाब	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
20.	राजस्थान	8394	2701	9417
21.	सिक्किम	120	49	225

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	28581	5791	26285
23.	त्रिपुरा	393	103	596
24.	उत्तर प्रदेश	15014	7420	11870
25.	पश्चिम बंगाल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	144	12	173
27.	चण्डीगढ़	253	91	194
28.	दादर एव नागर हवेली	88	13	85
29.	दामन एवं द्वीव	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30.	दिल्ली	6716	1474	6830
31.	लक्षदीप	3	शून्य	3
32.	पांडिचेरी	578	104	589

ग्रामीण कायांतरण की शिक्षा

7346. **डा० ए० के० पटेल :**
श्री भद्रेश्वर तांती :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, गांधी विद्या मन्दिर (राजस्थान) द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक विशेषज्ञ दल ने ग्रामीण कायांतरण की शिक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली स्थित इण्डिया इन्टरनेशनल सैंटर के सहयोग से सरदार शहर (राजस्थान) के गांधी विद्या मन्दिर द्वारा 15 से 17 जुलाई, 1988 को नई दिल्ली में एक ग्रामीण शिक्षा विकास सम्बन्धित राष्ट्रीय सेमिनार तथा सम्मेलन आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय सेमिनार में (1) ग्रामीण शिक्षा के विकास की संकल्पना (2) ग्रामीण शिक्षा विकास का आयोजन तथा प्रबन्ध और (3) विकास-शील एजेन्सियों के साथ समन्वय, कार्यक्रम तथा समाज की भागीदारी के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए 3 विशेषल दल गठित किए गए थे।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए सेमिनार और सम्मेलन द्वारा की गई कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) ग्रामीण शिक्षा ग्रामीण लोगों की जरूरतों, लोकाचार, अनुभव और आकांक्षाओं से सम्बन्धित होनी चाहिए तथा यह ग्रामीण जीवन के प्रत्यक्ष अनुकूल होनी चाहिए, इससे ग्रामीण पर्यावरण से अनुभव की जानकारी हो और उसे उप्पादक कार्य तथा समाज सेवा से सम्बन्धित होना चाहिए।

(2) ग्रामीण शिक्षा के लिए गांव से राष्ट्रीय स्तर तक कार्य योग्य संगठन का एक नेटवर्क तैयार किया जाना चाहिए। (यह सुझाव दिया गया था कि संस्थाओं के संगठनात्मक नेटवर्क में ये घटक शामिल होने चाहिए—(1) ग्रामीण स्तर पर पूर्व प्राइमरी/प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल (2) गांव स्तर पर एक समूह के रूप माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक स्कूल, (3) ब्लाक स्तर पर ग्रामीण पोलोटेकनिक, कृषि विज्ञान केन्द्र, व्यापक, सीनियर माध्यमिक स्कूल, (4) जिला स्तर पर ग्रामीण संस्थान, (5) राज्य स्तर पर ग्रामीण विश्वविद्यालय, (6) राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण शिक्षा परिषद और (7) राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद।

(3) राष्ट्रीय विकास के लिए ग्रामीण शिक्षा को सुसज्जित किया जाना चाहिए। इसे विगत सारतत्व को वर्तमान की आवश्यकताओं और मांगों के साथ संश्लेषण करने में ताकि पूरे देश के लिए एक उज्जवल तथा होनहार भविष्य को तैयार करने की दृष्टि में, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को फलने-फूलने, व्यक्ति की प्रतिज्ञा को बरकरार रखते हुए सामाजिक न्याय को प्राप्त करने, सभी नागरिकों में भाई-चारे के बन्धनों को सुदृढ़ बनाने तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में सहायक होना चाहिए।

(4) स्कूल सामुदायिक क्रियाकलापों की व्यापक रेंज के लिए एक केन्द्र के रूप में समझा जाना चाहिए जिसमें स्कूल कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए लोगों को आकर्षित किया जा सके।

(5) ग्रामीण शिक्षा को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए दूरदर्शन तथा रेडियो जैसे जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के कार्यक्रमों के वित्तीय मानव तथा सामग्री के रूप में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि, शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या में समानता हो।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया गया है कि सभी के लिए न केवल शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर हो बल्कि सफलता के लिए उन्हें स्थिति में होना चाहिए। गति निर्धारक स्कूल स्थापित किए गए हैं जिनका व्यापक उद्देश्य बृहद रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को अवसर प्रदान करके अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है तथा समता, और सामाजिक न्याय के साथ-साथ उत्कृष्टता के उद्देश्य को पूरा करना है। देश में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के शैक्षिक प्राधिकारियों से यह आशा की जाती है कि वे कुल समय में नीति के अन्य प्रावधानों तथा उपरोक्त बातों को कार्यान्वित करें।

अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत बालेश्वर-आलेश्वर मार्ग का सुधार

7347. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में बालेश्वर-जालेश्वर मार्ग का सुधार करने हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है और कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या मार्ग सुधार का कार्य पूरा हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मार्ग के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 199.97 लाख रुपए की संस्वीकृत केन्द्रीय सहायता में से मार्च, 1989 तक 174.25 लाख रुपए खर्च हुए हैं।

(ख) से (घ) स्थल की कठिन दशा और कम टेंडरकर्ताओं के भाग लेने के कारण कार्य के समापन में विलम्ब हुआ है। अब तक 70% कार्य पूरा हुआ है।

राष्ट्रीय पशुधन सम्बन्धी नीति

7348. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
श्री हरिहर सोरन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय पशुधन नीति बनाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान पशु पालन के लिए कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय पशुधन नीति बनाए जाने की आवश्यकता है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न पशु के लिए एक प्रजनन नीति प्रस्तुत की है और इस सम्बन्ध में संघ सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कुछ प्रस्तावित कदम हैं :

(1) अज्ञात पशुओं का विदेशी डेयरी नस्लों के साथ संकर प्रजनन और स्थापित देशी नस्लों का स्थानीय क्षेत्रों में संकर प्रजनन को रोकना।

(2) सन्तति परीक्षित सांडों का प्रयोग करके चुनिन्दा किस्मों में संकर प्रजनित पशुओं को सुदृढ़ करने का कार्यक्रम ताकि देश के विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त संकर नस्ल के पशुओं की किस्में स्थापित की जा सकें।

(3) देशी नस्ल के पशुओं और दोनों प्रकार की काम न देने वाली तथा दोहरे किस्म की भैंसों का विकास।

(4) चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से भैंसों का सुधार।

(5) महत्वपूर्ण कालीन ऊन किस्म के पशुओं का चयनात्मक प्रजनन तथा संकर प्रजनन जिसमें चयनात्मक विदेशी नस्लों का मोटे कालीन के लिए और बालों वाली भेड़ की नस्लों के साथ संकर प्रजनन शामिल है।

(6) दूध और मांस का उत्पादन बढ़ाने तथा राष्ट्रीय महत्व की अधिक उत्पादन देने वाली बकरियों को उनके क्षेत्रों में जननिक संरक्षण के लिए देशी बकरियों का चयनात्मक प्रजनन; और

(7) ऊन उत्पादन के लिए अंगोरा खरगोशों की संख्या बढ़ाना तथा फर और मीट उत्पादन के लिए कुछ ब्रोइलर खरगोशों को प्रस्तुत करना।

(ग) आठवीं योजना के लिए आवंटन की राशि का अभी निर्णय किया जाना है।

उड़ीसा में स्मारकों का रखरखाव

7349. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा में भुवनेश्वर में शिशुपालगढ़ और श्री अनन्तवसुदेव मन्दिर के रखरखाव के बारे में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) इन प्राचीन स्मारकों के रख-रखाव के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दिए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) शिशुपालगढ़ का प्राचीन स्थल और इसके अवशेष लगभग 4 वर्ग कि० मी० के क्षेत्र में फैले हैं। शिशुपालगढ़ का संरक्षित स्मारक और अनन्त वासुदेव मन्दिर की परिरक्षण की स्थिति अच्छी है। तथापि, संरक्षित सीमाओं से बाहर कुछ प्राचीन अवशेष और शिशुपालगढ़ का स्थल वहां के गांव वालों के कब्जे में हैं। इस प्राचीन स्थल को क्षति पहुंचाने के कार्य/इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए समुचित कदम उठाने हेतु इस मामले को राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है।

उड़ीसा में निर्माणाधीन सड़क, पुल

7350. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** :
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** उड़ीसा में निर्माणाधीन सड़क पुलों के बारे में 23 फरवरी, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन सड़क पुलों के निर्माण की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन सड़क पुलों का निर्माण कार्य कब पूरा हो जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सड़क पुलों के निर्माण की प्रगति संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

क्रम सं०	रा० रा० सं०	पुल का नाम/स्थान	3/89 को भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	समापन की लक्ष्यतिथि
1	2	3	4	5
1.	23	ब्राह्मणी नदी पर एच०/एल० पुल	90%	9/89
2.	6	बन्धन नदी पर एच० एल० पुल	70%	3/90
3.	23	कुराधी नाला पर पुल	90%	12/89
4.	23	गौम्भरिया नाला पर एच० एल० पुल	कार्य पूर्ण	
5.	23	नहर के चे० 28490 पर एच० एल० पुल	कार्य पूर्ण	
6.	5	कलीकोट अस्का रोड पर आर० डी० बी०	कार्य पूर्ण	
7.	43	कि० मी० 373/4-6 पर उमरी नाले के ऊपर एच० एल० पुल	60%	12/89
8.	5	कि० मी० 3/200 पर छोटा पुल	75%	12/89
9.	43	गेल्लागेड्डा के ऊपर एम० बी०	10%	12/89
10.	23	ब्राह्मणी पुल के दाहिने पहुंच मार्ग पर एम० बी०	90%	9/89
11.	42	चेनेज 126/1-2 पर एम० बी०	कार्य पूर्ण	
12.	43	कि० मी० 383/6 पर मल्लिगड्डा 11 पर एम० बी०	5%	3/90

1	2	3	4	5
13.	42	कि० मी० 212/6 पर सुखा नाला के ऊपर पुल	60%	12/89
14.	23	मिसिंग लिंक पर के० 36835 पर एम० बी०	20%	12/89
15.	23	मिसिंग लिंक पर के० 31497 पर एम० बी०	कार्य पूर्ण	
16.	5	एक एम० व्यास के साथ एम० बी० के 6 एच० पी० आई०/सी० कि० मी० 322.8 पर पहुंच मार्ग	कार्य पूर्ण	
17.	23	कि० मी० 53.6 पर अधारी नाला के ऊपर पुल	10%	6/90
18.	23	कि० मी० 76.77 पर मुदई नाला के ऊपर छोटे पहुंचमार्ग के साथ एच० एल० पुल	10%	6/90

विवरण-2

क्रम सं०	पुल का नाम/स्थान	3/89 को भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	समापन की लक्ष्य तारीख
सी० आर० एफ० कार्य			
1.	एस० एच० सं० 10 के कि० मी० 67 पर सफाई नदी के ऊपर पुल	5%	9/90
ई० एण्ड आई० कार्य			
1.	धेनकेनाल कामख्या नगर रोड पर ब्राह्मणी नदी के ऊपर पुल	50%	6/90
2.	गुणपुर के निकट बंसधारा नदी के ऊपर पुल	35%	12/89

दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्यापकों द्वारा आन्दोलन

7351. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की एसोसिएशन ने सीधे ही आंदोलन करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उन अध्यापकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) दिल्ली सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल अध्यापक संघ से हाल ही में ऐसी कोई संसूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कीट-नाशकों के लिए राजसहायता

7352. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा किसानों को दी जाने वाली राजसहायता और बैंक ऋणों के माध्यम से सरकार कीट-नाशकों की बिक्री को प्रोत्साहन दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विभिन्न कीट-नाशकों के लिए किसानों को राज्य-वार कितनी नकद राजसहायता दी ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) सरकार समेकित कीट प्रबन्ध तकनीक को प्रोत्साहन देती है जिसमें आवश्यकतानुसार कीटनाशियों के प्रयोग की अनुमति है । किसानों को कीटनाशियों की लागत पर राहत देने के लिए सरकार द्वारा राजसहायता दी जाती है तथा कृषि आदान के रूप में कीटनाशियों को खरीदने के लिए बैंक ऋण भी उपलब्ध है ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और उत्पादन लक्ष्य

7353. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दस्तावेज में इस्पात संयंत्र के व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रम की योजना शामिल थी;

(ख) क्या सातवीं योजना में प्रत्येक इस्पात संयंत्र के लिए उत्पादन लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1988-89 के लिए संयंत्र-वार कितना-कितना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा पिछले तीन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों से यह लक्ष्य कितने कम या अधिक थे ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 तथा उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण-2 पर दिए गए हैं।

विवरण-1

आधुनिकीकरण के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

1. दुर्गापुर इस्पात कारखाना :

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण का अनुमोदन सरकार द्वारा जनवरी, 1989 में कर दिया गया है। कार्य को 16 टर्न-की पैकेजों की मार्फत हाथ में लिया जा रहा है जिनमें से 12 को सौंप दिया गया है और शेष के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है। मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों को आर्डर देने के 4 वर्ष के अन्दर कार्य को पूरा कर लेने की सम्भावना है।

2. राउरकेला इस्पात कारखाना :

सरकार ने राउरकेला इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण को जुलाई, 1988 में सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया है और उसके चरण-1 के कार्यान्वियन की मंजूरी दे दी है। कार्य को टर्न-की पैकेजों की मार्फत कार्यान्वित किया जाएगा। आधुनिकीकरण के चरण-II से सम्बन्धित प्रस्ताव अनुमोदन के लिए विचाराधीन है।

3. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी :

"इस्को" के बर्नपुर कारखाने के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को सरकार द्वारा सिद्धांत रूप में जनवरी, 1988 में जापानी इन्टरनेशनल को-आपरेशन एजेन्सी (जिका) द्वारा तैयार की गई शक्यता रिपोर्ट के आधार पर अनुमोदित कर दिया गया है। आधुनिकीकरण की विस्तृत इन्जीनियरी सेवाओं को कार्यान्वित करने के लिए जापानी परामर्शी कम्पनियों के संघ के साथ नवम्बर, 1988 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

4. बोकारो इस्पात कारखाना :

सोवियत संघ ने सतत् ढलाई लागू कर तथा हॉप्स्ट्रीप मिल के आधुनिकीकरण द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण करने की पेशकश की है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए अक्तूबर, 1988 में सोवियत संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसे जुलाई, 1989 तक प्रस्तुत किया जाना है। आधुनिकीकरण का कार्य 2-2 वर्षों के दो चरणों में कार्यान्वित करने की आशा है। इसके साथ-साथ $1\frac{1}{2}$ वर्ष की पूर्व निर्माण-कार्य की अवधि भी होगी।

विवरण-2

अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन के लिए सातवीं योजना का लक्ष्य

(हजार टन)

कारखाना	1988-89	1987-88	1986-87	1985-86
भिलाई इस्पात कारखाना	3600	3245	2840	2550
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	1050	1050	1030	900
राउरकेला इस्पात कारखाना	1300	1275	1250	1250
बोकारो इस्पात कारखाना	3190	2730	2730	2260
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	645	635	625	600
सेल :	9785	8935	8475	7560

कृषि क्षेत्र में जैव-प्रौद्योगिकी

7354. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जननिक प्रभाव से जैव-प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकसित किए गए नये उत्पादों के पक्ष में है;

(ख) यदि हां, तो क्या परम्परागत कृषि उत्पादों को बड़े पैमाने पर समाप्त करने की कोई सम्भावना है और इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी; और

(ग) इस तरह के परम्परागत उत्पादों को समाप्त करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड में भर्ती

7355. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के कार्यकारी और तकनीकी संवर्गों के नाम और संख्या क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इन संवर्गों में से प्रत्येक में कितने अधिकारियों की सीधी भर्ती की गयी;

(ग) लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और/अथवा व्यक्तित्व परीक्षा के लिए निर्धारित अंकों सहित भर्ती की योजना क्या है; और

(घ) पिछली वार्षिक भर्ती में प्रत्येक संवर्ग के लिए कुल कितने पात्र आवेदक थे, कितने अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की, जिन्हें चयन के अगले चरण के लिए बुलाया गया था, और संवर्गवार कितने अभ्यर्थियों की भर्ती की गई ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) दिनांक 1-1-89 की स्थिति के अनुसार "सेल" के कार्यकारियों की प्रभाग-वार संख्या नीचे दी गई है :—

प्रभाग	कार्यकारियों की संख्या
कार्य	11550
प्रशासन	3962
टाउनशिप	1290
निर्माण	1474
खानें	872
खाद संयंत्र	160
कुल :	19308

(ख) "सेल" में कार्यकारियों की सीधी भर्ती मुख्य रूप से तीन संवर्गों, अर्थात् प्रबन्ध प्रशिक्षु (तकनीकी), प्रबन्ध प्रशिक्षु (प्रशासन) तथा कनिष्ठ प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) में की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संवर्गों में भर्ती किए गए कार्यकारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

संवर्ग	1986	1987	1988
प्रबन्ध प्रशिक्षु (तकनीकी)	173	363	357
प्रबन्ध प्रशिक्षु (प्रशासन)	69	—	—
कनिष्ठ प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)	37	45	23

(ग) "सेल" द्वारा प्रबन्ध प्रशिक्षुओं के रूप में कार्यकारियों की भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाती है जिसके आधार पर तथा रिक्तियों की संख्या के आधार पर उम्मीदवारों को ग्रुप डिस्कशन तथा साक्षात्कार के लिए छांटा जाता है। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण

के लिए निर्धारित अधिकतम अंक निम्नानुसार हैं :—

चयन-चरण	निर्धारित अधिकतम अंक
लिखित परीक्षा	200
ग्रुप डिस्कशन	80
साक्षात्कार	120
कुल :	400

कनिष्ठ प्रबन्धकों (वित्त एवं लेखा) का चयन उनकी योग्यता अनुभव तथा साक्षात्कार में दिखाई गई उनकी कुशलता के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा "सेल" चयन के लिए प्रमुख शैक्षिक संस्थानों की भी सहायता लेता है तथा उम्मीदवारों का चयन ग्रुप डिस्कशन और/अथवा साक्षात्कार के द्वारा किया जाता है जो उनके उत्तर तथा प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या पर निर्भर करता है।

(घ) सूचना नीचे दी गई है :—

पद (भर्ती का वर्ष)	उम्मीदवारों की संख्या		
	लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए	ग्रुप डिस्कशन/साक्षात्कार के लिए बुलाए गए	अन्त में नियुक्ति के लिए चुने गए
प्रबन्ध प्रशिक्षु (तक०) 1988	13101	1140	389
प्रबन्ध प्रशिक्षु (प्रशा०) 1989	19028	518	106
कनिष्ठ प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) 1988	—	278	83

नेशनल को-आपरेटिव यूनियन आफ इंडिया में प्रेस कर्मचारियों की तकलीफें

7356. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने "सहकारी संघ के प्रेस में अन्धेर" (जनसत्ता, दिनांक 15-10-1988) और "प्रेस कर्मचारियों की सुनवाई नहीं) नवभारत टाइम्स, दिनांक 12-2-1988) शीर्षक से प्रकाशित समाचारों की ओर ध्यान दिया है, जिनमें नेशनल को-आपरेटिव यूनियन आफ इण्डिया, हौज खास, नई दिल्ली के प्रेस कर्मचारियों की विभिन्न तकलीफों का उल्लेख किया गया है;

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं तथा मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित समाचार मदों में लगाए गए आरोपों का भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने खंडन किया है। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने सूचित किया है कि अपने सेवा सम्बन्धी मामलों से दुःखी होकर प्रेस कर्मचारी अपनी शिकायतों के सुधार के लिए लेबर कोर्ट (श्रम न्यायालय) में गए और यह मामला न्यायाधीन है।

ब्रिटिश नागरिकों के लिए विजा शुल्क का बढ़ाया जाना

7357. **डा० दिग्विजय सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारत की यात्रा करने वाले ब्रिटिश नागरिकों के लिए बीजा शुल्क में कितनी वृद्धि की गई है;

(ख) क्या यह वृद्धि इसलिए की गई है, क्योंकि ब्रिटेन की यात्रा पर जाने वाले भारतीयों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बीजा शुल्क में वृद्धि की गई थी; और

(ग) क्या इस बीजा शुल्कों को घटाने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान ब्रिटिश नागरिकों के लिए बीजा शुल्क में की गई वृद्धि सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार ने समय-समय पर द्विपक्षीय कोंसली मामले उठाए हैं जिनमें बीजा शुल्क कम करने का प्रश्न भी शामिल था।

विवरण

यू० के० के राष्ट्रिकों के लिए बीजा शुल्क
बीजा का प्रकार (शुल्क रुपयों में)

तारीख	एकल प्रवेश	बहु प्रवेश	दीर्घकालिक
1	2	3	4
15-6-84*	50	50	—
1-2-85*	120	300	—
4-7-86	215	430	450

1	2	3	4
10-11-86	347	694	868
26-12-86	400	800	1,000
9-5-88	500	1,000	1,250
21-6-88	500	1,100	1,500
24-11-88	550	1,210	1,650
23-12-88	600	1,320	1,800

*कोई दीर्घकालिक वीजा शुल्क निर्धारित नहीं किया गया था।

ललित कला अकादमी के बम्बई में पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना

7359. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में बांद्रा, बम्बई में ललित कला अकादमी के पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए एक करोड़ रुपए मंजूर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूध का उत्पादन

7360. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपरेशन फ्लड-एक के आरम्भ होने से तुरन्त पहले वर्ष 1969 और 1970 से सम्बन्धित दूध के वार्षिक उत्पादन के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : 1969-70 और 1970-71 के दौरान दुग्ध का वार्षिक उत्पादन क्रमशः 21.6 और 21.9 मिलियन टन था, जोकि योजना आयोग में हुए राज्यों द्वारा उनके राज्य वार्षिक प्लान विचार-विमर्श के दौरान प्रस्तुत की गई सूचना पर आधारित है।

खनिजों की तटदूर खोज और समुद्रीय सर्वेक्षण

7361. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिजों की तटदूर खोज करने और समुद्रीय खान सर्वेक्षण के लिए एक विंग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां तटदूर खनिजों की खोज किए जाने की सम्भावना है और इस प्रयोजन के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कितना धन आबंटित किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधीन पहले ही अपतटीय खनिज गवेषण एवं समुद्री भूविज्ञान स्कंध कार्य कर रहा है।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण निम्नलिखित अपतटीय खनिज गवेषण/खोज कार्य में लगा है :—

(1) बजरी खनिजों के लिए गोपालपुर-कलिंगपटनम-काकीनाडा खाड़ी, क्विलोन-मुत्तम तथा रत्नगिरि क्षेत्र ।

(2) केल्केरियस निक्षेपों के लिए गुजरात तट ।

(3) सल्फाइड एवं अन्य खनिजीकरण के लिए अण्डमान समुद्र ।

(5) हाइड्रोकार्बन के लिए भूरासायनिक जांच हेतु गुजरात तट से दूर एवं गोदावरी-कावेरी के ढलान वाले क्षेत्र ।

संशोधित आकलनों में वर्ष, 1988-89 के लिए कुल आबंटित बजट 400.00 लाख रु० था । 1989-90 के लिए भी इतनी ही राशि आबंटित की गई है।

सिंचित तथा फल वाला क्षेत्र

7362. **श्री भद्रेश्वर तांती :**
डा० वी० वेंकटेश :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में, राज्यवार फसल वाले कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत कुल सिंचित क्षेत्र है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1985-86 के लिए सकल सस्यगत क्षेत्र से कुल सिंचित क्षेत्र की राज्यवार प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

राज्य	सकल सस्यगत क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता
1	2
आंध्र प्रदेश	35.8
अरुणाचल प्रदेश	15.4

1	2
असम	15.1
बिहार	36.3
गुजरात	28.9
हरियाणा	65.7
हिमाचल प्रदेश	17.4
जम्मू व कश्मीर	41.1
कर्नाटक	18.1
केरल	13.9
मध्य प्रदेश	13.4
महाराष्ट्र	12.0
मणिपुर	41.0
मेघालय	24.1
मिजोरम	11.3
नागालैंड	29.4
उड़ीसा	23.3
पंजाब	91.0
राजस्थान	21.3
सिक्किम	11.9
तमिलनाडु	47.5
त्रिपुरा	9.7
उत्तर प्रदेश	48.6
पश्चिम बंगाल	23.9
अखिल भारत	30.4

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री राम कुमार राय (घोसी) : कल एक मीटिंग में ...

अध्यक्ष महोदय : यहां मीटिंग की कोई चर्चा इस तरह से नहीं होती है ।

श्री राज कुमार राय : पेपर्स में आया है···

अध्यक्ष महोदय : पेपर्स में आया है तो क्या हुआ।

[अनुवाद]

कुछ नहीं होगा। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : आइलैंड एक्सप्रेस की रेल दुर्घटना के बारे में जांच रिपोर्ट समाचार-पत्रों में छपी है। यह सभा पटल पर नहीं रखी गयी है। रिपोर्ट के निष्कर्ष की हंसी उड़ाई जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

प्रो० पी० जे० कुरियन : एक रेल दुर्घटना हुई थी, जहां पेरुमन में 100 से अधिक लोग मरे थे।

अध्यक्ष महोदय : जब यह सभा पटल पर रखी जाए तो आप इस पर चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट पेश की है···

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों नहीं सुनते हैं? आप मुझे यह लिखित रूप में दे दीजिए। मैं गौर करूंगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैंने एक पत्र दिया है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप सरकार को रिपोर्ट सभा पटल पर रखने के लिए निदेश दीजिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हो जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब ठीक है।

श्री थामस।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : मैंने एक नोटिस दिया है जिसे आपने देख लिया होगा। कुछ न्यायालय आपके प्राधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह सभा के विशेषाधिकारों के संहिताकरण के विरुद्ध होगा।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसे लाने का यह तरीका नहीं है। या तो आप इसे गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक के जरिए लाइए या कानून द्वारा इसे बदलिए।

श्री तम्पन थामस : यह बहुत ही गलत पूर्वोदाहरण पैदा करेगा।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। हम इसका ध्यान रखेंगे। हम जानते हैं कि इसे कैसे निपटा जाता है।

(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : मैंने एक प्रस्ताव दिया है···**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : सारे अखबारों में आया है······

अध्यक्ष महोदय : अखबारों में आ गया तो कौनसा तूफान आ गया, कौनसा फर्क पड़ता है।

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैंने खाद्य प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण उद्योग पर नीति सम्बन्धी चर्चा के लिए नियम 193 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया है। ग्रामीण विकास और कृषि विकास इस पर निर्भर है। नीति निर्णय पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : कोई भी नीति सम्बन्धी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। आप एक चर्चा की अनुमति दीजिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : बिना किसी सुबूत के, बिना किसी आधार के······

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। कुछ नहीं होगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दें।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप सारे क्यों बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : यदि वक्तव्य मन्त्रियों द्वारा दिए जाते हैं जिन पर संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है···

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जैसा आप कहते रहते हैं, वैसा ही वे कहते रहते हैं।

12.02 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नेशनल सेन्टर फार मैनेजमेंट आफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हैदराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखा तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल सेन्टर फार मैनेजमेंट आफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हैदराबाद के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिविदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल सेन्टर फार मैनेजमेंट आफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हैदराबाद के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल सेन्टर फार मैनेजमेंट आफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हैदराबाद के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7800/89]

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : मैं, श्री एम० एल० फोतेदार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा

पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7801/89]

मार्च, 1980 में जारी किए गए बाजार ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला विवरण और हिंडोन ग्रामीण बैंक के 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन आदि

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मार्च, 1989 में जारी किए गए बाजार ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7802/89]

(2) हिंडोन ग्रामीण बैंक के 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7803/89]

शीतागार (संशोधन) आदेश, 1988

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत शीतागार (संशोधन) आदेश, 1988 जो 26 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 3506 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7804/89]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखे और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 आदि के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं श्री एल० पी० शाही की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 877, जो 12 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की दूसरी अनुसूची में परिनियम 21 जोड़ा गया है।

(दो) सा० का० नि० 878, जो 12 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की दूसरी अनुसूची में परिनियम 23 जोड़ा गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7805/89]

(2) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1981 की धारा 35 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7806/89]

(4) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7807/89]

(6) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7808/89]

हुगली डाक एण्ड पोर्ट इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला विवरण

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० न. अग्वाल) : मैं हुगली डॉक पोर्ट इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7809/89]

12.03 म० प०

प्राक्कलन समिति

विभिन्न प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट कतिपय सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय-चिकित्सा स्टोर सामान संगठन के संबंध में प्राक्कलन समिति के चालीसवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित समिति के पचपनवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही तथा अध्याय पांच के संबंध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.03½ म० प०

प्राक्कलन समिति

81वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : मैं गृह मंत्रालय—अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संबंध

में प्राक्कलन समिति का 81वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं ।

———

12.03¾ म० प०

लोक लेखा समिति

162वां प्रतिवेदन

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : मैं मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का 162वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

———

12.04 म० प०

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

58वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : मैं एयर इण्डिया—गैर-सरकारी प्रचालकों को अनुचित लाभ के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 58वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं ।

———

12.04½ म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबधी समिति

49वां प्रतिविदन

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : मैं वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग-बैंकिंग प्रभाग)—देना बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन तथा बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी गई ऋण सुविधाओ के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का 49वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

———

[अनुवाद]

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा ।

[अनुवाद]

मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : पिछले 4 दिनों से लोग हमारे घरों के आगे धरना देकर बैठे हैं । इससे हमारे सामान्य कामकाज में बाधा पड़ती है । संसद का सत्र चल रहा है । मैं नहीं जानता कि उन्हें हमारी शान्ति भंग करने का क्या हक है ? हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उस दिन भी मैंने सदन में यह बात कही थी ।

[हिन्दी]

जब उस दिन जेठमलानी जी के घर पर होने की बात यहां आयी थी उस दिन भी मैंने कहा था कि ऐसा करना सब के लिए गलत है, जो भी कोई यह काम करता है, वह गलत करता है चाहे किसी पार्टी का क्यों न हो, कहीं भी करता हो । आपने प्रिविलेज नोटिस दिया है, उसे मैं देखूंगा और जो इन्सटीगेट करता है, वह भी गलत करता है ।

[अनुवाद]

यह बहुत खराब बात है । काम करने का यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री चिरन्जी लाल शर्मा : आप यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिए जा रहे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी नहीं है । आप इसे मुझे दे दें ।

[हिन्दी]

स्टेटमैंट तो आते रहते हैं ।

[अनुवाद]

मैं उनकी परवाह नहीं करता । जी हां, श्री बनातवाला !

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बनातवाला को अनुमति दी है ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : यह हमारा बजट सत्र है और तदनुसार आज हम वित्त विधेयक पर चर्चा करेंगे । नियम 219 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत हमें आज वित्त विधेयक पर चर्चा

करनी है। मैं भी यह मानता हूं कि चूंकि यह बजट सत्र है, इसलिए वित्त विधेयक पर आपके द्वारा आबंटित समय में ही चर्चा पूरी करनी होगी (**व्यवधान**) किंतु जैसाकि आप जानते हैं सांप्रदायिक स्थिति बहुत गम्भीर है। आपने सोमवार को शुरू हुई चर्चा को जारी रखने की अनुमति देने की कृपा की है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला : इस समय यह अधर में लटकी हुई है। यदि आज हम वित्त विधेयक पर चर्चा करते हैं, तो प्रक्रिया के अनुसार इस पर चर्चा 2 मई तक जारी रहेगी और यह चर्चा 2 मई तक अधर में लटकी रहेगी। मैं अपनी बात केवल एक ही वाक्य में कह दूंगा और वह यह कि आज जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं वे एक षडयन्त्र का परिणाम हैं। उस षडयन्त्र का समय पर भंडाफोड़ करना होगा। अन्यथा हिंसा बढ़ जाएगी। नियम 219 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत मेरा आपसे अनुरोध वित्त विधेयक के बारे में है जिसके लिए आप पुनः समय आबंटित करें। सांप्रदायिक स्थिति पर चर्चा पूरी होने के बाद हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सत्र के दौरान मैं इस विषय पर चर्चा के लिए बार-बार कहता आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक वाक्य बोलने के लिए कहा था लेकिन आप बोलते ही जा रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए। मैं भी इस स्थिति से चिंतित हूं। इसीलिए मैंने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

श्री जी० एम० बनातवाला : इसके पीछे षडयन्त्र चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कार्य मन्त्रणा समिति ने सोच विचार के बाद ही यह काम किया है। किन्तु हम इस चर्चा को बीच में ही नहीं छोड़ रहे हैं और हम इस पर पुनः चर्चा करेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या 2 मई के बाद ?

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा इस पर चर्चा करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह स्थिति है। यह मामला सभा के समक्ष है। आप निर्णय ले सकते हैं। मैं सभा के साथ हूं। सभा जो भी निर्णय लेगी, मैं उसे मान लूंगा।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं इसके लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे सभा के समक्ष रखता हूं। मुझे सभा का निर्णय मान्य होगा। मैं इसे आपके विचारार्थ रख रहा हूं। मैं सभा का निर्णय स्वीकार करूंगा। किंतु मुझे स्थिति की जानकारी है। मुझे इस स्थिति का सचमुच बहुत दुःख भी है और जो कुछ हो रहा है, मुझे वह तरीका पसन्द नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : षडयन्त्र रचा जा रहा है। हिंसा बढ़ रही है।

अध्यक्ष महोदय : क्या अब हम वित्त विधेयक पर चर्चा करें ?

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : हम साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा करें और इसे समाप्त करें।

क्योंकि इस पर पहले ही आधी चर्चा की जा चुकी है। हममें से कई सदस्य इस विषय पर बोल चुके हैं। केवल कुछ ही सदस्यों को और बोलना है। हम यह चर्चा पूरी कर सकते हैं और मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन जहां तक वित्त विधेयक का सम्बन्ध है, हमारे पास समय कम है और जहां तक साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा का सम्बन्ध है, उसके लिए समय की कमी नहीं है। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। किन्तु मैं श्री बनातवाला जी से अनुरोध करती हूं कि इस सांप्रदायिक स्थिति के लिए हम भी इतने ही जिम्मेदार हैं। इस पर सब सदस्य बोलना चाहते हैं। किन्तु क्या हम इस पर वित्त विधेयक के बाद चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि वित्त विधेयक के लिए समय कम दिया गया है? मेरा यही अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय : हम यह भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि हम उतने समय में भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। अब श्री बीरबल बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय······

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष को केवल सभा में कहीं गई बात से ही सरोकार होता है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा।

12.10 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान के गंगानगर जिले के उन किसानों को, जिनकी फसलों को ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ था, वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देना चाहता हूं :

"श्रीगंगानगर जिले में दिनांक 22 व 25 मार्च को ओलावृष्टि हुई थी, जिससे पंचायत लालगढ़ जाटान के तहत आने वाले 23 गांव तहसील भाद्रा के, 55 नाहेर के और 39 रावतसर तहसील के

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

एरिए में फसल की भयंकर क्षति हुई है। इस एरिया में बराबर तीन अकाल पड़ चुके हैं और इस साल अच्छी फसल थी, मगर प्रकृति का प्रकोप ऐसा भयंकर आया कि लोगों को चने, सरसों, गेहूं, जौ और तारामीरा की पकी हुई फसल तबाह हो गई।

12.11 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन लोगों की तबाह हुई फसल का पूरा मुआवजा दिया जाए और इसके साथ-साथ फैमीन का काम भी चलाया जाए ताकि ये गांव उजाड़ होने से बचाए जा सकें और लोग अपनी जिन्दगी बसर कर सकें।"

(दो) जनता में प्रतिरक्षण के लाभों के प्रति जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रणजीत सिंह गायकवाड (बड़ौदा) : देश भर में लाखों बच्चे पोलियो, क्षय रोग, काली, खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, खसरा आदि रोगों से पीड़ित हैं। इन रोगों का एक कारण है जनसमुदाय को प्रतिरक्षण के उपायों की सुविधाएं उपलब्ध न होना। सामाजिक रीति रिवाजों, गलत धारणाओं, निरक्षरता आदि के कारण लोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा पाते हैं। सरकार को जन-समुदाय में इस बारे में जागरूकता लाने के हर प्रयास करने चाहिए कि वे प्रतिरक्षण कार्यक्रमों की सुविधाओं का लाभ उठाएं और सरकार को ऐसी और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

(तीन) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार श्रमिकों को निम्नतम मजदूरी दिए जाने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : भारत सरकार को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार श्रमिकों को निम्नतम मजदूरी दिए जाने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी करने चाहिएं।

(चार) वन अधिकारियों को वन क्षेत्र में बिजली के खम्भे लगाए जाने की अनुमति देने के निर्देश दिए जाने की मांग ताकि ऐसे क्षेत्र में रहने वाले हरिजनों और आदिवासियों को बिजली उपलब्ध कराई जा सके

[हिन्दी]

श्री कम्मोदी लाल जाटव (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देता हूं :

"म० प्र० में हरिजन आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के घरों में अभी तक एक बल्ब

के विद्युत कनैक्शन भी नहीं लग पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि हरिजन व आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के लोग वन क्षेत्र में रहते हैं। वहां पर वन विभाग के अधिकारी विद्युत लाइन नहीं निकलने देते हैं। इस कारण वन विभाग के क्षेत्र में हरिजन आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के लोग इस सुविधा से अभी तक वंचित हैं। मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि म० प्र० के वन क्षेत्र के अधिकारियों को विद्युत लाइन निकलने के आदेश दें ताकि गरीब हरिजनों व आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के घरों में विद्युत कनैक्शन लग सकें।"

(पांच) 'स्वामी सहजानन्द' और 'रामधारी सिंह दिनकर' की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की मांग

श्री राज कुमार राय (घोसी) : उपाध्यक्ष जी, अत्यन्त ही अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नियम 377 के अधीन देना चाहता हूं :

"स्वामी शहजानन्द की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। वे बहुत बड़े किसान, नेता, स्वतन्त्रता सेनानी, विद्वान व समाज सुधारक थे। संयासी होकर भी राष्ट्रीय आन्दोलन में जुटे रहे। रामधारी सिंह "दिनकर" राष्ट्रकवि होने के साथ-साथ ऊंचे विचारक और बहुत बड़े समाज सुधारक थे। बहुत से लोगों की स्मृति में डाक-टिकट जारी हुआ, लेकिन ये लोग वंचित रह गए।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि स्वामी शहजानन्द व रामधारी सिंह "दिनकर" की याद में डाक टिकट जारी करें।"

(छः) काकीनाडा से दूरसंचार डिपो स्थानान्तरित किए जाने के निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री गोपालकृष्ण थोटा (काकीनाडा) : महोदय, काकीनाडा पूर्व गोदावरी जिले का जिला मुख्यालय है। काकीनाडा में एक पत्तन है और अनेक कार्यालय हैं जिनमें समाहर्त्ता कार्यालय भी है। यह हर दृष्टि से दूरसंचार मुख्यालय के लिए उपयुक्त स्थान है। यहां केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कई कार्यालय हैं। वहां गोदावरी उर्वरक और नागार्जुन उर्वरक उद्योग जैसे कई उद्योग भी हैं। यहां एक 800 मेगावाट शक्ति का गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है। काकीनाडा में दूरसंचार डिपो के लिए एक भवन भी है जिसमें पूरा कार्यालय चल रहा है।

ऐसी सम्भावना है कि दूरसंचार डिपो को इसी जिले में किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाने वाला है जहां सिर्फ किराए पर ही स्थान मिल सकता है और यह 12,000 रुपए प्रतिमास से कम नहीं होगा।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस डिपो के स्थानान्तरण से न केवल बहुत सी कठिनाइयां सामने आएंगी अपितु ऐसा करना लोगों के हितों के लिए भी प्रतिकूल है, साथ ही इससे सरकार को भी धन की हानि होगी। अतः मेरा उनसे अनुरोध है कि वह मामले पर व्यक्तिगत

रूप से विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि दूरसंचार डिपो काकीनाडा में ही रहे और इसे कहीं अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाए ।

(सात) पिछड़े क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की अवधि मार्च, 1990 तक बढ़ाए जाने की मांग

श्री सीताराम जे० गावली (दादरा और नगर हवेली) : महोदय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पिछड़े क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता 30 सितम्बर, 1988 तक दी जा रही थी। राज्यों की पिछड़े क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के अलावा राजसहायता देने की अपनी नीति भी है। लेकिन संघ राज्य क्षेत्रों की केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली राजसहायता के अतिरिक्त अन्य ऐसी कोई योजना नहीं है ।

दादरा और नगर हवेली में कई इकाइयों ने मशीनों के लिए क्रयादेश नहीं दिए हैं यद्यपि उन्होंने भवन बना लिए हैं । केन्द्रीय सहायता देना बन्द किए जाने के निर्णय से, ऐसी इकाइयां जिन्होंने भवन तो बना लिए हैं किन्तु मशीनों के क्रयादेश अभी नहीं दिए हैं अब मशीनें नहीं खरीद पाएंगी। इस तरह भवन निर्माण पर हुआ खर्च बेकार जाएगा और पिछड़े क्षेत्रों का विकास रुक जाएगा तथा कई इकाइयों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस राजसहायता योजना को मार्च 1990 तक बढ़ाया जाए । आशा थी कि इसे बढ़ाने की अवधि की घोषणा 1989-90 के केन्द्रीय बजट में की जाएगी किन्तु पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास केन्द्रों के लिए 20 करोड़ रुपए के प्रावधान के अलावा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई । यद्यपि यह पिछड़े क्षेत्रों के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन होगा, फिर भी यह नकद राजसहायता के स्थान पर नहीं हो सकता ।

(आठ) बिहार के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग

[हिन्दी]

कुमारी कमला कुमारी (पलामू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू (बिहार) में गत कई वर्षों से अकाल की सी स्थिति पैदा हो गई है । पहले तो खाद्यान्न की भारी कमी थी, अब पानी की भी भारी कमी पैदा हो रही है । पशुओं के लिए चारा न के बराबर है । मैंने पलामू जिलान्तर्गत विरमनपुर प्रखंड में 6, 7 कुंए ऐसे देखे हैं जहां अब नीचे केवल कीचड़ ही रह गई है । पानी के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में त्राहि-त्राहि मची है । गत महीनों में पाला पड़ने से रबी की फसल सूख गई है और इस बार भूखों मरने की स्थिति पैदा हो गई है । किसानों से ऋण वसूली जोरों से चल रही है जो कि ऐसी अवस्था में निरस्त कर दी जानी चाहिए । जो ऋण वापिस देने की स्थिति में नहीं हैं, उनका ब्याज फिलहाल माफ कर दिया जाए । इन सब बातों को देखते हुए जिला के उपायुक्त ने सिफारिश की थी कि यह क्षेत्र अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाए परन्तु राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि स्थिति को नियन्त्रण में करने के लिए अपने स्तर पर अविलंब

आवश्यक कार्यवाई करे और उक्त क्षेत्र को शीघ्र ही अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित कर अकाल राहत कार्य युद्ध स्तर पर आरम्भ करे।

12.19 म० प०

वित्त विधेयक, 1989

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद, वित्त विधेयक पर चर्चा करेंगे। वित्त विधेयक, 1989 के तीनों चरणों के लिए 12 घण्टे का समय निश्चित किया गया है। यदि सभा सहमत है, तो हम 10 घण्टे सामान्य चर्चा के लिए, एक घण्टा खंड-वार विचार के लिए और एक घण्टा तृतीय वाचन के लिए रखेंगे। मेरे विचार से सभा इससे सहमत होगी।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

वित्त मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

वित्त विधेयक के प्रस्ताव का ब्यौरा व्याख्यात्मक ज्ञापन में, जिसे बजट पत्रों के साथ ही परि-चालित किया गया है, दिया गया है।

इस सदन में वर्ष 1989-90 का केन्द्रीय बजट लगभग दो माह पूर्व प्रस्तुत किया गया था। तब से ही इस बजट में दिए गए प्रस्तावों पर सदन और बाहर भी व्यापक बहस चल रही है। मैं उन अनेक लोगों का आभारी हूं जिन्होंने बजट में रोजगार बढ़ाने पर बल दिए जाने, अधिक खपत वाली वस्तुओं से अतिरिक्त कराधान हटाने और देश की जनसंख्या के समृद्ध वर्गों से विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर भारी मात्रा में संसाधन जुटाने पर बल दिए जाने के लिए इस बजट का स्वागत किया है। सरकारी खर्च को नियंत्रित करने और विशेषत: राजस्व घाटे को कम करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए भी बजट का स्वागत किया गया है। मैं इस तथ्य को भली-भांति जानता हूं कि इस बजट में जो भी प्रयास किए गए हैं वह केवल शुरुआत है और इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना है। इससे पहले कि मैं वित्त विधेयक की बात करूं मैं सदस्यों को कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर विश्वास में लेना चाहूंगा।

मैं सबसे पहले चिन्ता के एक ऐसे क्षेत्र का जिक्र करूंगा जिसे मैंने अपने बजट भाषण में भी कहा था और वह भुगतान संतुलन की स्थिति के बारे में है। वित्तीय वर्ष 1988-89 के आयात-निर्यात के अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं किन्तु सभी प्रकार के संकेत यह बताते हैं कि निर्यात 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। वर्ष 1988-89 में निर्यात में लगभग 28 प्रतिशत वृद्धि होना प्रशंसनीय

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

बात है। हालांकि, इस प्रभावी वृद्धि के बावजूद आयात निर्यात में घाटा बढ़ गया है अर्थात् यह घाटा वर्ष 1987-88 में 6.6 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1988-89 में 8 हजार करोड़ रुपए हो गया है। मैं यहां यह स्पष्ट कर दूं कि हमारा उद्देश्य व्यापार घाटे को नियन्त्रित तथा कम करके भुगतान सन्तुलन को ठीक करना है न कि कभी न समाप्त होने वाले बाह्य ऋणों का सहारा लेना।

निर्यात के क्षेत्र में अब हमारे पास योजनाओं और प्रोत्साहनों का पूर्ण समूह है। विकसित लाइसेंसिंग प्रणाली, आयात-निर्यात पास बुक योजना, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना और शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों और मुक्त व्यापार जोन के लिए विशेष योजनाओं के माध्यम से निर्यात के विस्तृत क्षेत्र के लिए कच्ची सामग्री और इसके संघटक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर उपलब्ध हैं। नकद प्रतिपूर्ति सहायता निर्यातकों की छूट रहित अप्रत्यक्ष कराधान और कुछ अन्य लागत घाटों के बोझ के लिए घरेलू व्यापार क्षेत्र में सहायता करती है। कार्यचालन पूंजी लागत के सम्बन्ध में इस वर्ष फरवरी माह में निर्यात ऋणों की ब्याज दर और भी कम कर दी गई है ताकि उन्हें निर्यात ऋणों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दरों के समान प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त धारा 80 एच० एच० सी० के अधीन निर्यात लाभ पर कटौतियां भी व्यावहारिक ही होंगी।

निर्यातकों ने निर्यात संवर्धन की नीतियों और उपायों पर उत्साहजनक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हालांकि, उद्योग क्षेत्र में अभी भी कुछ ऐसे उद्योग हैं जो निर्यात में वृद्धि करने के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं कर रहे हैं। बड़े निगमित क्षेत्र को अपनी भूमिका निभानी है। सरकारी क्षेत्र की बड़ी-बड़ी कम्पनियों के खातों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि वर्ष 1985-86 और वर्ष 1987-88 के बीच निवल बिक्री अनुपात की दृष्टि से निर्यात 4 प्रतिशत के आस-पास स्थिर रहा जबकि इस अवधि के दौरान खपत की जाने वाली कच्ची सामग्री का आयात 17 प्रतिशत से 19 प्रतिशत तक बढ़ गया है। निर्यात राष्ट्रीय कर्त्तव्य है और सभी वर्ग के उद्योगों को यह दायित्व पूरा करना चाहिए।

आज, वास्तविक समस्या निर्यातकों की प्रतिपूर्ति करने की योजनाओं और प्रोत्साहनों को बढ़ाने की नहीं है। बल्कि वास्तव में क्रियाविधि को सरल बनाने की आवश्यकता है ताकि प्रोत्साहनों को निश्चित रूप से तथा शीघ्रता से उपलब्ध कराया जा सके। मैं सदन और निर्यातक समुदाय के सभी सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम क्रियाविधि को सरल बनाने का कार्य जारी रखेंगे।

हम निर्यातकों की सहायता करने के लिए वचनबद्ध हैं किन्तु मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि निर्यातक समुदाय को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम जो प्रोत्साहन और रियायत देंगे उनका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। निर्यात के लिए हमने जो उदार आयात व्यवस्था बनाई है उसका प्रयोग विलासिता की मदों का आयात करने या दुर्लभ वस्तुओं को देश के बाजार में लाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

वर्ष 1988-89 में आयात में वृद्धि होने के कुछ विशिष्ट कारण थे और हम उम्मीद करते हैं कि वे इस वर्ष नहीं होंगे। फिर भी, हम इस बात के प्रति सचेत हैं कि हम वर्ष 1989-90 में अपने व्यापार (खाते) के प्रबन्ध में आयात नियोजन की दृष्टि से अत्यधिक सावधानी बरतेंगे। जैसाकि मैंने अपने बजट भाषण में कहा था, कि निर्यात उत्पादन और आधुनिकीकरण के लिए आयातित निवेशों को उपलब्ध कराने में हम अपनी आधारभूत नीति से पीछे नहीं हटाना चाहते हैं। किन्तु इस नीति को बनाए रखने के लिए हम किट-कल्चर पर आधारित विलासिता की मदों के आयात को नियन्त्रित करना

चाहते हैं। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि मार्च, 1989 में अधिसूचनाएं जारी करके ओ० जी० एल० के अन्तर्गत आयात की जाने वाली विलासिता की आयातित कुछ वस्तुओं को प्रतिबन्धित सूची में लाया गया है।

हम उद्योग के लिए कच्ची सामग्री और अन्य संघटकों को उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। किन्तु मैं समझता हूं कि आयातित निवेशों के प्रयोग में उद्योग को भी अत्यधिक मितव्ययता बरतनी चाहिए। इसमें दो क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील हैं। पहला क्षेत्र चरणवार विनिर्माण कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन है। हम इन स्वदेशीकरण की अनुसूचियों में से किसी महत्वपूर्ण मद को निकालने पर सहमत नहीं हैं। दूसरा क्षेत्र सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में आयातित सामग्री की वस्तुसूची में कमी करना है। अनेक मामलों में ये वस्तु सूचियां विवेकपूर्ण आधार से बहुत अधिक हैं और भुगतान सन्तुलन के लिए पर्याप्त मात्रा में कमी करके इनमें काफी कमी की जा सकती है।

जैसाकि मैंने पहले कहा है हमारी भुगतान सन्तुलन की नीति में निर्णायक तत्व व्यापार असन्तुलन को कम करना है। तथापि पर्यटन, अदायगी आदि से आय में वृद्धि करने के लिए हम भी उपाय कर रहे हैं।

पूंजी खाते के सम्बन्ध में मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि हम पूंजी के अन्तर्प्रवाह पर उस सीमा तक रोक लगाएंगे जिससे वह दीर्घकाल तक बनी रह सके। पिछले पांच वर्ष से भी अधिक वर्षों से भारतीय बैंकों में प्रतिवर्ष अनिवासी भारतीयों की जमा राशि में लगभग 35 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। यह जमा राशि पहले ही 13.5 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और हम वर्ष 1989-90 में इसमें और अधिक वृद्धि होने की उम्मीद रखते हैं। जहां तक सहायता का सम्बन्ध है, हमारे पास पहले ही बहुत धन है और हम इस राशि का शीघ्र प्रयोग करने के बारे में अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे। मैं यह भी आशा करता हूं कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दानी दाता हमारी आवश्यकताओं पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे और इस वर्ष विशेषकर उन परियोजनाओं और कार्यक्रमों में जहां खर्च बहुत तेजी से हो रहा है अपने वायदे पूरे करेंगे। एक दशक से वाणिज्यिक ऋण हमारी पूंजी का एक अनिवार्य तत्व हो गया है। हमने अपेक्षाकृत अधिक सतर्क नीति का अनुसरण किया है और केवल उतना ही ऋण लिया है जितना हमने पर्याप्त समझा न कि जितना हमारे आगे पेश किया गया था। हम यह सतर्क नीति जारी रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि वर्ष 1989-90 में हमारा वाणिज्यिक ऋण नहीं बढ़ेगा।

अब मैं 'मुद्रास्फिति' की समस्या पर बात करता हूं। वर्ष 1988-89 में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फिति 6.3 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 1987-88 में यह 10.6 प्रतिशत थी। मुद्रास्फिति की वार्षिक दर अब भी लगभग 6 प्रतिशत है। सामान्यतः पिछले वर्ष खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि को नियन्त्रित रखा है और खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट आई है। मुझे आशा है कि इस वर्ष अच्छी फसल से हम कीमतों में हुई वृद्धि को नियन्त्रित कर पाएंगे।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर नियन्त्रण करना सरकार का स्पष्ट रूप से प्राथमिक उद्देश्य है। वस्तुतः इसीलिए हमने इनमें से किसी भी मद पर कराधान न बढ़ाने का विशेष ध्यान रखा है। हमें विश्वास है कि बाजार में अधिक उत्पादनों की भरमार से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहेगी। साथ ही सामान्य मुद्रास्फिति सम्बन्धी दबावों को नियन्त्रित करने के लिए हम कठोर बजटीय नीति का अनुसरण जारी रखेंगे।

वर्ष 1989-90 के केन्द्रीय बजट में कुल घाटे और राजस्व घाटे पर नियन्त्रण रखा गया है। हमने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस प्रकार वर्ष 1987-88 के लिए वास्तविक घाटा बजट घाटे से केवल थोड़ा ही अधिक है, और वर्ष 1988-89 के आंकड़े भी बजट के घाटों को कम रखने की हमारी क्षमता को साबित करते हैं।

सकल मांग और पूर्ति के बीच, बेहतर संतुलन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र और राज्यों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य है, जो सफल भुगतान सन्तुलन बनाए रखने की कुंजी है। यह अर्थव्यवस्था में बचत की दर में वृद्धि करना भी निर्णायक है। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि सरकारी व्यय पर नियन्त्रण रखना और अधिकाधिक राजस्व वसूली का कार्य केवल वित्तीय वर्ष के अन्त में ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि यह कार्य तो वर्ष भर किया जाना चाहिए। यदि वर्ष के दौरान मांग बढ़ जाए तो केवल यह सुनिश्चित करना ही काफी नहीं है कि वर्ष के अन्त में संसाधनों और व्यय के बीच उपयुक्त सन्तुलन बनाए रखा जाए। प्रतिव्यक्ति मांग भुगतान संतुलन में गिरावट लाएगी और इससे मुद्रास्फिति की स्थिति भी उत्पन्न होगी। इसलिए मैं यह आश्वास्त करना चाहता हूं कि केन्द्रीय बजट में दर्शाया गया वित्तीय अनुशासन वर्ष भर प्रभावी रहे। मैं तो यह कहूंगा कि राज्य सरकारों द्वारा भी इसी प्रकार का अनुशासन बरता जाना चाहिए।

वर्ष 1989-90 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने अपने भाषण में कुछ नई बचत योजनाएं शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है। मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते समय खुशी हो रही है कि इन योजनाओं और कमजोर औद्योगिक एककों को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं को औपचारिक रूप देने के कार्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इन योजनाओं के ब्यौरे शीघ्र ही घोषित कर दिए जायेंगे।

अब मैं बजट में वित्तीय उपायों की बात करूंगा। बजट प्रस्तावों की महत्वपूर्ण विशेषतायें बजट भाषण मेंस्पष्ट कर दी गयीं थीं। सामान्य वाद-विवाद के दौरान सदन के दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने वित्त विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के सम्बन्ध में बहुत से बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। व्यापार निकायों, व्यावसायिक संस्थाओं, विशेषज्ञों और विद्वान व्यक्तियों से भी सुझाव प्राप्त हुए हैं। उद्योग के विभिन्न वर्गों से शुल्क में वृद्धि किए जाने के खिलाफ प्रतिवेदन भी प्राप्त हुए हैं। मैं उन सबका आभारी हूं। इन सब सुझावों पर विचार करने के बाद मैंने मूल बजट प्रस्तावों में कुछ संशोधन करने का निर्णय किया है। ऐसे आशोधन प्रस्तुत करते समय मैंने वैध शिकायतों को यथासम्भव दूर करने का प्रयास किया है।

मैंने वित्त विधेयक में अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित शुल्क में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है जोकि मेरे मूल बजट प्रस्तावों के अनुरूप है। ये संशोधन सुधारात्मक स्वरूप के हैं और इनमें राजस्व सम्बन्धी बड़ी उलझनें नहीं हैं।

अप्रत्यक्ष करों के बारे में मेरे द्वारा प्रस्तावित अन्य परिवर्तन इस प्रकार हैं :

(1) जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, मैंने बजट में यह प्रस्ताव रखा था कि ब्लैक एण्ड व्हाइट टी० वी० सैट की पिक्चर टयूबों पर 200 रुपए प्रति टयूब की दर से उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जाए। इसी प्रकार मैंने 36 से० मी० से अधिक स्क्रीन साइज वाले ब्लैक एण्ड व्हाइट टी० वी० सैटों पर 300 रु० से 500 रुपए प्रति सैट की दर से उत्पाद शुल्क का प्रस्ताव रखा था। ऐसे अधिकांश सैट

मुख्यतः पूर्णरूप से स्वदेशी होते हैं। उद्योग के इस क्षेत्र में निर्यात और विकास की पर्याप्त क्षमता है। यह अभ्यावेदन दिया गया है कि इस स्तर पर उत्पाद शुल्क में किसी भी वृद्धि से उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मुझे इन दावों में काफी बल दिखायी देता है। इन परिस्थितियों में मैं प्रस्ताव करता हूं कि ब्लैक एण्ड व्हाइट टी० वी० सैटों और उनकी पिक्चर ट्यूबों की शुल्क दरों में संशोधन किया जाए और शुल्क स्तरों में बजट में परिवर्तन से पहले वाली स्थिति को पुनः बहाल किया जाये।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन रंगीन टी० वी० सैटों के बारे में बिना रिमोट कन्ट्रोल वाले रंगीन टी० वी० सैट पर जिनका स्क्रीन साईज 36 से० मी० से अधिक नहीं है शुल्क उत्पाद की दर को घटाकर 1500 रुपए प्रति सैट किया जाए और रिमोट कन्ट्रोल वाले रंगीन टी० वी० सैट पर उत्पाद शुल्क को घटाकर 1750 रुपए प्रति सैट किया जाए।

(2) अपने बजट प्रस्तावों में मैंने यह प्रस्ताव किया था कि दुपहिया वाहनों पर उनकी इन्जिन क्षमता के अनुसार उत्पाद शुल्क लगाया जाए। मैंने प्रस्ताव रखा था कि 100 सी० सी० से 150 सी० सी० तक इन्जिन क्षमता वाले दुपहिया वाहनों पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस दर को अब 200 सी० सी० इन्जिन क्षमता वाले दुपहिया वाहनों पर भी लागू किया जाये।

(3) बजट में मैंने यह घोषणा की थी कि वर्टीकल शाफ्ट किलन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले लघु सीमेंट संयंत्रों को उत्पाद शुल्क में कुछ राहत दी जाये। इसी दिशा में उनकी कार्यवाही के तौर पर मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि रोटरी किलन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले लघु सीमेंट संयंत्रों को भी यह छूट दी जाए।

(4) लघु क्षेत्र को राहत देने के लिए, मैं इस क्षेत्र के लिए उत्पाद शुल्क में छूट की सामान्य योजना को उदार बनाने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें छूट प्राप्त करने के लिए रखे गये मानदण्ड में वर्तमान 15 करोड़ रुपये के स्तर को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया जाए।

(5) मैंने बजट में यह प्रस्ताव रखा था कि प्लास्टिक की कुछ ऐसी विशेष वस्तुओं पर 15 प्रतिशत की दर से उत्पादन शुल्क लगाया जाए जिन्हें इससे पहले शुल्क से पूर्णतया छूट दी जाती थी। इस उत्पाद शुल्क में वृद्धि के विरुद्ध बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस बात पर विचार करते हुए कि प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग समाज में लगभग सभी वर्गों द्वारा किया जा रहा है। और इन्सुलेटिड प्लास्टिक वेयरस जैसी कुछ चीजें ऊर्जा संरक्षण में सहायक होती हैं, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्लास्टिक की ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में पूर्ण छूट दी जाए और इस प्रकार बजट-पूर्व स्थिति को पुनः कायम किया जाए।

(6) कागज अथवा कोटेड कागज बोर्ड अथवा उत्पाद शुल्क मद संख्या 4811.30 के अन्तर्गत आने वाले प्लास्टिक का कवर लगे हुए कागज बोर्ड पर उत्पाद शुल्क को मूल्यानुसार 35 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया जाता है।

(7) धार्मिक और अन्य उत्सवों पर काम में आने वाली अन्न से निर्मित सेवईयों पर उत्पाद शुल्क से पूर्णत छूट दी जा रही है

(8) मैं प्रस्ताव करता हूं कि जूट मिलों को राहत देने के लिए जूट मशीनों की कुछ चुनी हुई मदों के लिए सीमा शुल्क में कुछ राहत दी जाए। फ्लैट बैड जूट करघों को आयात शुल्क पर पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव है। चक्रीय करघों और विशिष्ट प्रकार की 4 अन्य जूट मशीनों के लिए वर्तमान आयात शुल्क दरों को घटाकर मूल्यानुसार 40 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है।

(9) मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि मैं चिकोरी मिश्रित काफी पाउडर को उत्पाद शुल्क से छूट देने के लिए कार्यवाही कर रहा हूं।

इन सभी रियायतों और राहतों के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क में 4.3 करोड़ रुपये और उत्पाद शुल्क में 118.9 करोड़ रुपये का कुल प्रभाव पड़ेगा। मुझे यह विश्वास है कि बेहतर कर एकत्रीकरण द्वारा इसे पूरा किया जाएगा।

अब मैं प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में आने वाले प्रस्तावों की ओर आता हूं। वित्त विधेयक, 1989 के खंड (7) द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 32 क ख में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था ताकि व्यवसाय अथवा व्यापार से आय प्राप्त करने वाले किसी भी करदाता को कटौती का लाभ मिल सके बशर्ते कि इस प्रकार जमा धनराशि का उपयोग, प्राथमिक मदों के उत्पादन और निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली नई मशीनरी अथवा नये संयंत्र को खरीदने के लिए किया जाए। यह अभ्यावेदन दिया गया है कि यद्यपि व्यवसाय की पात्रता के लिए अब विशेष उपबन्ध की आवश्यकता नहीं है परन्तु इस धारा के अन्तर्गत जमाराशियों के सम्बन्ध में होने वाले लाभ की गणना करने के लिए उपबन्ध की व्यवस्था की जानी चाहिए। अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि धारा 32 क ख के अन्तर्गत की जाने वाली कटौती के सम्बन्ध में व्यापार अथवा व्यवसाय से होने वाले लाभ की गणना करने के लिए एक उपबन्ध को जोड़ा जाए।

अन्य संशोधन आनुषंगिक अथवा प्रारूप स्वरूप के हैं और मैं उन संशोधन का उल्लेख करने के लिए सदन का समय लेना नहीं चाहूंगा। प्रत्यक्ष कर नियम (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा संपत्ति कर अधिनियम की अनुसूची 3 में परिसम्पत्तियों के मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमों की व्यवस्था की गई है। इस अनुसूची के नियम 12 में यह उल्लेख किया गया है कि एक निवेश कम्पनी के उद्धृत न किए गए इक्विटी शेयर का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा। इस नियम में यह व्यवस्था की गयी है कि इसके लिए अपनाई जाने वाली मूल्यांकन प्रणाली पृथक-पृथक मूल्य प्रणाली होगी, और इस प्रयोजन के लिए कम्पनी के तुलन पत्र में बताई गयी परिसम्पत्तियों का मूल्य, उन विशेष परिसम्पत्ति को लिए लागू नियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य माना जाएगा। इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इस प्रकार के मूल्यांकन निकालने के लिए उन मामलों में भारी कठिनाई उत्पन्न होगी जिनमें तुलन पत्र में दी गई परिसम्पत्तियों में भागीदारी दी गयी होती है और यदि वे उनमें परिसंपत्तियों को भी उद्धृत नहीं किया गया होता है। ऐसे मामलों में अन्य कम्पनियों के तुलन पत्रों की भी जांच की जायेगी। यह कहा गया है कि प्रशासनिक रूप से मूल्यांकन का ऐसा तरीका बहुत बोझिल होगा और इसके अनुपालन की लागत भी बहुत अधिक होगी। इसके अतिरिक्त एक निवेश कम्पनी के शेयरों की बिक्री पर कम्पनी के शेयर होल्डर का कोई नियन्त्रण नहीं रहता है और इसीलिए यदि निवेश कम्पनी को कोई लाभ होता है तो वह शेयर होल्डरों को फायदा नहीं दिया जाता। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पत्ति कर अधिनियम, 1987 की अनुसूची 3 के नियम 12 में संशोधन किया जाए ताकि निवेश कम्पनियों के मूल्यांकन के बारे में व्यक्त की गई कठिनाईयों को दूर

किया जा सके। इस संशोधन को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायेगा और इसे 1 अप्रैल, 1989 से लागू किया जाएगा।

मैं बहुत से सुधारात्मक उपायों का विस्तृत उल्लेख करके माननीय सदस्यों का समय लेना नहीं चाहूंगा। ऐसे परिवर्तनों को लागू करने के लिए, जहां भी ऐसा आवश्यक है, अधिसूचनायें जारी की जायेगी और उन्हें उचित समय पर सभा पटल पर रखा जाएगा।

मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे मेरे द्वारा प्रस्तावित सुधारों सहित वित्तीय विधेयक को अपना समर्थन दें।

महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मन्त्री महोदय, आपने बहुत सी रियायतें की हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या अब कीमतें कम हुई हैं। उन्होंने पहले ही बहुत सी वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा दिया है।

श्री एस० बी० चव्हाण : निश्चित रूप से इन रियायतों की घोषणा होने के बाद हम उत्पादकों से यह सुनिश्चित करने के लिए अपील करेंगे कि उन रियायतों को वर्तमान मूल्य दरों में जाहिर किया जाये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री आनन्द गजपति राजू भाषण देंगे।

श्री आनन्द गजपति राजू (बोबिला) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री द्वारा वित्त विधेयक प्रस्तावना में उठाए गए मुद्दों की बात पर आने से पहले मैं बजट प्रक्रिया के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बजट बनाने, बजट प्रस्ताव तैयार करने और वित्त विधेयक को पारित करने जैसी महत्वपूर्ण कार्यवाही के लिए बहुत ही कम समय दिया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि इस सदन में लायी गयी विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों पर अपर्याप्त चर्चा हुई है। ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि सदस्यों को बजट में सांकेतिक कटौती की सम्भावना पर विचार करना चाहिए ताकि इस मुद्दे को संचालित किया जा सके कि बजट जैसी महत्वपूर्ण कार्यवाही को इस प्रकार नहीं निपटाया जा सकता है...... (व्यवधान) वित्त विधेयक को पारित करना होगा। परन्तु फिर भी मेरा यह अनुरोध है कि ऐसी महत्वपूर्ण कार्यवाही की जानी चाहिए।

महोदय, हाल ही के वर्षों में सरकार की यह पद्धति बन गई है कि वह चुनाव वर्ष के दौरान केन्द्रीय बजट को चुनाव घोषणा-पत्र के रूप में बनाती है। इस पद्धति के अनुसार वर्ष 1985-86 में फसल बीमा से सम्बन्धित प्रस्ताव लाने का प्रयास किया गया था। बजट में उसकी घोषणा की गयी थी। बाद में इसे कार्यान्वयन के लिए कुछ राज्यों को भेजा गया था। परन्तु फिर सूखे के कारण इसे समाप्त कर दिया गया और फिर अन्य राज्यों को फसल बीमा की इस सुविधा से वंचित रखा गया था। बाद में केन्द्रीय कृषि मंत्री ने यह कहा था कि इसे इस वर्ष आरम्भ किया जायेगा। परन्तु उसके बाद उसका क्या हुआ उसके बारे में हमने नहीं सुना है। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि बजट में घोषित प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया जाता है।

वे इसे केवल आशय के रूप में बता रहे हैं। मुद्दा यह है जब इसे क्रियान्वित नहीं किया जा रहा तो यह बजट प्रस्तावों के स्थान पर चुनाव घोषणा पत्र जैसा लगता है अतः प्रस्ताव में पूर्णतया सच्चाई नहीं है जब इस तरह की योजना की घोषणा की गयी थी तो सत्तारूढ़ दल के सदस्य बड़े उत्तेजित हुए थे और उन्होंने माननीय वित्त मंत्री का उत्साह से स्वागत किया लेकिन फिर हमने देखा कि इसमें सच्चाई नहीं है।

श्री एस० बी० चव्हाण : दुर्भाग्य से आप वहां उपस्थित नहीं थे। मैं सभी प्रकार की जानकारी के साथ आया था। आप सदन से चले गए थे। मैं क्या कर सकती हूं ? (**व्यवधान**)

श्री आनन्द गजपति राजू : हमने समाचारपत्रों में आपके भाषण की रिपोर्ट पढ़ी है। उसमें इसका कोई जिक्र नहीं था।

श्री एस० बी० चव्हाण : जब आप वहां उपस्थित नहीं थे तो मैं उल्लेख क्यों करूं। यह कोई मुद्दा नहीं था। (**व्यवधान**)

श्री आनन्द गजपति राजू : हम भी संसद के अंग हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : अगर सरकार ठीक समय पर ठीक निर्णय लेती तो हमें सदन से निलम्बित नहीं होना पड़ता। हमें मन्त्री जी की बात सुनने का फायदा मिल जाता, हमने मौका तो दिया है।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : अगर आपने उसे नोट कर लिया है तो ठीक है।

(**व्यवधान**)

श्री आनन्द गजपति राजू : महोदय, कल हमें पीठासीन अधिकारी की बात से ऐसा लगा था कि बजट प्रस्तावों की अपर्याप्त जांच की गयी है और सदन की बजट समिति को इस प्रक्रिया की पूरी तरह से जांच करने की आवश्यकता थी। पीठासीन अधिकारी ने उल्लेख किया था कि उन्होंने ऐसा प्रस्ताव भी रखा था कि सदन की बजट समिति को आने वाले विभिन्न प्रस्तावों की जांच करनी चाहिए। लेकिन सरकार द्वारा ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। वास्तव में, अगर आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जायें तो आप पाओगे कि बजट प्रस्तावों की जांच करने के लिए कांग्रेस की अपनी समितियां हैं। ये समितियां इन प्रस्तावों की छानबीन करती है और फिर इसे चर्चा के लिए सदन के समक्ष लाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : बजट समितियों सम्बन्धी यह प्रस्ताव विचाराधीन था। हम पहले ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुके हैं। मैंने स्वयं उस समिति की अध्यक्षता की है। हम पहले ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुके हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यह मामला पिछले दो या तीन वर्षों से विचाराधीन है।

श्री आनन्द गजपति राजू : मैं एक पूर्वोद्धारण प्रस्तुत कर रहा हूं कि और स्थानों पर क्या हो रहा है, वहां समितियां प्रस्तावों पर छानबीन करती हैं, यहां ऐसा नहीं है। वित्त मन्त्री जी कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि सदन ने सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है जब कि सदन अधिकतर प्रस्तावों के

बारे में नहीं जानता है? लेकिन फिर भी उन्होंने समाचारपत्रों में घोषणा की है। इसलिए ऐसा करने की आवश्यकता है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि बजट प्रस्तावों में नौकरशाही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जनता निर्णायक नहीं है; लेकिन नौकरशाही निर्णायक है। प्रस्ताव सदन में आते हैं, जिनका वित्त मंत्री द्वारा उल्लेख किया जाता है और फिर सदन विभिन्न मांगों पर विचार करता है और फिर दुबारा वित्त मन्त्री सदन में वित्त विधेयक की प्रस्तावना के साथ आते हैं। बजट सम्बन्धी योजना का यह नौकर-शाही दृष्टिकोण है। जनता को इसमें कैसे शामिल किया जा रहा है? अगर सदन शामिल होता है तो हम कह सकते हैं कि भारत की जनता इसमें शामिल है। लेकिन जब सदन पूरी तरह शामिल नहीं होता तो आप भारत की स्वतन्त्र जनता से मंजूरी कैसे ले सकते हो कि बजट पारित किया गया है और उनके द्वारा स्वीकार किया गया है? यह केवल एक वैचारिक मुद्दा है जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं।

आज हम पाते हैं कि वित्तीय ऋण, आय-नीति और सरकारी नीति अनिश्चित है। समूचा उद्देश्य अल्पकालिक योजना की ओर है। मध्यवर्ती और दीर्घकालिक योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। वास्तव में दृष्टिकोण यह है जब ये कठिनाइयां सामने आएंगी तभी हमें इन्हें दूर करना है।

आज बजट सम्बन्धी आबंटन का समूचा दृष्टिकोण आन्तरिक और बाह्य ऋण का जाल बुन रहा है। देश में हम अधिक से अधिक उधार ले रहे हैं और रिजर्व बैंक से ऋण ले रहे हैं और विदेशों से हम व्यापार के लिए ऋण ले रहे हैं। और यह ऋण उन संस्थानों से लिए जाते हैं जिनकी अनेकों शाखाएं हैं। इसलिए आप देखते हैं कि इस देश में योजना, परियोजना, कार्यक्रम ऋण के माध्यम से लागू किए जा रहे हैं। फिर हम भुगतान संतुलन के बारे में चिन्ता व्यक्त करते हैं। हम कहते हैं कि भुगतान संतुलन की स्थिति नाजुक है और इसलिए हम निर्यातकों को बहुत सी रियायतें देते हैं और इसलिए हम मूल्य अदायगी योजनाएं, नगद मुआवजा योजनायें और अन्य विभिन्न योजनाएं चलाते हैं। जब हम बजट और योजना के लिए विदेशी ऋण और विदेशी खातों से धन लेते हैं तो बजट घाटे में ही जाएगा।

आज हम पाते हैं कि इस देश में कुल बचत कुल निवेश से बहुत कम है। जबकि कुल बचत इतनी कम है; लोगों की बचत का योजना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रत्येक चीज उधार ली जा रही है; तो मूल्य स्तर को कैसे रोके रखा जा सकता है और मुद्रा-स्फीति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है?

वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि थोक मूल्य सूचकांक में केवल 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं उस आंकड़े का विरोध करता हूं। मैं कहता हूं कि यह आंकड़े गलत हैं। क्योंकि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वास्तव में मूल्य स्तर कम किया गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वृद्धि हुई है। कोई भी व्यक्ति बाजार जाये और देखे मूल्य किस तरह बढ़ रहे हैं। ये सब आंकड़े जो दिये गये हैं उनका वास्तविक बाजार स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अन्य बातों पर बोलने से पहले मुझे आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ कहने दीजिए। जब आंध्र प्रदेश किसानों को नाबार्ड ऋणों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है तो वित्त मंत्रालय ने तदर्थ आधार पर आंध्र प्रदेश के नाबार्ड को कम किया है। उन्होंने कहा है आप किसानों को ऋण वापिस करने के लिए प्रोत्साहन क्यों दे रहे हो? इसी तरह सरकार किसानों को उर्वरक में छूट दे रही है। वे

छूट दे सकते हैं। इसका अर्थ है कि भारत सरकार द्वारा छूटें दी जा सकती है; जबकि इसी तरह की छूटें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न तरीके से दी जा रही हैं तो केन्द्र सरकार आपत्ति कर रही है और कहती है वे नाबार्ड ऋण में कटौती कर रहे हैं। गैर-कांग्रेस (आई) सरकार के साथ यह बहुत अनुचित व्यवहार है। आखिरकार, हमारी सरकार का उद्देश्य लोगों के लिए काम करना है, यह देखना है कि लोगों का कल्याण हो और कोई भी यह करे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज इस महान् सदन में हमारे एक सदस्य ने ग्रामीण खर्च के बारे में मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे और सड़कों पर अधिक खर्च किया जाना चाहिए मंत्री जी ने नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि हमारे पास इन सब कामों के लिए धन नहीं है। जब हमारे पास धन होगा तब हम देंगे। जब इसकी लोगों को जरूरत है तो केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवाद क्यों है? केन्द्र सरकार राज्य सरकार की सहायता क्यों नहीं करती जिससे साधारण लोगों के कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रमों को पूरा किया जा सके।

अब मुझे अतिरिक्त संसाधन जुटाने के बारे में कहना है। हम पाते हैं कि केन्द्र सरकार हमेशा अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर जोर देती है। लेकिन जब राज्य सरकार संसाधन जुटाती है तो केन्द्र सरकार कहती है हम धन नहीं दे सकते हैं क्योंकि राज्य ने हमारे लिए इसके बदले में कोई संसाधन नहीं जुटाए लेकिन राज्य सरकार ने काफी हद तक संसाधन जुटाए हैं। क्या केन्द्र सरकार समर्थन मूल्यों में की जा रही वृद्धि में से राज्य सरकारों को कुछ धन देने पर विचार करेगी। आप समर्थन मूल्यों के माध्यम से अपने संसाधनों में वृद्धि कर रहे हैं क्या यह संसाधन राज्यों को वापिस नहीं दिए जा सकते ताकि हम आम आदमी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।

नवां वित्त आयोग हाल ही में नियुक्त किया गया था। इसने आने वाले वर्षों में होने वाले अधिक गैर योजना व्यय के बारे में बताया है उनका कहना है कि वर्ष 1995 तक केन्द्र बजटीय आबंटन में से आन्तरिक ऋणों पर ब्याज को चुका देगा। यदि स्थिति यह है कि आन्तरिक ऋणों से बहुत अधिक समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं तो सरकार मितव्ययी उपाय क्यों नहीं अपनाती। एक तरफ तो वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक की प्रस्तावना में यह कहा है कि सरकार सोच समझ कर वित्तीय नीतियां बनायेगी किन्तु साथ ही यदि सरकार आन्तरिक तथा बाह्य, दोनों तरह से अनियंत्रित रूप से ऋण ले रही है तो इस देश का वित्तीय संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है? आम आदमी का कल्याण कैसे किया जा सकता है? जनता मुद्रा स्फीति के कम होने तथा अच्छे भविष्य के बारे में कैसे सोच सकती है?

जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है इस सभा में यह प्रश्न उठाया गया था कि हमारे पास 7000 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा का भंडार है। कुछ दिनों के बाद हमने समाचारपत्रों में यह पढ़ा कि यह राशि कम होकर 5000 करोड़ रुपये रह गयी है। इसका मतलब यह है कि सरकार तीन महीने के आयात को भी पूरा करने की स्थिति में नहीं है। अगर यह स्थिति है तो सरकार केन्द्रीय योजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए विदेशों से व्यवसायिक ऋण क्यों ले रही है? अगर ऐसी स्थिति है, तो वह ऐसा कैसे कर सकती है? फिर भारत सरकार ने भुगतान संतुलन की स्थिति का अध्ययन करने के लिए मंत्रि-मंडलीय उपसमिति की नियुक्ति की। इस उप-समिति ने यह कहना शुरू कर दिया है कि हमें ओटोमोबाइल कल पुर्जे, इलैक्ट्रोनिक्स और अन्य गैर-जरूरी चीजों के आयात को कम करना चाहिए। लेकिन जब हम पाते हैं कि सरकार ओटोमोबाइल उद्योग को इतनी महत्ता देती है तो वह इस चीज को महसूस नहीं करती है कि उनके भी अपने कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्हें आयात इसलिए करना पड़ता है क्योंकि

ओटोमोबाइल उद्योग, का स्वदेशीकरण इतनी तेजी के साथ नहीं किया जा सकता। इसलिए अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। एक दिन आप आयात का पक्ष लेते हैं और दूसरे दिन कहते हो कि आयात को कम करना चाहिए।

फिर जब प्रधानमन्त्री जापान और जर्मनी की यात्रा पर गए तो उन्होंने उन देशों से यहां पर तेजी से निवेश करने पर फास्ट ट्रैक पर बल दिया। यह 'फास्ट ट्रैक' क्या है यह हम अभी तक नहीं जान पाये हैं। हमें केवल यही समझ में आता है कि इस फास्ट ट्रैक का आशय विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम, और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार विनियमों को समाप्त करना है। इन बातों पर हम सरकार की स्थिति जानना चाहेंगे। यदि विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम और एकाधिकार अवरोधक और व्यापारिक व्यवहार विनियमों को समाप्त करने जा रहे हैं तो सरकार देश का समाजवादी लोकतांत्रिक ढांचा किस तरह कायम रख पाएगी? सरकार यह किस तरह सुनिश्चित कर पायेगी की आम आदमी को लाभ हो? सरकार यह किस तरह सुनिश्चित करेगी की संसाधनों को गांव और आम आदमी तक पहुंचाया जाए।

आज विदेशी ऋण 55 बिलियन डालर के करीब है। इसका मतलब है हमारे देश का ऋण सेवा अनुपात 30 प्रतिशत से अधिक है हालांकि इसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। यह दर्शाता है कि हम ट्रैक तक पहुंच चुके हैं हम ज्यादा से ज्यादा विदेशी ऋण प्राप्त कर रहे हैं साथ ही हमें इस पर ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा और हमारी ऋण सेवा अनुपात बढ़ रहा है। इन सभी संभावनाओं के होते हुए हमारे माननीय वित्त मंत्री हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर गये वहां उन्होंने विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अन्तरिम या बसन्त अधिवेशन जो भी हो उसमें भाग लिया। हमने दैनिक समाचारपत्रों में और विभिन्न वित्तीय समाचारपत्रों में उस ब्रेडी योजना के बारे में पढ़ा, वहां पर खजाना मंत्री की योजना पर चर्चा चल रही थी। लेकिन यह लातिन अमेरिकी देशों के पक्ष में बनायी गई योजना है। इसका आशय लातिन अमेरिकी देशों के ऋण प्रभार को कम करना था। यह योजना हमारे देश में ऋण को कम करने या फिर हमारे भुगतानों के पुनंनिर्धारण या अधिक वित्तीय राहत देने में किस तरह सहायक हो सकती है? इसलिए भारत ने अपना दृष्टिकोण अपनाया और यह दृष्टिकोण जहां तक हम समझते हैं सावधानीपूर्वक लिया गया था और इस दृष्टिकोण में कुछ फायदे थे। लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की वित्तीय स्थिति सुधारने में यह योजना किस तरह से सहायक है और बहुआयायी संस्थानों द्वारा हमारे देश को क्या राहतें दी जा रही हैं?

हाल ही में हमारे प्रतिनिधि "गैट" की बैठक में भाग लेने जिनेवा गये। वहां भी हमने पाया कि वह रियायतें देते हैं। वे "गैट" में बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों को शामिल करने के लिए विकसित राष्ट्रों के दबाव के आगे झुक गए हैं। यदि इस तरह झुकने की प्रक्रिया जारी रही तो हम आम आदमी का हित सुरक्षित रखने का निर्णय कैसे कर पायेंगे जब कि बौद्धिक सम्पत्ति पेटेन्ट अथवा कापीराइट अधिनियमों और अन्य बातों के अन्तर्गत सुरक्षित है? फिर हम वह जानकारी नहीं प्राप्त कर पायेंगे जो हमें लागू करनी है। दवाईयों की कीमतें, और जरूरी चीजों की कीमतों को कम करने की जानकारी का हमारे पास अभाव है। ये कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ तदर्थ उपायों से वित्त मंत्रालय द्वारा किस तरह कीमतें नियंत्रित रखने का विचार है?

माननीय वित्त मन्त्री द्वारा सदन में प्रस्तुत वित्त विधेयक की प्रस्तावना पर चर्चा करने से पहले मैं एक-दो बातों को और बताना चाहूंगा। मेरा मुद्दा यूरोपीय आर्थिक समुदाय जैसे क्षेत्रीय बाजारों और

उत्तरी अमेरिका और शुरू हो रहे अन्य बाजारों के बारे में है। भारत सरकार इन बाजारों के पूर्ण एकीकरण के पश्चात् इनमें अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है? हमारा निर्यात कैसे बढ़ेगा ? हमें नकद क्षतिपूर्ति योजनाएं चलानी चाहिए। हमें उन्हें आयातित कच्चा माल देना चाहिए जिससे की वह इन वस्तुओं का निर्यात कर सकें। कच्चे माल की मात्रा बढ़ायी जा सकती है। लेकिन भारत में जोड़े गए मूल्य से जहां तक उन देशों को निर्यात का सम्बन्ध है उसकी सही स्थिति का अभी भी पता नहीं लग रहा है। इससे हमारा निर्यात कैसे बढ़ेगा ? मैं यह सब माननीय वित्त मन्त्री से जानना चाहूंगा।

दूसरी बात यह है कि आज देश में 40,000 करोड़ रुपये की मुद्रा चलन में है। यह सिर्फ सफेद धन है यदि आप काले धन को और जोड़ दें, तो यह और भी बढ़ जाएगी। मुझे काले धन के बारे में पता नहीं है कि वह आज कितना है। लेकिन 40,000 करोड़ रुपये का कुल धन इस समय चलन में है। फिर भी जहां तक कृषि क्षेत्र में कार्यनिष्पादन का सम्बन्ध है और औद्योगिक कार्यनिष्पादन का सम्बन्ध है, चारों ओर मुद्रा स्थिति दबावों को पैदा किये बिना धनराशि को कैसे बनाए रखा जा सकता है ?

1.00 म० प०

अब मैं उन बातों पर चर्चा करना चाहूंगा जो माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने वित्त विधेयक की प्रस्तावना में कही हैं। वित्त मन्त्री ने कृपा करके यह बताया था कि बजट और उसके प्रावधान बहुत ध्यान में रखकर बनाये गए हैं और वे इस तरह वश में रखकर तैयार किए गए हैं कि जिससे की मुद्रा-स्फीति दबावों में बढ़ोत्तरी नहीं हों। लेकिन मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यदि ऋण लेने की दर में असंयमित वृद्धि हुई है और यदि इस देश में धन की सप्लाई में वृद्धि की जा रही है तो मुद्रा-स्फीति के दबाव को कैसे कम किया जा सकता है, उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है और इस देश में सामाजिक न्याय कैसे किया जा सकता है ?

जो रियायतें दी गई हैं, वे अपर्याप्त हैं कई जरूरी रियायतें दी जानी जरूरी हैं क्योंकि एक गैर संगठित क्षेत्र भी है। जितनी भी रियायतों की घोषणा प्रधान मन्त्री ने की है वे संगठित क्षेत्र और मंझौले और बड़े उद्योगों से सम्बन्धित हैं। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र को कोई रियायतें क्यों नहीं दी गई ? यदि ये क्षेत्र वित्त मन्त्री द्वारा घोषित रियायतों में शामिल नहीं किये गये हैं, तो एक आम आदमी की दशा कैसे सुधर सकती है ?

दुबारा मैं तेल पूल खाते के बारे में कहना चाहूंगा। माननीय सदस्य श्री मधु दण्डवते द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार प्रस्ताव में कहा गया था कि जहां तक बजट प्रस्तावों का सम्बन्ध है उनमें लीपा-पोती की गई है। कुछ धनराशि को तेल पूल खाते से राजस्व खाते में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। अब माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि न तो यह लीपा-पोती है और ना ही नजरों का धोखा है अपितु यह सही कदम है क्योंकि सही मायनों में इससे बजट घाटे में कमी नहीं आयेगी। लेकिन क्या माननीय वित्त मन्त्री तेल पूल खाते से राजस्व खाते में धनराशि स्थानांतरित करेंगे और फिर कुल घाटे की घोषणा करेंगे ? कुछ समय पहले माननीय मन्त्री ने कहा था कि हम साल के आखिर में ही नहीं अपितु पूरे वर्ष खर्च को कम रखना चाहेंगे ? लेकिन अन्तिम क्षण में यदि ऐसे ही तरीके गैर योजना खर्चे को कम करने के लिए अपनाए जाते रहेंगे, यदि सरकार सारे विकास कार्य रोक देगी और फिर

बजट उसी घाटे के साथ जिसको माननीय वित्त मन्त्री ने पेश किया है लाया जायेगा तो यह किस तरह से राष्ट्र की वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेगा ?

आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो बजट प्रक्रिया आप अपना रहे हैं वह गलत नहीं है मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इसके लिए काफी परिश्रम किया गया है और इसके लिए काफी कार्य किया गया है और हरेक ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश कि भारत में वित्तीय प्रबन्ध सही तरीके से चलाया जाए और वह प्रबन्ध विवेकपूर्ण हो। लेकिन फिर भी लोगों की जरूरतों के लिहाज से बजट की दिशा मेरी विनम्र राय में ठीक नहीं है क्योंकि हम केवल समाज के उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और शहरों में बैठे अमीरों की जरूरतों को ही पूरा करते हैं। लेकिन हम यह सुनिश्चित नहीं कर पाये हैं कि बजट का लाभ जनता के सबसे निर्धन वर्गों तक पहुंचे। यद्यपि ऐसे प्रयास किए गए हैं लेकिन वे असफल रहे हैं। और आखिर में मेरा माननीय वित्त मंत्री से केवल यही अनुरोध है कि आम आदमी को यह महसूस होना चाहिए कि बजट में उसका ध्यान रखा गया है। उन्हें बजट में शामिल किया जाना चाहिए। उन्हें बजट का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्हें बजट के लाभ मिलने चाहिए। यदि उन्हें बजट के लाभ नहीं मिलेंगे और यदि असंगठित क्षेत्र को बजट से लाभ नहीं मिलेगा और यदि उनकी उपेक्षा की जाएगी तो मेरे विचार से इस देश में बजटीय व्यवस्था व्यर्थ है तथा इसे उचित दिशा में व्यवस्थित करना चाहिए।

श्री हरुभाई मेहता (अहमदाबाद) : हमारे वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तावित वित्त विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम मैं विपक्ष के विद्वान वक्ता द्वारा कही गई शिकायत का उल्लेख करना चाहता हूं कि सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई मांगों पर परिचर्चा के लिए बहुत कम समय रह गया था और सिर्फ तीन मंत्रालयों—ऊर्जा, कृषि तथा विदेश मन्त्रालय—के बारे में ही चर्चा की जा सकी। मैं स्पष्ट रूप से यह बता देना चाहता हूं कि ऐसा स्वयं विपक्ष द्वारा ही किया गया है। उन्होंने स्वयं ही कभी राज-नीतिक लाभ के लिए और कभी सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए बेकार के मुद्दों पर चर्चा कर सभा का समय बरबाद किया है। यदि उन्होंने इन विषयों पर चर्चा न करके समय बचाया होता कि क्या ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पूरी है या नहीं; इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा अथवा नहीं; क्या आयोग द्वारा एक सरकारी अधिकारी पर सन्देह किया जाना उचित है या नहीं, तथा विशेष जांच दल द्वारा की गई जांच पड़ताल सही है या नहीं, तो अनुदानों आदि पर चर्चा करने के लिए उनके पास बहुत समय होता। अक्सर सभा में व्यर्थ की बातों पर चर्चा के लिए दबाव डाला जाता है और मैं पूरे नम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि कुछ मुद्दों पर तो विपक्ष हठ ठान लेते हैं। मैं अपेक्षाकृत सभा में एक नया सदस्य हूं लेकिन जब मैं संसद-सदस्य बना तो मैंने यह आशा नहीं की थी कि सदन का इतना समय व्यर्थ की चर्चा में बरबाद होगा। मैं विपक्ष के मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे सभा का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों, उदाहरण के लिए सभा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य—वित्तीय मामलों, की ओर केन्द्रित करने में सहयोग दें। जहां तक लोक सभा का सम्बन्ध है सिर्फ वित्तीय मामले ही ऐसे मामले हैं जहां इसकी स्थिति राज्य-सभा की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती है। यदि लोक सभा व्यर्थ के मुद्दों पर अपना समय नष्ट करती है तो मैं समझता हूं कि विपक्ष, जिनके लिए हमेशा से मेरे मन में बहुत सम्मान रहा है, उन्हें अपना आत्म-निरीक्षण करना चाहिए।

मैं वित्त मंत्री द्वारा की गई रियायतों की घोषणा का स्वागत करता हूं और विशेषकर जहां तक लघु उद्योगों का सम्बन्ध है, वस्तुओं की निकासी के सम्बन्ध में, उत्पाद-शुल्क की अधिकतम सीमा 1.5

करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है तथा प्लास्टिक आदि कुछ अन्य सामग्रियों में भी रियायत दी गई है।

लघु उद्योग क्षेत्र एक रोजगार उन्मुख क्षेत्र हैं और इसलिए लघु उद्योग क्षेत्र को प्रदान की गई किसी भी रियायत से कर्मचारियों और आम लोगों को मदद मिलेगी। अतः मैं इसका स्वागत करता हूं। मैंने वित्त विधेयक को पढ़ा है। कुल मिलाकर वित्त विधेयक में रखे गए उपबन्ध स्वागत-योग्य हैं। लेकिन कुछ स्थानों में सुधार किए जाने की भी गुंजाइश है। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री वित्त विधेयक के खण्ड 9, जोकि आयकर अधिनियम के धारा 43(ख) से सम्बन्धित है, के परिणाम पर ध्यान दें। वित्त अधिनियम, 1984 में धारा 43(ख) को शामिल किए जाने का उद्देश्य इस अर्थ में प्रशंसनीय था कि कोई भी निर्धारिती बगैर वास्तविक व्यय के कटौती का दावा व्यय के आधार पर नहीं कर सकता था। अनेक बार हमने ऐसा देखा है कि अनेक निर्माता उत्पादन शुल्क नहीं दे रहे थे। वे उपभोक्ताओं से तो यह वसूल कर रहे थे। वे उच्च न्यायालयों अथवा अन्य न्यायालयों द्वारा रोक का आदेश प्राप्त कर अथवा बिना रोक-आदेश प्राप्त किए ही इसका भुगतान नहीं कर रहे थे।

जब आयकर-निर्धारण की बात आई तो उन्होंने इसके लिए और अधिक का दावा किया और तत्कालीन उपबन्धों के अनुसार सरकार उन्हें भुगतान करने के लिए कर्तव्यबद्ध थी। अत. खण्ड 43(ख) को आयकर अधिनियम में इस आशय से बिल्कुल उचित रूप में जोड़ा गया था कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिर्फ उसी व्यय पर छूट का दावा किया जा सकता है जोकि वास्तव में किया गया हो, जिसका उल्लेख सिर्फ लेखा-बही में ही न हो बल्कि वास्तव में जिसका भुगतान राज्य के राजकोष में या फिर जहां इसका भुगतान किया जाना हो, वहां किया गया हो। अतः मैंने उस समय इस प्रस्ताव का स्वागत किया था।

बिक्री कर के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां महसूस की गई थीं। गुजरात राज्य ने इस सम्बन्ध में वित्त मन्त्री से अनुरोध किया है। उन्होंने मेरे साथ भी इस मामले पर चर्चा की है। गुजरात वाणिज्य मंडल ने, जिसके बारे में व्यय विभाग के माननीय राज्य मन्त्री काफी अच्छी जानकारी रखते हैं, इस सम्बन्ध में साधारण तौर पर अनुरोध किया है। अन्य राज्यों में क्या व्यवस्था है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जहां तक गुजरात राज्य का सम्बन्ध है वहां यह व्यवस्था है कि वर्ष के अन्तिम तीन महीनों का इकटठा किया गया बिक्रीकर, आगामी वर्ष राज्यकोष में जमा करना होता है, इसका अर्थ यह है कि वास्तव में डीलर क्रेताओं से तो बिक्री कर ले लेते हैं लेकिन उस वित्तीय वर्ष में इसका भुगतान राज्य को नहीं करना होता है, इसका भुगतान आगामी वर्ष में करना होता है। अब यदि धारा 43(ख) को पूर्णरूपेण लागू किया जाए तो इसका अर्थ यह है कि बिक्री कर की आमदनी को भी मूल्यांकन और करारोपण के उद्देश्य से आमदनी ही माना जाएगा और वास्तव में कुछ आयकर अधिकारियों द्वारा भी ऐसा किया गया था। अतः यह वास्तव में आमदनी नहीं है, यह सिर्फ राज्य सरकार के एजेण्ट के रूप में व्यापारियों द्वारा इकट्ठी की गई रकम हैं। अब यदि उनका मूल्यांकन आमदनी के रूप में किया जाए तो बिक्री कर के रूप में एकत्रित राशि का भुगतान भी राज्य के राजकोष में करना होगा जबकि कानूनन इसका भुगतान आगामी वर्ष में करना होता है। न कि उन तीन महीनों में। यदि आगामी वर्ष अर्थात् ठीक आने वाले वर्ष में कटौती की जाती है तो भी इससे भी गलती में सुधार नहीं होगा। उस आमदनी में आगामी वर्ष छूट दे देने से भी पहले वर्ष के नुकसान में पूरा नहीं किया जा सकेगा। अतः वित्त मन्त्री का यह प्रस्ताव उचित ही है कि धारा 43(ख) में दूसरे परन्तुक के रूप में एक परन्तुक जोड़ा जाए। इसका अर्थ यह है कि

यदि भुगतान किए जाने की अन्तिम तारीख से पूर्व कर आदि की राशि चुका दी जाती है तो कटौती का दावा किया जा सकता है। यह परन्तुक स्वागत-योग्य है और विशेषकर बिक्री कर के मामले में तो यह बहुत ही स्वागत योग्य हैं; लेकिन यह सिर्फ पूर्व व्याप्ति रूप में ही प्रभावकारी है, इसे वास्तविक रूप में प्रभावकारी बनाया जाना चाहिए—यह मेरा नम्र निवेदन है; कृपया वित्त मन्त्री इस बात पर ध्यान देंगे कि यह परन्तुक उस तारीख से ही लागू किया जाए जिस तारीख से आयकर अधिनियम की धारा 43(ख) को लागू किया गया था अर्थात् इसे 1984 से ही लागू किया जाए न कि 1989 से। अन्यथा अनेक प्रकार की उलझनें उत्पन्न होंगी और बिक्रेताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हमें इसमें सुधार करना चाहिए। यदि आप महसूस करते हैं कि इस प्रकार का कोई कानून आवश्यक है तो आप कृपया इसे उस तारीख से ही लागू करें। निश्चित रूप से कुछ आय विवरणों में संशोधन करना पड़ेगा, कुछ समीक्षा भी करनी होगी। लेकिन यदि व्यापारियों और आम जनता की मदद करनी है तो सरकार इसके लिए कुछ और समय दे सकती है।

जब बजट पेश किया गया था तब भी मैंने आयकर पर लगाए गए, अतिरिक्त अधिप्रभार का स्वागत किया। मैंने हमेशा से माना है कि धनी और सम्पन्न व्यक्तियों पर करारोपण के अनेक उपाय हैं जिससे कि हमारे गरीबी उन्मूलन तथा गरीबी विरोधी कार्यक्रम तथा आम जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने सम्बन्धी योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें अधिक वित्तीय सहायता दे सकें। अभी भी इसकी सम्भावना है। मैं नहीं जानता हूं कि क्या इस वर्ष भी कुछ अड़चनें हैं लेकिन जो व्यक्ति कर-भार वहन कर सकते हैं कम से कम उन पर कर लगाने का प्रयत्न तो किया जाना चाहिए ताकि जो कर-भार वहन नहीं कर सकते हैं उनकी मदद की जा सके। धनी व्यक्तियों पर कर अवश्य लगाया जाना चाहिए। कम से कम अब हमें यह प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। हमें उस व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए जिससे कि धनी व्यक्ति और धनी न होते जाएं तथा गरीब व्यक्ति और गरीब न होता जाए। यदि स्वतन्त्रता के चार वर्षों से अधिक बीत जाने तथा 7वीं योजना के बाद भी इस प्रक्रिया को समाप्त नहीं किया जा सका है तो अब मेरा अनुरोध है कि यह उचित समय है जबकि वित्त मन्त्री को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए।

वित्त विधेयक के सम्बन्ध में मैंने अनेकों बार ध्यान आकर्षित किया है लेकिन मैं नहीं समझ पाया हूं कि अभी तक कोई प्रगति क्यों नहीं हुई है। वित्त मन्त्रालय द्वारा दो पहलुओं पर अवश्य जोर दिया जाना चाहिए। जब कभी भी कोई रियायत या लाभ दिया जाए तो यह उपभोक्ताओं तक पहुंचनी चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि इसे लागू करने के लिए कोई वैधानिक उपबन्ध क्यों नहीं है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर, प्रभावी और अर्थपूर्ण कानूनी उपबन्ध होने चाहिए की उत्पाद शुल्क या अप्रत्यक्ष करों में जो रियायतें दी गई हैं उसका लाभ अन्ततः उपभोक्ताओं को मिले। इसके पीछे सरकार का यही उद्देश्य है। लेकिन ये लाभ वितरकों और निर्माताओं द्वारा हड़प लिया जाता है। मेरे विचार से, यह प्रवृत्ति बन्द की जानी चाहिए।

दूसरी बात अनुचित रूप में करों को अपने पास रखने की है। कभी-कभी निर्माता और वितरक उपभोक्ताओं से बिक्री कर या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ले लेते हैं। तब वे उस पर दावा करते हैं। वे इसे राज्य को नहीं देते और अन्त में वे न्यायालय में यह दलील देकर कामयाब हो जाते हैं कि यह गैर-कानूनी है। लेकिन वे उस राशि को अपने पास ही रखते हैं जो उन्होंने राज्य सरकार की ओर से उपभोक्ताओं से ली है। गुजरात उच्च-न्यायालय ने कहा है कि इस अन्यायपूर्ण संवर्धन की स्वीकृति नहीं

दी जा सकती है। जब भी न्यायालय ऐसे उत्पाद शुल्क के लगाए जाने को गैर-कानूनी ठहराता है तो यह धन निर्माताओं को वापस नहीं मिलना चाहिए। यह उपभोक्ताओं के पास जाना चाहिए। एक मामला जो मिश्रित धागे पर लगाये गये उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित था, उसमें गुजरात उच्च न्यायालय ने यहां तक कहा कि गैर-कानूनी ठहराए गए धन को केन्द्र सरकार अपने पास रख सकती है और सरकार इस धन को उद्योगों के सुधार के लिए या फिर उपभोक्ताओं के हित के लिए या बराबर मूल्य करने इत्यादि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसे कदापि भी निर्माताओं के पास नहीं छोड़ना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का अत्यन्त आभारी रहूंगा यदि वे इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे। यदि आप इस गैर-कानूनी, अन्यायपूर्ण संवर्धन प्रक्रिया को किसी प्रभावी उपबन्ध से रोकने में समर्थ होते हैं तो इससे उत्पाद शुल्क तथा अन्य अप्रत्यक्ष करों के विरुद्ध झूठी याचिकाएं और आवेदन देने वाले निर्माता हतोत्साहित होंगे क्योंकि वे याचिका अपने फायदे के लिए ही दायर करते हैं।

हमें बेरोजगारी की समस्या का सामना करना है। इसमें कोई संदेह नहीं की वित्त मंत्री ने गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी अनेक योजनाओं की घोषणा की है। विशेषतया आवास योजना और प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना। परन्तु मैं और भी ज्यादा खुश होता जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा घोषित जनहित के कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता, विशेषतौर पर दोपहर का भोजन और साड़ी का प्रबन्ध सभी के लिए किया जाता। निराश्रय महिलाओं को साड़ी दिया जाना उचित है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन यह काफी नहीं है। उन सभी महिलाओं को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही हैं सरकार द्वारा साड़ी प्रदान की जानी चाहिए। इसी तरह, जो पुरुष गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें धोती प्रदान की जानी चाहिए। मेरे विचार में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का यही उद्देश्य था। मैं सोचता हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस संकल्प को सरकार को आदेश के रूप में लेना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं की आठवीं लोक सभा की अवधि समाप्त हो रही है। फिर भी सरकार के पास कुछ वक्त है जिसमें वह इस पर विचार-विमर्श कर सभा के समक्ष एक प्रस्ताव रखे जिससे इस संकल्प को लागू किया जा सके। मैं जानता हूं कि सरकार ने इसे सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया है और कोई प्रस्ताव सामने आने वाला है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सरकार के पास धन नहीं है। लेकिन मेरे विचार से अभी भी अमीरों पर कर लगाने की गुंजाइश है। कुछ लोगों का कहना है कि गेहूं की कमी है। इस बार फसल काफी अच्छी हुई है। अगर रिकार्ड उत्पादन के बाद भी कुछ लाख लोगों को एक वक्त के भोजन से वंचित रहना पड़ता है तो यह हमारी योजना की असफलता का द्योतक है। मेरी समझ में यह नहीं आता की हम ऐसी योजना को कैसे एक अच्छी योजना कह सकते हैं जबकि एक ओर तो बड़े किसान बैंकों से कभी-कभी साठ-गांठ कर खाद्यान्न जमा करते हैं और दूसरी ओर अनेक ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता है। अतः दोपहर के भोजन की योजना जैसी योजनाएं होनी चाहिए जिससे कम से कम गरीब स्कूली छात्रों को एक वक्त का भोजन प्रदान किया जा सके। इससे वह अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकता है। इससे इनकी पाठशाला में उपस्थिति में वृद्धि होगी और उनके स्कूल छोड़ने में कमी आएगी। ऐसे उदार उपायों को, बिना किसी हिचकिचाहट के सरकार को लागू करना चाहिए।

जहां तक मेरे शहर का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहूंगा कि कपड़ा मिलों की समस्या अभी भी

वैसी ही बनी हुई है। मुझे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। अपने कुछ मित्रों के कहने पर मैंने अपना अनशन तोड़ दिया था। इसके लिए फार्मूला तय हुआ था जिसके अनुसार एक कमेटी का गठन किया जाएगा और जहां तक सम्भव होगा अधिक से अधिक मिलों को पुनः शुरू किया जाएगा। यदि मिलों को शुरू करना सम्भव नहीं होगा, तो वैकल्पिक रोजगार के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। दो महीने का समय दिया गया था परन्तु दुर्भाग्यवश, इन दो महीनों में कुछ भी नहीं हुआ। अहमदाबाद में कपड़ा मिलों की समस्या उसी प्रकार की बनी है जैसी उस समय थी जब मैंने अपना अनशन तोड़ा था अर्थात् 15 फरवरी को। मुझे ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है कि मुझे फिर से आन्दोलन शुरू करने के लिए विचार करना पड़ रहा है। लेकिन भारत सरकार कपड़ा मिलों की समस्या के समाधान में सहायता जरूर कर सकती है।

सर्वप्रथम, कपड़ा नीति की पुनर्गीक्षा की आवश्यकता है। इनके राष्ट्रीकरण से "ना" करना युक्तिसंगत नहीं है। बहरहाल, अगर राष्ट्रीय कपड़ा निगम या गुजरात राज्य कपड़ा निगम या राज्य निगम कपड़ा बनाता है, तो इसमें हानि का बहुत ज्यादा श्रेय कुप्रबंध या भ्रष्टाचार को जाता है जो सार्वजनिक क्षेत्र में उसी तरह व्याप्त है जैसाकि निजी क्षेत्रों में। अतः हम इस पर नियंत्रण कर सार्वजनिक क्षेत्रों को ज्यादा लाभप्रद बनाएं जिससे की जब कभी भी रूग्ण उद्योगों के उत्तरदायित्क राष्ट्रीयकरण की बात आए तो हम पीछे नहीं हटें। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जिसे केन्द्र सहायता पहुंचा सकती है। जहां तक पुनर्वास सहायता का प्रश्न है, इस संबंध में गुजरात सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था जिसने केन्द्र सरकार को दो सुझाव दिए थे। एक तो कपड़ा मिलों के बेरोजगार कर्मचारियों को केन्द्र सरकार द्वारा तभी राहत दी जाती है जब परिसमापक की नियुक्ति होती है, सरकारी परिसमापक की नियुक्ति होती है, अर्थात् जब यह अन्तिम रूप से विक जाती है।

हमने सरकार से यह आग्रह किया था कि जैसे ही कपड़ा कम्पनी के सम्बन्ध में अस्थाई परिसमापक की नियुक्ति हो वैसे ही पुनर्नियोजन राहत मजदूरों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

अभी तक पुनर्वास राहत के नाम पर मजदूरों को 18 महीने का वेतन दिया जाता है। इस समिति जिसमें संसद सदस्य, गुजरात राज्य के उद्योग मंत्री और कपड़ा मजदूर संघ ने यह सुझाव दिया था कि 18 महीने के वेतन के बदले में कर्मचारियों को 30 महीने का वेतन पांच वर्ष तक पुनर्नियोजन राहत के रूप में दी जानी चाहिए जो कि पांच साल में मजदूरी के औसतन वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर होगा। यह उनके लिए एक प्रकार की राहत होगी। पाँच साल में वह कोई अन्य रोजगार ढूंढने में सफल होंगे। इस प्रकार केन्द्र सरकार निश्चित रूप में ही कपड़ा मजदूरों की समस्या के समाधान में सहायक सिद्ध हो सकती है। इस साल हमने अनेक मिलों को बन्द होते देखा है। अतः इस प्रकार मिलों के बन्द होने को रोकने के लिए कुछ करना होगा। इसके पीछे कार्यरत शक्ति का पर्दाफाश होना चाहिए। यदि सम्भव हो तो औद्योगिक विवाद अधिनियम को और ज्यादा कठोर बनाया जाए जिससे कि बेईमान नियोक्ता अपने उद्योग को ऐसी स्थिति में आने पर, जब वह लाभ नहीं दे पा रहा हो, बंद ना कर सके, क्योकि अनेक वर्षों से इस यूनिट से लाभ अर्जन करने के बाद या फिर एक यूनिट का लाभ दूसरी यूनिट में लगाने के बाद या फिर गैर-कानूनी तरीके से बैंक से धन लेने के बाद भी अपनी पहली यूनिट को ना बंद कर पाये। राष्ट्रीय बैंकों के करीब 14,000 करोड़ रुपये इन रूग्ण उद्योगों में डूब गया है।

यदि वित्त मंत्री एक आयोग की स्थापना कर उसे इस बात को पता लगाने को कहें कि बैंक के

धन का इन औद्योगिक इकाईयां द्वारा कैसे उपयोग और दुरुपयोग किया गया है, जो इस बात पर प्रकाश डालेगा की कैसे ये प्रबन्धक लोगों के धन का या फिर सरकार द्वारा उन्हें अपने उद्योगों को आधुनिक बनाने या फिर रूग्ण उद्योगों को पुन: चालू करने के लिए दिए गए धन का निजी स्वार्थ हेतु दुरुपयोग कर रहे हैं। अत: इस सम्बन्ध में एक आयोग का गठन करना आवश्यक है और इसे ही मैं विशेष मुद्दा बनाकर कहना चाहता था। इन मिलों के बंद करने के कारणों के सम्बन्ध में सरकार एक आयोग का गठन करे जिससे यह पता चलेगा कि इसके लिए कहां तक कुप्रबंध उत्तरदायी है और अन्य क्या कारण हैं, खासकर, इस धन के साथ-साथ बैंक धन या सार्वजनिक धन से कितना लाभ अर्जित किया गया है तथा इस धन का उपयोग किया गया है या फिर दुरुपयोग। यह 'विविमन बोर' के तरीके का आयोग होगा। निजी क्षेत्र में इस प्रकार की जांच के लिए यह आवश्यक है।

सार्वजनिक क्षेत्र हमेशा से ही एक आलोचना का विषय रहा है लेकिन निजी क्षेत्र इसके लिए ज्यादा दोषी है। वे धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका मात्र एक कारण है कि वे समाचारपत्रों और अन्य लोगों से अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। इसलिए उनके दुष्कर्म प्रकाश में नहीं आ पाते। सार्वजनिक क्षेत्र में पहुंच आसान होती हैं इसलिए, कोई भी व्यक्ति उनकी आलोचना कर सकता है।

भुगतान संतुलन के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने एक बहुत अच्छी बात कही है लेकिन मैं फिर कहूंगा की अभी भी आयातित वस्तुओं की संख्या को कम करने की बहुत गुंजाइश है। हम विलासिता की वस्तुओं के बिना रह सकते हैं। हम उतने ही पैर फैलाएंगे जितनी लम्बी चादर होगी। यदि उनसे औद्योगिक विकास की अत्यावश्यक वस्तुओं के आयात के अलावा अन्य किसी का आयात के बिना काम चलाने के लिए कहा जाएगा तो हमारे देश के लोगों को बहुत खुशी होगी। हम आयातित विलासिता की वस्तुओं के बिना भी कार्य चला सकते हैं। हम अपने जीवन निर्वाह के तरीके को अनुशासित करने का प्रयास क्यों नहीं करते ताकि यथासम्भव आयात कम किया जा सके। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह कपड़े की निर्यात क्षमता का उपयोग करने हेतु कपड़ा मंत्रालय तथा सरकार पर जोर दें। बाहर हमारी क्षमता बहुत अधिक है। देश के बाहर हम जहां कहीं जाते हैं, हमारे भारतीय कपड़े के माल की अधिक मांग दिखाई देती है। हमें केवल अपनी नीतियों को कारगर बनाना है ताकि निर्यात क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकें। इससे हमारे उद्योगों को सहारा मिलेगा तथा रूग्ण इकाइयों को पुन: चालू करने और आंशिक रूप से बेरोजगारी की समस्या हल करने में भी मदद मिलेगी।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस अवसर का लाभ वित्त मंत्री को उनके संतुलित बजट के लिए बधाई देने में करना चाहता हूं। बजट में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर प्रधान मंत्री द्वारा जोर दिए जाने को अच्छी तरह प्रस्तुत किया गया है। जहां तक इन कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, यह वास्तव में एक साहसिक प्रयास है, मैं केवल इस कार्यक्रम की सफलता चाहता हूं। हमारे गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों की पहुंच प्रभावी, निर्णायक और सार्थक होनी चाहिए ताकि आगामी महीनों में सांसद अच्छे कार्यों के साथ जनता के समक्ष जा सकें।

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1989 के वित्त विधेयक का स्वागत करती हूं। परन्तु मुझे अपनी कार्यप्रणाली के कुछ दोषों को बताते हुए खेद है। राष्ट्रीय आयोग ने एक वर्ष पहले स्वरोजगार महिलाओं के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। परन्तु प्रश्नों के माध्यम से पूछताछ करने पर मुझे मालूम हुआ कि सरकार अभी इस पर विचार कर रही है। आगे पूछताछ करने पर मुझे मालूम हुआ कि अभी तक विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की रिपोर्टें नहीं मिली हैं।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं क्योंकि यह महिलाओं से सम्बन्धित है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि यद्यपि प्रधानमंत्री महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं परन्तु कुछ मंत्रालयों और राज्य सरकारों का दृष्टिकोण कतई सहायक नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है ? मैं इस सम्मानित सभा के समक्ष असहायक दृष्टिकोण के कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं। परन्तु सीमित समय होने के कारण मैं विस्तार से नहीं बता सकता और सभा का समय नहीं ले सकता।

महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वह योजना मंत्री थे तो मैंने योजना आयोग के संरक्षण में महिलाओं के लिए एक योजना कक्ष खोलने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था। मेरा विचार था कि वह मेरे सुझाव से सहमत हैं। परन्तु उन्होंने विचार-विमर्श के बाद योजना आयोग का कार्यभार छोड़ दिया। मैं यह बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि यदि योजना आयोग के अंतर्गत महिलाओं के लिए एक कक्ष खोला जायेगा तो वहां महिलाओं के कल्याण से संबंधित सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों की रिपोर्टें मिल सकती हैं इससे योजना आयोग व्यापक रिपोर्ट तैयार कर सकता है ताकि हमारे देश के लोग जान सकें कि मंत्रालयों और विभिन्न राज्यों के विभागों ने कितना कार्य किया है। महोदय, यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है कि 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम को प्रभावी बनाया गया है और उन संस्थाओं या व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी जिन्होंने इसे वास्तविक रूप से कार्यान्वित नहीं किया है। महोदय, बड़े दुख के साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि अनेक स्थानों पर समान पारिश्रमिक अधिनियम कार्यान्वित नहीं किया गया है। मैं उन स्थानों और संगठनों का उल्लेख नहीं करना चाहता जहां इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है। परन्तु एकाएक जांच से इसका पता लगाया जा सकता है।

महोदय, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यदि ग्रामीणों की स्थिति में सुधार नहीं होगा तो कोई उन्नति नहीं होगी। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि अनेक गांवों में पीने का पानी नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अनेक गांवों में पीने का पानी नहीं है क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ भाग के गांवों में ट्यूबवैल नहीं लगाये जा सकते। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी मैं अवकाश के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया। जब मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था तो मेरी कार के ड्राइवर ने कार के रेडिएटर में कुछ पानी डालना चाहा परन्तु 15—20 मील से अधिक क्षेत्र के किसी भी ट्यूबवैल में पानी नहीं था। यह स्थिति है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि केवल पीने का पानी तथा किसानों के लिए पानी ही नहीं है बल्कि अनेक गांवों में उचित सड़कें और प्राथमिक स्कूल नहीं हैं। प्रत्येक गांव की हालत सुधारने के लिए कुछ कार्यक्रम शुरू किए जाएं। इसलिए आप यह सुनिश्चित करें कि कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ताकि प्रत्येक गांव को न्यूनतम सुविधायें मिल सकें।

महोदय, हमने अभी तक राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित नहीं की है। यह भारत का सौभाग्य है कि इसके चारों तरफ नदियां और समुद्र है परन्तु हमने अभी तक देश के कृषकों के लिए सिंचाई कार्यक्रम विकसित नहीं किया है। यदि हम सभी स्थानों पर वर्ष में दो बार फसल पैदा करेंगे तो गांवों के लोगों की स्थिति में सुधार होगा।

महोदय, प्रौढ़ शिक्षा के लिए धनराशि आबंटित की गयी है। इस सम्बन्ध में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि अपने स्कूल के समय में मैं प्रौढ़ शिक्षा का कार्यकर्ता था। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार विभिन्न संस्थाओं और राज्यों को धनराशि आबंटित करती है। मैं यह सुझाव देना चाहता

कि राज्य सरकारों या निजी निकायों द्वारा चलायी जाने वाली इन संस्थाओं का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए।

महोदय, अब मैं स्वास्थ्य केन्द्रों का उल्लेख करता हूं। आप विभिन्न औषधालयों और अस्पतालों की स्थिति जानते हैं। हम सब अनेक महानगरों में अस्पतालों की भयावह स्थिति जानते हैं। मैं एक ऐसे शहर का निवासी हूं जिसे महानगर समझा जाए। परन्तु अस्पतालों की क्या स्थिति है? जहां तक उपचार का सम्बन्ध है, यदि आप अस्पतालों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मनुष्य और कुत्ते अथवा किसी अन्य जानवर में कोई अन्तर नहीं है। यद्यपि आपातकालीन वार्डों में बिस्तर नहीं हैं लेकिन फिर वे कहते हैं कोई बिस्तर नहीं है। अन्य किसी के पास जाने का कोई लाभ नहीं है। मैं आपको अपने अनुभव से बतासकता हूं कि विगत वर्ष जब मेरे साथ गंभीर दुर्घटना हो गयी तो मैं एक सरकारी अस्पताल में गया। वहां मेरी जांच को गयी—मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता—तत्पश्चात् मुझे बताया गया कि कोई बिस्तर उपलब्ध नहीं है। परन्तु संबंधित मंत्री ने मुझे बताया कि वहां तीन बिस्तर उपलब्ध थे। अस्पतालों की यह स्थिति है तथा वहां के लोगों का यह दृष्टिकोण है। मैं मंत्रालय पर आरोप नहीं लगाता।

महोदय, पश्चिमी बंगाल के स्वास्थ्य विभाग का क्या रवैया है? यदि वे हमारे जैसे लोगों के साथ जो कम से कम राज्य में लोकप्रिय हैं, ऐसा व्यवहार करेंगे तो साधारण जनता का क्या होगा? गांवों के अनेक औषधालयों में दवाइयां नहीं हैं। मैं उसे विस्तारपूर्वक नहीं बताना चाहता क्योंकि यदि मैं ऐसा कहूंगा तो आप कहेंगे कि यह राज्य सरकार का मामला है आपका इससे कोई मतलब नहीं है। परन्तु मैं इस अवसर का उपयोग आपको सूचित करने के लिए करना चाहता हूं। दूसरी बात परिवार नियोजन के बारे में है। बहुत सी धनराशि खर्च की गयी परन्तु क्या परिणाम निकला? अदि आप भारत के किसी भाग के गांवों में जायें तो आपको गांवों में अनेक छोटे बच्चे मिलेंगे क्योंकि परिवार नियोजन कार्यक्रम को उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी जांच की जानी चाहिए।

महोदय, अब मैं शिक्षा का उल्लेख करता हूं। बालगृह कामकाज वाली माताओं के लिए हैं। हम विगत बीस वर्षों से बालगृह चला रहे हैं। यद्यपि धीरे-धीरे इसमें वृद्धि हो रही है परन्तु यह निर्धारित समय में बहुत पीछे है क्योंकि जनसंख्या की आधी संख्या महिलाओं की है उनमें से 45% महिलाएं काममाज कर रही हैं। मैं जानता हूं पचास प्रतिशत महिलायें हैं। इनमें से 45 प्रतिशत महिलायें काम-काज कर रही हैं, यदि वे अपने बच्चों को बालगृहों में भेजना चाहें तो बालगृह कहां हैं? इसके अतिरिक्त बालगृह के अध्यापकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कुछ स्थानों पर वे प्रशिक्षित हैं परन्तु सब जगह नहीं हैं। यदि अध्यापक प्रशिक्षित नहीं होंगे तो बालगृहों में बच्चों को उचित रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह हमारी भावी पीढ़ी का आधार है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। मैंने उचित रूप से चलने वाले बालगृहों को देखा है। आप विश्वास करेंगे कि प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक इन बालगृहों में आते हैं और बच्चों से अपने स्कूलों में चलने के लिए कहते हैं क्योंकि ये बच्चे उचितरूप से प्रशिक्षित हैं तथा वे अनुशासित और अच्छे हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें बालगृहों पर अधिक बल देना चाहिए और अपने अध्यापकों को उचित रूप से प्रशिक्षण देना चाहिए।

महोदय, मैं केवल एक वाक्य साम्प्रदायिक दंगों के बारे में कहना चाहता हूं। महोदय, महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है। मेरा कहना है कि यह पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए होना चाहिए। सभी पुरुषों और महिलाओं को केवल कानूनों और अधिनियमों

के बारे में ही नहीं बल्कि देश की स्थिति तथा इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए जिसकी भारत का नागरिक होने के लिए आवश्यकता है ।

श्री एच० एम० पटेल (साबरकंठा) : मैं शुरुआत में इस तथ्य का उल्लेख करना चाहता हूं कि इस सभा में केवल तीन मन्त्रालयों की अनुदानों की मांगों पर पूर्ण चर्चा हुई है यह कुल बजट का एक भाग है क्योंकि इनमें उन तीन मन्त्रालयों का व्यय शामिल है । हम वास्तव में किस तरह कह सकते है कि कराधान चर्चा के बाद लगाया जाए अथवा चर्चा किए बिना असामान्य परिस्थितियां पैदा हो गयी है । यह सच है कि प्रत्येक वर्ष कुछ मन्त्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा होती है और कुछ महत्व-पूर्ण मन्त्रालय रह जाते हैं । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब समय आ गया है कि हमें इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार-विमर्श करना चाहिए कि हम किस प्रकार उनकी जांच कर सकते हैं और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किस प्रकार इन अनुदानों की मांगों पर विचार किया जा सकता है । मेरा अनुमान है कि कुछ समय पहले आपने स्वयं कुछ सुझाव और प्रस्ताव रखे थे । मुझे आशा है कि उन पर शीघ्रता से विचार-विमर्श किया जाएगा । कुछ वर्ष पहले मैंने इस विषय के बारे में अध्यक्ष को भी लिखा था तो उन्होंने कहा, "हां" यह ऐसा मामला है जो विचाराधीन है । परन्तु साथ ही इस लोक सभा के भी अनेक वर्ष बीत गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है । मुझे आशा है कि वित्त मन्त्री स्वयं स्थिति की गम्भीरता अनुभव करेंगे । वास्तव में, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी भी वित्त मन्त्रालय की अनुदान की मांगों की जांच की गई हैं ? कभी नहीं । क्यों ?

वित्त मन्त्रालय अब अनेक प्रशासनिक मामले भी देखता है और इसलिए अब समय आ गया है जबकि वित्त मन्त्रालय की अनुदान की मांगों पर भी विचार होना चाहिए ।

यह कहने के बाद मैं इस सम्बन्ध में एक मुद्दा उठाना चाहूंगा, हालांकि विभिन्न कारणों से सामान्य चर्चा के दौरान बजट पर बोलना सम्भव नहीं था । इस प्रकार 8 प्रतिशत प्रभार लगाया गया । यह गलत था और इसकी संवैधानिक वैधता के बारे में श्री पालकीवाला जैसे व्यक्ति ने मुझे बताया है कि यह संदेह से मुक्त नहीं है । लेकिन इसके अलावा, यह वास्तव में कर में चार प्रतिशत की वृद्धि करता है । इसलिए यह उस नीति के विरुद्ध है जिसके अन्तर्गत कुछ समय पूर्व वित्त मन्त्री ने कर बढ़ाने की अपेक्षा घटाने की पहल की थी । वास्तव में इस नीति के लिए काफी श्रेय लिया गया था यह गलत तरीके से भी हुआ है क्योंकि प्रभार में वृद्धि से राज्य सरकारों को इसका कोई भाग नहीं मिलता है । क्या यह जानबूझ कर किया गया ? क्या राज्य सरकारों को उनके हिस्से से वंचित रखने के लिए ऐसा किया गया ?

दूसरा मुद्दा यह है कि इस प्रकार आप जो सारी राशि प्राप्त करेंगे वह केन्द्र के पास रहेगी और आप ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को वित्तीय सहायता देने के लिए इसका उपयोग करेंगे । एक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तो स्वयं ही अत्यधिक अपेक्षित कार्य है । आप इसके लिए वित्त प्रदान कर सकते हैं और जैसे आप विभिन्न गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के लिए कर रहे हैं वैसे ही इस उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं । लेकिन, अब इस तरह से करके आप एक खतरनाक और पूर्णतया अनैतिक परम्परा स्थापित कर रहे हैं । आप कहते हैं कि इसे इस प्रकार से जोड़ा जाएगा, तो एक चुनाव वर्ष में क्या ऐसा करना वास्तव में उचित है ? इसका यह मतलब होगा कि आम चुनावों की वित्त व्यवस्था के लिए राज्य की ओर से तो कोई धनराशि नहीं है लेकिन यहां अगले आम चुनावों में सत्ताधारी पार्टी द्वारा प्रभावी रूप में आर्थिक सहायता के रूप में इस प्रभार का उपयोग होगा । मेरे विचार से यह बहुत

ही गम्भीर, गलत परम्परा शुरू की गई है। मुझे आशा है कि इस पर पुनः गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाएगा।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि आज देश के सम्मुख गम्भीर, अत्यधिक खतरनाक और संभवतः सर्वाधिक विस्फोटक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है। गैर-योजना व्यय, राजसहायता, प्रशासनिक खर्चे इत्यादि के लिए 1989-90 में 54,347 करोड़ रुपए की धनराशि है जोकि 1989-90 में कुल राजस्व प्राप्तियों अर्थात् 52,630 करोड़ रुपए से काफी अधिक है। राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत न सिर्फ गैर-योजना व्यय पूरा करने की उम्मीद की जाती है बल्कि योजना व्यय के काफी भाग के लिए वित्त व्यवस्था इसी से होनी चाहिए। अब, जहां तक इस बजट का सम्बन्ध है, राजस्व प्राप्तियों से गैर-योजना व्यय भी पूर्ण नहीं होगा और सम्पूर्ण योजना व्यय के लिए वित्त व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था और कर्जों के द्वारा होगी। कर्जों की क्या स्थिति है? भारत सरकार पर आन्तरिक व बाहरी दोनों ही तरह के कुल देय कर्ज 1989-90 के अन्त तक 2.6 लाख करोड़ रुपए होंगे। 17,000 करोड़ रुपए की ब्याज के रूप में अदायगी 1989-90 में करनी होगी और यह राशि पूंजीगत प्राप्तियों के 77% के बराबर है। 1990-91 में ब्याज की अदायगी बढ़कर 24,000 करोड़ हो जाने की सम्भावना है। ये तो बड़े भयावह आंकड़े हैं। आर्थिक बुद्धिमता की यह मांग है कि कुल व्यय विशेषकर गैर-योजना व्यय में कटौती की जाए। व्यय कम करने के लिए आपने रक्षा व्यय को स्थिर करने जैसे तरीके इस बजट में अपनाए हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होंगे। आप स्वयं से यह पूछ सकते हैं कि राजस्व में तेजी से वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? कर अपवंचन इसका एक मुख्य कारण है। इस सम्बन्ध में एक समिति गठित की गई थी। भारत में काले धन के पहलुओं पर सरकार द्वारा प्रायोजित 1985 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में अनेक जानकारियों पर प्रकाश डाला गया था जिनके अनुसार बढ़ता हुआ सरकारी व्यय काले धन के बढ़ने का एक मुख्य स्रोत है। चाहे विदेशों से लाई गई पूंजीगत वस्तुएं हों, देश में चल रहा सरकारी कार्य हो या कथित गरीबी उन्मूलन योजना हो, व्यय के सभी क्षेत्रों में धन व्यय किया जाता है।

यह सच है कि सरकार ने पूर्णतया उचित रूप में गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए काफी बड़ी धनराशि रखी है लेकिन क्या आपने यह पता लगाया है कि इन बड़ी राशियों में से कितनी धनराशि वास्तव में उन लोगों के पास गई है जिनके लाभ के लिए ये कार्यक्रम तथा ये राशियां रखी गई थी? वास्तविक लाभान्वित व्यक्ति तो एकदम भिन्न हैं। वास्तव में यह आश्चर्यजनक है कि अब यह लगभग भुला दिया गया है कि काले धन जैसी कोई चीज है हालांकि काले धन में प्रतिवर्ष अत्यधिक वृद्धि हो रही है और आज यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव हैं।

सरकार ने व्यावसायिक उद्यमों में लगभग 71,000 करोड़ रुपए के आसपास धनराशि का निवेश किया है। आपको इसके बदले में इनसे क्या मिलता है? ब्याज और कर के बाद यह मुश्किल से 3.4% है। यदि आप इनमें से तेल क्षेत्र को निकाल दें तो बाकि अधिकतर घाटे में होंगे। बजट के लिए अतिरिक्त राशि जुटाने के बजाय ये उस पर बोझ है और फिर भी इस बारे में क्या किया जा रहा है? इस बारे में आप क्या उपाय कर रहे हैं? क्या अब समय नहीं है कि आप इस बोझ को घटाने पर गम्भीरता से विचार करें? यहां पर निजीकरण का मुद्दा आता है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि ऐसा करके आप कुछ संसाधन जुटा सकते हैं? मेरे विचार से अब समय आ गया है जबकि हमें इस स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। हमें इस तरीके से कार्य करना है और इसके लिए हमें

कार्य करने की इच्छा की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति के तथ्यों को स्वीकारने के लिए साहस की जरूरत है क्योंकि यह गम्भीर है। आप कर्जे के जाल में तेजी से फंसते जा रहे हैं। यदि आप मामले को गम्भीरता से लेकर इससे बचने के लिए गम्भीर उपाय नहीं करते हैं तो 1992 में आप इसमें फंस जाएंगे।

मैं और कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आपको सावधान करने के लिए मैं काफी कह चुका हू, आज जो स्थिति है उसके अनुसार हम अपने साधनों से अधिक खर्च कर रहे हैं। यदि हम ऐसा ही जारी रखेंगे तो इस देश को एक गम्भीर आर्थिक कठिनाई में डाल देंगे।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं श्री हरूभाई मेहता और श्री पटेल साहब की इस बात से सहमत हूं कि हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे संसद् बजट की विभिन्न मांगों पर पूरा विचार कर सके। दुर्भाग्य से इस बार केवल 3 मांगों पर ही विचार हो सका और बहुत से मुद्दे विचार करने से रह गए। ये तीन मांगें हैं एनर्जी, एग्रीकल्चर और एक्स्टर्नल एफेयर्स। जैसाकि पटेल साहब ने ठीक ही कहा कि बजट का एक छोटा सा हिस्सा ही हम डिसकस कर सके और बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी चर्चा का विषय नहीं बन सका।

इस वर्ष इसके लिए सबसे अधिक दोषी हमारे विरोधी दल के साथी हैं। इन लोगों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, ऐसे विषय उठाने शुरू कर दिए जो अगर महत्वपूर्ण भी थे तो उतने महत्वपूर्ण नहीं थे कि सारे बजट की चर्चा को वह विषय ही हड़प कर जाते, निगल जाते। यह समय ऐसा होता है जबकि पार्लियामेंट को मौका मिलता है विभिन्न विभागों के बारे में अपनी बात कहने का, अपनी समस्याओं को उठाने का, जानकारी हासिल करने का और मंत्रालयों को एक दिशा देने का लेकिन इतने महत्व के मामलों को हम लोगों ने संसद् में इस बार बिल्कुल पीछे छोड़ दिया, कोई भी उसको इम्पार्टेंस नहीं दी और इसका नतीजा यह निकला कि बहुत से विभागों के बारे में कोई चर्चा इस माननीय सदन में नहीं हुई। हालांकि प्रति वर्ष सारे मन्त्रालयों की सारी मांगों पर चर्चा नहीं हो पाती लेकिन फिर भी बहुत-सी मांगों पर हम विचार कर लेते हैं लेकिन इस वर्ष यह भी नहीं हुआ। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, तरीका निकाला जाना चाहिए जिससे लोक-सभा का कन्ट्रोल बजट पर पूरी तरह स्थापित हो सके, जैसी कि व्यवस्था की गई है।

मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान विशेषतौर से एक महत्वपूर्ण मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके बारे में उपाध्यक्ष महोदय आपने खुद जिक्र किया। जब वित्त मन्त्री जी स्टेटमेंट दे रहे थे, कुछ रियायतें देने के बारे में, तो आपने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है। आज स्थिति ऐसी है कि अभी महंगाई पर पूरी तरह सरकार काबू नहीं पा सकी है। प्रति वर्ष ऐसा होता है कि बजट पेश होने से पहले महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है और जब बजट पेश हो जाता है, बहुत-सी चीजों पर टैक्स लगते हैं, बहुत-सी चीजों पर रियायतें दी जाती हैं, लेकिन जिन चीजों पर रियायतें दी जाती हैं वह रियायतें उपभोक्ताओं, कंज्यूमर्स को नहीं पहुंचतीं और जिन चीजों पर टैक्स लगाया जाता है उस टैक्सेशन का भार जितना लगाया जाता है, उससे अधिक उपभोक्ताओं को पहुंच जाता है। उसके बाद वही चालू

रहता है और चलता रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे संसद में कुछ पेश हुआ, बजट में कुछ पास हुआ और बाजार में कुछ पहुंचा और ऐसा लगता है कि शायद उस पर कोई रोक-टोक है ही नहीं।

जब मैं यह बात कहता हूं तो मैं उन कीमतों की बात कहता हूं जो बाजार की कीमतें हैं, मैं होलसेल की कीमतों की बात नहीं कहता। आपका मन्त्रालय होलसेल कीमतों पर तो अपने को सन्तुष्ट कर सकता है, लेकिन होलसेल कीमतों और बाजार की कीमतों में जमीन-आसमान का फर्क है। हम जानते हैं कि जब आप विधेयक पर अपना रिप्लाई देंगे तो आपका विभाग होलसेल कीमतों के बारे में बताएगा और आप उसे यहां पर पढ़ देंगे कि होलसेल कीमतें नहीं बढ़ी हैं, काबू में हैं। लेकिन जो बाजार की कीमतें हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। होलसेल की कीमतों से साधारण आदमी और आम आदमी का कोई लेना-देना नहीं है। वह सिर्फ व्यापारियों के लेन-देन की चीजें हैं। आम आदमी और साधारण आदमी के लिए वही कीमतें हैं जो बाजार की कीमतें हैं, जो रूलिंग प्राइस हैं उनको कन्ट्रोल करने के लिए आप कदम उठाएं।

2.00 म० प०

आप एक अच्छे प्रशासक हैं। वित्त मन्त्रालय का पहले से ही आपको ज्ञान है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष ऐसी कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे जो रूलिंग प्राइसिज हैं, जो बाजार की कीमतें हैं उनको कम किया जा सके। जो आप कन्सेशन देते हैं वह उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचते हैं—जैसे कि मान लीजिए आप टी० वी० पर छूट देते हैं जोकि साधारण आदमी का मनोरंजन का साधन है लेकिन अगर यह छूट उपभोक्ताओं को न पहुंचे और वह पहले के दाम पर ही बिकती रहें या मिलती रहें तो एक तरफ आपने रेवेन्यू कमाया और दूसरी तरफ उसका फायदा दूसरों को नहीं पहुंचा तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा।

उपाध्यक्ष जी, कुछ बातें मैं अन्य मन्त्रालयों की मांगों के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं क्योंकि जैसाकि मैंने कहा कि बहुत-सी मांगों के बारे में हम चर्चा नहीं कर सके। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं सरकार का ध्यान हैंडलूम वीवर्स की खराब दशा की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारी जब से नई कपड़ा नीति आई है, टैक्सटाइल पालिसी आई है, उसके बाद से सबसे ज्यादा खराब असर हैंडलूम वीवर्स पर पड़ा है। हमारी जितनी भी काटन टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज हैं—चाहे वह पावरलूम हो और चाहे दूसरे आर्गेनाइज्ड सेक्टर हों सब पर इसका बुरा व खराब असर पड़ा है। आज हैंडलूम वीवर्स की शोचनीय दशा है। सूत के दाम आसमान छू रहे हैं और जो उनका तैयार माल है वह बहुत कम दाम पर बिक रहा है। नतीजा यह हुआ है कि आज बहुत बड़ी संख्या में करघे बन्द हो रहे हैं और परम्परागत तरीके से जो हमारे बुनकर हैं उनको अपना पेट पालने के लिए मजदूरी का काम करना पड़ रहा है। इस विषय पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो प्रदेशों में हथकरघा निगम हैं जिनकी यह जिम्मेदारी है कि वह सस्ता सूत बुनकरों को दें और तैयार माल उनसे खरीदें, आज यह हालत है कि उन्होंने खरीददारी बन्द कर रखी है और बुनकरों का कई-कई महीनों का भुगतान उन हैंडलूम कारपोरेशन के यहां बाकी है, उनको वह देने के लिए तैयार नहीं है। उनका तर्क यह है कि हमारे पास बहुत कपड़ा इकट्ठा हो गया है—चाहे वह जनता धोती हो और चाहे दूसरे हैंडलूम के कपड़े हों, इतने अधिक इकट्ठे हो गए हैं कि हमारा माल नहीं बिकता है, वह कैसे दें। उनकी बड़ी शोचनीय हालत है।

नई कपड़ा नीति का बहुत से माननीय सदस्यों ने स्वागत किया था, इस आशा में कि इस कपड़ा नीति से कम से कम बुनकरों की और हथकरघा का काम करने वालों की हालत अच्छी होगी, लेकिन

हालत और खराब हो गई है। इसी तरह से नई कपड़ा नीति में जो सिन्थेटिक यार्न है, उसको आजकल बहुत महत्व दिया जा रहा है। हमारी जो इम्पोर्ट पालिसी है उसने सिन्थेटिक यार्न पर ज्यादा कन्सेशन दिए। नतीजा यह हुआ है कि सिन्थेटिक यार्न के आगे हैंडलूम और काटन टैक्सटाइल दम तोड़ रहा है और कितने लोग काटन टैक्सटाइल पर निर्भर हैं—सबसे पहले कपास पैदा करने वाला वह किसान ... उसके बाद हैंडलूम वर्कर, वीवर, पावरलूम में काम करने वाला और आर्गेनाइज्ड सैक्टर की बड़ी-बड़ी मिलें, जैसा अहमदाबाद में हमारे हरूभाई मेहता कह रहे थे, सारी मिलें बन्द हैं, आज बड़ी-बड़ी टैक्सटाइल मिलें बन्द होती जा रही हैं और कपड़े के खाते का सारा पैसा आज पोलिएस्टर यार्न की उत्पादक मिलों को चला जा रहा है। साधारण कंज्यूमर को आपने कोई फायदा नहीं पहुंचाया, जो इम्पोर्ट के लिए सारी सुविधा दी है और आज सारे देश में सिर्फ 3-4 घराने ऐसे हैं जो इस कपड़े के बाजार में, पोलिएस्टर के बाजार में आज छाये हुए हैं और सारा का सारा वह कार्नर करते जा रहे हैं। एक तरफ एक बहुत बड़ा आर्गेनाइज्ड काटन टैक्सटाइल सैक्टर, जो हमारे देश में बहुत पुराने जमाने से लोगों को रोजगार देने का एक बहुत बड़ा साधन था, आज बर्बादी की तरफ जा रहा है, आज लाखों-लाख, बल्कि करोड़ों-करोड़ बुनकर, मिल मजदूर, टैक्सटाइल वर्कर, पावरलूम चलाने वाले सारे के सारे आज बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि टैक्सटाइल पालिसी पर पुनर्विचार किया जाए। हमारी कपड़ा नीति पर हमें फिर से विचार करना होगा और ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि काटन टैक्सटाइल सैक्टर, चाहे वह हैंडलूम हो, चाहे वह पावरलूम हो, चाहे आर्गेनाइज्ड सैक्टर हो, उसको बचाया जा सके। उसमें बहुत-से लोग रोजगार से लगे हुए हैं, उनको बचाया जा सके। इसके लिए ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है।

आज हमारे देश में, जैसे कि जाड़े का मौसम खत्म हुआ और गर्मी का मौसम आ रहा है, पीने के पानी का एक भयंकर संकट खड़ा हो गया है, जहां-जहां हम लोग अपने क्षेत्रों में जाते हैं, यही शिकायतें मिलती हैं कि गांव में पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग है। इसके लिए आपने पैसा भी दिया है लेकिन जितनी आवश्यकता है, उतना पैसा अभी नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 50 हजार हैंडपम्प लगाने के लिए आपसे पैसा मांगा है, आप उसको जल्दी पैसा दीजिए। अगर 50 हजार हैंडपम्प का पैसा आप नहीं देंगे तो उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच जाएगा क्योंकि प्रत्येक वर्ष उन गांवों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां पेयजल का संकट नये तरीके से पैदा होता जा रहा है। सिंचाई के कारण ग्राउण्ड वाटर नीचे से नीचे चला जा रहा है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

शिक्षा के बारे में हम यहां चर्चा नहीं कर पाए। आज हमारे देश में शिक्षा दो तरह की हो गई है। एक शिक्षा तो उन प्राइमरी स्कूलों में है जिनमें अधिकतर में भवन नहीं हैं, पेड़ के नीचे या खुले आसमान के नीचे लड़के पढ़ते हैं और दूसरी तरफ एक पब्लिक स्कूल की शिक्षा है। पब्लिक स्कूल बड़े पैमाने पर बड़े-बड़े शहरों और पहाड़ी स्थानों पर हैं लेकिन गांव के पैमाने पर भी पब्लिक स्कूल छोटी-छोटी जगह खुल गए हैं, जहां यूनिफार्म में लड़के पढ़ने जाते हैं और 70-70, 80-80 और सौ रुपये देकर लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन उनका क्या होगा, जिन गरीब लड़कों के मां-बाप इतना पैसा नहीं दे सकते। आज प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा और दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी उससे वाकिफ हैं, सारा सदन वाकिफ है। आपने नवोदय विद्यालय खोल दिए कि जो गरीब लड़के अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, इण्टेलीजेंण्ट होंगे, उनको हम नवोदय विद्यालय में रखेंगे लेकिन कितने लड़कों को आप नवोदय विद्यालय में रख पाएंगे, थोड़ा-सा हिस्सा उन गरीबों को फेंककर,

थोड़ी-सी रोटी उनको फेंककर आपने उन गरीबों का मुंह बन्द कर दिया है कि 10-20, 50-100, 200-400 लड़के नवोदय विद्यालय में पढ़ लेंगे······बाकी गरीब उसी तरह से प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा पाते हैं···(**व्यवधान**)·· क्या हम प्राइमरी स्कूल की शिक्षा ठीक नहीं कर सकते हैं। समान शिक्षा की व्यवस्था हम नहीं कर सकते ? मैं कई वर्षों से इस माननीय सदन में मांग कर रहा हूं कि या तो सभी स्कूलों को आप पब्लिक स्कूलों के स्तर का बना दीजिए और नहीं तो आप पब्लिक स्कूलों को खत्म कर दीजिए। सभी को प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करने दीजिए। शिक्षा में बराबरी होनी चाहिए। इक्यूवल अपोर्चूनिटी आप शिक्षा में दें, यही जम्हूरियत का, जनतन्त्र का पहला सिद्धान्त होना चाहिए। इस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था।

दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारी सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनोरिटी करैक्टर दिया है, जिसकी सारे देश में सराहना की गई। हमारे वित्त मन्त्री जी उस समय शायद शिक्षा मन्त्री थे और इन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था इस मामले में, लेकिन आज हालत यह है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कोर्ट की बैठक, आज लगभग एक साल हो रहा है, नहीं हुई है और मेरे ख्याल में न होगी। आज जितने भी डैमोक्रेटिक करैक्टर आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में आपने दिए हैं, वे बर्बाद हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, और वहां का वाइस चांसलर अपने मनमाने तरीके से डिक्टेटराना तरीके से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं। इसके बारे में कई बार रिप्रजेंटेशन भी दिए गए और कई बार शिक्षा मन्त्रालय से भी कहा गया है, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है। फिर आपको माइनोरिटी करैक्टर देने की क्या जरूरत थी, फिर डैमोक्रेटिक करैक्टर देने की क्या जरूरत थी, जबकि उस यूनिवर्सिटी को एक्ट, कायदे-कानून से चलना चाहिए, उस तरीके से वह आज नहीं चल रही है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इस पर विशेष ध्यान दें, ताकि यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको कि आपने माइनोरिटी करैक्टर दिया है, डैमोक्रेटिक करैक्टर दिया है, वह उसी हिसाब से काम कर सके।

अब मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओपियम एण्ड एल्क्लॉयड वर्क्स फैक्ट्री की ओर दिलाना चाहता हूं, जोकि गाजीपुर में है। यह फैक्ट्री सौ साल पुरानी है। मैं बहुत दिनों से उसके मॉड्रनाइजेशन के लिए कहता रहा और आपके मन्त्रालय ने उसके लिए पैसा भी सैंग्शन किया, लेकिन मॉड्रनाइजेशन का कोई भी काम उस फैक्ट्री में नहीं हुआ। यहां तक कि आपको शायद पता होगा एन्वायर्नमेंटल विभाग ने एक मुकद्दमा कर दिया है और उस पर कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि इस फैक्ट्री को बन्द कर दिया जाए, क्योंकि इस का पानी गंगा नदी को गन्दा करता है। इसके बारे में मैंने पत्र भी लिखा था पांजा जी को और आप लोगों ने इस मामले में कुछ कार्यवाही भी की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस ओपियम कारखाने ने कुछ ऐसे प्राइमरी डिवाइसैस भी बनाए हैं, जिससे गन्दा पानी गंगा नदी में न जा सके, लेकिन कोई परमानेंट हल नहीं निकला है। मुझे जहां तक याद पड़ता है आपके मन्त्रालय ने 54 लाख रुपया सैंग्शन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उस फैक्ट्री को मॉड्रनाइजेशन क्यों नहीं हो सका। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस बारे में पता लगाएं और रिसपांसिबिलिटी फिक्स करें। हम लोगों के यहां ऐसी चर्चा है कि कुछ ऐसी साजिश चल रही है कि इस कारखाने को बन्द कर दिया जाए, आपके विभाग में कुछ लोग ऐसे हैं। इससे लोगों में डिसकन्टैंट होगा, सौ साल पुरानी जो गाजीपुर में फैक्ट्री अकेली अपनी ऐसी है जिससे जो किसान अफीम की खेती करते हैं, वे उससे कुछ लाभान्वित होते हैं, उन सबको इससे काफी नुकसान होगा।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, उन पर माननीय मन्त्री जी विशेष ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैं माननीय मन्त्री श्री एस० बी० चव्हाण द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक, 1989 का समर्थन करती हूं। इस विधेयक में दी गई कुछ रियायतों के लिए मैं माननीय मन्त्री को बधाई देती हूं। तेलुगु देशम के एक सदस्य ने अपने भाषण में कहा है कि यह कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणापत्र है। यह सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं फिर भी मैं उन्हें कहती हूं कि वह इस पर विचार करें। यह चुनाव घोषणापत्र नहीं है। यह तो लोगों का घोषणापत्र है। हमारा जो घोषणा-पत्र होगा, वह हम कुछ दिनों बाद दिखाएंगे। चुनाव घोषणापत्र असामान्य होगा। इससे उनके मुख्य मंत्री श्री एन० टी० रामाराव के दिल को ठेस पहुंचेगी। (**व्यवधान**)

मैं श्री हरूभाई मेहता और अन्य माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि पहली दफा हमें रक्षा, उद्योग, मानव संसाधन और गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करने का कोई अवसर नहीं मिला क्योंकि इसके लिए समय नहीं था। लेकिन मैं समझती हूं कि इस विधेयक के माध्यम से हम वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।

हम यह आशा कर रहे थे कि इस वित्त विधेयक के माध्यम से हमारे माननीय मन्त्री आयकर की सीमा को 18000/- रुपए से बढ़ाकर 30,000/- रुपए करके मध्यम वर्ग अथवा निम्न-मध्यम वर्ग को कुछ राहत देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इस वित्त विधेयक में ऐसी कोई राहत नहीं दी गई है। अनेक लोग हमारे पास आते हैं और आयकर की सीमा बढ़ाने का अनुरोध करते हैं क्योंकि मध्यम वर्ग के लोगों, सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक कामगारों के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करती हूं कि आयकर सीमा को 18000/- रुपए से बढ़ाकर 30,000/- रुपए कर दिया जाए। इससे आम लोगों को मदद मिलेगी और हमारी प्रतिष्ठा भी बेहतर होगी।

2.19 म० प०

[**श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं**]

मूल्यवृद्धि के बारे में मैंने पिछले शुक्रवार को यह मुद्दा इस सभा में उठाया था और माननीय मन्त्री ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था। सरकार कहती है कि कोई मूल्यवृद्धि नहीं हुई है जबकि वास्तव में मूल्यवृद्धि हुई है। यह हो रहा है कि देश के विभिन्न भागों में मूल्यवृद्धि की दर अलग-अलग है। त्रिपुरा में मूल्यवृद्धि पश्चिम बंगाल से भिन्न है। इसी प्रकार अनेक स्थानों पर भी ऐसा ही है। किसी भी स्थान पर एक समान मूल्यवृद्धि नहीं हुई है। इससे खरीदारी के लिए कुछ दुकानों पर जा रहे आम आदमी के लिए कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। उसे एक दुकान पर जो मूल्य देना पड़ता है वही दूसरी दुकान पर उसी वस्तु के लिए दूसरा मूल्य देना पड़ता है। सरकार को इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। आवश्यक वस्तु अभिनियम तथा अन्य अधिनियम भी हैं लेकिन इनका कार्यान्वयन बहुत ढीला है। यदि मैं जानना चाहूं कि पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने कालाबाजारियों को गिरफ्तार किया गया तो मुझे सही आंकड़े नहीं मिल सकते हैं। मैं नहीं जानती कि कितने कालाबाजारियों को गिरफ्तार किया गया है और मैं पाती हूं कि उन्हें कोई सजा नहीं दी गई है। यदि ऐसी स्थिति जारी रहती है तो

व्यापारियों पर कोई नियन्त्रण नहीं रहेगा और वे अपनी मर्जी से मूल्य बढ़ाते रहेंगे। अतः सरकार को देखना चाहिए कि मूल्य-वृद्धि पर नियन्त्रण रहे।

रूग्ण उद्योगों के सम्बन्ध में, आपने अपने भाषण में कहा कि आपने रूग्ण उद्योगों को विशेष रियायतें दी हैं। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। श्रमिक वर्ग की ओर से मैं आपको बधाई देती हूं। किन्तु मैं आपसे रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुरोध भी करती हूं। आपने 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन किया। किन्तु क्या हुआ ? हमने रूग्ण उद्योगों के मामलों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत कराया। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के कार्यकलाप क्या हैं ? आपको इसके कार्यकलाप जानकर आश्चर्य होगा। रूग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के स्थान पर वे अब उनके समापन की सिफारिश कर रहे हैं। यदि यह चलता रहा तो मैं नहीं जानती कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की उपलब्धियां क्या होंगी। आपको याद होगा कि पिछली बार, आपने कलकत्ता के मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स कार्पोरेशन के मालिक श्री केशव महेन्द्र, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष और मुझे एक बैठक में बुलाया था। उस बैठक में, हमने निर्णय किया कि श्रमिक इस निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में अपील करेंगे ताकि यह कम्पनी समाप्त न हो। बाद में क्या हुआ ? उस बैठक में श्री केशव महेन्द्र भी उपस्थित थे। इन उद्योगों के रूग्ण होने के लिए वह पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। श्रीमन, मैं यह बात पूरी तरह प्रमाणित ढ़ंग से कह रही हूं। मैं आपसे कह रही हूं कि वह पूरी तरह से दोषी हैं। यदि यह सच नहीं है, तो आप मुझे दण्ड दे सकते हैं जिसके लिए मैं बुरा नहीं मानूंगी। किन्तु क्या हुआ ? श्री केशव महेन्द्र, जो औद्योगिक इकाइयों की रूग्णता के लिए जिम्मेदार हैं, ने कलकत्ता इकाइयों से सारी धनराशि मैसूर इकाइयों में लगा दी और जब ये इकाइयां रूग्ण हो गयीं, वह भाग गए, उन्होंने अपने वकील द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय में इन कम्पनियों के समापन की दलील दी और कल न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। श्रमिकों का क्या भाग्य है ? 4000 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। कुछ श्रमिकों ने आत्महत्या कर ली है। आप कब तक इस प्रकार से चलने देंगे। ये उद्योगपति और पूंजीपति अब इन वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अपना सर उठा रहे हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक वित्त निगम, आई० आर० डी० बी० और प्रबन्धन भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब कोई पूंजीपति उद्योग बन्द करता है तब पूंजीपति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करता है। यहां तक कि सरकार भी उन्हें काली सूची में दर्ज नहीं करती है। बल्कि सरकार उन पूंजीपतियों और उद्योपतियों को अधिक से अधिक धन देने जा रही है। और जब श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं, श्रमिकों के हितों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। एक संसद सदस्य के रूप में मैंने श्री जे० वेंगल राव से अनेक बार मिलने की कोशिश की। जी हां। वह एक अकुशल मंत्री हैं। मैं उनसे अनेक बार मिली हूं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वह इस कम्पनी को बन्द करने की अनुमति नहीं देंगे। यह कार्यवाही-वृत्तान्त में हैं। उसके बाद, उनकी लापरवाही के कारण बम्बई उच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया। मैं आपको यह स्मरण दिलाना चाहती हूं। कृपया इस कम्पनी को पुनः खोल कर श्रमिकों की सहायता कीजिए। अन्यथा, मैं संसद की सदस्यता छोड़ दूंगी। यदि मैं श्रमिकों की सहायता नहीं कर सकती हूं, तो मुझे इस सभा का सदस्य बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप इस मामले पर ध्यान दें और श्री केशव महेन्द्र के साथ इस मामले को शीघ्रता से निपटाने का प्रयास कीजिए। या तो उन्हें इस कम्पनी को मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स कार्पोरेशन (एम० एम० सी०) में मिला देना चाहिए या सरकार को इसका अधिग्रहण करना चाहिए। कोई न कोई

समाधान होना चाहिए। मैं जानती हूं कि सरकारी औद्योगिक नीति के अनुसार रूग्ण उद्योगों को सरकार अपने हाथ में नहीं लेती है। मैं इसको स्वीकार करती हूं। किन्तु कुछ मामलों में श्रमिकों के हित में सरकार को इस औद्योगिक नीति को बदलना चाहिए। मेटल बाक्स कम्पनी के मामले पर विचार कीजिए। सभी इस नाम से परिचित हैं। यह देश की सर्वाधिक अच्छी और आकर्षक कम्पनियों में से एक है। हमने गत वर्ष यह मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत कराया। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड औद्योगिक और वित्तीय समापन बोर्ड बन चुका है। वे केवल कंपनियों को समाप्त करने की सिफारिश कर रहे हैं। यह शर्म की बात है। मैं कल औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की बैठक में गयी थी। श्रीमन, आप जानते हैं कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का प्रस्ताव क्या है? वे कहते हैं कि कुछ उद्यमी आए और उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे कि 6800 श्रमिकों में से 2600 श्रमिकों की छंटनी कर दी जाएगी और तब वे इस उद्योग को दुबारा खोलेंगे।

रूग्ण उद्योगों के लिए पहले ही आप कुछ पुनःस्थापन कार्यक्रमों की घोषणा कर चुके हैं, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया इस मामले को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के माध्यम से शीघ्रता से निपटाइए जिससे वे इस अवसर का लाभ उठा सकें और वे श्रमिकों की छंटनी न करें। यदि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं होगी तो वे इसको कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे यह मेटल कम्पनी तत्काल खुलनी चाहिए।

मैंने अनेक बार बेरोजगारी की समस्या का उल्लेख किया है। यह हमारे देश की एक ज्वलंत समस्या है। सरकार पहले ही 'बेकारी हटाओ' का नारा दे चुकी है। बजट भाषण में, आप बेकार युवाओं के लिए पहले ही नेहरू योजना कार्यक्रम की घोषणा कर चुके हैं। हमारे देश में बेरोजगार शिक्षित युवकों की संख्या तीन करोड़ है। अशिक्षित युवकों की वास्तविक संख्या के बारे में मुझे ठीक से पता नहीं है। रोजगार अनुपात बहुत कम है। महिला रोजगार अनुपात केवल 2 प्रतिशत है। यह स्थिति है। आपको शीघ्र कुछ करना चाहिए ताकि हम इस समस्या का समाधान कर सकें। अन्यथा, युवक पथ-भ्रष्ट और निराश हो जाएंगे।

विभिन्न नौकरियों के लिए बेरोजगार युवकों से अपना आवेदन-पत्र भेजते समय पोस्टल-आर्डर के रूप में जो शुल्क मांगा जाता है, उसको समाप्त किए जाने का प्रश्न मैं अनेक बार उठा चुकी हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आपने यह शुल्क पहले ही समाप्त कर दिया है, किन्तु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए नहीं किया है। यदि आप मेरे इस अनुरोध को मान लें, तो कम से कम बेरोजगार युवक बिना किसी वित्तीय भार के विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की गतिविधियों के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, भारतीय स्टेट बैंक ने दो शाखाएं खोली हैं। उन्होंने भारतीय साम्यवादी दल (सी० पी० आई०) के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया किन्तु मुझे आमंत्रित नहीं किया था। यह बहुत आश्चर्य की बात है। सभी बैंक अधिकारी एक विशेष संघ से सम्बन्धित हैं। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कुछ दिशानिर्देश दिए गए हैं। जब ये शाखाएं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में खोली गयी थीं तो उनको, स्थानीय संसद सदस्य को उसके दल के सम्बन्ध में विचार किए बिना आमंत्रित करना चाहिए था। मैं यह बात कार्यवाही वृत्तांत में लाना चाहती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, दक्षिण 24 परगना में पैलन विष्णुपुर और कबारडांगा में, दो शाखाएं खोली गयीं किन्तु इन दो शाखाओं के उद्‌घाटन पर मुझे नहीं बुलाया गया था। ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिए।

तत्पश्चात, मैं ब्याज की विभेदक दर के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। यदि किसी व्यक्ति को 5000 रुपए का ऋण दिया जाता है तो वह 12 प्रतिशत ब्याज देता है जबकि दूसरे व्यक्ति के मामले में, ब्याज दर 4 प्रतिशत होती है, यद्यपि दोनों लाभभोगी एक श्रेणी में आते हैं। इस मामले में कुछ भेदभाव है। मैं अनुरोध करती हूं कि इस योजना में केवल एक समान ब्याज दर होनी चाहिए अर्थात् निर्धन लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के 4 प्रतिशत।

श्रीमन्, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि हल्दिया पेट्रोकेमिकल परियोजना और सालबनी टकसाल (मिंट) परियोजना जो वित्त मन्त्रालय के पास लम्बित पड़ी हुई हैं, उन्हें मंजूरी मिलनी चाहिए।

मेरे राज्य में सूखा पड़ा था और वहां पानी की कमी है। लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। केन्द्र सरकार को इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि वहां के लोग यह महसूस कर सकें कि केन्द्र सकार उनके साथ है।

अन्त में, मैं कहना चाहती हूं कि मशीनरी मेन्युफैक्चरर्स कार्पोरेशन और मेटल बाक्स इकाई को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं आज प्रधान मन्त्री से मिली हूं और उन्होंने मुझसे कहा है कि वह इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया इस कम्पनी को मशीनरी मेन्युफैक्चरर्स कार्पोरेशन (एम० एम० सी०) के साथ मिला दिया जाए अन्यथा मैं नहीं कह सकती कि श्रमिकों की मांग पूरी करने के लिए मुझे क्या कदम उठाना पड़ेगा। आप कृपया हमारा मार्गदर्शन करें और हमें सलाह दें कि श्रमिकों की सहायता किस प्रकार से की जाए ताकि वे भुखमरी से बच सकें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, सबसे पहले, मैं उसी बात को थोड़ा-बहुत दोहराऊंगा जो मैं कल कहना चाह रहा था। हमने अधिकतर मन्त्रालयों की मांगों पर चर्चा नहीं की है। मैंने पिछले साल भी देखा था कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण मन्त्रालय छूट गए थे। जब आप समझौता करना शुरू करते हैं, तब आप ऐसी हालत में आ जाते हैं कि आप गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय तथा अन्य बहुत से मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा नहीं करते हैं। वास्तव में, कल मैंने सुझाया था कि विदेश मंत्रालय पर चर्चा को रोका जा सकता है और उसके बदले हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर सकते हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि विकास के लिए शिक्षा बहुत बुनियादी चीज है। यह बहुत दुःख की बात है कि हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विधेयक—वित्त विधेयक, जिसमें सभी मांगें शामिल होती हैं, पर चर्चा जनता की आकांक्षाओं और कठिनाइयों को अभिव्यक्त किए बिना कर रहे हैं।

मैं श्री चव्हाण जैसे परिपक्व और अनुभवी मंत्री को भला क्या सिखा सकता हूं, किन्तु मैं बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं और उसका समाधान ढूंढ़ना होगा। आप किस तरह से इन मांगों पर चर्चा करते हैं ? कम से कम मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि मैंने अध्ययन नहीं किया है और न ही अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। दुनिया में क्या होता है, हम इस बात से कोई सबक नहीं सीखते हैं।

वर्ष 1985 में माननीय अध्यक्ष ने सुझाया था कि बजट समितियां होनी चाहिए और तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि बजट समितियां गठित की जाएंगी। विश्व की कई संसदों

ने ऐसा किया है। ये समितियां रिपोर्ट तैयार कर सकती हैं और कम से कम उन रिपोर्टों को हम समझ सकते हैं और उन पर चर्चा कर सकते हैं। परन्तु हमने ऐसा नहीं किया है। मैं इस महान सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि हाऊस आफ कॉमन्स में क्या हुआ था। हमारा आधारभूत प्रश्न समय का है। मुझे बताया गया कि इस महान सभा के समक्ष कई मामले लाए गए थे और हमने समय नष्ट किया। जहां तक इस सत्र का सम्बन्ध है, यह मूलतः बजट सत्र है लेकिन बजट सम्बन्धी मांगों पर चर्चा नहीं की गयी है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि हम चर्चा 6 म० प० पर ही समाप्त क्यों करें। हम सभा की कार्यवाही देर रात तक चला सकते हैं। यह इस संसद के लिए नई बात नहीं है। हाऊस आफ कामन्स ने ऐसा किया है। आमतौर पर हाऊस आफ कामन्स का समय हमारी संसद से कहीं अधिक है। इसकी बैठक 2 म० प० पर शुरू होती है और रात 10 म० प० पर खत्म होती है तथा कभी-कभी वे मध्य रात्रि तक बैठते हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज से कुछ उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है :

> "हाऊस आफ कामंस 2 म० प० पर समवेत होता है और इसकी बैठक आमतौर पर 10 म० प० तक और अक्सर मध्य रात्रि तक चलती है।"

अतः दो काम किए जा सकते हैं; या तो हम सभा का समय बढ़ा सकते हैं या फिर सत्र का समय बढ़ा सकते हैं। खैर यह कुछ भी हो, हमें रक्षा, गृह मंत्रालयों और कम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों पर तो चर्चा करनी ही चाहिए थी।

महोदया, आप स्वयं अध्यक्ष रह चुकी हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष भी चाहते हैं कि बजट समितियां होनी चाहिए और बजट पर चर्चा की जानी चाहिए। जो कुछ यूरोप और कई अन्य संसदों में हुआ है हमें उससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में हाऊस आफ कामन्स में हुई नवीनतम प्रगति से आपको अवगत कराना चाहता हूं। आप मुझ से ज्यादा जानकारी रखते हो लेकिन मैं इस सम्बन्ध में अपने अध्ययन की जानकारी आपको देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रो० सोज, आप कृपया मुद्दे पर आइए क्योंकि समय सीमित है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदया, मैं मुद्दे पर आऊंगा लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि मैं सभा को समझा सकता हूं लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मुद्दा यह है कि हमें समितियां बनानी चाहिए। ब्रिटेन में संसदीय समिति की तरह कई समितियां हैं। उन्होंने 1979 में क्या किया :

> "ब्रिटेन में महत्वपूर्ण बदलाव आए। (हमारा संसदीय लोकतन्त्र ब्रिटेन से बहुत मिलता-जुलता है इसी वजह से मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं।) 1979 में लोक लेखा समिति की तरह 11 मौजूद समितियों के अतिरिक्त 14 नयी समितियां स्थापित की गयीं। ये समितियां मुख्य सरकारी विभागों और उनसे संबद्ध अर्ध-सरकारी निकायों का निरीक्षण करने तथा मन्त्रियों को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए स्थापित की गयीं थीं।"

सभापति महोदया, यहां मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहूंगा कि वे मंत्रियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को संसद के प्रति उत्तरदायी ठहराती हैं। अब कोई भी सदस्य इस संसद और लोक सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

मैं एक आधारभूत प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह है कि इस संवैधानिक उपबन्ध के पीछे क्या सिद्धान्त है कि धन विधेयक केवल लोक सभा में ही पेश किया जाएगा। धन विधेयक केवल लोक सभा में ही क्यों रखा जाना चाहिए ? यह इसलिए क्योंकि यह जनता की प्रतिनिधि सभा है। यह इसलिए कि हम निचले स्तर पर लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें उनकी आकांक्षाओं की जानकारी है। हमें उनकी कठिनाइयों की जानकारी है। फिर भी हमें उनकी कठिनाइयां व्यक्त करने नहीं दिया जाता है। फिर हम इन मांगों पर अंगूठा कैसे रख सकते हैं और केवल हां कैसे कह सकते हैं ? निसंदेह ये मांगें पारित कर दी जाएंगी। लेकिन हम लोक सभा में लोगों के प्रतिनिधित्व के आधारभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध जा रहे हैं।

महोदया, अब आप चाहती हैं कि मुझे मुद्दे पर आना चाहिए। ये आधारभूत बातें हैं। हम लोक सभा के कार्यकरण को बिगाड़ रहे हैं। हम लोक सभा की प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहे हैं। यह जन प्रतिनिधि सभा है। लेकिन उनकी मांगों के बारे में बिलकुल भी नहीं बताया जा रहा है।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : यही आपके मित्र कर रहे थे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्होंने कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी उठाए हैं। जिसके कारण कुछ समय नष्ट हुआ है। लेकिन आप इसका हल निकालिए। मैं सारी रात बैठने के लिए तैयार था। हमें ऐसा करना चाहिए। हम ऐसा क्यों नहीं करें ?

महोदया, श्री जैनुल बशर अभी यहां भाषण दे रहे थे। मैं आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में कुछ बताने का बहुत इच्छुक था। विश्वविद्यालय स्तर पर धन कैसे नष्ट किया जाता है ? वह अनुसंधान कैसे किया जा रहा है जो समाज से संबद्ध ही नहीं है ? मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में भी एक प्रश्न उठाऊंगा जिसे उपकुलपति—मैं नहीं जानता कि क्या श्री चव्हाण यह बात श्री शिवशंकर को बतायेंगे या नहीं—इसे अपनी इच्छानुसार चला रहे हैं। उन्होंने अदालत नहीं बिठाई है। सभी संसद सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं। हम कल मंत्री महोदय को मिल रहे हैं। मुद्दा यह है कि अदालत नहीं बैठ रही है। यहां तक कि वे प्रतिनिधि जिन्हें इस संसद ने अदालत में शामिल होने के लिए चुना है, को मिलने की अनुमति नहीं दी गयी है। यह उप-कुलपति की ज्यादती है। यदि हम लोक सभा में नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे ? यदि मांगों को गिलोटिन कर दिया जाएगा तो ऐसा ही होगा। मैं श्री चव्हाण को जानता हूं। जब वह महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मांगें गिलोटीन हो जायें। यदि हम इन मांगों को गिलोटीन कर देते तो उन्हें खुशी नहीं होती। आप नहीं जान पायेंगे कि क्या हुआ है। आप नहीं जानेंगे कि हमें क्या बात करनी पड़ी थी आप मानव संसाधन विकास मंत्री को जानकारी कैसे दे सकते हैं ?

महोदया, इस बीच हुआ यह है कि रक्षा मंत्रालय की मांगों पर भी चर्चा नहीं हो पायी है। यही दुख की बात है। इसलिए भविष्य में वित्त मंत्री को बजट समिति के गठन के लिए सरकारी प्रस्ताव को प्राप्त करने हेतु अध्यक्ष महोदय और संसदीय कार्य मंत्री से परामर्श करना चाहिए।

चूंकि समय बहुत कम है, अब मैं अपने राज्य और अन्य बातों के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रखना चाहता हूं। पहले तो मैं कुमारी ममता बनर्जी की इस बात से सहमत हूं कि आयकर सीमा 18000 रुपये से बढ़ाकर 30000 रुपये कर दी जाये। आप निश्चित आय समूह के लोगों के बारे में

जानते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अपना व्यापार है। वे कर बचाने के तरीके जानते हैं। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी क्या कर सकता है?

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : यहां तक कि यह सीमा 25000 रुपए तक भी ठीक है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : नहीं, इसे 30000 रुपये तक बढ़ाना चाहिए। आपको एक संतुलित बजट बनाना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जानते हैं कि निश्चित आय समूह के लोग कर से नहीं बच सकते हैं। वे कर देते हैं। कभी-कभी लखपति लोग कर नहीं देते हैं क्योंकि वे कर अपवंचन के तरीके जानते हैं। इसलिए यह सीमा बढ़ाकर 30000 रुपये कर दी जानी चाहिए।

मैं मुद्रास्फीति के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं—जब माननीय मंत्री वाद विवाद जोकि कल अथवा परसों तक खत्म होगा, मैं नहीं जानता हूं—का उत्तर देने के लिएखड़े हों तो उन्हें हमें यह जानकारी देनी चाहिए कि वह इस देश में मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करना चाहते हैं। आम उपभोग की वस्तुओं के मूल्य सूचकांक के बारे में माननीय वित्त मंत्री अच्छी तरह जानते हैं। कीमतें बढ़ रही हैं। मैं आपको मांस का एक उदाहरण दूंगा क्योंकि मैं मांसाहारी हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि पिछले आठ महीनों में मांस (मीट) की कीमत हर महीने कम से कम 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ रही है। मैं उन्हें पिछले 4 महीनों की मूल्य सूची दिखाने के लिए तैयार हूं। यदि यह आज 40 रुपए प्रति किलोग्राम है तो फिर आप गणना कर सकते हैं कि 8 महीने पहले क्या दाम होंगे। मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं कि प्रत्येक महीने 2 प्रति किलोग्राम वृद्धि होगी। इसमें प्रोटीन होता है। जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए मीट एक आवश्यक मद है।

इसी तरह दालों और सब्जियों का उदाहरण लीजिए। इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और लोगों की आय मूल्य वृद्धि से मेल नहीं खाती है। अतः मैं बाजार की स्थिति पर माननीय वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया चाहता हूं। इसी वजह से मैं कहता हूं कि आम उपभोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। सरकारी आंकड़े कुछ भी हों, वे केवल सैद्धान्तिक होते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से आम उपभोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। इसलिए इस मुद्रास्फीतिकारी उत्तरोत्तर वृद्धि का कुछ समाधान किया जाना चाहिए।

महोदया, मैं बैंकों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। कुमारी ममता बनर्जी ने बैंकों का जिक्र किया है। मैं कुछ ही बैंकों का केवल जिक्र नहीं करूंगा कि वहां क्या हो रहा है।

पूरे देश में बैंकों की स्थिति के बारे में मैं जिक्र करूंगा। बैंक इसके लिए बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है। मैंने तीन वर्ष पूर्व एक प्रश्न किया था। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति क्यों नहीं बैंकों के कार्यकरण का निरीक्षण करती है? बैंकों के चेयरमैन अपने कार्यकाल में मनमानी करते है। जब तक वे अपने पदों पर बने रहते हैं वे अपने समर्थन के लिए राजनीतिज्ञों को पकड़ सकते हैं। वास्तव में वे ऐसा कर रहे हैं। एक बार उन पदों पर पहुंच जाने के बाद वे किसी भी सांसद अथवा मंत्री द्वारा प्रस्तावित कोई भी प्रस्ताव चाहें वह उचित भी हो, स्वीकार नहीं करते हैं। मैंने श्री फैलीरो को यह बात बताया है कि कैसे एक बैंक अधिकारी ने श्रीनगर में एक बैंक शाखा खोलने के सम्बन्ध में मुझे दिए गए आश्वासन को भुला दिया है। वे इसकी परवाह ही नहीं करते हैं क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं। मैंने न्याय-पालिका से सम्बन्धित प्रश्न भी किया है। यह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। हम लोग विधि निर्माण

करते हैं। इस प्रकार बैंकों में धोखाधड़ी चल रही है और बैंक देश में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, न तो संसद के प्रति, न ही संसद के बाहर किसी मंत्री के प्रति या फिर इस सम्बन्ध में अन्य किसी के वे उत्तरदायी हैं। एक बार चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक बन जाने के पश्चात् वे स्वयं कानून बन जाते हैं।

अतः बैंकों को संसदीय समिति के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लाना होगा और यह समिति सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति हो सकती है।

राज्यों पर कुछ ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध में मैं सभा का समय नहीं बरबाद करूंगा क्योंकि श्री पटेल तथा अन्य अनेक सदस्यों ने पहले ही इसकी व्याख्या आपसे कर दी है। मैं इस सम्बन्ध में वृहत जानकारी दूंगा। मैं चाहता हूं कि केन्द्र शक्तिशाली बना रहे जैसाकि सरकारिया आयोग ने भी कहा है। लेकिन सरकारिया आयोग ने यह भी कहा है कि वित्तीय शक्तियों का हस्तांतरण होना चाहिए क्योंकि जब तक राज्य शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक केन्द्र भी शक्तिशाली नहीं होगा। मैं जानता हूं कि केन्द्र द्वारा करों की वसूली की जाती है, यहां तक कि अधिभारों की वसूली भी केन्द्र द्वारा की जाती है, इस प्रकार तो राज्यों के हिस्से में कम धनराशि आएगी। जहां तक वित्तीय क्षेत्र में शक्तियों के हस्तांतरण का सम्बन्ध है, हो सकता है माननीय वित्त मंत्री को इस समय इसकी चर्चा करने का समय न मिले लेकिन जब भी उन्हें समय मिले वे कृपया इस बात पर विचार करें कि कैसे राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत की जा सकती है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : कैसे की जा सकती है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वे इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। अभी राज्य संतुष्ट नहीं हैं क्यों कि उन्हें और अधिक धन की आवश्यकता है। योजना आयोग के साथ हम सिर्फ यह बातचीत ही नहीं करेंगे और हम उनसे किसी तरह की मांग नहीं करेंगे; उनकी शक्ति का कोई स्थायी स्रोत होना चाहिए और स्थायी तौर पर उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए। समुचित विकास के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य को वित्तीय अनुदान में से उचित हिस्सा नहीं मिला है। चार वर्षों पूर्व मैंने एक प्रश्न किया था। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कुल कितनी राशि लगाई गई है और इसमें जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा क्या है ? इसका उत्तर था कि यह 0.07 प्रतिशत है। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कुल लागत 30,000 करोड़ रु० थी और हमारा हिस्सा 0.07 प्रतिशत था। एम० एम० टी० निकाय की हालत भी बदतर थी लेकिन मेरे परामर्श पर श्री वेंगलराव ने इसे फिर से ठीक करने की कोशिश की। इसका श्रेय उन्हें जाता है। वे कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं। उन्होंने जनरल मैनेजर को बर्खास्त कर दिया और एक ठोस बुनियाद पर इसकी हालत सुधारी; यह ठीक तरह से कार्य कर रहा है। लेकिन क्या हमें राज्य के विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं है ? हमने यह मुद्दा भी उठाया है लेकिन किसी ने भी ध्यानपूर्वक इस पर विचार नहीं किया है।

बिजली की आपूर्ति के लिए भी धन नहीं है और हमारे यहां सर्दियों में चार दिनों तक बिजली की सप्लाई नहीं हुई। सम्पूर्ण जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर से कहीं बेहतर स्थिति में है। हमें इसके लिए कोई आक्रोश नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न किया था। हिमालय प्रदेश के लिए आपने 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जबकि जम्मू और कश्मीर के लिए 70 प्रतिशत ऋण के रूप में और 30 प्रतिशत

अनुदान के रूप में। इस संबंध में हम वित्त मंत्रालय को विश्वास दिला रहे हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य से सम्बन्धित अनेक मुद्दों पर मैं प्रश्न कर सकता हूं।

पर्यटन और दस्तकारी से सम्बन्धित ऐसे क्षेत्र हैं जिनका विकास किया जाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर राज्य के समुचित विकास के लिए हमें बहुत धन की आवश्यकता है। लद्दाख, जम्मू, बेनी तथा दूर-दराज के अन्य क्षेत्रों में यातायात परिवहन की कठिनाईयां हैं। वहां हमें बहुत परेशानी होती है।

इन शब्दों के साथ वित्त विधेयक के अन्तर्गत अनुदान मांगों का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री से विशेष अनुरोध करता हूं कि मेरे द्वारा रखी गई मांगों पर वे विचार करें।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल बेरवा (टोंक) : माननीय सभापति महोदया जी, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, वित्त मंत्री जी जो बजट लेकर आए हैं, वह बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया और कहना चाहिए कि बेरोजगारी के खिलाफ मुहिम वाला बजट लेकर के आए हैं और वह स्वागत योग्य है।

महोदया, आज वित्त मंत्री जी ने कुछ और भी छूटें कुछ और भी रियायतें दी हैं। उसके लिए मैं उनको मैं उनको बधाई देता हूं। और यह अपेक्षा करता हूं कि जो उन्होंने छूट दी है, उसका असर देश के लोगों पर आना चाहिए, यह नहीं कि छूट भी ले ले और उसका असर लोगों तक नहीं आए।

वित्त मत्री जी द्वारा रखा गया बजट गरीबों के लिए एक मुहिम है और उन्होंने उन क्षेत्रों को जरूर छुआ है जो बहुत कमजोर रह गए थे चाहे वह कोई वर्ग हो या राज्य हो। विशेषतौर से इस संदर्भ में मैं अपने राज्य की बात कहना चाहूंगा।

गत वर्ष का जो अकाल था, शायद हमने अपनी शताब्दी की गंभीरतम अकाल देखा है। राजस्थान के अन्दर एक तरह से हड़कम्प मच गई, त्राहि-त्राहि मच गई लेकिन मैं और हमारे राज्य के रहने वाले माननीय राजीव जी के आभारी हैं कि उनकी विशेष सहायता से हम उबरे और उस आघात को, अकाल को सह पाए, झेल पाए, लोगों को कोई विशेष आपदा नहीं आ पाई। हम लोगों के जानवरों की क्षति बहुत बड़े पैमाने पर हुई लेकिन मनुष्यों की क्षति नहीं हुई, उसके लिए हम भारत सरकार के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने हमारी मदद की। लेकिन जब एक चोट लगती है तो उसका इलाज कितना भी करें लेकिन कसक बाकी रह जाती है। राजस्थान में आज भी कसक बाकी है, कमजोरी बाकी है और हम आज भी उसकी परेशानियों से जूझ रहे हैं।

गत वर्ष जो वर्षा हुई, इतनी तो हो गई कि हम बच गए लेकिन उतनी पर्याप्त नहीं हो पाई कि हमारा पिछला घाटा पूरा हो सके। सिर्फ हमारी फसल के लिए वर्षा उपयुक्त हो पाई उसके अन्दर हम अनाज तो बहुत ज्यादा नहीं बो पाए लेकिन तिलहन के मामले में हमने कीर्तिमान खड़े किए हैं। मैं

समझता हूं कि राजस्थान में इतनी भारी मात्रा में तिलहन हुआ है कि उतना पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं मंत्री जी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहां अनाज की भारी कमी रही है, उनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि उसके लिए मदद देनी होगी, आपको ही उसे देखना होगा।

हमारे यहां पिछले 4 वर्षों में बहुत कम बारिश हो रही है जिसके कारण ना हमारे तालाबों में पानी है और ना कुओं में पानी है। भूतिगत जल का भी नितांत टोटा हो गया है। हम निरन्तर अपनी धरती से पानी निकाल रहे हैं लेकिन धरती में जब पानी पहुंच नहीं रहा है तो कहां तक वह निकल पाएगा ? जितने गांव में हम गए हैं, हर गांव में पेयजल का घोर संकट है। मनुष्यों के लिए तो पानी है लेकिन जानवरों के लिए बड़ी समस्या है। उसके लिए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को कंटिन्जैंसी स्कीम बनाकर भेजी है और उसमें कम-से-कम 10 करोड़ रुपए की मांग की है। उसे भारत सरकार को तत्काल देना चाहिये अन्यथा हम लोग संकट में पानी के अभाव में फंस जाएंगे।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मनुष्यों के लिए तो पीने का पानी आप दे भी देंगे लेकिन जानवरों के पीने के लिए पानी खेलें (जल समयन के छोटे टैंक) न होने के कारण उनके संकट का निवारण हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए गांवों में उनके लिए खेलें बनवानी चाहिएं और स्थान-स्थान पर पाताल तोड़ कुओं की व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे वह खेलें भर सकें वरना हमारे यहां जानवरों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

पेयजल का संकट राजस्थान में एक साल का ही नहीं है, वह बराबर बना रहता है। हम भारत सरकार की मदद से काफी कुछ करते हैं। पिछले साल राजस्थान की सरकार ने एक बांध की योजना रखी थी बीसलपुर बांध, जिससे अजमेर, केकड़ा, बयावर और नसीराबाद के पेयजल का संकट निश्चित रूप से दूर होगा। लेकिन इसके साथ ही एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूं। बिसलपुर डैम से पेयजल के अलावा सिंचाई की जो व्यवस्था की गई है उससे टोंक जिले की अन्य तहसीलों को पानी दिया जाएगा किन्तु देवली तहसील के केवल 23 गांव सिंचाई क्षेत्र में दिखाए गए हैं और शेष ऊंचे होने के कारण असिंचित रख दिए गए हैं। यह देवली तहसील के साथ अन्याय है—क्योंकि इस समय भी बनास नदी से ही अजमेर के लिए पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। इससे देवली तहसील में जो नदी है उसका जल स्तर काफी नीचे चला गया है। अजमेर के लिए आज भी देवली की कुर्बानी की जा रही है। बीसलपुर बांध में पानी संचित हो जाने बाद भी देवली तहसील से वंचित रह जाएगा जोकि किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि पुनः इसका सर्वे करवाया जाए तथा लिफ्ट इरिगेशन से बचे हुए गांवों को सिंचाई की व्यवस्था प्रदान की जाए। बिसलपुर डैम के बनने से 22 गांव डूब में आएंगे जिसकी वजह से काश्तकारों को वहां से हटना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि उनको विस्थापित करने के लिए तत्काल जमीनें दिलायी जाएं, उनको बसाने की तुरन्त व्यवस्था की जाए, उनको मकान बनाकर दिए जाएं तथा उनको काम-धन्धे दिलाए जायें ताकि वह मारे-मारे न फिरें।

माननीय वित्त मन्त्री जी को अगर एक बात न कहूं तो शायद वह मेरी कोताही होगी। बनास नदी जो टोंक जिले में 40 मील के एरिया में बहती है उस सब में वहां के काश्तकार खरबूजे, ककड़ी, टमाटर, प्याज तथा तरबूज इत्यादि की खेती करते हैं इस वर्ष पानी की कमी के कारण उन फसलों में

रोग लग गया जिससे सब फसलें तबाह हो गई और करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया तथा किसान भूखों मरने की स्थिति में आ गए। यदि वक्त रहते वहां की फसलों को बीमारी से दवाएं उपलब्ध करा के बचाया गया होता तो यह स्थिति नहीं आती। आपने कीटनाशक दवाओं का निर्माण भी इन दिनों बन्द कर रखा है। जबकि इसका निर्माण एवं वितरण कराया जाना अतिआवश्यक है। मेरा आपसे निवेदन है कि उन काश्तकारों को मुआवजा दिलाया जाए तथा कामधंधा दिलाया जाए ताकि वह अपने बच्चों का पालन कर सकें और भूखों मरने से बच सकें।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने बहुत ही बढ़िया बजट इस वर्ष रखा है और उसमें बहुत-सी अच्छी बातें शामिल की गई हैं। लेकिन मैं एक बात बहुत शिद्दत से महसूस करता हूं। हमारे देश के अन्दर कुछ घृणित कुप्रथाएं हैं। एक व्यक्ति का मैला दूसरे व्यक्ति के सिर पर ढोया जाए, यह बहुत बुरी बात है। यह कैसा मजाक है। दुनिया के अन्दर कहीं ऐसी प्रथा आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि इस कुप्रथा को समाप्त किया जाए।

हमारे राजस्थान के अन्दर जो अकाल की स्थिति है उसके कारण सरकार बहुत जर्जर हो गई है। आर० एल० ई० जी० पी० और एन० आर० ई० पी० स्कीमों के तहत कुएं खोदने की व्यवस्था गत वर्ष की गई थी। लेकिन उस स्कीम के तहत 32 हजार कुएं अधूरे पड़े हुए हैं। 115 करोड़ रुपए की जो मांग राजस्थान सरकार ने की है अगर वह पूरी नहीं की गई तो वह कुएं बेकार हो जाएंगे। वह बेमानी हो जाएंगे। आप वह रुपया मंजूर करके राजस्थान सरकार को देंगे तो गरीबों, आदिवासियों और हरिजनों जिन पर यह रुपया व्यय किया गया था उसका समुचित लाभ उठा पाएंगे अन्यथा खर्च किया गया धन व श्रम बेकार चला जाएगा। सहायता राशी भेजने से उनको उसका लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा हरिजनों और आदिवासियों को मकान बनाने के लिए जो सहायता लास्ट ईयर दी गई थी, वे मकान अधूरे रह गए हैं और उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के तहत उन मकानों के लिए आपने पैसा दिया था, उन मकानों को पूरा कराने के लिए आप पुनर्विचार कीजिए और उसके लिए रकम दीजिए। शायद हमारी सरकार ने उसके लिए डिमाण्ड भी भेजी है, आप मेहरबानी करके उसे स्वीकार कीजिए।

3.00 म० प०

इन्हीं बातों को कहकर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने इतना उत्तम बजट रखा है। फाइनेंस बिल का मैं स्वागत करता हूं।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : मैडम चेयरमैन, आज जो फाइनेंस बिल पेश किया गया, उसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन दो तीन बातें इस बारे में कहना मैं जरूरी समझता हूं।

काफी कुछ कंसेशंस दिए गए हैं लेकिन इन कंसेशंस के बावजूद भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि प्राइसेज पर, मूल्यों पर इसका कोई असर पड़ेगा। अभी हाल ही में हमने इस सदन में विचार किया था और कहा था कि होल सेल प्राइस नहीं बदल रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि होल सेल प्राइस नहीं बढ़ रहा है, कंज्यूमर प्राइस नहीं बढ़ रहा है लेकिन सच्चाई तो आप मार्केट में ही देखेंगे न, थ्योरी में तो नहीं देखेंगे। आप बाजार में जाकर देखिए कि चीजों की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं और आम आदमी के लिए जीना कितना मुश्किल हो गया है। आप सिद्धान्त में कुछ भी कह दीजिए

लेकिन जनता तो सच्चाई को ही देखेगी न। हम यहां पर लोगों को आंकड़े देकर बहला सकते हैं, यह सब कुछ ठीक है जबकि बाहर उसे सामान खरीदना होगा तो एक की चार कीमत देनी होगी। वित्त मन्त्री जी इस सिलसिले में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने दो चार दिन पहले कहा था कि डैफीसिट फाइनेंसिंग को कण्ट्रोल किया जाएगा, फिसकल मोनेटरिंग मेजर्स अपनाए जा रहे हैं और चौहान साहब की रैपुटेशन भी एक स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर की है और हमें पूरी उम्मीद है कि कीमतों को यह सही रास्ते पर ले आएंगे।

गवर्नमेण्ट एक्सपेंडीचर के बारे में कहा गया है कि गवर्नमेण्ट एक्सपेंडीचर को कण्ट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन इन्हें पता नहीं होगा कि बहुत ही वेस्टफुल एक्सपेंडीचर हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि आपके यहां सैक्रेटरी, एडीशनल, सैक्रेटरी, जोइण्ट सैक्रेटरी के लेविल के सभी लोगों के घर पर टेलीफोन लगे हुए हैं, एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूं, सबके यहां एस० टी० डी० फैसिलिटी है। आज कोई दिल्ली से या छोटे शहर से भी दुनिया के किसी शहर में एस० टी० डी० टेलीफोन कर सकता है। एक आफिसर, जिसकी तनख्वाह 3000 रुपए महीना है, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसका मन्थली टेलीफोन बिल 50 हजार रुपए, 30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए आता है, लेकिन कोई इसको देखने वाला नहीं है। आखिर उसको कौन देता है, हम देते हैं, आप देते हैं। पिछली बार भी मैंने इस बात को उठाया था तो मुझसे कहा गया था कि यदि आपके नोटिस में ऐसी बात हो तो आप हमें बताएं, इसमें नोटिस में आने की क्या बात है जो मैं बताऊं, मैं कोई पुलिस लगा हूं, मैं तो बताता हूं कि सभी के यहां ऐसा हो रहा है। आप एस० टी० डी० को काट दीजिए और कहिए कि जिसको ट्रंक कॉल करनी हो, लाइटनिंग कॉल करे, देखिए कितना पैसा बचेगा। आज बेतहाशा गवर्नमेण्ट मनी का दुरुपयोग हो रहा है। इसी तरह से चाहे स्टेशनरी में हो, चाहे ट्रांसपोर्ट में ही हो, कितना ज्यादा बेमतलब का खर्च हो रहा है, डवलपमैण्टल परपजेज में खर्च हो तो बात जानी जा सकती है लेकिन बेतहाशा खर्च हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है... एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इसमें लाना होगा, चाहे कोई भी आदमी हो, कोई ब्यूरोक्रैट हो, कोई भी मिनिस्टर इसे कितना ही नापसन्द करे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इसमें लाना होगा। यदि नहीं ला सकेंगे तो हम बुरी तरह से एक बहुत ही भयानक फ्यूचर की तरफ बढ़ जाएंगे। माननीय वित्त मन्त्री जी ने कुछ ही दिनों पहले कहा था कि हिन्दुस्तान में अगले कुछ वर्षों में रिसैशन आने वाला है। जो लोग अर्थ-शास्त्र की समस्या को समझते होंगे, वे जानते हैं कि यह रिसैशन इस महंगाई से हजार गुणा ज्यादा भयानक है। यह स्थिति जो आने वाली है, जोकि दुनिया के इकोनोमिस्ट्स ने फोरकास्ट की है, आज यह प्रोसैस शुरू हो गया है। एक तरफ इण्डस्ट्री मिल्स सिक हो जाएंगी, स्टैगनेंट हो जाएंगी और दूसरी तरफ इन्फलेशन बड़ी तेजी से बढ़ जाएगा और उस स्थिति को कण्ट्रोल करना बूते से बाहर हो जाएगा। अभी तो आप कण्ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यदि स्टैगनेशन ने जोर पकड़ लिया तो आप इसे पकड़ नहीं सकते हैं। मैं केन्द्र की उतनी बात नहीं करता हूं, जितनी कि मैं राज्यों की बात करता हूं। आप राज्यों में देखिए, क्या मनमानी हो रही है। बीस सूत्री कार्यक्रम के नाम पर, चाहे वह आर० एल० ई०जी० पी० हो, एन०आर०ई०पी० हो या आई० आर० डी० पी० हो—हम अपने को तसल्ली दे देते हैं कि हमने राज्यों में करोड़ों रुपया भेज दिया और सब कुछ ठीक-ठाक हो गया। लोग वह रुपया खा जाते हैं, हमारे जैसा पोलिटिशियन खा जाता है, ब्यूरोक्रेट खा जाता है, इन्जीनियर खा जाता है और कान्ट्रैक्टर खा जाता है। मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूं। बीस सूत्री कार्यक्रम में हमारे राज्य में, शायद और राज्यों में भी ऐसा ही होता होगा, एक प्रोवीजन है कि 25 प्रतिशत सोशियल फौरेस्ट्री पर खर्च होगा, लेकिन दो परसेंट भी खर्च नहीं

होता है। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक परसेंट भी खर्च नहीं होता है। सारा रुपया जंगल के आफिसरों के पास जाता है। जो जंगल लगाते हैं, उन आफिसरों के घरों में जो पेड़ के जंगल लगाते हैं, रुपयों के जंगल लगाते हैं। कहीं तो कोई देखे, कहीं कोई ऑडिट नहीं होता है। इस ओर आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। उसी तरह से और भी मेजर्स हैं, हम यहां से अपने को तसल्ली दे देते हैं कि सब काम ठीक-ठाक होता है, लेकिन सरजमीं पर काम ठीक-ठाक नहीं हो रहा है। इस पर कहीं कुछ मोनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए।

एक्सपोर्ट की बात माननीय मंत्री जी ने कही है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, यह बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन साथ ही जो उन्होंने बात कही है, वह भी ध्यान देने वाली बात है। कारपोरेट सैक्टर में जो कम्पोटेंट कम्पनीज हैं, उनका उतना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है, जितना कि बढ़ना चाहिए। यदि नहीं बढ़ा है तो उस पर कार्यवाही की जाए। अब वक्त आ गया है कि हम कड़ी कार्यवाही करें। एक्सपोर्ट के लिए जितने इन्सैन्टिव हम अपने देश में दे रहे हैं, उतने बहुत कम देशों में मिलते हैं। फिर भी मीडियम साइज की जो कंपनियां हैं, वे एक्सपोर्ट बढ़ा रही है। छोटी कंपनियां एक्सपोर्ट बढ़ा रही हैं, बड़ी कंपनियां एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा रही हैं। वे क्यों नहीं बढ़ा सकती हैं? एक्सपोर्ट के मामले में बात करेंगे तो बहुत लम्बी बात हो जाएगी। एक्सपोर्ट में इनके पास कई जगह तो बैलेंसिंग भी नहीं है। ये इन्टरनेशनल स्टैंडर्ड में मैच नहीं कर सकते हैं। ये स्पैसीमन कुछ और देते हैं और एक्सपोर्ट का आइटम कुछ और भेज देते हैं, जिससे सारे देश की बदनामी होती है। एक्सपोर्ट में अभी और आगे बढ़ने की गुंजाइश है। हमारा मुकद्दर अच्छा है कि हमारे यहां फसल अच्छी हुई है और यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो हम अनाज का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी तो आपके एशिया में ही है। यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो हम एसिया में अनाज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम फूडग्रेंस का एक्सपोर्ट बहुत जगहों पर कर सकते हैं और एशियन कंट्रीज में भी कर सकते हैं। सब से अच्छी बात जो राजीव जी ने की है, वह यह है कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री अलग से बना दी है और अब प्रोसेस्ड फूड का एक्सपोर्ट दुनिया भर में हो सकता है। इस पर गम्भीरता से सोचने की बात है।

एक बात यह और कहना चाहूंगा कि एम्पलायमेंट जेनरेशन पर सब से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है कि एम्पलायमेंट जेनरेशन के लिए नेहरू रोजगार योजना की चर्चा इस बजट में की गई है। मेरी यह गुजारिश है कि सलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में ही नेहरू रोजगार योजना को लागू मत कीजिए। आप थोड़ा ही कीजिए लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कीजिए और इसके लिए और ज्यादा रिसोर्सेज पुल कीजिए लेकिन एक साथ कीजिए। नेहरू रोजगार योजना को हिन्दुस्तान के सभी जिलों में लागू किया जाना चाहिए और वह बहुत जरूरी है क्योंकि आप यह कैसे मालूम करेंगे कि यह डिस्ट्रिक्ट बहुत बैकवर्ड है और यह बैकवर्ड नहीं है। हर एम० पी० यही कहेगा कि उसका जिला बहुत बैकवर्ड है और जो एम० पी० अपने जिले में नेहरू रोजगार योजना नहीं ले जा सकेगा, वह अनपापूलर हो जाएगा। इसलिए इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और पूरे देश में इसको लागू किया जाना चाहिए।

एकाध बात और कहकर मैं खत्म करना चाहूंगा। आपने अभी देखा कि पेपर के बेतहाशा मूल्य बढ़ रहे हैं और बहुत सारे किताब बेचने वालों और अखबार बेचने वालों ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया है। दूसरी तरफ पेपर की फैक्टरियां बैठती जा रही हैं। मैं तो यह कहूंगा कि कहीं न कहीं प्लानिंग में कोई गलती है जो ऐसा हो रहा है और यदि पेपर की कीमतें इस तरह से बेतहाशा बढ़ती जाएंगीं, तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि इल्लिटरेसी इस देश में बहुत तेजी से बढ़ती चली जाएगी।

एक बहुत जरूरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप और कुछ भी न कीजिए लेकिन पापूलेशन को कंट्रोल कीजिए और इस पर सब से ज्यादा ध्यान दीजिए। यदि आपने इस पर जोर नहीं दिया, तो आपकी सारी प्लानिंग, आपकी सारी बजटिंग और आपके सारे एफर्ट्स बेकार चले जाएंगे। अभी हम इसमें हिचकचा रहे हैं। किसी न किसी दिन हमें इस फैक्ट को महसूस करना होगा, इस तथ्य को महसूस करना होगा कि जो कुछ भी ग्रोथ हम कराते हैं, वह बढ़ती हुई आबादी ले जाती है। फैमीली प्लानिंग के बारे में जो एजूकेशन होती है, वह बहुत ही थोड़ी होती है। टी० वी० पर आप ऐसे एडवरटाईजमेंट देते हैं कि कोई अपने परिवार के साथ देख नहीं सकता। अगर आपको एडवरटाइजमेंट देने हों, तो लेट नाइट में दीजिए। आपको लोगों को एजूकेट करना होगा और उनको आप यह बताइए कि जब तक फैमीली प्लानिंग नहीं होगी, उनका कल्याण नहीं होगा। मैं चीन गया था। चीन में इंसेंटिव्ज और डिसइंसेंटिव्ज पापूलेशन को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं जैसे कि अगर कोई आदमी एक एफेडेविट दे दे कि मेरे एक सन्तान है और इसके आगे कोई सन्तान नहीं होगी, तो उसको 5 इन्क्रीमेंट्स दिए जाते हैं और बाद में अगर यह पता चल गया कि उसके और सन्तान हो गई, तो 10 इन्क्रीमेंट्स काट लिए जाते हैं। आप इन्सेंटिव्ज और डिसइसेंटिव्ज की प्रोसेस से पापूलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं।

एक बार और आखीर में कहना चाहता हूं। बिहार में हमारी कांस्टीटुयेन्सी में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था लेकिन सरकार की ओर से, केन्द्र की ओर से उसके लिए लोगों को कोई सहायता नहीं मिली। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। लोग जाड़े के दिनों में खुले आसमान के नीचे रहे और आज चिलचिलाती गर्मी में भी खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। जिस वक्त यहां से सेन्ट्रल टीम भेजी गई थी, उस समय वहां पर गवर्नमेंट एम्पलाइज का स्ट्राइक चल रहा था। मैं निवेदन करूंगा कि एक बार फिर से वहां पर सेन्ट्रल टीम भेजें, जो वहां पर जो नुकसान हुआ है, उसको देखे और बिहार की अर्थक्वेक के मामले में मदद करे।

अन्त में मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वे बहुत अच्छा बजट लाए हैं और फाइनेन्स बिल भी बहुत अच्छा लाए हैं। एक ही मुद्दा है कि स्ट्रांग बिल से आप प्राइसेज को कंट्रोल करें।

[अनुवाद]

श्रीमती डी० के० भंडारी (सिक्किम) : महोदय, मैं वित्त विधेयक, 1989 विशेषकर प्रत्यक्षकर कानून को लागू करने, खंड 26 का विरोध करती हूं जोकि सिक्किम राज्य से सम्बन्धित है अर्थात् (1) आयकर अधिनियम, 1961, (2) धनकर, 1957 और (3) दानकर, 1958 है। यह उस समझौते का उल्लंघन करके किया गया है जिसके द्वारा सिक्किम भारत का एक भाग बना। संविधान की धारा 371 (एफ) में वर्णित राजनीतिक समझौता इस बात की गारण्टी प्रदान करता है कि सिक्किम में स्थापित संस्थाओं जैसे सिक्किम विधान परिषद, सिक्किम की न्यायिक व्यवस्था की रक्षा की जायेगी और यह इस बात की भी गारण्टी देना है कि सिक्किम में लागू कानूनों को तब तक बनाये रखा जायेगा जब तक कि किसी उचित विधान अथवा शक्तियों द्वारा इसे बदल न दिया जाए। सिक्किम को प्रदत्त विशेष दर्जा बनाए रखने या सिक्किमवासियों के भिन्न अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए ऐसा किया गया था और संविधान में इसका उल्लेख किया गया। उनका राज्य हड़पने तथा भारतीय संविधान की धारा 371(एफ) के उपबन्धों का उल्लंघन करने के बजाए भारत सरकार का यह नैतिक कर्तव्य और दायित्व बनता है कि वह यह देखे कि सिक्किम के लोग मुख्य राष्ट्रधारा में सम्मिलित हों तथा इसे अपना देश समझें और भारतीय नागरिक होने का गर्व महसूस करें।

सिक्किम के लोगों ने, जोकि एक तानाशाह शासक द्वारा शासित होते थे, इस शासक के विरुद्ध आंदोलन किया तथा लोकतन्त्र की मांग की और अन्त में भारत का अंग बन गये। जब वे भारत का अंग बने तो उनकी आशाएं और इच्छाएं बहुत अधिक थीं लेकिन आज उनका भ्रम टूट गया है क्योंकि चोगयाल शासन के अन्तर्गत उन्हें जो भी अधिकार प्राप्त थे आज छीन लिए गए हैं, उदाहरण के तौर पर सभी जातीय समूहों के लिए आरक्षण की मांग पर 10 वर्षों से अधिक समय से केन्द्रीय दफ्तरों में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इनमें सबसे ऊपर वे कर कानून हैं जो बगैर सक्षम प्राधिकारी अर्थात् लोकतान्त्रिक रूप से निर्वाचित सिक्किम की सरकार से परामर्श कर लगा दिये गये हैं।

महोदया, आयकर नियम पुस्तिका 1948 जोकि सिक्किम में लागू है, आयकर द्वारा सिक्किम राज्य के लिए राजस्व, जोकि वर्तमान समय में 3.5 करोड़ रु० है और जिसकी बढ़कर 7 करोड़ रु० प्रतिवर्ष हो जाने की सम्भावना है, की वसूली का आधार रहा है।

आयकर अधिनियम 1961 के विस्तार और लागू किए जाने के कारण सिक्किम राज्य का अधिकार समाप्त हो गया है और इससे सिक्किम राज्य में लागू कानून निरर्थक हो जायेंगे और तब उस संवैधानिक गारण्टी जोकि भारत के संविधान की धारा 371(एफ) के अन्तर्गत दी गयी है उसका उल्लंघन होता है।

आयकर कानून 1961 के लागू किए जाने से सिक्किम सरकार अपने राजस्व के वित्तीय स्रोतों से हाथ धो बैठेगी जबकि भारत सरकार को इससे अधिक वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा।

महोदय, यदि हम सिक्किम राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह एक कमजोर अर्थव्यवस्था है। हम भारत सरकार के प्रति इस बात के लिए आभारी हैं कि इसने सिक्किम राज्य को जिसकी प्रति व्यक्ति व्यय पूरे देश में सबसे अधिक है, खुले रूप से अनुदान दिया है लेकिन उस समय से लेकर अब तक जब से सिक्किम भारत का अंग बना है वहां आय बढ़ाने के लिए किसी भी तरह की योजना के लिए सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्रों में किसी भी तरह का प्रयत्न नहीं किया गया है। वहां आय का स्रोत मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। इस प्रकार से प्राप्त आय की अधिकांशतः शहरी क्षेत्रों के आवासीय क्षेत्र में लगाया जाता है जिस पर कि आप कर लगा सकते हैं। लेकिन आप इसे कर अदायगी से बचने का एक दक्ष रास्ता नहीं कह सकते हैं। धन अर्जन का अन्य कोई साधन नहीं है और पूंजी निवेश की व्यवस्था भी विस्तृत नहीं है। कोई भी ढ़ंग का उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। आयकर छोटे और मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया था, जो स्थानीय लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। लेकिन इन करों के प्रसार से जो भी उद्योग अच्छी तरह चल रहा था वह भी राज्य के बाहर चला जायेगा।

सिक्किम के विलयन से आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है—अनियोजित विकास और अनियंत्रित विस्तार हुआ है। सही तौर पर, हमें सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की सावधानी-पूर्वक देखभाल करनी चाहिए जिससे कि हम चुनौतियों का सामना कर सकें। ऐसी स्थिति में, राजनीतिक कार्यार्थी अपने उद्देश्य से प्रेरित होकर सीधे और गरीब लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, जिससे सारे सामाजिक ढांचे को बदलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। कुछेक कपटी लोग ऐसी स्थिति का फायदा उठाते हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इन स्थानीय लोगों को राजनीतिक, प्रशासनिक, वैधानिक और

सामाजिक चेतना न होने के कारण दण्डित किया जाना चाहिए ? क्या इन स्थानीय लोगों को ऐसे शोषण के लिए दण्डित किया जाना चाहिए जबकि शोषक साफ बच निकलते हैं ? यह ठीक है कि उत्पाद अधिनियम और आय-कर अधिनियम में कुछ कमियां हैं । लेकिन इसमें स्थानीय लोगों का कोई दोष नहीं है। संविधान निर्माताओं को 1975 में ही इस समस्या का अनुमान लगा लेना चाहिए था ।

उपहार कर पर शुल्क लगाया जा सकता है। धन के हस्तांतरण पर अगर प्रतिबन्ध नहीं लगा पायें तो उस पर कड़ाई से नियंत्रण करना चाहिए । लेकिन इस व्यवस्था के लिए सम्पूर्ण निर्दोष लोगों को, कुछ दोषी व्यक्तियों के दुष्कर्मों के कारण ऐसा दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। "ऐलन केमस की— दि आउट-साईडर"—यहां पूर्ण रूप से लागू होती है। सिक्किम के लोगों को यह पता ही नहीं की उन्हें किस बात के लिए दण्डित किया जा रहा है। कानून उनके लिए एक अनजान वस्तु है । अतः, इस अधिसूचना के विरोध में सिक्किम राज्य की मन्त्री परिषद और सिक्किम के नागरिकों ने जबर्दस्त विरोध प्रकट कर सिक्किम राज्य में 2 और 3 जनवरी, 1989 और 17 से 19 अप्रैल, 1989 को पूर्ण बन्द रखा । सिक्किम के प्रत्येक भाग के लोगों ने इसका विरोध किया और अपने उस अधिकार हनन का विरोध कर रहे हैं जिसके द्वारा उनके राज्य के आयकर मेनुअल-1948 को रद्द कर दिया गया है । इस सम्बन्ध में विधान सभा ने 21 अप्रैल, 1989 को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बैठक की जिसमें प्रत्यक्ष कर कानून पर विरोध प्रकट किया गया ।

तीन सौ से ज्यादा लोग दिल्ली आए और इन करों के कानून के विरोध में बोट क्लब पर एक धरना दिया । मैं प्रधानमन्त्री को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उनके कहने पर सत्तारूढ़ सिक्किम संघर्ष परिषद ने अपना आंदोलन वापस लिया क्योंकि प्रधानमन्त्री ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया जिसमें कहा गया था कि इस मुद्दे की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाए ।

अब जबकि यह मामला प्रधानमन्त्री के विचाराधीन है और उन्होंने सिक्किम के मुख्यमन्त्री को एक कमेटी की स्थापना के लिए आश्वासन दिया है जो सिक्किम में प्रत्यक्ष कर कानून के विस्तार पर जांच करेगी, मैं माननीय वित्त मन्त्री से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वे वित्त विधेयक के खण्ड-26 को तब तक स्थगित कर दें जब तक कि केन्द्रीय कर पैनल सिक्किम पर अपनी रिपोर्ट नहीं पेश करता और इस खण्ड को इसके वर्तमान रूप में स्वीकार नहीं किया जाए ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं इस फाइनांस बिल 1989 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में जो कंसेशंस दिए हैं, खासतौर से ब्लैक एण्ड व्हाइट टी० वी० पर जो एक्साइज ड्यूटी में छूट दी गई है, उसका स्वागत है । इसी तरह से कलर टी० वी० पर भी एक्साइज ड्यूटी में कुछ छूट दी है। एक बात खासतौर से टू व्हीलर के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि टू व्हीलर थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के सरकारी कर्मचारी, मध्यम वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं, इस पर आपने जो टैक्स लगा दिया है, उससे लोगों को बहुत तकलीफ होगी । आपने कुछ कम करने की कोशिश की है, मगर उससे भी काम नहीं चलेगा । अगर टू-व्हीलर्स पर एक्साइज ड्यूटी हटा दें तो निश्चित तरीके से बहुत बड़ी राहत सरकारी कर्मचारियों और आम आदमी को मिलेगी । यह नितान्त आवश्यक है । इसी तरीके से प्लास्टिक आर्टिकल्स पर भी ड्यूटी खत्म की है, उसका भी स्वागत है और आपने अन्य सुविधाएं दी हैं उसके लिए हम आपके

आभारी हैं। आपने जिस तरीके से फारेन एक्सचेंज या अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं को बढ़ाने की बात की है और डेफिसिटी फाइनेंसिंग को कन्ट्रोल करने की बात कही है, वह भी एक स्वागत योग्य कदम है। मेमोरेन्डम के 34वें क्लाज में दिया है :

[अनुवाद]

"व्यय कर अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन जिस किसी होटल पर यह अधिनियम लागू होता है, वहां प्रभार्य व्यय पर दस प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य है। खुले आय उपभोग को निरुत्सहित करने के लिए ऐसे कर की दर में दस प्रतिशत के स्थान पर बीस प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव है।"

[हिन्दी]

आपने यह कदम बहुत ही सराहनीय उठाया है। मेरा निवेदन यह है कि जिस तरीके से आपने होटल के ऊपर दस से बीस परसेंट तक टैक्स बढ़ाया है उसी तरीके से पब्लिक सैक्टर की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके चेयरमैन और एम० डी० राजा-महाराजाओं की तरह रहते हैं, उस तरह भारत सरकार के वित्त मन्त्री भी नहीं रहते होंगे इसलिए उनके एक्सपेन्सेज के ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए जिससे मालूम पड़ जाए कि ये पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्रीज तमाम तरह की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कितना खर्च करती हैं। उन सारी सुविधाओं के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो आपको मालूम पड़ जायेगा कि किस वजह से ये लोग खर्च करते हैं और किस प्रकार से हमारी इंडस्ट्रीज को कमजोर करते हैं। इसी तरह से प्राइवेट सैक्टर इंडस्ट्रीज के ऊपर भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। जितने भी बड़े-बड़े पूंजीपति हैं इनका सारा खर्च इंडस्ट्री की तरफ से होता है और ये मुफ्त में मौज करते हैं। कम्पनियों के नाम पर एक्सपेंडीचर करते हैं और सारा पैसा एक्सपेंडीचर दिखाकर टैक्स बचा लेते हैं। इस तरह से इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि ये लोग टैक्स से न बच सकें और आपकी आमदनी बढ़ सके। एक सुझाव मैंने पिछले साल भी दिया था, लेकिन आपने थोड़ी सी कृपा की है। 18 से 25 हजार तक आपने पांच परसेंट टैक्स रेडक्शन किया है। इस ओर आपका ध्यान पूरी तरह से नहीं गया है। आपने कहा कि पहले आठ हजार किया, फिर बारह हजार किया, फिर पन्द्रह हजार किया और अब अट्ठारह हजार है। जिस वक्त आप आठ हजार पर टैक्स लगाते थे उस वक्त पैसे की क्या वैल्यु थी और आज अट्ठारह हजार पर लगाते हैं तो पैसे की वैल्यु क्या है। पिछले साल भी मैंने निवेदन किया था कि इसकी लिमिट पच्चीस हजार तक होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि तीस हजार तक होनी चाहिए, कम से कम पच्चीस हजार तक तो होनी ही चाहिए। तृतीय, चतुर्थ और मध्यम श्रेणी के लोग, जिनका बड़ा परिवार होता है, उनको इस लिमिट बढ़ाने से राहत मिलेगी और निश्चित तरीके से अच्छी व्यवस्था हो जायेगी। जितना आप टैक्स घटायेंगे उतनी ही आमदनी बढ़ेगी। बड़े-बड़े पूंजीपति जिनके ऊपर सरचार्ज लगा दिया, पचास या साठ परसेंट लगा दिया हो, वे टैक्स की चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। इसकी वजह से चोरियां करते हैं, अगर आप टैक्स कम करेंगे तो निश्चित तरीके से लोग खुद अपना टैक्स जमा कराने के लिए तत्पर रहेंगे। इसलिए टैक्स को कम करने की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आपने सीमेंट और अलमूनियम को डी कंट्रोल कर दिया, वह एक प्रशंसनीय बात है। काफी इंडस्ट्रीज बढ़ गई हैं, मगर इन उद्योगपतियों की भावनाओं को भी समझने की आवश्यकता है। वह केवल पैसा बनाने की भावना रखते हैं।

3.31 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

अगर वह निर्यात करके देश की सेवा भी करें तो आप इस सम्बन्ध में कदम बढ़ायें। क्योंकि इससे हमारे देश की हालात सुधरेगी। इसलिए यह देखने की आवश्यकता है कि इसकी क्वालिटी खराब न हो, वह अच्छी बने ताकि हमारे सीमेंट की मांग विदेशों के अन्दर हो। पहले जब लेवी का सीमेंट था तो उस समय सीमेंट कम दाम पर मिलता था। जब लेवी हटा दी तो लेवी और बिना लेवी के बीच का कोई अन्दाजा लगाकर आप सीमेंट की कीमत तय करें जिससे आम आदमी परेशान न हो। इसी तरह से अलमूनियम है, यह गरीबों से ताल्लुक रखता है, क्योंकि इसके बर्तन उनके काम में आते हैं। अगर इसकी कीमत कम रहेगी तो आम जनता को इससे बहुत सहूलियत मिलेगी। इसलिए आवश्यकता है निगरानी की और निगरानी होगी आपकी सरकार की, वित्त विभाग की तो इससे देश की गरीब जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सीमेंट और अलमूनियम को डी-कंट्रोल करना अच्छी बात है, अगर इनकी कीमतें न बढ़ें तो बहुत अच्छा है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हमने पहले टायरों का डी-कंट्रोल किया था। लेकिन आपने देखा होगा कि टायरों की कीमतें दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही हैं। इस पर उद्योग मन्त्रालय का कोई कंट्रोल नहीं है। इसकी वजह से आपने विदेशों से टायर मंगवाये हैं जिससे आप इनके सामने मुकाबले में खड़े हो सकें। हिन्दुस्तान में जो कम्पनीज टायर्स बनाती हैं उनकी कीमत कम हो सके या जो कोस्ट प्राइस है जो खर्चा करते हैं उस पर थोड़ा मुनाफा लेकर आप टायर लोगों को उपलब्ध करायें तो जनता को काफी राहत मिलेगी। इस सम्बन्ध में आप उद्योग मन्त्रालय को हिदायत करें कि वह इस तरीके की व्यवस्था करने की कोशिश करे। जिससे आम लोगों को तकलीफ न हो। आपने मोटरों के ऊपर बहुत टैक्स लगा दिया। एक हजार सी० सी० के ऊपर और अन्य प्रकार की मोटरों के ऊपर आपने पहले घोषणा की थी कि हम हिन्दुस्तान के अन्दर सस्ती गाड़ियां उपलब्ध करायेंगे और आपने मारूति सत्तावन हजार रुपए में उपलब्ध कराई, लेकिन आज उसकी कीमत एक लाख रुपये के आसपास पहुंच गई है। सस्ती गाड़ियां उपलब्ध कराना तो दूर की बात है, आप रोज इनके ऊपर टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं गाड़ी नहीं रखता हूं। लेकिन आप सस्ती गाड़ी उपलब्ध कराने की बात करते हैं और रोज टैक्स बढ़ाते जायें तो उससे जो आपकी भावना है वह कार्यान्वित नहीं होती है। आपने इस देश की जनता से जो वायदा किया है कि सस्ती गाड़ी उपलब्ध करायेंगे और एक परिवार को एक गाड़ी उपलब्ध होगी ताकि वह अपने बाल-बच्चों को लेकर कहीं घूम सकें और अपना काम-काज भी कर सकें। वह मंशा पूरी नहीं हो रही है। इसलिए इसको भी देखने की आवश्यकता है। सस्ते भाव की गाड़ी देश के अन्दर मिलनी चाहिए ताकि मध्यम श्रेणी के लोग भी उसका उपयोग कर सकें। आपने लैंड के सम्बन्ध में जो घोषणा की है यह सोचकर कि यह बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को राहत देगी इसलिए लैंड के ऊपर किसी प्रकार से कोई टैक्स नहीं लगाया जाए इस प्रकार की व्यवस्था करने की कोशिश की है।

इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो लैंड शहरों के पास है, शहरी क्षेत्र में है, आज उनकी कीमतें दस गुनी, सौ गुनी और दो सौ गुनी बढ़ गयी है। आप उनकी कीमतों के बढ़ने पर जरा नजर डालिए। इससे आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि कैसे हालात जमीनों के शहरों में पैदा हो गये हैं। दिल्ली, कलकत्ता आदि बड़े शहरों में आज 10 लाख रुपये बीघे की दर से भी जमीन अवैलेबल नहीं है, जो आज से 20 साल पहले 15—20 हजार रुपये बीघे में उपलब्ध

थी। जयपुर के पास आज जमीन 5 लाख रुपये बीघे की दर से भी उपलब्ध नहीं है जो आज से 10 साल पहले दो हजार रुपये बीघे में मिलती थी। आपने इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि 8 किलोमीटर एरिया में जितनी जमीनें रिवेन्यू में आएंगी, उनसे जो पैसा मिल रहा है, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जायेगा। मेरा वित्त मंत्री जी आपसे निवेदन है कि जो लोग उस जमीन को एग्रीकल्चर परपज के लिए रखते हैं, एग्रीकल्चर यूज करते हैं, उन पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिए, मगर जो लोग उन जमीनों से फायदा उठाना चाहते हैं, कीमतें बढ़ाकर बेचना चाहते हैं, उन पर दुकानें और मकान बनाकर कमाई करना चाहते हैं, प्लाट बनाकर बेचना चाहते हैं या अन्य किसी तरह से उन जमीनों का दुरुपयोग करते हैं, आज लोगों ने जमीनों के धंधे से लाखों करोड़ों रुपये कमा लिये हैं, शहरों में इस तरह के अनेक एजेंट्स आपको मिल जाएंगे, आपने इस तरह न जाने कितने नये करोड़पति बना दिए इन जमीनों के रेट्स बढ़ जाने की वजह से, इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि शहरों के पास जितनी जमीनें हैं, उनका दुरुपयोग होने से आप रोकें। शहरों में जमीनेंसोने के टुकड़े बन गयी हैं। ऐसी जमीनों को यदि आपने छोड़ दिया तो बड़ा गलत हो जाएगा। इन जमीनों का उपयोग यदि खेतीबाड़ी में किया जाए तो उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिए लेकिन जो लोग प्लाट काट कर बेचते हैं, मकान दुकानें बनाते हैं, फैक्टरीज बनाते हैं, उन पर निश्चित तरीके से टैक्स लगाया जाना चाहिए ताकि सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की आय हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था होना नितान्त आवश्यक है।

एक निवेदन मैं गाडगिल फारमूले के सम्बन्ध में करना चाहता हूं। राजस्थान की सरकार बहुत गरीब है, पिछड़ी हुई है। हर दूसरे-तीसरे साल हमारे यहां अकाल पड़ता रहता है, आप भी पैसा दे देकर थक गये होंगे। आपने पिछले साल 600 करोड़ रुपया राजस्थान के अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए दिया, जिसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। यदि आप समय पर हमारी मदद नहीं करते तो राजस्थान की जनता मर जाती। राजीव गांधी जी और आपने राजस्थान की जनता को उबार लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काफी राहत के काम मिले। हम आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकते मगर इस साल भी राजस्थान के 4 या 5 हजार गांवों में अकाल है और उनमें सहायता पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है।

आपने अभी तक हमारे यहां सैंटर की ओर से कोई टीम नहीं भेजी है ताकि वह राजस्थान के गांवों में जाकर सारी स्थिति का असैसमेंट कर सके। राजस्थान सरकार ने आपको एक मैंमोरैंडम भेजा है जिसमें आपसे 100 करोड़ रुपया तत्काल देने की मांग की है ताकि हमारे यहां रिलीफ के काम चलाये जा सकें। वैसे रुपया तो ज्यादा मांगा है, लेकिन इम्मीडियेट 100 करोड़ रुपये की मांग की है। राजस्थान में पीने के पानी की भी भारी तकलीफ है, इसके लिए भी राजस्थान सरकार ने आपसे 54 करोड़ रुपया तुरन्त दिए जाने की मांग की है ताकि वहां ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। इसकी व्यवस्था करना भी नितांत आवश्यक है। आपने पिछले साल राजस्थान की इस मद में काफी मदद की, हमें उम्मीद है कि इस साल भी आप उदारतापूर्वक हमारी सहायता करेंगे क्योंकि हम बहुत वर्षों से तकलीफशुदा आदमी हैं। यदि आपने इस बार भी हमारी सहायता न की तो राजस्थान की जनता पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वह कहेगी कि अकाल के समय तो हमारे प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री जी ने सहायता पहुंचाई, इस बार वे क्यों पीछे हट रहे हैं। राहत के बिना हमारे लोग भूखे मर रहे हैं इसलिए शीघ्र कोई न कोई व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। आप गम्भीरतापूर्वक इस स्थिति पर विचार कीजिए। वित्त मंत्री जी वैसे तो बहुत दयालू हैं और मुझे उम्मीद है कि वे राजस्थान की अवश्य मदद करेंगे।

आखिर में, मैं नेहरू रोजगार योजना के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आपने वैसे तो आर० एल० ई० जी० पी०, एन० आर० ई० पी० और नेहरू रोजगार योजना तीनों को मिला दिया है और इसके तहत आपने सारे देश में 120 जिले लिए हैं, मगर मेरा निवेदन है कि आप 120 जिलों की बजाए देश के समस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्र इसके अन्तर्गत कवर कर लें, वहां इस योजना को लागू करें। वित्त मंत्री जी आप तो काफी समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने महाराष्ट्र में जैसे एम्पलायमैंट गारंटी योजना को लागू कर रखी थी, जिसके तहत ग्रामीण बेरोजगारों को वहां रोजगार दिया जाता था, वैसी ही योजना आप सारे हिन्दुस्तान के लेवल पर, हर स्टेट में चलायें ताकि देश में कोई भी गरीब बेरोजगार या बिना काम के आदमी न रहने पाये, बराबर उसे काम मिलता रहे और वह अपना जीवन-यापन ठीक प्रकार से कर सके, ताकि वह अपना जीवन-यापन ठीक प्रकार से कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

आखिर में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले में दो स्पीनिंग मिल खालने की मांग बहुत समय से चली आ रही है। उसकी भी कुछ सुनवाई कीजिए। हमारे टैक्सटाइल मिनिस्टर कहते हैं कि फायनेन्स डिपार्टमेंट से हमें मदद नहीं मिलती है। इसलिए वे मिल स्थापित नहीं की जा रही हैं। हजारों काश्तकार जिन्होंने पैसा जमा करवाया है, वे तड़फ रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरफ ध्यान दीजिए और इन मिलों को खुलवाईए।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि राजस्थान से फारेन एक्सचेंज बहुत कमाया जा सकता है। वहां मायका बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए आप वहां पर मायका की फैक्ट्री खोल दें। सौ-डेढ़ सौ करोड़ रुपया इससे आपको वहां मिलेगा। अगर यह फैक्ट्री स्थापित हो जाती है, तो आपको इससे काफी फारेन एक्सचेंज मिलेगा तथा क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि मेरी इन दो मांगों को पूरा कराईए।

सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस फायनेंस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती बसवराजेश्वरी (बेल्लारी) : सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम तो वित्त मंत्री को, इस सभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देती हूं। आपने भाषण के दौरान उन्होंने दस मदों पर काफी रियायतें दी हैं जिसमें एक रियायत रोटरी किलन के साथ लघु सीमेंट संयन्त्र पर दी गई छूट भी स्वागत योग्य है। जैसाकि उन्होंने पहले ही कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अनेक सुझावों और सिफारिशों पर ध्यान देने के बाद उन्होंने श्याम और श्वेत तथा रंगीन टी० वी० पर कर कम कर दिया है। मेरे विचार से यह एक अब विलासिता की वस्तु न होकर आवश्यक वस्तु बन गया है क्योंकि काम के उपरांत हरेक व्यक्ति का मनोरंजन जरूरी है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह आग्रह करूंगा कि वे श्याम और श्वेत टी० वी० पर लगाए गए करों को और भी कम कर दें।

मैं वित्त मंत्री के समक्ष एक बहुत ही ठोस मामला रखना चाहता हूं। जैसाकि आप जानते हैं कि किसान प्रतिदिन लाभकर मूल्य के लिए कहते रहते हैं। किसानों को ना तो लाभकर मूल्य ही मिलता है और नाही उपभोक्ताओं को ही कोई फायदा होता है। दलाल लोग सारे फायदे हड़प कर जाते हैं। ऐसी ही स्थिति चारों तरफ है। अभी तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाये हैं। इसे कितनी अच्छी तरह से सुलझाया जाए वह सरकार पर निर्भर करती है।

हम जो भी कर रहे हैं वह अस्थाई है; स्थाई रूप से कुछ भी सामने नहीं आया है। मेरा सुझाव है कि हमें या तो उत्पादन कीमत को कम करना होगा या हमें उन्हें राजसहायता देनी होगी। हम कमजोर वर्ग के लोगों को राजसहायता प्रदान करते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसकी उपेक्षा करते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें भूखों मरना होगा या फिर बाहर से खाद्यान्न मंगाना होगा जो कि एक शर्मनाक बात है। ईश्वर ने हमें काफी धन दिया है और हमारे देश में संसाधनों की भरमार है।

मैंने अपने अध्ययन के दौरान पढ़ा कि किसी व्यक्ति ने पंडित जी से पूछा की आप इतने अपार ऋण का भुगतान कैसे करेंगे जोकि विदेशों से लिया गया है। उन्होंने कहा, एक दिन अपने ग्रेनाईट पत्थरों को बेचकर इस ऋण का भुगतान करेंगे। उनकी कल्पना ऐसी थी। आज ग्रेनाईट की क्या कीमत है ? आज कच्चा ग्रेनाईट पत्थर विदेशों को निर्यात करने से कितनी धनराशि मिल रही है ? इस देश में काफी संसाधन है। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा की संसाधनों की अच्छी खोज की जानी चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अतः मेरी राय है कि उत्पादन कीमत को कम करना चाहिए।

मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा की जहां तक फसल ऋण का प्रश्न है तो हमें इसे ब्याज की घटी हुई दरों पर उपलब्ध कराना चाहिए। इसका आशय यह है कि यह किसी हालत में 9 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कृषि उपकरणों, जैसे ट्रैक्टरों और अन्य उपकरणों पर लागू सभी शुल्कों को समाप्त कर दिया जानी चाहिये। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता हूं कि हम उत्पादन लागत को कम कर पाएंगे और उपभोक्ता को कोई लाभ पहुंचा पाएंगे। इस तरह, हमें या तो इस स्थिति या दूसरी स्थिति में से किसी एक को स्वीकार करना होगा।

अतः अगर हम एक बार यह स्वीकार कर लेते हैं कि इस उत्पादन लागत में कमी की जानी चाहिए, और किसानों को सभी बोझों से मुक्त कर उन्हें उन्नति का अवसर प्रदान करना चाहिए। हम उनसे जो भी उगाने को कहते हैं वे उसे उगाने को तैयार रहते हैं। जब राष्ट्र के नाम यह संदेश देकर कहा गया था कि हमारे यहां दालों और तिलहनों की कमी है तो उन्होंने तुरन्त इसका समाधान किया और आज हम तिलहन और दाल का अतिरिक्त उत्पादन करते हैं। हमारे किसानों की यही प्रवृत्ति है। इसलिए हमें उन पर विश्वास होना चाहिए जब भी हमारी सरकार एक आवाज देगी, वह उत्पादन कर सरकार के समक्ष रखने को तैयार हैं। जब ऐसी बात है तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए की इससे किसानों को लाभ मिले, उन्हें उनका लाभकर मूल्य मिलें। यहां पर मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों ने अनेक संस्थाओं जैसे—सहकारी संस्था और अनुसूचित बैंकों से ऋण लिया है जोकि निजी ऋण भी हो सकता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में जब किसान सहकारी संस्था ऋण लेते हैं तो उन्हें ब्याज और दण्डनीय ब्याज से माफ कर दिया जाता है। जिसे "दंडापत्तु" कहा जाता है। यह एक अत्यन्त जाना पहचाना नाम है। पहले भी जब कभी ब्याज और दण्डनीय ब्याज मूलधन से ज्यादा हो जाता था, तो ब्याज और दण्डनीय ब्याज स्वतः समाप्त हो जाया करता था। यह व्यवस्था मद्रास में श्री राजगोपालाचारी के समय भी विद्यमान थी। यह सुविधा अब फिर प्रदान की जानी चाहिए। जब कोई किसान सहकारी बैंक से ऋण लेता है तो उसे रियायत मिलती है। परन्तु यदि वही किसान अनुसूचित बैंक से ऋण लेता है तो उसे रियायत नहीं मिलती। वह बहुत ईमानदार है। वह सरकार

को धोखा देना नहीं चाहता है। जब उसे समय पर धन मिल जायेगा तो इसकी अदायगी करने वाला वह पहला व्यक्ति होगा। इसलिए हमें उसका विश्वास करना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में वह ऋण की अदायगी करने की स्थिति में नहीं होता है जैसे सूखा, बाढ़, फसल में कीड़ा लग जाने और बाजार मूल्यों में कमी लाभकारी मूल्य मिलना आदि। अब स्थिति यह है कि कर्ज की राशि बहुत बढ़ गयी है इसलिए मैं दबाव डाल रहा हूं। जब दिल्ली में कृषि मेला आयोजित हुआ तो देश के सभी किसान इस मेले को देखने आये। मैंने उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे अपनी समस्याएं बतायीं और मुझसे उन्हें प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा। मैंने अपना भरसक प्रयास किया तथा मैंने वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध में पहले ही अभ्यावेदन दिया है कि यदि मूलधन की एकमुश्त अदायगी कर दी जाए तो आप इस पर कृपया विचार करें। हम नहीं चाहते कि मूलधन माफ कर दिया जाए। हम उस श्रेणी के नहीं हैं। हम मूलधन की अदायगी आपके निर्धारित समय में एकमुश्त या दो अथवा तीन किश्तों में कर सकते हैं। इसका आश्वासन मैं किसानों की ओर से सभा में दूंगा। आपको इसके बारे में गम्भीरता से विचार करके जवाब देना है।

हमारे देश में अनेक सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं। हमने नहरों पर बहुत अधिक धनराशि व्यय की है जो व्यर्थ चली गयी। यदि अत्यधिक धनराशि व्यय करके भी कुछ सार्थक परिणाम नहीं निकलते तो इसका क्या लाभ है? इसलिए अधूरी परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए।

इसकी बात यह है कि जहां महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में ये नहरें जाती हैं वहां काली मिट्टी है। यह मिट्टी लवणीय हो गयी है, हम उस पानी का उपयोग नहीं कर सकते जिसके फलस्वरूप हम दूसरी समस्या का सामना कर रहे हैं।

हमें मालूम हुआ है कि हमारे देश में फालतू सीमेंट है। हम इसका निर्यात करने पर विचार कर रहे हैं। आप इस सीमेंट का उपयोग नहरों को पक्की करने के लिए क्यों नहीं करते ताकि ये स्थायी बन सकें? कृपया आप ऐसा कीजिए। सड़कों के निर्माण के लिए आप तारकोल और अन्य वस्तुओं का प्रयोग करने की बजाए इसका प्रयोग क्यों नहीं करते ताकि पक्की सड़कें बन सकें। आप काली ईंटों से सड़कों का निर्माण कर रहे हैं जो अस्थायी हैं। यदि आप एक बार सीमेंट से इन्हें बना देंगे तो तो ये वर्षों के लिए स्थायी हो जायेंगी। आप इस दिशा में सोचिए।

जहां तक इस्पात परियोजनाओं का सम्बन्ध है, इस देश में प्रचुर मात्रा में खनिज सम्पदा है। मैं होसपेट क्षेत्र का निवासी हूं जहां कोई भी मैंगनीज और लौह अयस्क देख सकता है। यह शत-प्रतिशत उच्चकोटि का अयस्क है जिसका हम दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। इसे मालगाड़ी के डिब्बों में मद्रास या कुछ अन्य पत्तनों तक लाया जा रहा है। यही इस्पात फिर दुबारा हमारे देश में वापस आ जाती है। कच्चा माल जापान को भेजा जाता है और तैयार माल होकर फिर वापस आ जाता है। इस शदी के अन्त तक इस देश में इस्पात की कमी हो जायेगी। सरकार सम्पूर्ण देश में आवास कार्यक्रम को प्रोत्साहन दे रही है। प्रत्येक व्यक्ति को स्थाई मकान बनाने की चिंता होगी। हम इसका स्वागत करते हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि यदि आप अपने लिए अधिक इस्पात का उत्पादन नहीं करेंगे तो इस देश में इस्पात की मांग किस प्रकार पूरी करेंगे? आप वहां इस्पात परियोजना लगाइये जहां इसकी सम्भावना है। आप आठवीं पंचवर्षीय योजना में विजयनगर में इस्पात संयंत्र को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? यह देश के लिए उपयोगी होगा। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस इस्पात संयंत्र का शिलान्यास

किया था। इसका शिलान्यास करते समय उन्होंने कहा था कि यह शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। वहां के प्रत्येक व्यक्ति को इस संयंत्र के प्रति भावुकता से लगाव है। वहां उच्चकोटि का अयस्क उपलब्ध है।

हम कृषि के साथ न्यास नहीं कर रहे हैं। मैंने प्रदर्शनियों में अनेक छोटी मशीनें देखी हैं जिनसे हमें टनों हरा चारा मिल सकता है। सब्जियों और फलों को ही लीजिए। इन चीजों के बारे में कोरिया जैसे अनेक देशों में बहुत से अनुसंधान किए गए हैं। वे भूमि की कीमत जानते हैं। हम अभी भूमि की कीमत नहीं जानते। हम बहुत सी भूमि को बेकार कर रहे हैं। हमें एक इंच भी भूमि खाली नहीं छोड़नी चाहिए। यह हमारी भावी योजना होनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दुबारा खाद्यान्नों की कमी हो सकती है। आज बिजली की कमी है और इससे उद्योगों को नुकसान हो रहा है। कल खाद्यान्न की भी कमी हो सकती है, हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। हमें उचित रूप से योजना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भावी आयोजन सही ढंग से तैयार की जानी चाहिए।

हम जल प्रबन्ध की तरफ अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज प्रत्येक सिंचाई परियोजना में हमारे सामने समस्या है। पानी का उचित ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है। यदि वर्षा हो जाती है तो पानी नहरों में बहता है। इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं देता कि हम अत्यधिक मीठा पानी बर्बाद कर रहे हैं। हम इस देश में मीठे पानी की कीमत नहीं जानते। दूसरे देशों में पानी प्रबन्ध के बारे में सम्पूर्ण प्रणाली कम्प्यूटरीकृत है। जब वर्षा होती है तो पानी एक विशेष नहर में एकत्रित कर लिया जाता है और जब आवश्यकता होती है तो पानी छोड़ दिया जाता है। यहां ये सब बातें नहीं हैं। नदियां पूरी रात बहती हैं परन्तु कोई नियन्त्रण नहीं है। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे देश में जल प्रबन्ध को कृषि अनुसंधान से उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जिन सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं उनसे एक न एक समस्यायें पैदा होंगी, दूसरे किसानों को उचित समय पर पानी नहीं मिलेगा। कर्नाटक में ऐसा ही हो रहा है। हमें धान और तिलहनों की 350 करोड़ रुपए मूल्य की फसल का नुकसान हुआ क्योंकि ग्रीष्म मौसम के दौरान किसानों को पानी नहीं मिला। जल के कुप्रबन्ध के कारण तुंगभद्र जलाशय खाली पड़ा रहा। ऐसी स्थिति में उनसे पानी नहीं मिल सका। इससे किसानों में बहुत असन्तोष है। यदि उचित जल प्रबन्ध नहीं किया जाएगा तो हमारे सामने भविष्य में भी विकट समस्या होगी। महोदय, तस्करी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हम इसे रोक नहीं पाए हैं। निसंदेह आप अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। भारत में सोने की भी तस्करी होती है। हमें सोने के प्रति अधिक लगाव है। हम इसका खंडन नहीं करते। महिलाओं की तरह हमें भी सोने से लगाव है। आप कम से कम मंगलसूत्र के लिए सोने की अनुमति क्यों नहीं देते। हमें मंगलसूत्र के लिए सोने की आवश्यकता होती है। क्या आप सोचते हैं कि हम प्लास्टिक की थाली पहन सकते हैं। हमारा यह रिवाज नहीं है। आप इसके बारे में विचार क्यों नहीं करते है? आपको गरीबों को कुछ सोना खरीदने की अनुमति देनी चाहिए। वे 4000 रु० प्रति तोला की दर से सोना कैसे खरीद सकते हैं? हमने एक बार समाचार पत्रों में पढ़ा था कि सरकार स्वर्ण नीति की समीक्षा करने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है। उन्हें कम से कम दस ग्राम सोना मिलना चाहिए ताकि वे इससे अपनी 'थाली' बना सकें। हम कोई बड़ा आभूषण नहीं चाहते हैं। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति के पास न्यूनतम मात्रा में तो सोना होना ही चाहिए। हमारा यह रिवाज है। हम इसे समाप्त करना नहीं चाहते। यह एक ऐसा प्रतीक है जिसे विवाहित महिलाएं पहनती हैं। हमारे देश में इसे समाप्त नहीं

किया जाना चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत निवेदन है। हमें स्वर्ण नीति की समीक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप बाहर से सस्ती दर से लाते हैं तो प्रत्येक परिवार में कम से कम दस ग्राम से लेकर बीस ग्राम तक सोना होना चाहिए। मैं किलो की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ग्रामों की बात कर रहा हूं।

जहां तक इस्पात का सम्बन्ध है, हमने हमेशा कहा कि उद्योगों को बहुत नुकसान हो रहा है। इन इकाइयों में बिजली बहुत अधिक इस्तेमाल होती है। शुल्क दरें अन्धाधुन्ध बढ़ गयी हैं तथा इलैक्ट्रोड जैसे आदानों के मूल्य में भी वृद्धि हो गयी है। इस्पात और खनिज मंत्रालय ने सिफारिश की थी कि उत्पाद शुल्क कम किया जाना चाहिए तथा लघु इस्पात संयंत्रों का उत्पाद शुल्क भी कम किया जाना चाहिए। मैं बड़े उपक्रमों के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहता। हमें छोटे और बड़े उपक्रमों के बीच अन्तर करना चाहिए। जब हम बड़े आदमी की छोटे आदमी से तुलना करते हैं और एक समान कर प्रणाली निर्धारित करते हैं तो छोटा आदमी उस बोझ को कैसे वहन कर सकता है? छोटी इकाईयां बोझ कैसे वहन कर सकती हैं? बहुत सी ऐसी इकाइयां हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में शुरू हुई हैं। इन्हें हमेशा परिवहन पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ हम उन उद्योगों का विकेन्द्रीकरण चाहते हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में शुरू हुए हैं। जब इस्पात और खनिज मन्त्रालय ने रद्दी माल पर उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कम करने की सिफारिश की, मेरे विचार से मन्त्रालय ने तब ही आयातित रद्दी माल और सेलिंग उत्पादों के सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। ये बातें ऐसी हैं जिनके बारे में यह सुनिश्चित करने के लिए सोचना होगा कि उद्योग बन्द न हो जाएं क्योंकि अनेक औद्योगिक संयंत्र पहले ही रूग्ण हो गए हैं और वे बन्द होने की अवस्था में हैं। मेरा अनुरोध है कि इस मामले में पुनः विचार करें कि विगत वर्ष के बजट में हमने उवर्रकों और कीटनाशक दवाइयों को जो राजसहायता दी है वे किसानों को नहीं मिल रही हैं। मैं यह नहीं जानता कि वे कहां जा रही हैं। इसके विपरीत बाजार में उवर्रक की कमी पैदा कर दी गयी और प्रति बोरी बाजार मूल्य से 20 रुपये अधिक पर बेची गई। बाजार में यह प्रवृत्ति पैदा कर दी गयी है। किसानों को वे सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो हमने पम्प सैटों, उवर्रकों और कीटनाशक दवाइओं को प्रदान की हैं। मेरे विचार से करोड़पति लाभ उठा रहे हैं। आपको इन सब बातों पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना है।

जैसाकि मेरे मित्र, श्री व्यास ने कहा कि कारों को सस्ते दामों पर बेचा जाना चाहिए। आज-कल प्रत्येक व्यक्ति को कार की जरूरत है। हरेक को लम्बी दूरी तय करके अपने कार्यालयों में जाना पड़ता है और यहां तक की मध्यम श्रेणी के लोग भी सस्ते दामों पर कार चाहते हैं। अब वर्तमान कम्पनियां हमारी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन नहीं कर सकतीं। दाम बहुत ही ज्यादा हैं, इस सबको समाप्त करने के लिए आपको देखना चाहिए कि जहां तक कारों का सम्बन्ध है देश में ही कारों का उत्पादन हो और वह सस्ते दामों पर उपलब्ध हों।

जहां तक आवास सुविधाओं का सम्बन्ध है उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। आवास बैंकों को ज्यादा से ज्यादा धन दिया जाना चाहिए क्योंकि आज की स्थिति में बहुत कम बैंक गृह निर्माण के लिए ऋण दे रहे हैं। यह राशि शहरी क्षेत्र में शहरी लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाएगी। गरीब और ग्रामीण लोगों को भी यह लाभ मिलना चाहिए। इससे लाभ प्राप्त करने के लिए इसका एक हिस्सा हमें ग्रामीण लोगों के लिए निश्चित कर देना चाहिए वरना यह सारी धनराशि जो आवास निर्माण के लिए है सम्पन्न लोगों द्वारा ले ली जाएगी और गरीब आदमी इससे वंचित रह जाएगा।

जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है हमारी बहन ने इस बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं समझती हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के जैसी योजनाओं के द्वारा हम बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूंगी कम से कम प्रत्येक कृषि परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाए। इससे भविष्य में यह समस्या सुलझ सकेंगी।

4.00 म०प०

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : सभापति महोदय, महोदय शुरूआत में ही मैं यह कहूंगा कि कशमीर में हम बहुत तनाव का सामना कर रहे हैं और हाल ही में नई पीढ़ी में गम्भीर उतार-चढ़ाव देखने में आया है। कशमीर में इन बातों के पनपने के कई कारण हैं। इसके राजनैतिक और सामाजिक कारण हैं हालांकि आर्थिक कारण प्रमुख हैं।

आज कशमीर की युवा पीढ़ी यह महसूस करती है कि उनका क्षेत्र चारों तरफ जमीन/मैदान से घिरा हुआ है। सड़कों की बहुत कमी है हमारे यहां केवल जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है और यह भी महीनों तक बन्द पड़ा रहता है। इसके अलावा उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं महसूस करता हूं कि भारत सरकार को इस मसले पर गौर करना चाहिए कि युवा पीढ़ी अपने आपको अलग-अलग और असन्तुष्ट क्यों महसूस करती है। यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उनकी मदद को आएं जिससे की वह नियन्त्रण के बाहर न जाएं। कशमीर में हम नए दौर को देख रहे हैं। हम इसे उनको ढांढस बंधा कर, उनके असन्तोष को दूर करके ही रोक सकते हैं। शेष राष्ट्र में सड़कों, रेलवे, विकास और उद्योगों का जाल साथ-साथ फैल रहा है और लोगों को अन्य अवसर मिल रहे हैं। दुर्भाग्यवश कशमीर में सिवाय हस्तशिल्प और कालीन बुनने के और कोई अवसर नहीं हैं और इन उद्योगों में भी उत्पादन में स्थिरता से लोग नुकसान उठा रहे हैं।

हमारे पास पानी के पर्याप्त संसाधन हैं। क्या भारत सरकार ऊरी और डल-हस्ती जैसी जल-विद्युत परियोजनाओं में हमारी मदद नहीं कर सकती ?

हम कई हजार टन मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। हम विद्युत के मामले में आत्म-निर्भर नहीं हैं हालांकि हमारे पास अपने आप विद्युत उत्पादन की क्षमताएं हैं। हम इसमें आत्मनिर्भर हो सकते हैं और इस वस्तु को अन्य राज्यों को देकर धन कमा सकते हैं।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है हमारे पास कोई भारी उद्योग नहीं है। कशमीर में पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। बक्शी गुलाम मोहम्मद के मुख्यमंत्रित्व काल में श्रीनगर में एक घड़ियों का कारखाना स्थापित किया गया था। जिसने काफी अच्छे परिणाम दिए थे, जबकि शेष राष्ट्र में विस्तार हुआ मुझे नहीं मालूम कि श्रीनगर की उस इकाई में कोई विस्तार क्यों नहीं हुआ। मैं इसका कोई उचित कारण नहीं समझ पाया हूं। इस पहलू पर भी भारत सरकार को गौर करना चाहिए, मैं कशमीर की युवा पीढ़ी की तरफ से जोरदार अपील करूंगा, जो उचित रोजगार के अभाव में भूखे मर रहे और नुकसान उठा रहे हैं। मैं जानता हूं यह समस्या अन्य राज्यों में भी प्रमुख समस्या है। लेकिन आपको कशमीर की, जो समुद्रविहीन क्षेत्र है ज्यादा अवसरों के लिए आश्वस्त करना होगा। आप जम्मू-कशमीर के लोगों को अच्छा पर्यटन धन्धा देने में भी असफल रहे हैं। पर्यटन का भी उचित विकास नहीं हो पाया है। सरकार को लोगों की दशा में सुधार लाने के लिए कुछ सकरात्मक करना चाहिए लेकिन कोई ठोस कार्य नहीं किया गया।

यही दशा फल उद्योग की भी है। हम बहुत से फलों का निर्यात करते हैं लेकिन साथ ही हमें फल संसाधन सम्बन्धी परियोजनाओं जैसे जूस बनाना आदि की स्थापना के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन शायद धन उपलब्ध नहीं है, प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध नहीं है और इस तरह लोग हानि उठाते रहेंगे।

हाल ही में जम्मू काश्मीर के मुख्य मंत्री ने भारत सरकार पर आरोप लगाया था कि वह उन्हें पर्याप्त धन देने में असफल रही है और उन्होंने खुलकर दिल्ली में हुई प्रेस कान्फ्रेंस में इस हद तक कहा कि समझौता नाकामयाब रहा है और लोगों की आशाएं पूरी नहीं हुई हैं लेकिन काश्मीर में वह कहते हैं मुझे काफी कुछ दिया गया है और केन्द्र ने उदारता से मेरी मदद की है। यह भाषा वह कशमीर में इस्तेमाल करते हैं और दिल्ली में वह इसका उल्टा कहते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार वास्तव में उनसे धन निचोड़ रही है। क्या भारत सरकार ने उनकी मदद नहीं की? हम जानना चाहेंगे कि क्या नेशनल कान्फ्रेंस और कांग्रेस (आई) में समझौते के बाद भारत सरकार उसी तरह से मदद कर रही है जैसाकि वह पहले करती आई है। समझौते के बाद मुख्य मन्त्री ने कहा था कि लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं क्या आप इस पर भी राज्य की वर्तमान गम्भीर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी मदद करेंगे अथवा नहीं। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि यह भारत सरकार और वित्त मंत्री की जिम्मेदारी है। महोदय, यह मेरा संसद सदस्य के तौर पर व्यक्तिगत अनुभव है कि कुछ हद तक आप हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं जानता किस हद तक क्योंकि यह भारत सरकार और मुख्यमंत्री के बीच की बात है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है केन्द्र से लगातार राज्य को धनराशि दी जा रही है। महोदय, यह एक पिछड़ा हुआ राज्य है और इसे केन्द्र से अत्याधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। जहां तक हमारी जानकारी है और आपको सदन को इसका उत्तर देना होगा राज्य सरकार धन बर्बाद कर रही है। जिस धन को लोगों की भलाई और राज्य के विकास में लगाया जा सकता था, उसका गलत इस्तेमाल हुआ है और उसमें धांधली हुई है। मैं आपको ऐसे एक-दो उदाहरण दे सकता हूं जहां धन विकास कार्यों के लिए दिया गया था लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। 18 करोड़ रुपयों को केवल कार परियोजना पर बेकार खर्च किया गया और उनका गलत इस्तेमाल हुआ। इससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता और न ही इससे वहां पर्यटन में कोई भारी परिवर्तन आता। यह 18 करोड़ रु० की बड़ी राशि बेकार खर्च कर दी गई। मुख्यमंत्री से पूछा जाए कि उन्होंने यह धन क्यों लुटाया जिसे की लोगों की दशा सुधारने में इस्तेमाल किया जा सकता था।

फिर एक शहरी वन जिसे हमारे राज्यपाल ने विकसित किया। पर्यावरण का एक सुन्दर और रंगीन उदाहरण बनाने में यह उनका योगदान था। लेकिन उसका क्या हुआ? उसे काट दिया गया, हजारों पेड़ों को शहरी वन में समाप्त कर दिया गया और आप उन्हें फिर नहीं देख पाएंगे। इसके विपरीत उसे गोल्फ कोर्स में बदल दिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री को गोल्फ पसन्द है। इस पर 10 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए। मैं पूछना चाहूंगा कि जब कशमीर में स्थिति बिगड़ी हुई है और हमारी अपनी समस्याएं हैं भारत सरकार ने इसकी अनुमति कैसे दी···**···उनके लिए केवल यही एक जरूरी चीज थी। इस धन का और अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। दुर्भाग्यवश मैं आपको विस्तृत जानकारी दे सकता हूं किस तरह जब श्रीनगर में स्थिति बिगड़ी हुई थी, जब पुलिस द्वारा गोलीबारी की जा रही थी और प्रदर्शन जारी था मुख्यमंत्री सिंगापुर में मौज कर रहे थे। यहां तक कि

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

हिन्दुस्तान टाईम्स, नवभारत टाईम्स और अन्य समाचारपत्रों में फोटो छपे···**···जबकि कशमीर जल रहा था। माननीय मंत्री संसद के प्रति और कशमीर के लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि इस विदेशी मुद्रा का गलत इस्तेमाल क्यों किया गया। यह पहली बार नहीं है, हमारे मुख्य-मंत्री अनेकों बार इंगलैंड, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर और अन्य जगह गए और वह भी 100 लोगों के दल के साथ पर्यटन के प्रचार के लिए। इसका कोई लाभ नहीं है। यह फ्रांसीसी क्रान्ति की पुरानी कहानी की तरह है। लोग लुई सोलहवें के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे और ब्रेड की मांग कर रहे थे। रानी ने कहा, "यदि ब्रेड नहीं मिल रही है तो वह केक क्यों नहीं लेते?" क्या यह तरीका है जिससे हम अपने राज्य का विकास करेंगे? यह बड़ी शर्मनाक बातें हैं। जहां समस्याएं आती हैं और उन्हें इनका सामना करना पड़ता है तब** उनके कार्यकाल में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इस स्थिति के लिए कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेवार है। उन्हें अपनी गलतियों को मानना चाहिए। सरकार तो सिर्फ आन्दोलनकारियों की निन्दा कर देती है और कहती है कि वे पाकिस्तान के पक्षधर थे।

इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि हमारी ये समस्याएं हैं। कशमीर में कोई प्रगति नहीं हुई है। यह बहुत पिछड़ा हुआ है। इस भेदभाव का राष्ट्रीय हितों पर बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा। ये युवक वास्तविक अधिकारों और नौकरी के अवसरों की मांग कर रहे थे। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर बन्दूक की गोली है। मेरे सामने दर्जनों लोगों को मारा गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो धनराशि राज्य को देते हैं उसके सम्बन्ध में आप स्वयं ही यह सुनिश्चित कीजिए कि इसका उपयोग कशमीर के विकास के लिए हो।

आपको उद्योगों का विकास करना है। हमारे यहां दस्तकारी और कालीनों के विकास की काफी क्षमता है। इससे आपको काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। भारत सरकार कालीन उद्योग तथा अन्य अनेक छोटे दस्तकारी उद्योगों का विकास करके विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि कर सकती है। लेकिन आज इनकी स्थिति बहुत खराब है। कोई भी इनकी देखरेख नहीं कर रहा है। कारीगर समाप्त हो रहे हैं। कला का अन्त हो रहा है। उनकी रक्षा कौन करेगा? यह सिर्फ कारीगरों का ही मामला नहीं है। मुद्दा यह है कि वे आपके लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। विश्व बाजार में एक कशमीरी शाल और एक कशमीरी कालीन का होना गौरव की बात है। कारीगर कठिनाई झेल रहा है। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह इस पर गौर करें। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कशमीर के लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। मैं कारीगरों और कामगारों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं यह अपने कटु अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि जब वे बैंकों में अपने उद्योगों के विकास हेतु ऋण लेने जाते हैं, तो उन्हें एकदम इन्कार कर दिया जाता है। कशमीर में राष्ट्रीयकृत बैंकों में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है।

इसलिए कृपया यह सुनिश्चित करें कि बन्धुआ मजदूरों की तरह बिचौलिए द्वारा शोषित इन कारीगरों, कामगारों को आप स्वतन्त्रता, सम्मान आदर इत्यादि दें। इसके लिए आप प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाएं। दूसरे, इन लोगों को बैंक ऋण आसानी से उपलब्ध करवाए जाएं। बैंक उन्हें रिश्वत देने के लिए बाध्य न करें, वे रिश्वत नहीं दे सकते हैं।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : माननीय सभापति महोदय, जो वित्त विधेयक पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मन्त्री जी ने सेन्ट्रल एक्साईज ड्यूटी में और कस्टम्स में कुछ आइटम्स में राहत दी है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। राहत लगभग 1 अरब 22 करोड़ की दी है। मैं आशा करता हूं कि उन आइटम्स के निश्चित रूप से भाव कम होंगे और उपभोक्ताओं को कुछ सस्ते भावों पर वे आइटम्स मिलेंगी। लेकिन उन चीजों के साथ-साथ अन्य चीजों के दाम भी कम होने चाहिएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में कुछ जिले सूखे की चपेट में हैं और सूखे के कारण वहां बड़ी कठिन परिस्थिति पैदा हो गयी है। हमारे बुन्देलखण्ड एरिए में पीने के पानी की कठिनाई पैदा हो गयी है। यद्यपि स्टेट गवर्नमेंट पीने के पानी के लिए और पशुओं के लिए पानी के प्रबन्ध तो कर रही है लेकिन मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे सूखे की स्थिति से निबटने के लिए राज्य सरकार को अनुग्रह राशि प्रदान करने की कृपा करें।

हमारी जो योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने में बहुत बड़ी राशि खर्च हो जाती है और हमारी योजनाओं के ऊपर वास्तव में जो खर्च होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि एक ऐसी कमेटी बनायी जाए जोकि इस बात को देखे कि हमारी जो मूल योजना है, उसके क्रियान्वयन पर उस मूल योजना पर होने वाले खर्च से ज्यादा खर्च न हो। विकास की योजनाएं जल्दी पूरी हों उद्योग स्थापित करने के लिए।

पहले पिछड़े क्षेत्रों में सेंट्रल की सब्सीडी दी जाती थी। बाद में उस पालिसी को चेंज कर दिया गया। जब सब्सीडी देने की पालिसी थी तब पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने की कार्यवाही शुरू हुई थी। वे काम अधूरे पड़े हुए हैं, सब्सिडी पालिसी बन्द हो जाने से उन उद्योगों को लगाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। जो उद्योग इस आशा से शुरू किए गए थे कि सेंट्रल सब्सिडी उनको मिलेगी, वह सब्सिडी उनको दी जानी चाहिए, इस बारे में माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट आश्वासन देने का कष्ट करें।

इस वर्ष जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना कमजोर वर्गों के लिए शुरू की गई है, उसके लिए मैं मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं। इस योजना के अन्तर्गत सिर्फ 120 जिले सम्मिलित किए गए हैं, मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड के इलाके को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यह बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, यहां कई स्थानों पर लोगों ने रेल के दर्शन तक नहीं किए हैं। हमारे यहां के निवासी कभी यह भी कहते हैं कि अगर यहां पर रेलवे लाइन नहीं आ सकती तो कम से कम एक रेल का डिब्बा ही लाकर रख दीजिए, ताकि हम लोग रेल देख लें। इतना गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां पर आसपास कोई रेलवे स्टेशन तक नहीं है, उसके उपभोग करने की बात तो दूर रही। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा देश विकास कर रहा है, लेकिन विकास की दर में क्षेत्रीय असन्तुलन है। कहीं पर तो विकास धीमी गति से हो रहा है, कहीं पर तेज गति से हो रहा है। मैं आपके माध्यम से और इस हाउस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस असन्तुलन को दूर करना चाहिए। सारे देश में जहां पर विकास के साधन नहीं हैं, रेलवे लाइन नहीं है, उद्योग नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं, वहां पर सुविधाएं पहुंचाने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारे यहां एक कहावत है कि "कहीं तो घना, के

चना कहीं नहीं सूखा चना नहीं" कहीं तो बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, योजनाएं बन रही हैं, वहां पर और उद्योग दे दिया जाता है और जहां पर कोई उद्योग नहीं है, उस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। जहां पर खाना पर्याप्त मात्रा में हैं वहां पर और खाना दे दिया जाता है और जिसके पास नहीं है, उसके पास सूखा चना भी नहीं पहुंचाया जाता। सूखे चने के नाम पर पन्ना जिले में एक उद्योग नहीं है, वहां पर पत्थर खदान है, जिससे लगभग 20 हजार मजदूरों को रोजगार मिलता है, लेकिन वन अधिनियम उसके आड़े आता है, क्योंकि वे खदानें वन भूमि पर हैं, जबकि वहां पर एक भी पेड़ नहीं है। वन विभाग के अधिनियम के मुताबिक खदानें बन्द कर दी जाती हैं, बड़ी मुश्किल से 2-4 महीने के लिए शुरू कर दी जाती हैं, लेकिन फिर बन्द कर दी जाती हैं। वहां से मजदूरों को जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि इसके लिए वन अधिनियम में उचित संशोधन करना चाहिए। माननीय प्रधानमन्त्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि वन अधिनियम के कारण जो विकास कार्य रुक जाते हैं इसके लिए मन्त्रीमण्डल की एक समिति बनाकर सुधार करेंगे। कई जगह तो इस अधिनियम के कारण बिजली की लाइन नहीं जा पाती, वन विभाग के अधिकारी उसको रोक देते हैं। इस तरह से इसको व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि बैंकों में डिपाजिट पर डिपाजिटर को 10 परसैंट ब्याज मिलता है लेकिन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में 13, साढ़े 13 परसैंट मिलता है। इससे बैंक्स की डिपाजिट में ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है। अगर बैंक्स डिपाजिट में कुछ इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दिया जाए तो इससे लोगों को बैंकों में डिपाजिट करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। पिछले दो-तीन वर्षों से सभी तरफ से यह सुझाव आ रहा है कि इन्कम टैक्स लिमिट 18 हजार की बजाय पच्चीस हजार होनी चाहिए। मैं पुन: आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर विचार किया जाए। वैल्थ टैक्स वैल्युएशन के सम्बन्ध में आपने कुछ गाइड लाइन्स दी हुई हैं। मेरा सुझाव है कि ये गाइड लाइन्स स्पेसिफिकेशन इफेक्ट से होनी चाहिए जिससे वैल्थ टैक्स के जो झगड़े हैं वे सुलझ सकें। उसमें डिपार्टमेंट और असेसीज को भी राहत मिलेगी। गिफ्ट टैक्स में आपने बीस हजार के बाद एक ही टैक्स रेट रखा है। आज की स्थिति को देखते हुए उसमें स्लैब होना चाहिए।

एक मुख्य बात यह है कि हमारे देश में लगभग दो लाख सिक यूनिट यानी बीमार उद्योग हैं। इनमें अरबों-खरबों रुपए की पूंजी ब्लाक होकर रह गई है। जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो वह एक डाक्टर से दूसरे व तीसरे डाक्टर के पास जाता है या कभी स्पेशलिस्ट के पास जाता है, उसी तरह से विभिन्न तरीकों से जांच करके इन बीमार उद्योगों को रिवाइव किया जाए। ये उद्योग हमारे देश की बेरोजगारी की समस्या को हल करने में भी सहायक होंगे और इनमें जो पूंजी लगी है उसका उपयोग हो सकेगा। जिस तरह और कामों के लिए कंसलटेटिव एक्सपर्ट कमेटी होती है उसी तरह से आल इण्डिया बेस-वाइज और रीजनल वाइज कसलटेटिव एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए जो बीमार उद्योगों को चालू करने में सहायक हो। अगर किसी ने जान-बूझकर सरकारी पैसा लेकर उद्योग को बीमार किया हुआ है तो ऐसे लोगों पर निश्चित तरीके से कार्यवाही होनी चाहिए। इस तरह से वह व्यक्ति देशद्रोही का काम कर रहा है। ऐसे लोगों को बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। हमारे वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में इंडीकेट किया था कि स्वर्ण नियंत्रण कानून में कुछ संशोधन करना है। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति में सोने का एक विशेष महत्व है, खासतौर से महिलाओं में विशेषरूप से उसका प्रेम या महत्व रहता है उस पर सुधार करने का संकेत दिया था। विदेश से आने वाला बहुत

सा सोना पकड़ा जाता था इसलिए शासन विदेश से सोना लाने वालों को कुछ छूट देने पर विचार कर रहा है।

अगर इस पर विचार किया जाये तो तस्करी कम होगी और देश में सोने का भाव भी कम होगा। एक और अहम् बात है कि आज सारे देश में कागज की, चाहे लिखने वाला हो या न्यूज पेपर हो, अत्यन्त कमी हो गई है। पिछले एक वर्ष में ही कागज के दामों में 40 से 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह क्यों हुई है इस पर हमारे वित्त मन्त्री जी ध्यान दें और कागज को पुराने रेट पर लायें। जो कमी हुई है वह आर्टिफिशियल कमी है या किसी और कारण से कमी हुई है, इसकी जांच हो और वह कारण दूर किया जाना चाहिए। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले हमारे सम्माननीय बंधुओं की पेंशन पांच सौ रुपये से बढ़ाकर सात सौ पचास कर दी है। लेकिन गोवा में जो आन्दोलन हुआ था उनके सम्बन्ध में हमारी निश्चित नीति अभी नहीं बन पाई है। गोवा के संग्राम में भाग लेने वाले बहुत से सेनानी परेशान हो रहे हैं इसलिए उनके केसेज के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और उनको भी इसी श्रेणी में लाना चाहिए। भारतीय रियासतों में जो आन्दोलन हुए थे प्रजामण्डल द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा उनको स्वतन्त्र कराने में जिन लोगों ने भाग लिया था उनके भी केसेज के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। कमजोर वर्गों के लिए शासन की ओर से जो योजनायें बनाई जाती हैं उनकी क्रियान्विति के लिए बहुत कठिनाई होती है। इसका ऐसा फार्मूला निश्चित होना चाहिए जिससे उनको लाभ मिले और एक बार में उनका काम हो जाना चाहिए।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं वित्त मन्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने बजट के तीसरे चरण यानि वित्त विधेयक के शुरू करने पर 122-123 करोड़ रुपए की डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट टैक्सेज में रिलीफ दी। खासकर टी० वी०, प्लास्टिक कवर, पेपर और पेपर बोर्ड के बारे में। यह साल चुनाव का साल है। इसलिए सभी लोग यह कहते हैं कि चुनाव का बजट है। लेकिन आप कोई भी बजट देखें तो आपको पता लगेगा कि सबसे ज्यादा टैक्स इस साल के बजट में लगे हैं। वैसे चुनाव के साल वाले बजट में सबसे कम टैक्स लगाए जाने चाहिएं। इस साल सबसे ज्यादा टैक्स लगे हैं, लेकिन कई इकोनोमिस्ट्स ने, इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने या छोटे दुकानदार हों, सबने बजट का स्वागत किया है। इस बीच कीमतों में भी कुछ गिरावट आई है। वित्त मन्त्री जी ने आयात-निर्यात और व्यापार घाटे की बात कही है वह चिन्ताजनक है। इस बारे में आगे भी सोचना होगा। इतनी फसल होने के बावजूद भी जितना प्रोक्योरमेंट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। फसल के दाम जितने मिलने चाहिए थे वे नहीं मिले हैं। व्यापारी लोग गेहूं और धान को खरीद रहे हैं। चीनी का एस्टीमेट 10 मिलियन टन था, लेकिन उपज कम होने के कारण उसका आयात करना जरूरी हो तो सलेक्टिव इम्पोर्ट होना चाहिए...मैसिव एक्सपोर्ट होने पर आप ट्रेड डैफिसिट भी कुछ काम कर सकते हैं। अन्यथा आगे आप डैफिसिट कैसे कम कर पाएंगे क्योंकि कन्ज्यूमर्स गुड्स का आयात तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि फाइनैन्श्यल डिसिप्लिन केन्द्र और हर राज्य में हो, एक्सपैंडीचर के सम्बन्ध में भी हो। जहां तक मिस-मैनेजमैंट का सवाल है, वह भी कम होना चाहिए। दूसरे, क्राप इन्श्योरेंस के सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है जबकि हमारे यहां हर साल बम्पर क्रौप होती है। मैं समझता हूं कि क्रौप इन्श्योरैंस की व्यवस्था होना आज की स्थिति में बहुत आवश्यक है। इस साल के बजट में आपने केवल एक लाख रुपए का प्रावधान किया है, जो टोकन मात्र है। मेरा निवेदन है कि सभी फसलों के लिए आप कम्पलसरी फसल

बीमा योजना देश में लागू करें। ऐसा करने से हमें जो हर साल घाटा होता है, वह भी कम हो जाएगा, अन्यथा मुझे डर है कि यह डैफिसिट और ज्यादा बढ़ जाएगा। आज स्थिति यह हो गयी है कि जिनको जरूरत नहीं है, वे भी ऋण लेने के लिए आ जाते हैं और हमें मजबूरी में उन्हें पैसा देना पड़ता है। यदि हम विलेज यूनिट मानकर सारी फसलों पर यह योजना लागू करें तो उसमें घाटा नहीं आयेगा। जो किसान ऋण लेते हैं, उसके तहत उन्हें तो फायदा मिलता है, लेकिन इसके लागू हो जाने के बाद उन किसानों को भी फायदा मिल सकेगा जो ऋण नहीं लेते हैं। आज यह प्रवृत्ति हो गयी है कि किसी न किसी तरह ऋण मिल जाए, इन्श्योरेंस से उसे फायदा हो जाये।

आपने किसान और देहातों के विकास के लिए पाउल्ट्री के क्षेत्र में कुछ कन्सेशन्स दिए हैं, जिनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं, लेकिन पाउल्ट्री के साथ-साथ, मैं चाहता हूं कि आप डेरी विकास के लिए भी कुछ कन्सेशन्स दें। इससे हमारे देश में दूध का उत्पादन बढ़ेगा। दूसरे, आपने अभी तक देहातों के लिए फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ नहीं किया है। एग्रो बेस्ट इंडस्ट्रीज तो काफी चल रही हैं, एग्रो कैमिकल काम्पलैक्स भी कुछ लोग बनाना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप देश में फूड प्रोसैसिंग के सम्बन्ध में कोई मूलभूत नीति निश्चित करें। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि इससे किसानों का फायदा है, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा लेकिन मैंने इस सम्बन्ध में इसी सदन में 5 प्रश्न किए, जिनमें से एक प्रश्न स्टार्ड होकर आया और 4 अनस्टार्ड रहे और प्रत्येक प्रश्न का माननीय मन्त्री जी ने यही उत्तर दिया कि अभी तक कोई स्पष्ट नीति तय नहीं हुई है। आज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री कुछ बड़े घराने के लोगों के पास ही सीमित होकर रह गयी है, इसमें वर्कर्स या किसानों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसके अन्तर्गत जितने प्रोजैक्ट लगाए जाएं वे सहकारी आन्दोलन के अन्तर्गत या देहातों में होने चाहियें, देहातों के लोगों को आप सौफ्ट लोन उपलब्ध कराइए। मैंने सुना है कि अभी तक 32 बिग इंडस्ट्रियलिस्ट्स को इसमें फौरेन कोलेबोरेशन मिल चुका है जो सब शहरों में या शहरों के अगल-बगल अपने उद्योग लगा रहे हैं। इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, किसी बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल पायेगा। उसमें जो हाइयैस्ट टैक्नोलौजी काम में आएगी, वह भी हमारे यहां उपलब्ध नहीं है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था भी हमें करनी पड़ेगी। वैसे यह विषय सीधे आपके मन्त्रालय से सम्बद्ध नहीं है लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि आप इन उद्योगों की तरफ खास ध्यान दें।

दूसरे बगास का उद्योग है। आज हमारे देश में कागज की भारी कमी है, सभी जगह कागज की मांग है और बगास एक एनर्जी सेविंग प्रोजैक्ट है, हम फौरैस्ट्स को बचाना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं। आपने बजट में कहा है कि :

[अनुवाद]

"इस कागज और गत्ते को पूर्ण रूप से उत्पाद-शुल्क की छूट दी गई है जिसमें वजन के मुताबिक कम से कम 75% बगास हो।"

[हिन्दी]

यह तो ठीक है, इसके साथ मैं चाहूंगा कि आपने जो जूट इण्डस्ट्री को सहूलियतें दी हैं, वे भी स्वागत योग्य हैं, लेकिन आप 10-15 साल की कोई दीर्घकालीन नीति बनाइए। आप बगास का उपयोग पेपर बनाने के लिए ज्यादा कराइए, लोगों को प्रेरित कीजिए। यह बिलकुल नई टैक्नोलौजी है क्योंकि

आज कागज बनाने की जो इण्डस्ट्री या तकनीक है उसमें जहां घाटा होता है, वह इकोनोमिकली वायबल भी नहीं है । आप बगास से पेपर बनाने वाले उद्योगों को ज्यादा सौफ्ट लोन देने की व्यवस्था कीजिए, जो न्यूजप्रिंट का कागज बनाए । आज पेड़ काट कर, फौरेस्ट काटकर पेपर बनाया जाता है, उसमें भी 50 प्रतिशत बगास के इस्तेमाल की आप व्यवस्था कर सकते हैं । उसके प्रोसैसिंग में कोई खास दिक्कत नहीं है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस बारे में कोई दीर्घकालीन नीति बनाएं । बगास से बिजली भी बन सकती है; कागज भी बन सकता है । फिर आपको जंगल काटने या पेड़ काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और कागज भी काफी उपलब्ध हो सकता है । अभी आपने बगास के सम्बन्ध में जो एक्साइज ड्यूटी एक्जैम्प्ट की है, आप मोडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, प्रोसैसिंग बदलने जा रहे हैं, उसके लिए आप कुछ सोफ्ट लोन की व्यवस्था भी कीजिए ताकि लोग फौरेस्ट न काट कर बगास की तरफ ज्यादा शिफ्ट होने लग जाएं । आपको कुछ न कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ।

आखिर में, मैं कहूंगा कि यहां किसानों की जब बात होती है तो उसे प्रोड्यूस का उचित दाम भी मिलना चाहिए जो दिन-रात मेहनत करता है । किसान को दिए जाने वाले टर्म लैंडिंग सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम है, इसमें परिवर्तन जरूरी है । नाबाड़ से भी मैंने बात की है, वे भी कुछ कर रहे हैं । लेकिन नैचुरल कैलेमिटी आती है तो वहां पर लैंडिंग सिस्टम और ब्याज ऋण कम होना चाहिए । जो टर्म लोन है, उसका ब्याज कम होना चाहिए । पैनल इन्टरेस्ट खत्म कीजिए । बिहार और जहां लैंड सिलिंग नहीं है, वहां तो ठीक है, लेकिन बाकी जगह यह पैनल इन्टरेस्ट खत्म कर दो क्योंकि पैनल्टी इन्टरेस्ट के कारण आपकी तमाम लैंड चोक हो गई है । इसमें आप किसान के अनाज और भूमि को नीलाम करते हैं, लेकिन जब बड़े उद्योग घाटे में जाते हैं वहां हजारों करोड़ रुपया आपका बकाया रहता है, लेकिन किसी डायरेक्टर या पार्टनर की कोई प्रापर्टी नीलाम नहीं होती है जबकि किसान की जमीन, मकान और अन्य चीजें नीलाम करके वह पैसा आप उससे ले लेते हैं । इसलिए यह नीलाम का सिस्टम बन्द करो और यह पीनल इन्टरेस्ट खत्म कर दो । जब तक आप यह पीनल इन्टरेस्ट खत्म नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि किसान को न्याय नहीं मिलेगा ।

मैकेनाइजेशन फार दि फार्म के लिए ऋण का ब्याज कम होना चाहिए क्योंकि अभी हमने देखा पंजाब और हरियाणा में और यू० पी० में महाराष्ट्र में जहां-जहां मैकेनाइजेशन हुआ है वहां एम्पलॉयमेंट पोटेंश्यल बढ़ी है । खेती में मैकेनाइजेशन होगा, तो एम्प्लायमेंट कम होगा, यह धारणा अब हमारी गलत साबित हो रही है । हमारा अनुभव यह बता रहा है कि मैकेनाइजेशन के कारण दुगुनी और तिगुनी एम्पलॉयमेंट हो गई है । जब मैकेनाइजेशन करना है, तो पानी की जरूरत आती है जो सूखे इलाके हैं, वहां पर वाटर मैनेजमेंट की, ड्रिप्ट इर्रीगेशन, स्प्रिंकलिर इर्रीगेशन की जरूरत होती है । आप वहां के लिए 75 फीसदी लोन देते हैं, लेकिन जो डैजर्टप्रोन एरियाज हैं, उनके लिए आप सिर्फ 50 परसेंट लोन देते हैं । इसलिए जो इर्रीगेशन की बातें हैं, उनमें थोड़ी और राहत दीजिए, तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। मुझे तो डर है कि आपको अब तो अनाज भी आयात करना पड़ेगा और चीनी का भी बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है क्योंकि फसल के दाम बहुत कम दिए गए हैं । जो आप रैम्युनरेशन प्राइस कहते हैं, वह आप घोषित कर देते हैं, लेकिन उस प्राइस पर आपको सामान बाजार से मिलता नहीं है । एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन में जो मैम्बर हैं, वे फुल टाइम मैम्बर हैं और जो अभी आपने तीन किसान मैम्बर जिनको आप कहते हैं, के शामिल किए हैं, वे फुल टाइम मैम्बर नहीं हैं । वे पार्ट टाइम मैम्बर हैं । मुझे लगता है कि किसानों को इससे न्याय नहीं मिलेगा और उनको दाम उचित नहीं मिलेंगे । इससे छोटे किसानों को तो बिल्कुल फायदा नहीं होगा क्योंकि उनकी पैदावार बहुत कम है ।

आपने बीस सूत्री कार्यक्रम चलाया मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। आपने एक लीड बैंक की बात कही है। उससे ज्यादा से ज्यादा 30 परसेंट किसानों को फायदा हुआ है और 50 परसेंट उसका मिसयूज हो रहा है। 20 परसेंट लोग थोड़े कुछ किनारे पर आए हैं। सभी बैंकों ने जो सर्वे किया है, जिला कोआपरेटिव बैंक ने जो सर्वे किया है, इसके कारण किसान के ऊपर और भूमि के ऊपर निर्भरता आ सकती है। टर्म लैंडिंग सिस्टम में जो ऋण देते हैं, उसमें पैनल्टी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। उसकी रीशेड्यूलिंग होनी चाहिए और यह ऋण 6 परसेंट से ज्यादा किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए नहीं, तो हम जो किसानों की बात करते हैं, देहातों की बातें करते हैं, देहात सुधार की बातें करते हैं, लेकिन जब देहात की बात आती है, तो हम कोई ध्यान नहीं देते हैं।

अब नेता की तरफ देखो। किसी पार्टी का नेता चुने जाने के बाद गांव से तहसील में आता है और उसके बाद जिले के हैडक्वार्टर में जाता है और मन्त्री बनने के बाद कैपीटल में रहने के लिए जाता है, लेकिन गांव को वह भूल जाता है।

सभापति महोदय, अब मैं स्कूल की बात कहता हूं। बड़े, अच्छे आदमी का लड़का कॉमन स्कूल में नहीं जाएगा। वह पब्लिक स्कूल में जाएगा या सेंट्रल स्कूल में जाएगा या जहां उसकी जानकारी होगी या रिश्वत देकर, या डोनेशन देकर कहीं और चला जाएगा, लेकिन कॉमन स्कूल में नहीं जाएगा। इसलिए गांव की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इसको सुधारने के लिए कोई न कोई ठोस कार्यक्रम बनाना पड़ेगा और उसके लिए एक ही कार्यक्रम हो सकता है, वह है फूड प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा। बगैर उसके मजदूर और किसानों का सुधार नहीं होगा। किसानों को सही मूल्य नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस को-आपरेटिव को, सरकार और किसान को मिलकर जाइंट सैक्टर में करना चाहिए।

हाउसिंग की बात जो आप कहते हैं, यह एक अजीब बात है। आपने लोकल लोगों के लिए हाउसिंग बैंक बनाया है और काफी लोन दे रहे हैं लेकिन चन्द्रपुर हमारे महाराष्ट्र में एक जिला है, यहां बैम्बू पैदा होता है, पेपर मिल को आप बैम्बू एक या डेढ़ रुपए में देते हैं लेकिन जो झुग्गी-झोपड़ी बनाने के लिए खरीदने जाता है उसको 10 और 15 रुपए में बैम्बू मिलता है, यह आपकी क्या नीति है? आप इंडस्ट्री को सब्सीडाइज करते हैं लेकिन जो मकान बनाने के लिए लकड़ी लेने जाता है उसको बैम्बू लेना पड़ता है इस तरह से वह कैसे लोकल मेटीरियल यूज कर सकता है? इस तरह से कैसे आप हाउसिंग को बढ़ावा देंगे?

ऋण देने की बात है, किसान के फार्मिंग हाउस के लिए या गांव के मजदूर के लिए गारन्टी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए नहीं तो मिडिल क्लास को और मजदूरी करने वाले कोई फायदा नहीं होता है। इससे फायदा होगा उनको जो बैंकिंग के लोग हैं, नौकरी करने वाले हैं, सरकार के जो बाबू लोग हैं, आफिसर हैं, उनको फायदा होगा। जिसकी कोई आमदनी की गारन्टी नहीं है, उसको उससे कोई फायदा नहीं होता है। आप ऋण किसको देते हैं, जिससे हर महीने पैसा आएगा। जिसकी कमाई है, उसको ऋण देते हैं। किसान तो फिर नैचुरल कैलेमिटी में फंस जाएगा, और वह पैसा नहीं दे पाएगा उस पर बकाया हो जाएगा इसलिए उसको हाउसिंग के लिए लोन नहीं देते हैं।

मैंने 18 करोड़ की एक स्कीम बनाई थी, 3, 4 साल से मैं झगड़ रहा हूं लेकिन 50 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले हैं। आज किसान और मजदूर को कोई ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। हम

हाउसिंग बैंक, हुडको में कई बार गए लेकिन उन्होंने कहा कि गारन्टी लाओ स्टेट गवर्नमैंट की कि डिफाल्ट होने के बाद पैसा कैसे देंगे। स्टेट गवर्नमैंट बोलती है कि हम मजदूर और किसान की गारन्टी कैसे देंगे ? और हाउसिंग सोसाइटी को भी हम गारन्टी कैसे देंगे ? पता नहीं, स्कीम तो बनती हैं लेकिन जितना फायदा होना चाहिए, वह होता क्यों नहीं है ?

मैं चाहूंगा कि एग्रो-वेस्ड, फूड प्रासेसिंग इन्डस्ट्रीज, फार्मिंग मैकेनाइजेशन और वाटर मैनेजमैंट पर आपको ध्यान देना जरूरी है। एक्सपोर्ट ज्यादा कर के अभी जो इम्पोर्ट कर रहे हैं अनाज और चीनी को तो कंजम्पशन गुड्ज का बिल्कुल सिलैक्टिव गुड्ज का इम्पोर्ट करो, नहीं तो मेरे ख्याल से आपका डैफिसिट बढ़ जाएगा। और टोटल फाइनेंस डैफिसिट होगा। जो स्टेट्स ओवर-ड्राफ्ट करती हैं, उनमें डिसिप्लिन लाइए क्योंकि दिन-ब-दिन चुनाव का साल होने के कारण हरेक स्टेट की यह भी राय है कि हम डैफिसिट बजट बनाएंगे। जितनी भी स्टेट्स के बजट आए हैं सबने डैफिसिट बजट बनाए हैं, किसी ने भी टैक्स बढ़ाने की हिम्मत नहीं की है। हमारे केन्द्र के वित्त मन्त्री जी ने और प्रधान मन्त्री जी ने चुनाव का साल होते हुए भी टैक्स बढ़ाया है लेकिन किसी स्टेट के मुख्य मन्त्री या वित्त मन्त्री ने टैक्स नहीं बढ़ाया है, बल्कि ओवर-ड्राफ्ट की तरफ चल रहे हैं। इसके कारण घाटा हो सकता है और इन्फ्लेशन भी हो सकता है। इसकी तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं आपके बिल का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि मैंने जो सुझाव रखे हैं, उन पर आप गौर करें।

4.42 म० प०

पंजाब और चंडीगढ़ के अशांत क्षेत्रों के संबध में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1987 के प्रवर्तन के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, 3 मार्च, 1989 को प्रधान मंत्री महोदय ने इस सदन में बहस में हस्तक्षेप करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ पंजाब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। मैं इस सदन के सदस्यों को उस घोषणा के एक महत्वपूर्ण भाग, अर्थात् राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम को लागू करने के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करता हूं।

जैसाकि सदस्य गणों को याद होगा, संसद ने 1987 में राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 पारित किया था, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में 14-क नामक एक नई धारा जोड़ दी गई। इस धारा में यह व्यवस्था है कि पंजाब और चंडीगढ़ के "अशान्त क्षेत्रों" के बारे में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बगैर तीन महीने से अधिक समय तक निरुद्ध किया जा सकता है और बन्दी बनाए जाने की अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक हो सकती है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा विभिन्न प्रक्रिया कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए मूल अधिनियम में कुछ सीमाओं को भी बढ़ाया गया था।

8 जून, 1988 से पहले बन्दी बनाए गए व्यक्तियों के बारे में धारा 14-क लागू थी। इसे

राष्ट्रीय (संशोधन) अधिनियम, 1988 के द्वारा एक साल तक अर्थात् 8 जून, 1989 तक और लागू किया गया था।

प्रधान मन्त्री महोदय की इस घोषणा कि राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम को वापस ले लिया जाएगा और पंजाब में मूल अधिनियम के उपबन्धों को पुनः लागू किया जाएगा, के तदोपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि धारा 14-क की प्रयोजनीयता को 8 जून, 1989 को सामान्य स्थिति में समाप्त माना जाएगा। इसी बीच पंजाब सरकार को आदेश जारी किए गए हैं कि वे धारा 14-क के उपबन्धों को तुरन्त लागू न करें।

पंजाब के बारे में प्रधान मन्त्री महोदय के पैकेज कार्यक्रम का व्यापक रूप से स्वागत किया गया है। सरकार पैकेज कार्यक्रम को पूर्णरूप से तथा शीघ्रता से कार्यान्वित करने के लिए वचनबद्ध है और पंजाब की लम्बित समस्याओं को हल करने के लिए प्रयत्नशील है।

4.45 म० प०

वित्त विधेयक, 1989—जारी

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मन्त्री जी और सत्ता पक्ष के लोगों का यह कहना कि यह किसान पक्षीय, मजदूर पक्षीय और बेरोजगारों को रोजगार देने वाला बजट है यह कहना गलत है और उनकी इस बात से मैं सहमत भी नहीं हूं। मेरा कहना यह है कि बजट के आने से पहले ही मूल्य वृद्धि होने लगती है। आप बजट में जो भी रियायतें उपभोक्ताओं को देते हैं वह उनको प्राप्त नहीं होती है। मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जो वस्त्र मंत्रालय है उसने कुछ रियायतें दीं और वह रियायत 27 रुपये पोलिस्टर धागे पर 10 रुपए फिलामेन्ट के धागे पर और 50 प्रतिशत नाइलोन के धागे पर दी। लेकिन जब मार्किट में हम कपड़ा खरीदने गए तो मूल्य में कोई कमी हमें देखने को नहीं मिली। अगर यह रियायत उपभोक्ताओं को दी जाती तो पोलिस्टर कपड़ पर प्रति मीटर लागत में दो रुपए से 10 रुपए की कमी हो जाती। आप इसी से अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह जो रियायतें दी जाती हैं वह उपभोक्ताओं को नहीं मिलती हैं। कैसे आप इसको प्रगतिशील बजट कह सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि जो रिलायन्स उद्योग है उसको दस हजार टन तक का उत्पादन करने की अनुमति दी गई थी लेकिन यह उद्योग छल-बल और प्रपंच से 25 हजार टन तक उत्पादन कर रहा है जिससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि यह कितना प्रगतिशील बजट है।

आपकी जो भिन्न-भिन्न योजनायें चलती हैं उनको भारत सरकार भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा लागू करवाती है लेकिन अभी हमारे देश के सामने दो बड़ी समस्यायें हैं। मैं समझता हूं कि इन दोनों समस्याओं को काबू में करना बहुत जरूरी है। एक समस्या में बढ़ती हुई आबादी की है। हम जो प्रगति करते हैं उसको बढ़ती हुई आबादी सुरसा की तरह निगलती जा रही है। हम जो उन्नति और

तरक्की कर रहे हैं उसका कोई नतीजा हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है और न ही समाज में कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। एक तरफ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और दूसरी तरफ धन की इतना ज्यादा बढ़ोत्तरी हो रही है कि उनके सामने समस्या है खर्च करने की कि कैसे इसको खर्च करें। हिन्दुस्तान में कालेधन की एक समानान्तर इकोनमी बनती जा रही है। यह सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है और उसके कारण अनेक समस्यायें पैदा होती जा रही हैं। इसी सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि गांवों की गरीबी और शहरों की आर्थिक स्थिति दोनों में बड़ा अन्तर है। इसको भी कम किया जाना चाहिए।

जहां से मैं आता हूं वहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। अगर पांच बीघा में दस परिवार काम में लगे हुए हैं तो अगर हमरा एरिया सिंचित नहीं है तो वह दस क्विंटल से ज्यादा पैदा नहीं कर पाते हैं। इस तरह की हालत है कि एक बीघा के पीछे दो परिवार हैं। दस परिवारों का उसमें गुजारा भी नहीं चलता है इसलिए उनमें से कुछ को उस काम से अलग करके दूसरे रोजगार में ले जाना चाहिए तभी हम समझेंगे कि यह बजट गरीब किसानों और मजदूरों के लिए है।

मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें आपसे कहना चाहता था। जहानाबाद एक संवेदनशील क्षेत्र है और वह संवेदनशील क्षेत्र पंजाब से कम खतरनाक हालत में नहीं है। आज वहां पर कुछ ऐसे तत्व हो गए हैं जो अपने आपको उग्रवादी कहते हैं, वह तत्व किसानों की पूर गांव के गांव की फसल को जला देते हैं और किसानों को आर्थिक दण्ड दे रहे हैं, पटना जिले के मसौढ़ी प्रखण्ड के दिघमा और जहानाबाद जिले के करपी प्रखंड के कंसारा ऐसे गांव हैं जहां किसानों की फसल को जला दिया गया है जिससे किसानों की हालत पतली हो रही है और उनके छोटे-छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं लेकिन वहां की सरकार उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है, अभी तक उन लोगों को कोई अनुदान भी नहीं मिला है।

जहां तक सिंचाई का सवाल है, सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर हमने सिंचाई पर ध्यान दिया होता तो हालत कुछ और ही होती। मैं वित्त मंत्री से कहूंगा कि बजट का पैसा सिंचाई पर ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा एरिया सिंचित हो तो उस एरिया में काफी फसल हो और उत्पादन बढ़ सके। उस उत्पादन को आप बाहर भी भेज सकते हैं और विदेशी मुद्रा देश में ला सकते हैं और इस तरह से देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं लेकिन आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है। इतने बड़े कृषि आधारित देश में आपने कृषि पर ध्यान नहीं दिया है, उसी का नतीजा है कि बेकारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यह सारी चीजें आपके सामने हैं और आज देश में अन्तर्विरोध पैदा हो गया है। यह अन्तर्विरोध इन गरीबों के द्वारा ही पैदा हुआ है। झारखंड आंदोलन आज किस हद तक पहुंच गया है, यह आप जानते हैं लेकिन क्यों पहुंच गया है यह आपको बताना होगा, यहां जवाब देना होगा कि झारखंड आंदोलन इतनी तेजी से क्यों बढ़ा। आन्दोलनकारी आज बहुत सी राष्ट्रीय सम्पत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। झारखंड आंदोलन का मुख्य कारण क्या है, बोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या है, इसको आप ढूंढें। मिजोरम का आंदोलन समाप्त होने पर इसी जगह कहा गया था कि वह राष्ट्र की मुख्य धारा में आ गए हैं। उन सभी इलाकों में विकास नहीं हुआ था और उसी का करण वह आंदोलन था और इन आंदोलनों को खत्म करने के लिए आपको तेजी से विकास करना चाहिए। आज होता क्या है कि जो पैसा हम खर्च करते हैं वह गैरयोजना पर तेजी से खर्च हो रहा है

और कालेधन में जा रहा है और उसी से कालाधन पैदा हो रहा है, जहां वह पैसा पहुंचना चाहिए और वह पैसा लगना चाहिए, वह नहीं लगता है और यह स्थिति बढ़ रही है।

1987 में हमारा पूरा इलाका बाढ़ से ग्रस्त था, वहां पर जो लघु सिंचाई योजनाएं थीं, जो पुल था, जो सुलिस गेट था, जो पक्के बांध थे वह नष्ट हो गए लेकिन राज्य सरकार फिर से उनको अभी तक नहीं बना पाई, कहा तो बताया गया कि पैसा नहीं है इसलिए मैं कहूंगा कि बिहार को आप काफी पैसा दें जिससे जो साधन बिखर गये हैं, किसानों की पैदावार में जो कमी हो रही है, उस पैदावार की पूर्ति की जा सके। बाढ़ से जो सुलिस गेट, पक्का बांध और पुल वगैरह का नुकसान हुआ है उनको बनाया जाए। मैं उसकी लिस्ट आपके पास भेज रहा हूं।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा को आपने नजरअन्दाज कर दिया है। इस वर्ष यहां शिक्षा पर बहस नहीं हुई, वह महत्वपूर्ण विषय था। शिक्षा किसी देश में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने वाली चीज है'''लेकिन आप उसको बराबर नजर-अन्दाज करते गए हैं। आपकी शिक्षा की गलत नीतियों के कारण ही आज पूरे हिन्दुस्तान में पब्लिक स्कूल तेजी से खुल रहे हैं और उसमें खुशहाल परिवार के लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं। जो गांव में प्राइमरी स्कूल हैं, उन स्कूलों में गरीब के बच्चे हैं। गरीब के बारे में जो आप कहते हैं कि हम गरीबी को मिटाने और गरीबों के प्रति हमारी श्रद्धा है, तो वह बिल्कुल गलत बात है। उन गरीबों के बच्चे भी उन विद्यालयों में नहीं बढ़ सकते हैं। उन बच्चों को जो पढ़ाने वाले मास्टर हैं, उनकी भी स्थिति को आप देखिए। हम अपने इलाकों में घूमते हैं और देखते हैं कि वहां बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो रही है भवन नहीं है उन परिवारों के लोगों ने सही शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्रोह का शंखनाद किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उन विद्यालयों को बनवाइए और शिक्षा की नीति तय कीजिए। एक नीति जब तक आप तय नहीं करेंगे, तब तक देश के अन्दर तरह-तरह के आन्दोलन होते रहेंगे। आपने जो शिक्षा की नीति बनाई है वह वर्ग के लिए बनाई है, खास गरीब लोगों के लिए नहीं बनाई है। उन स्कूलों की लिस्ट मैंने प्रधान मंत्री जी को भी भेजी है, संसाधन मंत्री जी को भी दी है और मैं आपको भी भेज रहा हूं, ताकि आप वे सब विद्यालय बनायें। अगर वहां की सरकार के पास पैसा नहीं है तो आप बिहार सरकार को उसके लिए ज्यादा-से-ज्यादा पैसा दें। जिससे वहां जो एक बड़ा आंदोलन उठ खड़ा हुआ है, वह आंदोलन समाप्त हो सके।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए, वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पटना से गया डबल रेल लाइन को करना न भूलिएगा। पटना से गया जब डबल रेल लाइन के लिए रेल मंत्री जी से कहते हैं, तो वे कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम को पैसा दिलाइए। इतनी पुरानी यह लाइन आज तक डबल नहीं हुई है, जबकि और जगहों की छोटी-छोटी लाइनें डबल बना दी जाती हैं और इस महत्वपूर्ण जगह की ओर आपका ध्यान नहीं है। प्रधान मंत्री जी बराबर इस बात को कह रहे हैं कि जहानाबाद को राष्ट्रीय स्तर पर लाने की बात कह रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए यह जरूरी है कि आप पटना से गया डबल रेल लाइन बनायें और रेल विभाग को उसके लिए आप अलग से पैसा दें, जिससे वह डबल लाइन बनाई जा सके।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। यह बहुत ही

दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के माननीय साथियों के कारण सभा का काफी समय अन्य मामलों पर व्यर्थ हो गया और महत्वपूर्ण अनुदान मांगों जैसे रक्षा, पर चर्चा ही नहीं हो सकी। सम्पूर्ण राष्ट्रीय बजट का $\frac{1}{3}$ भाग से भी अधिक रक्षा के लिए है लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई।

मैं आज देश की रक्षा स्थिति पर प्रकाश डालना चाहूंगा। हमारी विश्व की शक्तियों के साथ अत्यधिक मित्रता हो सकती है और हम तीसरे विश्व के नेता बन सकते हैं। लेकिन यदि हम रक्षा के नजरिए से अपने देश के चारों ओर, विशेषकर चीन और पाकिस्तान तथा अन्य देशों को सामान्य रूप से देखें तो यद्यपि उनके साथ हमारे सम्बन्ध बिगड़े नहीं हैं, लेकिन रक्षा के नजरिए से उनमें सुधार भी नहीं हुआ है। मधुर यात्राओं, सत्कार, सांस्कृतिक दलों, नाटकों, कला आदि से उनमें सुधार हो सकता है। लेकिन जहां तक रक्षा की कठोर वास्तविकता का सम्बन्ध है, हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वर्ष 1988-89 की तुलना में 1989-90 में रक्षा बजट में 300 करोड़ रुपए की कटौती कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधान मन्त्री इस समस्या के प्रति पूर्ण रूप से जागरुक हैं और 1989-90 में रक्षा-बजट में इस कमी के बावजूद वह रक्षा की तैयारियों में कमी नहीं रहने देंगे क्योंकि मेरा निजी मत यह है कि पाकिस्तान अथवा चीन द्वारा दिखाई गई नम्रता एवं सत्कार के अलावा वे भविष्य के सहयोगियों में हमारे सम्भव विरोधी होंगे। यदि कभी भी हमारा मुकाबला हुआ तो इन दोनों से एक साथ या पृथक रूप में होगा। इसलिए हमें अत्यधिक सतर्क रहना है और मैं यह सिफारिश करूंगा कि रक्षा व्यय जो आज तक एक गैर-योजना व्यय रहा है, सरकार, वित्त मन्त्री और योजना मन्त्री विशेष-रूप से इस पर विचार करें कि रक्षा व्यय के कुछ भागों को योजना व्यय में बदल दिया जाए, ऐसा विशेषरूप से ऐसे व्यय के सम्बन्ध में किया जाए जो ऐसे एक दुश्मन से लड़ने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी प्राप्त करने से सम्बन्धित हो जोकि अगले दो वर्षों में आधुनिकीकरण करने जा रहा है। हम सभी यह जानते हैं कि एक सात वर्षीय योजना के अन्तर्गत रक्षा सेनाओं के लिए अमरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा है और इससे भी आगे, अमरीका पाकिस्तान की रक्षा सेनाओं का असीमित रूप से आधुनिकी-करण करने जा रहा है, ऐसा समाचारपत्रों में भी छपा है। इससे निश्चित रूप से अतिरिक्त व्यय होगा जो सरकार को पाकिस्तान की तैयारी का मुकाबला करने के लिए करना होगा।

5.00 म० प०

कल, हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों पर एक चर्चा की थी। रक्षा मंत्री के उत्तर से हमें जो जानकारी मिली और जो जानकारी हमारे पास पहले से है उसके मुताबिक मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इस सन्दर्भ में वित्त मन्त्रालय रोड़ा अटका रहा है। मैं यह नहीं जानता कि वित्त मन्त्रालय के असैनिक अफसरों ने यह राय कैसे बना दी कि यदि सरकार एक ही पेंशन के सिद्धान्त को मान लेती है तो 2,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

रक्षा लेखा से सम्बन्धित लोगों ने मुझे गैर-सरकारी गणना करके बताया कि यह धनराशि 197 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, इसका विवरण इस प्रकार है कि अफसरों के अतिरिक्त लोगों के लिए 120 करोड़ रुपए, अफसरों के लिए 30 करोड़ रुपए और जो असैनिक, वर्दीधारी भूतपूर्व-सैनिक नहीं हैं और जो भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में नहीं हैं, उनके लिए 47 करोड़ रुपए। वास्तव में यह वृद्धि 150 करोड़ रुपए होगी।

क्या हम जीवन का बलिदान कर रहे इन लोगों को यह धनराशि देने के लिए तैयार नहीं हैं?

मैं यह पूछना चाहूंगा कि जिनके लिए 2000 करोड़ रुपए की अदायगी हो रही है क्या उन लोगों का जीवन उनके व्यवसाय में खतरे से भरा है। प्रायः यही लोग सदैव वातानुकूलित कक्षों में बैठे रहते हैं। यही लोग सबसे अधिक छुट्टियों का आनन्द लेते हैं। यही लोग बोलने की स्वतन्त्रता, हड़ताल करने की स्वतन्त्रता तथा किसी व्यक्ति को कुछ भी करने की सबसे बड़ी स्वतन्त्रता का उपयोग करते हैं और इन्हीं लोगों के कारण आमतौर पर सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है।

आप स्वतन्त्रता सेनानियों को काफी राशि दे रहे हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। हम स्वतन्त्रता सेनानी नहीं हैं लेकिन हम स्वतन्त्रता को बनाए रखते हैं।

वित्त मन्त्रालय को इस पहलू पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। ये लोग भावनाहीन होते हैं। उन्हें भावना-हीन होना पड़ता है। अन्यथा देश के पास कुछ नहीं बचेगा। मैं यह समझता हूं।

लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जिसका कोई पुत्र, या दामाद या पिता या भाई सशस्त्र सेनाओं में है, ऐसे नहीं सोचता है।

आप एक पेंशनभोगी की तुलना एक भूतपूर्व सैनिक से नहीं कर सकते हैं। यह भूतपूर्व सैनिक का अपमान है। मैं पेंशनभोगियों का सम्मान करता हूं। वे बुजुर्ग हैं। उन्होंने जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपना कार्य किया है। लेकिन आप भूतपूर्व सैनिक की तुलना पेंशनभोगी से नहीं कर सकते हैं। यदि आप यह रवैया अपनाएंगे कि यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक को किसी दर पर पेंशन देते हैं तो अन्य पेंशन-भोगियों को भी वही दर दी जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि यह उचित है।

इसलिए, इस अवसर पर मैं यही कहूंगा कि क्योंकि यहां पर रक्षा मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा नहीं हुई है, वित्त मन्त्री सामान्य प्रक्रिया छोड़कर भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को समझेंगे। उन्हें यह जानकारी भी नहीं है कि घूस कैसे दी जाती है। हमारी सेमफेक्स-I और सेमफेक्स-II योजनाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या स्वीकृति देने वाले अधिकारी द्वारा नहीं अपितु बैंकों द्वारा उत्पन्न की गई है। यदि बैंक कर्मचारियों को रिश्वत नहीं दी जाती है तो वे उन्हें स्वीकृत धनराशि नहीं देते हैं। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं यह सुझाव दूंगा कि इस बारे में निगरानी की जानी चाहिए। सरकार को इस बारे में प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए कि प्रत्येक जिले में कुल कितने आवेदन-पत्रों को मंजूरी दी गई और इस कार्य के लिए प्रमुख बैंक द्वारा कितने आवेदन-पत्रों को मंजूरी दी गई। सेम-फेक्स-I और सेमफेक्स-II योजनाएं भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं।

महोदय, हम देश के विकास के बारे में बहुत-सी बातें कर रहे हैं। हमारा एक अन्य सहयोगी यह कह रहा था कि हमारी सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या विस्फोट की समस्या है। माननीय वित्त मन्त्री द्वारा इस वर्ष अपने बजट भाषण में इस बारे में बिलकुल भी उल्लेख नहीं किया गया था। क्या चुनाव में हार के डर के कारण ऐसा किया गया? मैं ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूं कि प्राथमिकता में परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। हम लोग गरीबी उन्मूलन के बारे में बहुत चिन्तित हैं। परन्तु हम गरीबी में रहने वाले लोगों के लिए इतने अधिक चिन्तित नहीं हैं। यदि आप स्वास्थ्य मन्त्रालय से आंकड़े लें तो आपको यह पता लगेगा कि दो से अधिक बच्चे पैदा करके जनसंख्या में 75-78 प्रतिशत वृद्धि वे लोग करते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। अतः सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रमों को उचित बढ़ावा न देकर और लोगों को दो से अधिक बच्चे पैदा न करने के लिए अवरोधक और हतोत्साहित करने वाले कारकों की व्यवस्था न करके इस देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष एक आस्ट्रेलिया

जोड़ रही है। उनमें से 90 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके लिए सरकार को जवाहर लाल रोजगार योजना, आर० एल० ई० जी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आई० आर० डी० पी० आदि जैसी योजनाएं लानी पड़ती हैं। यदि सरकार परिवार नियोजन द्वारा सामाजिक निष्ठा से और शिक्षा की व्यवस्था करके जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए केवल एक सूत्री कार्यक्रम को लागू करती है तो मैं समझता हूं कि वह राष्ट्र की एक बड़ी सेवा करती है।

महोदय, स्वास्थ्य मन्त्रालय के परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए वित्त व्यवस्था अच्छी नहीं है। हम जब भी स्वास्थ्य मन्त्रालय के पास जाते हैं तो वे हमें आपके प्रति निर्दिष्ट कर देते हैं। मैं यह सुझाव दूंगा कि इस कार्यक्रम को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के अन्तर्गत न रखकर सीधे ही राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में योजना मन्त्रालय के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

अब मैं कृषि के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। हम कीटनाशक, उर्वरक और कीड़ों को मारने वाली दवाइयों के निर्माताओं को एक वर्ष में लगभग 7000 करोड़ रुपए की राजसहायता दे रहे हैं। सहायता की यह राशि फैक्टरी के लोगों को दी जाती है। वे उनका मूल्य निर्धारित करते हैं। कीटनाशक इकाइयों इत्यादि के उत्पादन पर उनका एकाधिकार है। वे इन कीटनाशकों के कृत्रिम अभाव को स्थिति उत्पन्न करते हैं। मेरा सुझाव यह है कि यह राजसहायता सीधे ही किसानों को दी जानी चाहिए। यदि यह राजसहायता सीधे ही किसानों को दी जाती है तो प्रतिस्पर्धा के कारण निजी क्षेत्र में भी दो-तीन फैक्टरियां स्थापित हो जाएंगी और किसान बाजार से सर्वोत्तम उत्पाद खरीद सकेंगे। आजकल कुछ ऐसे कीटनाशक हैं जिनसे कीट नहीं मरते हैं। उनसे केटरपीलर नहीं मरते हैं। एक अन्य मुद्दा यह है कि किसानों को ये वस्तुएं एक विशेष दुकान से ही खरीदनी पड़ती हैं। अन्यथा उसे ऋण अथवा रियायती दर पर कीटनाशक नहीं मिलते हैं। सरकार ये वस्तुएं सीधे ही किसानों को क्यों नहीं दे सकती है और जब किसान इन वस्तुओं को खरीदने जाते हैं तो उन्हें 100 रुपए के स्थान पर 50 रुपए की अदायगी की जाती है। सहकारी समितियों के माध्यम से भी ऐसा नहीं किया जाता है। निगम क्षेत्र द्वारा सबसे खराब किस्म के कीटनाशकों की सप्लाई की जाती है। मैं यह सुझाव दूंगा कि किसानों को अपनी पसन्द के अनुसार कहीं से भी इन्हें खरीदने की स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए।

इस बारे में एक और समस्या है। यदि हम सरकार द्वारा सहायता प्राप्त मूल्य का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें इन वस्तुओं को एक विशेष डीलर से ही खरीदना पड़ता है और निगम अधिकारियों से उस डीलर के सम्बन्ध होते हैं। जैसाकि मैंने पहले कहा है किसान, कृषि से सम्बन्धित वस्तुएं जैसे पम्प, इंजन अथवा उर्वरक इत्यादि, किसी भी प्राधिकृत फर्म अथवा डीलर से खरीदने के लिए स्वतन्त्र होने चाहिएं।

कभी-कभी वित्त मन्त्रालय और विरोधी पक्ष के कुछ मित्रों द्वारा यह कहा जाता है कि सरकार कृषि उत्पाद पर आयकर लगाने के बारे में सोच रही है। कृषि मन्त्री, माननीय प्रधान मन्त्री और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस बात से स्पष्ट रूप इन्कार किया गया है। आज कुछ अवास्तविक कृषक सामने आ रहे हैं। फर्म बनाने के नाम पर कालाबाजारी करने वाले लोग अथवा उद्योगपति 20—50 एकड़ भूमि के टुकड़े खरीद लेते हैं। ऐसा करके वे अपने काले धन को सफेद धन में बदल रहे हैं। मन्त्री महोदय को इस बारे में हिसाब रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे वास्तविक किसानों में सम्मिलित न हो जाएं बड़े उद्योगपतियों और कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों को पकड़ना चाहिए। वास्तविक किसान के पास कोई फार्म नहीं होता है। उसके पास खेत होता है। दिल्ली, भोपाल,

इन्दौर, जबलपुर और अन्य बड़े-बड़े शहरों के आस-पास पाए जाने वाले फार्म ऐसे व्यक्तियों से सम्बन्धित हैं, जिनका पता लगाकर उन्हें दबा दिया जाना चाहिए। इन लोगों पर आयकर के छापे डाले जाने चाहिएं और इस काले धन को नियन्त्रित करने के लिए अन्य तरीकों को अपनाया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहूंगा कि एक वास्तविक आय-कर दाता के लिए अपने विवरण को भरना अत्यन्त कठिन है। मैं यह चुनौती देता हूं कि भूत, भविष्य अथवा वर्तमान समय का कोई भी मन्त्री अपने आय कर विवरण को नहीं भर सकता। क्या मेरी बात ठीक है? आयकर अधिवक्ता के पास जाये बिना कोई भी व्यक्ति इस विवरण को नहीं भर सकता है। मेरा निवेदन यह है कि आप कृपया आय-कर फार्म को इतना सरल बना दीजिए कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति उस फार्म को भर सके और उसे कोई परेशानी न हो, क्योंकि परेशानी के कारण ही इन लोगों को आय-कर अधिवक्ता के पास जाना पड़ता है। सभी नहीं, कुछ आय-कर अधिवक्ता तो वास्तव में परेशान करते हैं। मैं यह सुझाव दूंगा कि इस फार्म को सरल बनाया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं छूट की सीमा के बारे में कुछ बातें कहूंगा। आजकल एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी को भी ओवर टाईम, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता इत्यादि को मिलाकर कर योग्य आय मिल रही है। आपको कर योग्य आय में वृद्धि कर देनी चाहिए। आपने इसे 18,000 रुपए रखा है। इसे बढ़ाकर कम से कम 36,000 रुपए किया जाना चाहिए। यदि आप इसे 36,000 रुपए नहीं कर सकते, तो आपको इसकी एक ऐसी श्रेणी बना देनी चाहिए कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को आय-कर में छूट दी जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री मेरे कुछ सुझावों को स्वीकार करेंगे।

श्री शांताराम नायक (पणजी): सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक 1989 का समर्थन करता हूं। पर्यटन की दृष्टि से और अपने राज्य के सामान्य हित की दृष्टि से मैं वित्त मन्त्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वे अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर से सम्बन्धित अध्याय-V को एक बार फिर देखें। माननीय वित्त मन्त्री के भाषण में भी 10 प्रतिशत की दर से लगाये जाने वाले अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर के औचित्य के बारे में कोई उल्लेख अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यदि हम इस प्रकार की असाधारण मदों को भी कराधान में सम्मिलित करेंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। एक ही क्षेत्र में दुगना, तिगुना अथवा चौगुना कर हो जाएगा जोकि कराधान के लिए वांछनीय अथवा उचित नहीं है। यदि आप यह कहते हैं कि आप हवाई यात्रा पर कर लगाना चाहते हैं तो कल आप यह भी कह सकते हैं कि आप सड़क अथवा समुन्द्री यात्रा इत्यादि पर भी कर लगाना चाहते हैं। कर तो हर जगह कर ही है। हमारा दृष्टिकोण इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि कर क्यों लगाए जाते हैं। परन्तु प्रत्येक कर के पीछे एक औचित्य होना चाहिए, एक तर्क होना चाहिए। अतः मेरे अनुसार अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर वांछनीय नहीं है।

घूमना फिरना नागरिकों का एक मूल अधिकार है। वास्तव में हमें सड़क, जल अथवा अन्य माध्यमों से यात्रा करने के लिए नागरिकों को राज्य सरकारी परिवहन सेवाओं के माध्यम से उचित दरों पर परिवहन सेवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। जहां तक दर का सम्बन्ध है, वास्तविकता यह है कि बहुत सी परिवहन सेवाएं घाटे में चल रही हैं। फिर भी हम यह कहते हैं कि दरों को नहीं बढ़ाया जाना

चाहिए क्योंकि परिवहन एक सेवा है, कोई लाभकारी उद्योग नहीं है। अतः हवाई टिकट के किराए और उसमें जुड़े कुछ अन्य शुल्कों पर हवाई यात्रा कर लगाना वांछनीय नहीं है।

इसके अतिरिक्त उसी अध्याय के खण्ड 47 में यह उल्लेख किया गया है :

> "इस अध्याय के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध नहीं होगी और कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही धारा 42 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।"

इसका अभिप्राय यह है कि यदि अवैध रूप से कर वसूल कर भी लिया गया है जो भुगतान किए जाने के लिए देय नहीं है तो भी उसके लिए कोई मुकदमा दायर नहीं किया जायेगा। उसके लिए कोई मुकदमा दायर नहीं जाएगा। क्योंकि अधिकारी यह कह सकता है कि उसने सदभावपूर्वक कार्यवाही की है। उसने जो कुछ कर वसूल किया उसे सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया है। अन्यथा इस खण्ड का क्या अभिप्राय है ? खण्ड में यह कहा जाना चाहिए था कि यदि कुछ कर अवैध रूप से वसूल कर लिए गए हैं तो उनका वापस भुगतान किया जाना चाहिए। परन्तु कोई मुकदमा दायर नहीं किया जायेगा। इसका अभिप्राय यह है कि सरकार कर वसूल करने के बाद यह मानती है कि कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। अतः वह कर जा चुका है। यदि इस अध्याय में ऐसे खण्डों को सम्मिलित किया गया है तो बेहतर यही है कि सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए।

छूट के बारे में खंड 44 की व्यवस्था की गई है। अब कुछ श्रेणी के व्यक्तियों को इस अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर के कार्यक्षेत्र से छूट देने की मांग की गई है। ये व्यक्ति कौन हैं ? यहां गन्तव्य स्थान, यात्रा के उद्देश्य और अन्य विशेष परिस्थितियों के बारे में उल्लेख किया गया है।

इस आधार पर कुछ छूट दी जा सकती है। हम अभी भी यह नहीं जानते हैं कि सरकार का इसके पीछे क्या इरादा है। किस प्रकार की श्रेणी के यात्रियों को छूट दी जानी है ? क्या सरकार गोवा या कश्मीर जैसे स्थानों या अन्य पर्यटन स्थानों पर जाने वाले यात्रियों को छूट दे रही है ताकि पर्यटन की दृष्टि से उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। या क्या सरकार यात्रा पर जाने वाले हमारे वैज्ञानिकों या अनुसंधान अधिकारियों को छूट देने जा रही है ? या क्या इसमें विद्यार्थियों को शामिल किया जा रहा है ? विद्यार्थी भिन्न-भिन्न स्थानों को देखना चाहेंगे क्योंकि हमारी नई शिक्षा नीति खुले क्षेत्र में शिक्षा देने पर बल देती है और इसलिए देश का भ्रमण करना चाहिए। यदि ऐसा है तो—अन्यथा उन्हें रियायत भी मिलती है—क्या इन श्रेणियों को इस क्षेत्र में छूट दी जाएगी ?

यद्यपि मैंने यह कहा था कि यदि ऐसा कर लगाया गया तो यह युक्तियुक्त नहीं होगा, ऐसी कौन सी श्रेणियां हैं जो खण्ड 44 के अधीन अवेक्षित हैं ? मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय यह देखें कि क्या इस खण्ड के अधीन पर्यटन व्यापार की दृष्टि से निर्धारण कर लिया गया है ?

5.20 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कोई भी कर लगाते समय आप राजस्व को नहीं लेते हैं आप राजस्व वसूल करने पर होने वाले खर्च और अन्य परिणामों पर विचार करते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि—सरकार से कोई सहमत हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है—क्या वित्त विधेयक में इस अध्याय को शामिल करते समय इसका निर्धारण किया गया था ?

क्योंकि हम सीमा शुल्क अधिनियम पर बात कर रहे हैं इसलिए मैं मंत्री महोदय से विदेशों में रहने वाले हमारे लोगों को दिए जाने वाले सामान भत्ते पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। जो लोग यहां आते हैं उन्हे कुछ हजार रुपए का भत्ता दिया जा रहा है। यह राशि बहुत कम है क्योंकि किसी भी छोटी से छोटी वस्तु की लागत तीन चार हजार रुपए होती है। इन परिस्थितियों में मैं आपसे सामान भत्ते की समीक्षा करने और इस भत्ते में पर्याप्त वृद्धि करने का अनुरोध करता हूं ताकि अपने परिवारों की सहायता करने के लिए विदेशों में जो लोग अपना खून-पसीना बहाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। उन्हें फायदा पहुंचाया जा सके क्योंकि वे रात-दिन कठिन परिश्रम करते हैं। वे अपने परिवारों के लिए कुछ वस्तुएं लाते हैं। जैसाकि आप जानते हैं हमारी परिवार व्यवस्था में पति केवल अपनी पत्नियों के लिए ही सामान नहीं लाते हैं। वे अपने चचेरे भाइयों और दूर के रिश्तेदारों आदि के लिए भी सामान लाते हैं। इन परिस्थितियो में सामान भत्ते पर विचार किया जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं आयकर अधिनियम की धारा 32 के बारे में कहना चाहूंगा जोकि वास्तव में इस वित्त विधेयक की विषय वस्तु नहीं है। किन्तु आयकर अधिनियम की धारा 32 में अवक्षयण का जिकर किया गया है। इसमें कहा गया है :

> "निर्धारिती के स्वामित्व में भवनों, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के अवक्षयण के संबंध में आदि।"

अत: धारा 32 अवक्षयण भत्ते के बारे में है। अर्थात् प्रत्येक निर्धारिती को अवक्षयण भत्ता मिलता है। जहां तक गोवा का सम्बन्ध है हमारी सम्पत्तियां पुर्तगाली कानून द्वारा नियन्त्रित हैं। यह एक आदर्श कानून है। हर देश ऐसा कानून बनाना चाहेगा क्योंकि गोवा में एकरूप सिविल कोड है। जिसे हम बना नहीं सके हैं। उस कानून के अन्तर्गत आयकर प्रयोजनों के लिए पति और पत्नी को पृथक-पृथक माना जाता है। लड़की की शादी होने के बाद लड़की स्वत: ही पति की आधी सम्पत्ति की हिस्सेदार हो जाती है और इसके बाद पति अपनी पत्नी की लिखित सम्पत्ति के बिना उसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकता। वहां ऐसी व्यवस्था है। वह स्वत: ही आधी सम्पत्ति की मालिक बन जाती है। अब उनका भी अलग-अलग निर्धारण भी किया जाता है। जहां तक आय का सम्बन्ध है आधी आय पत्नी की होगी और आधी आय पति की होगी। जहां तक अवक्षयण का सम्बन्ध है इस खण्ड में कहा गया है :—

> "निर्धारिती के स्वामित्व में भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के अवक्षयण के सम्बन्ध में।"

वर्तमान कानून के अनुसार इसका अर्थ है कि, मान लीजिए यदि कोई मशीनरी है तो स्वत: ही आधी मशीनरी पति की होगी और आधी मशीनरी पत्नी की होगी। किन्तु आयकर प्राधिकारियों द्वारा अवक्षयण भत्ता आधे-आधे अनुपात में नहीं दिया जाता है क्योंकि उनका कहना है कि मशीनरी का मालिक न तो पति और न ही पत्नी। आधे हिस्से का मालिक पति है और आधे हिस्से की मालिक पत्नी

है। अतः पूर्ण स्वामित्व किसी का भी नहीं है। इसलिए इस समस्या का समाधान आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उचित निदेश देकर किया जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। किन्तु अवक्षयण के उद्देश्य प्रयोजनार्थ निदेश दिए जा सकते हैं।

जहां तक सरलीकरण का सम्बन्ध है मैं श्री अजय मुशरान जी से पूर्णतः सहमत हूं क्योंकि यह बीस सूत्री कार्यक्रम, जिसमें सरलीकरण की बात कही गई है, का बीसवां सूत्र है। हमें इस पक्ष पर विचार करना है।

अब मैं सिंचाई पक्ष की बात करूंगा जो सभी राज्यों को प्रभावित करती है। समय-समय पर पर्यावरण मंत्रालय यह वक्तव्य देता रहा है कि वे जहां तक सम्भव है सिंचाई परियोजनाओं को क्लीअर कर रहे हैं। शायद इसका अर्थ यह है कि वे अधिकांश परियोजनाओं को रद्द कर रहे हैं। शायद इसका अर्थ यह है कि वे अधिकांश परियोजनाओं को रद्द कर रहे हैं और यह रद्दीकरण भी शीघ्र ही किया जाएगा। रद्दीकरण किया जाएगा और फाइल लिपट जाएगी। क्योंकि वित्त मंत्री सभी मन्त्रालयों का मुखिया होता है अतः मैं उनसे पर्यावरण मंत्रालय को सिंचाई परियोजनाओं को क्लीअर करने के लिए राजी करने की मांग करूंगा।

संविधान में यह कहा गया है कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। हमने बहुत बार बहुत से राज्यों को मिलाकर उनके लिए एक उच्च न्यायालय बनाया है। मैं गोआ के लिए स्वतंत्र उच्च न्यायालय की मांग करता रहा हूं। संविधान के अनुसार हमारे यहां एक स्वतन्त्र उच्च न्यायालय होना चाहिए।

महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि मारूति यद्यपि एक अच्छी कार है तथापि यह छोटे बजट की कार नहीं है। हम छोटे बजट की कार बनाने में असफल रहे हैं। मैं आपसे गम्भीरतापूर्वक यह मांग करता हूं कि आप निजी परिवहन अर्थात् कारों आदि पर बल न दें बल्कि सार्वजनिक परिवहन पर बल दें। मारूति कार की बजाय हमें बड़ी कार बनानी चाहिए। मैं इसे 'रावण कार' का नाम दूंगा जिसमें 20-25 लोगों के बैठने की क्षमता हो। ऐसी कारें एक ही यूनिट द्वारा बनाई जानी चाहिए और समस्त यात्री समुदाय के लाभार्थ सस्ते किराए पर छोटे मार्गों पर चलाई जानी चाहिएं :

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा की गई भर्ती पर आधारित है। हमने काफी समय से सदन में संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदनों पर चर्चा नहीं की है। संविधान में यह कहा गया है कि हमें सभी उद्देश्यों के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों से परामर्श करना चाहिए। अब एक राज्य लोक सेवा आयोग निकाय और दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग निकाय के बीच इस बात का मतभेद है कि परामर्श में क्या-क्या शामिल है और किन मामलों में परामर्श लिया जाना चाहिए। गोवा में राज्य विधान सभा है और इसमें राज्य लोक सेवा आयोग भी बनाया गया है। अब इसमें एक विवाद है कि लोक सेवा आयोग का कार्यक्षेत्र क्या है और इसे किन मामलों में परामर्श देना चाहिए। अब, राज्य सरकार इस निकाय को स्थापित करने के लिए कर्मचारी और वित्त प्रदान नहीं कर रही है। इससे प्रशासन और प्रशासनिक तन्त्र दोनों सीधे प्रभावित हुए हैं। वित्त और प्रशासनिक व्यवस्था के हित में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक मशीनरी के पक्ष की जांच की जानी चाहिए।

प्रो० के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह विधेयक पर बोलते हुए वित्त

मन्त्री ने लगभग 110 करोड़ रुपये से 120 करोड़ रुपए की राशि की रियायतों को घोषणा की है। ये सभी रियायतें हमारे समाज के धनी वर्ग के पक्ष में हैं। यदि आप इन रियायतों का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि उन गरीब लोगों के लिए, जो ग्रामों में कष्ट भोग रहे हैं और जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, एक भी रुपया खर्च नहीं किया जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि इस सरकार का वर्ग चरित्र पूंजीवादी है। यह धनी लोगों की ओर प्रवृत्त है। सरकार गरीब लोगों की प्रति केवल जुबानी सहानुभूति प्रकट करती है। जब सुविधाएं प्रदान करने का अवसर आता है तो सरकार धनी लोगों को वरीयता देती है।

महोदय, मैंने सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों के भाषण बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने हैं। इसमें कोई षड्यन्त्र दिखाई देता है। यदि विपक्षी सदस्य सरकार की आलोचना करते हैं तो ठीक है किंतु यदि हम मन्त्रीपीठ के सदस्यों के भाषण सुनते हैं तो ये भाषण विस्मयकारी लगते हैं। यद्यपि मंत्रीपीठ के प्रत्येक सदस्य ने अपना भाषण इस वाक्य से शुरू किए, 'मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं' तथापि उसका शेष भाषण सरकार के कार्यों की आलोचना से भरा हुआ था। उन्होंने किसी न किसी मुद्दे पर सरकार की आलोचना की है। अब बेरोजगारी को ही लीजिए। वे कहते हैं कि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दो से तीन करोड़ तक है। सरकार उन्हें रोजगार दे सकने में सक्षम नहीं है। इसी वजह से शिक्षित युवा वर्ग भी कांग्रेस का त्याग कर रहा है। इसलिए कुछ करना चाहिए। मुझे पता नहीं सरकार इस मामले में कुछ कर रही है या नहीं। एक माननीय सदस्य ने ऐसा कहा। एक अन्य माननीय सदस्य तो यहां तक कह गये कि उद्योग रुग्ण हैं और कुछ उद्योगों को जान-बूझकर रुग्ण बनने दिया जाता है। पूंजीपति एक राज्य से ऋण लेकर उसे दूसरे राज्यों में लगा देते हैं और उस राज्य में उद्योगों को रुग्ण बनाकर हट जाते हैं। इस प्रकार हजारों श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं। एक माननीय महिला सदस्य तो यहां तक कह गयी कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उनके पास आन्दोलन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं रहेगा। उन्होंने वित्त मंत्री जी को चेतावनी दी है। किसानों के सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने कहा कि बैंक आसान किश्तों पर किसानों को ऋण नहीं देते हैं। वे वहां रूकावट उत्पन्न कर रहे हैं। गांवों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों को विभाजित किया गया है। जब एक गांव किसी विशेष बैंक से सम्बद्ध हो जाता है तो अन्य बैंकों द्वारा उस क्षेत्र में ऋण देना निषिद्ध होता है, परन्तु जिस बैंक को उस गांव में ऋण देना होता है, वह किसानों को ऋण नहीं देता है। वह बैंक व्यापारियों को ऋण देने में ज्यादा रुचि रखता है। इससे किसान प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। वे किसी अन्य बैंक से भी ऋण नहीं ले सकते किसी बैंक विशेष से ऋण लेने के इस नियम को समाप्त कर देना चाहिए। वह बैंक लोगों की, कृषक समुदाय की जरूरतों को पूरा नहीं करता है। कृषक समुदाय को किसी भी बैंक से ऋण लेने की आजादी होनी चाहिए। ब्याज के सम्बन्ध में हमने लोगों को यह कहते सुना है कि कृषकों के लिए कम से कम ब्याज दर होनी चाहिए। कुछ मामलों में कृषकों को रियायत प्रदान करने के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक राज्य सरकार के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। जब पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को आसान किश्तों पर ऋण देने की सुविधा दी गयी है तो वही सुविधा आप इन लोगों को भी क्यों नहीं देते हैं? इस दण्डात्मक ब्याज को समाप्त क्यों नहीं कर देते हैं? सदस्यों ने इस बात को और भी बढ़ा चढ़ा कर कहा है कि आप भले ही हमारी बातों पर ध्यान न दें। कम से कम अपने संसद सदस्य की बातों पर तो ध्यान दीजिए। जिन्होंने हर पहलू की आलोचना की है। किसानों की दशा पर ध्यान दीजिए।

रात-दिन काम करने के बाद भी वे कष्ट उठा रहे हैं। कड़ी धूप और कड़ाके की सर्दियों में भी

वे काम करते हैं। फिर भी कृषि में नुकसान हो रहा है। उन्हें फसल की उचित कीमत नहीं मिल पाती है। जब कि किसानों को अपनी फसल को सस्ते मूल्य पर बेचना पड़ता है, उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर यह नहीं मिल पाती है। सारी धनराशि कहां चली जाती है ? कांग्रेस के सदस्यों ने स्वयं यह बात कही है। जब किसानों को अपनी फसल का एक रुपया मिलता है और उपभोयताओं को उसके लिए दो रुपया चुकाना पड़ता है तो बाकी का एक रुपया कहां चला जाता है? इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए सरकार के पास यह उचित समय है।

इस सम्बन्ध में कुछ और करना होगा। कुछ सदस्यों ने राय दी है कि आयकर की सीमा बढ़ा देनी चाहिए। यदि आप इसे बढ़ाते हैं तो यह अच्छी बात है। लेकिन एक भी कांग्रेसी सदस्य ने उन कृषक श्रमिकों के बारे में कुछ नहीं कहा है जो कि कड़ी धूप में 8 से 10 घण्टे तक काम करने के बावजूद भी 10 रुपए या 15 रुपए नहीं कमा पाते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में पारित हुआ था। उस समय 11 रुपए मजदूरी निश्चित की गयी थी। 40 वर्षों के बाद भी यह उसी प्रकार है। किसी भी कृषि मजदूर को वह मजदूरी नहीं दी गयी। मजदूरी दर में कोई संशोधन नहीं किया गया है। कांग्रेस के किसी सदस्य को यह बात याद भी नहीं है। यह सरकार के एक विशेष प्रकार के स्वरूप को प्रदर्शित करता है। हम अपना वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता में कई गुणा वृद्धि कर रहे हैं लेकिन हम कृषकों के बारे में नहीं सोचते हैं। आप बजट में देख सकते हैं कि सरकार के क्रियाकलापों के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लेकिन जहां तक ग्रामीण विकास का सम्बन्ध है, स्वीकृत धनराशि का आधा प्रतिशत भी गांवों के विकास के लिए व्यय अथवा उपयोग नहीं किया गया है। यदि आप पूरे देश में ग्रामीण विकास पर किए गए खर्च और दिल्ली के विकास पर किए गए खर्च का विश्लेषण करें तो वे करीब-करीब बराबर है। दिल्ली के साठ लाख गरीब लोगों को पूरे देश के साठ करोड़ लोगों के बराबर माना गया है। हम ग्रामीण विकास पर बहुत ही कम धन व्यय कर रहे हैं और आप इस प्रकार कैसे गरीबी का उन्मूलन कर सकते हैं?

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा समन्वित ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यकलापों की बहुत आलोचना की गयी है। कांग्रेस के अनेक सदस्यों ने भी यह राय व्यक्त की है कि यह धनराशि उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है जिनके लिए इसे स्वीकृत किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्दिष्ट धनराशि का सिर्फ 10 से 20 प्रतिशत भाग ही लोगों तक पहुंच पाता है, सत्तर या अस्सी प्रतिशत धनराशि तो बिचौलियों द्वारा हड़प ली जाती है। इस सम्बन्ध में आप क्यों नहीं कुछ करते हैं? यदि सरकार यह बात निश्चित कर सकने की स्थिति में नहीं है कि गरीब लोगों के लिए स्वीकृत धनराशि उन तक पहुंचे तथा बिचौलियों द्वारा सत्तर से अस्सी प्रतिशत राशि हड़पी नहीं जाये तो यह किस प्रकार की सरकार है। आप गरीबी का उन्मूलन कैसे कर सकते हैं?

जैसाकि आप जानते हैं कि बिजली की स्थिति विशेषकर दक्षिणी राज्यों में बहुत खराब है। वहां बिजली की भारी कमी है। इस सम्बन्ध में यह सरकार कोई भी प्रयास नहीं कर रही है। यही उचित समय है जबकि सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करे।

महोदय, इस विधेयक में दो खण्ड ऐसे हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं। एक खण्ड में आप कहते हैं कि आयकर प्राप्ति के उद्देश्य से कृषि द्वारा प्राप्त आमदनी की संगणना दूसरी आमदनी के साथ की जाएगी और दूसरे खण्ड में आप कहते हैं कि कृषि द्वारा प्राप्त आमदनी पर कर नहीं लगेगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि कृषि द्वारा प्राप्त आमदनी पर कर लगाया जाएगा अथवा नहीं।

फिर फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। इस योजना के अन्तर्गत किसान जब भी बैंक जाते हैं, उनसे कोई दो या तीन प्रतिशत ब्याज इस उद्देश्य के लिए ले लिया जाता है। यदि सूखा आदि के कारण प्रखण्ड अथवा समिति की पूरी फसल नष्ट हो जाए तो उसे कुछ फायदा होता है अन्यथा नहीं। यदि किसी प्राकृतिक विपदा के कारण एक या दो बीघे की फसल का नुकसान होता है तो वह फसल बीमा योजना द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकारी नहीं है परन्तु उसी समय उन्हें अपने ऋणों के दो या तीन प्रतिशत का भुगतान करना पड़ता है। आप क्यों नहीं कुछ करते हैं जिससे कि बैंक इतनी अधिक रकम न ले पाएं।

महोदय, यह विधेयक धनी व्यक्तियों का अत्यधिक समर्थन करती है। इसमें गरीब लोगों की दशा पर विचार करने का कोई प्रावधान नहीं है। मैंने आशा की थी कि कम से कम चुनाव वर्ष में आप ऐसा करेंगे लेकिन मुझे दुःख है कि आपने ऐसा नहीं किया है और इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। 1989-90 के बजट प्रावधानों में 8240 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है और माननीय मंत्र के समक्ष सबसे मुख्य समस्या यह है कि इस घाटे को किस प्रकार पूरा किया जाए।

अब उनके समक्ष तीन उपाय हैं; प्रथम औद्योगिक और कृषि उत्पादनों में वृद्धि; द्वितीय कर लगाना और तृतीय प्रशासनिक तथा गैर-योजना व्यय में कटौती।

जहां तक कर लगाने का सम्बन्ध है, विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था एक निश्चित सीमा तक ही उनका वहन कर सकती है और उस निश्चित सीमा से बाहर कर नहीं लगाया जा सकता। अतः देश में उपभोक्ता वर्तमान स्थिति में अधिक करों का लगाया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। माननीय मंत्री के समक्ष दूसरा उपाय है कि प्रशासनिक व्यय के गैर-योजना व्यय में किस प्रकार कटौती की जाए। उन्होंने इसके लिए कोशिश भी की है और इस संदर्भ में सरकार कुछ हद तक सफल भी रही है लेकिन वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधिक वेतन का भुगतान, कीमतों का बढ़ना तथा सामान्य मूल्य वृद्धि अथवा मूल्य सूची में परिवर्तन आदि अन्य कारणों से, जोकि सरकार के नियन्त्रण में नहीं है, सरकार इस विकल्प का आश्रय लेने की स्थिति में नहीं है। अब देश के वित्त मंत्री के समक्ष सिर्फ यह उपाय बाकी रह जाता है कि औद्योगिक तथा कृषि उत्पादनों को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए एक सुनिश्चित, दोषरहित नीति निर्धारण की आवश्यकता है और एक ऐसी नीति की आवश्यकता है जो औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों, श्रमिक और प्रबन्धन के हित में हो तथा कृषि के क्षेत्र में इसे खेतीहर मजदूरों के साथ-साथ किसानों और उपभोक्ताओं के हित में होना चाहिए। अतः एक विस्तृत नीति तैयार करनी होगी।

मैं पहले कृषि क्षेत्र की बात करूंगा। कृषि के क्षेत्र में सरकार की एक मूल्य नीति है। मैं कहूंगा कि यह नीति निरन्तर अविच्छिन्न होनी चाहिए क्योंकि मई के महीने में मानसून शुरू हो सकता है अर्थात् भिन्न-भिन्न राज्यों में मई के दूसरे सप्ताह या अन्तिम सप्ताह में यह हो सकता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग यह निश्चय करता है कि फसलों की कीमत क्या हो। इसका अर्थ यह है कि किसान इस प्रकार से अपनी कृषि सम्बन्धी योजना नहीं बना सकते कि किस फसल की खेती उसे बड़े पैमाने पर करनी चाहिए जिससे उसे अधिक पैसों की आमदनी हो। मैं कहूंगा कि कम से कम उसे यह ज्ञान तो रहना ही चाहिए कि यदि वह किसी फसल विशेष की पैदावार करता है तो बाजार में इसे बेचने पर

उसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। अतः इस आयोग को एक अविच्छिन्न मूल्य आयोग होना चाहिए और फसल के लिये एक निश्चित मूल्य होना चाहिए। निश्चय ही किसी विशेष वर्ष में कुछ बोनस दिया जा सकता है लेकिन मूल्य रेखा अथवा मूल्य के स्तर को कम से कम 5 वर्षों तक स्थिर रखना चाहिए।

जब हमारे पास पंचवर्षीय योजनाएं उपलब्ध हैं तो हम उस समय की कृषि मूल्य नीति क्यों नहीं बना सकते हैं? योजना बनाने का समय और कृषि मूल्य नीति बनाने का समय एक ही होना चाहिए।

इस तरीके से, किसान या उत्पादकों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा है। आप इस सम्बन्ध में कृपया वाणिज्य विभाग की वार्षिक रिपोर्ट देख सकते हैं। आप उसमें देखेंगे कि कृषि वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में गिरावट आयी है। इसके क्या कारण हैं? ताजे फलों और सब्जियों के उत्पादन में भी गिरावट आयी है। इसी तरह से प्याज तथा गेहूं के उत्पादन में भी गिरावट आयी है। बासमती के चावल निर्यात में भी गिरावट आयी है। वस्तुतः बासमती चावल निर्यात के लिये आरक्षित रखा जाना चाहिए। हमारे बासमती चावल की विदेशी बाजारों में, जैसे ब्रिटेन, खाड़ी के देश और रूस में भी अत्यधिक मांग है। अतः आप इसका इन देशों में निर्यात करके विदेशी मुद्रा क्यों नहीं अर्जन करते हैं? इसी तरह से सब्जियां और अन्य फलों का भी खाड़ी के देशों में बहुत ज्यादा मांग है। चीनी की भी मांग हमारे पड़ोसी देशों में ज्यादा है परन्तु हम इन वस्तुओं को भी निर्यात नहीं कर रहे हैं। जहां तक कृषि उत्पाद का सम्बन्ध है, हमारी निर्यात व्यवस्था बहुत ज्यादा दोषपूर्ण है। औद्योगिक उत्पादों को राज्य व्यापार निगम को सौंपने के कारण इन वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। लेकिन कृषि उत्पाद वस्तुओं को नेफेड के माध्यम से संचालित किया जाता है जोकि स्वतः एक अकार्यक्षम संस्था है। यहां धोखाधड़ी और गबन के अनेक मामले होते रहते हैं। जब कभी भी नेफेड ने बाजार में प्रवेश करने की कोशिश की, यह कृषि उत्पाद हर क्षेत्र में अकुशल सिद्ध हुआ है। इस वर्ष नेफेड़ के कुप्रबन्ध के कारण महाराष्ट्र, राजस्थान और बहुत से अन्य स्थानों के प्याज उत्पादकों को भारी घाटे का सामना करना पड़ा है। सच तो यह है कि नेफेड एक बिचौलिये के रूप में अत्यधिक लाभ कमा रहा है।

महोदय, मैं कृषि रिपोर्ट में नेफेड द्वारा निर्यात किए जाने के लिये सूचीबद्ध की गई वस्तुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो गया हूं। यह वर्ष 1988-89 की वार्षिक रिपोर्ट है जिसके 140वें पृष्ठ पर यह कहा गया है कि :

> "यद्यपि सामान्यतः अधिकांश कृषि मदों का निर्यात सभी लोग कर सकते हैं, तथापि सरकार के महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्याज जैसी कुछ वस्तुओं का निर्यात भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) के माध्यम से किया जाता है।"

सरकार का सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य क्या है? यह सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य किसानों का है नाकि सरकार। क्या यह इसलिए है क्योंकि यदि उत्पादित वस्तुओं का निर्यात राज्य सरकार व्यापार निगम या इन वस्तुओं का निर्यात करने वाली अन्य स्थायी एजेंसियों को नहीं सौंपा जाता तो किसानों को भी उनका लाभप्रद मूल्य नहीं मिल सकता है। आपने कृषि की इन वस्तुओं को नेफेड के अन्तर्गत रखा है जोकि स्वतः एक अव्यवस्थित संस्था है। कृषि वस्तुओं को निर्यात व्यवस्था भारत सरकार

द्वारा ठीक ढंग से संचालित नहीं की जा रहा है। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि यह सरकार को सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा देती है।

वाणिज्य मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि खाद्यान्नों का आयात इस वर्ष बढ़ा है। यह खाद्यान्न धान, चावल और गेहूं हैं। और किस उद्देश्य से आप इनका निर्यात कर रहे हैं? हम इन वस्तुओं का निर्यात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डर है कि इन वस्तुओं की कीमत बाजार में बढ़ सकती है। इसलिए, यदि कीमतों में वृद्धि होती है तो इन चीजों का आयात किया जाना चाहिए। अतः मेरे विचार से अनावश्यक वस्तुओं का आयात भी रोका जाना चाहिए। हमारी आय तब तक नहीं बढ़ सकती है और हमारी अर्थव्यवस्था तब तक अच्छी नहीं हो सकती है जब तक कि आयात और निर्यात में समान संतुलन नहीं होता। आज हमारे आयात में तो वृद्धि हो रही है परन्तु निर्यात घट रहा है। अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। इसका कारण यह है कि हम अन्य देशों के स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं; हम बाजारों का सही उपयोग नहीं कर पा रेहे हैं, हम बाजार का उचित रूप से पता नहीं लगा पा रहे हैं और ना ही हम यह निर्णय कर पा रहे हैं कि कौनसी वस्तु विदेशी मुद्रा अर्जित करेगी और किस वस्तु का निर्यात किया जाना चाहिए। यह विचार किसी भी मंत्रालय में, चाहे वह वाणिज्य मंत्रालय हो या कृषि मंत्रालय या कोई अन्य मंत्रालय, नहीं अपनाया जा रहा है। अतः हम अपने कारोबार की आवश्यकतानुसार या आवश्यक मदों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जन करने में असमर्थ हैं।

यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक कृषि का प्रश्न है, आप कृषकों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा कहा गया था कि मिल मालिकों या कारखाना मालिकों को राज्य-सहायता के रूप में 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता दी गई है। अतः किसान इससे सही रूप में लाभांतित नहीं हो रहे हैं। इसके लिए कुछ अन्य विधि ढूंढनी चाहिए जिसमें यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कृषकों को राज्य-सहायता से सीधा लाभ पहुंचे। खाद्यान्न और उर्वरक पर दी गई राज्य-सहायता का दलालों और बिचौलियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम इस पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है। अतः इस राज्य-सहायता से न तो उपभोक्ताओं को ही लाभ होता है और नाही किसानों को। इसी तरह उर्वरक राज्य-सहायता से ना तो किसानों को ही लाभ मिल पाता है और नाही सरकार को। इस पर ध्यान देना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि आज मात्र रोटी, कपड़ा और मकान की ही आवश्यकता नहीं है अपितु एक महत्वपूर्ण आवश्यकता जल की भी है। पेयजल की अत्यन्त आवश्यकता है। पेयजल की कमी हर जगह है। इसके लिए सरकार को कोई राष्टीय योजना बनानी चाहिए। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम उपलब्ध है। इसी प्रकार त्वरित ग्राम्य जल प्रदाय कार्यक्रम भी है। एक नेशनल टैक्नोलॉजी मिशन कार्यक्रम भी कार्यरत है। ये कार्यक्रम पेयजल समस्या को दूर करने के लिए शुरू किए गए हैं। अतः हमारे पास अन्य कई कार्यक्रम है। लेकिन इन तीनों कार्यक्रमों का आपस में कोई समन्वय स्थापित नहीं है। इसमें तालमेल स्थापित होना आवश्यक है और उन क्षेत्रों को वरीयता दी जानी चाहिए जहां पेयजल की कमी हो।

आज, राजस्थान में 5,000 गांव और 201 शहर है। इन 201 शहरों के लिए सरकार ने जनवरी में एक आकस्मिक योजना प्रस्तुत की थी। हमने सरकार से मार्च से जुलाई के महिनों के लिए 55

करोड़ रुपये की मांग की है जिससे कि ग्रीष्मकालीन आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके, लेकिन कुछ नहीं किया गया है।

इसी तरह ग्रामीण पेयजल की पूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए की मांग की गई थी।

अतः मेरा निवेदन और सुझाव है कि ग्रामीण पेयजल पूर्ति को वरीयता दी जानी चाहिए और सरकार को इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। प्रत्येक राज्य में त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम को गम्भीरता से लागू किया जाना चाहिए जिससे लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : कपड़ा नीति की घोषणा सरकार द्वारा 1985 में की गई थी। यह बिल्कुल विफल रहा है। इस कपड़ा नीति के फलस्वरूप केवल 10 से 15 बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों जैसे रिलायंस, मफतलाल, सेंचुरी और मोरारजी इत्यादि राष्ट्रीय आय के सहारे समृद्धि कर पाएंगे, और अन्य सभी मिलें, विद्युतचालित करघे, हथकरघे और उनके श्रमिक पीड़ित होंगे। यह मेरा विचार नहीं है। स्वयं सरकार ने इसके अध्ययन के लिए एक समिति नियुक्त की है परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। विपक्ष के सदस्य भी इस नीति को पूर्णतः बदलने की मांग कर रहे हैं। इस नीति के अन्तर्गत आपने मिलों को उसे 750 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं जो अच्छी तरह कार्य कर रही है। उपरोक्त लिए गए नामों की मिलों ने अब तक 300 करोड़ रुपए एकत्रित करके एक ओर तो अपने मिलों का आधुनिकीकरण किया है तथा दूसरी ओर लगभग 1.15 लाख कर्मचारियों को बम्बई, कानपुर और अहमदाबाद में छंटनीग्रस्त किया है। ज्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ है जबकि अन्य खुशहाल हो रहे हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की 125 मिलें हैं। कपड़ा नीति की घोषणा के बाद उन 125 कपड़ा मिलों को आधुनिकीकरण के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया था। ये राष्ट्रीय कपड़ा निगम की ये मिलें और करघे 40 साल पुराने हैं। उनका ब्याज सहित बकाया ऋण अभी तक लम्बित पड़ा है और कर्मचारी पीड़ित हो रहे हैं। सरकार की यह इच्छा है कि इन राष्ट्रीय कपड़ा निगम की इन मिलों को बन्द कर दिया जाए। इससे यह स्पष्ट होता है कि आप निजीकरण की ओर कितना जा रहे हैं।

आप राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का आधुनिकीकरण नहीं कर रहे हैं और इनके कामगार बलि का बकरा बन रहे हैं। बम्बई में इनकी 125 कपड़ा मिलों में कई हजार कामगारों को हटा दिया गया और बाकि कामगार वहां कार्यरत हैं। इस सरकार का बुद्धिमता-पूर्ण विचार तो यह है कि मध्य बम्बई में जमीन बेच दी जाए और वहां पर कार्यरत श्रमिकों को हटा दिया जाए तथा इस जमीन को बहुराष्ट्रीय तथा बड़े कालाबाजारियों को दे दिया जाए और यह शहर अमीर लोगों के लिए बनाया जाए।

सरकार यह पाप कर रही है। हमें इस पर पूर्ण रूप से आपत्ति है। यदि आप जमीन बेच देते हैं तो मिलें कभी भी नहीं चल सकेंगी। गोएन्का मिल ऐसी ही एक मिल है और बंगलौर में इसकी देयता 46 करोड़ रुपये है। जमीन बेचने से केवल 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या इस देयता की अदायगी आप करेंगे? क्या आप इन मिलों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं? इसके लिए क्या आप वित्त व्यवस्था कर रहे हैं? जब इस सभा में मैंने इस सरकार से इस बारे में पूछा जो कोई उत्तर नहीं मिला। माननीय

मंत्री सदैव कहते रहते हैं कि कपास के मूल्य में कमी हुई है; वह साल दर साल, पिछले वर्ष और इस वर्ष के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में भी कह रहे थे। कपास के मूल्य भी 20 प्रतिशत बढ़ गए। जब माननीय श्रम मंत्री बम्बई गए तो कपड़ा श्रमिकों से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं था; वह वाणिज्य मंडल में गए और वहां लोगों से मिले तथा ऐसे बड़े वक्तव्य दिए कि सफल कपड़ा नीति के कारण कपड़े के मूल्य कम हुए हैं। ऐसे वक्तव्य मत दीजिए। दो लाख कपड़ा श्रमिकों को हटा दिया गया जो अब मर रहे हैं।

आप जानते हैं कि कानपुर में क्या घटा। उन्होंने सड़क तथा रेलों को आठ दिन तक रोके रखा था। इनकी कोई यूनियन नहीं है। मैं नहीं समझता कि यह सरकार इस आर्थिक नीति को बदलेगी क्योंकि यह उनके निजीकरण के अनुकूल है। चार वर्ष तक बोलने के बाद मेरी यह धारणा है कि अब श्रमजीवी वर्ग के लिए समय आ गया है जब इस सरकार को बदल दिया जाए।

देश में 1.16 लाख रुग्ण उद्योगों को बन्द कर दिया गया है। बैंकों का 600 करोड़ रुपया अटका हुआ है। लगभग एक करोड़ श्रमिक बेरोजगार हैं। आप बेरोजगारी और गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। 11 प्रतिशत उद्योग बन्द हैं और 25 प्रतिशत बन्द होने वाले हैं। श्रमिकों के प्रति सिर्फ दो प्रतिशत देयता है। यह प्रबन्धकों की गलती है; धनराशि को दूसरी तरफ लगाने से ऐसा हुआ है; परिवारों में झगड़ों के कारण भी ऐसा हुआ है; पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने के लिए राजसहायता लेंने और कलकत्ता अथवा महाराष्ट्र में पुराने उद्योगों को बन्द करने से भी ऐसा हुआ है। आधुनिकीकरण, नए उद्योगों को लाने के लिए उनका यह चयन है। उन्हें सहायता का यह प्रस्ताव देते हुए सरकार इन मुद्दों पर पूर्णतया निष्क्रिय है और इससे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यह प्रक्रिया बहुत आसान है। वे सरकार से पैसा लेते हैं; पिछड़े क्षेत्र में उद्योग शुरू करते हैं और कुछ समय बाद इसे बन्द कर देते हैं। इस प्रक्रिया में वे काला धन एकत्र कर रहे हैं।

यदि आप मुझे कुछ समय दें तो मैं आपको उन विभिन्न घरानों के नाम बता सकता हूं जो इस तरह से धनराशि अर्जित कर रहे हैं तथा यह भी बता सकता हूं कि वे यह धनराशि किस प्रकार से अर्जित कर रहे हैं। और इसी वजह से सारे देश की अर्थव्यवस्था नष्ट हो रही है। आप उद्योगों को रुग्ण कर रहे इन सभी घरानों के मामलों में जांच क्यों नहीं करते तथा सख्त कानून क्यों नहीं बनाते हैं? उदाहरण के लिए टाटा मिलों की ऐम्प्रेस मिल रुग्ण है। रुग्ण होने वाला यह पहला उद्योग है। लेकिन श्री टाटा की परिसम्पत्ति में 200 करोड़ रुपए की और वृद्धि हो गई। इस प्रकार रुग्ण पड़ी बिड़ला जूट मिलों का मामला लीजिए। उनकी परिसम्पत्ति व जायदाद में वृद्धि हो रही है। क्या सरकार की यही नीति है?

इस बी० आई० एफ० आर० बोर्ड का गठन हुआ है। इस बोर्ड ने यह नियम कभी भी कार्यान्वित नहीं किए कि यदि कुछ नियोक्ता घाटे पर नियन्त्रण नहीं कर पाएं तो उन्हें और ऋण नहीं दिया जाए। आप उन्हें ऋण देना जारी रखे हुए हैं। आप उन्हें काली सूची में नहीं डाल रहे हैं और आगे ऋण भी नहीं रोक रहे हैं। कानून में निहित इस उपबन्ध को कभी कार्यान्वित नहीं किया जाता है। उद्योग में बढ़ रही रुग्णता के ये बड़े मामले हैं और रुग्ण उद्योगों के बारे में मेरा विचार है कि यह उचित समय है जब सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करे। लेकिन मैं नहीं समझता कि सरकार यह परिवर्तन करेगी और अब समय आ गया है जबकि श्रमिक को सरकार बदलनी होगी। इस समस्या पर इस सभा में हर रोज चर्चा हो रही है।

अभी, पुराने श्रमिक कानूनों को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप सारे देश भर में सात लाख मामले लम्बित पड़े है । कानून इतने पुराने हो गए हैं कि कोई व्यक्ति औद्योगिक न्यायाधिकरणों अथवा न्यायालयों में नहीं जा सकता है ।

चाहे यह हमाम हो या लाइफबॉय हिन्दुस्तान लीवर बाजार में 4 रुपये की लागत वाले एक साबुन पर केवल 3.5 पैसे की अदायगी कर रहा है । वे लागत की अदायगी कैसे कर रहे हैं ? यदि वे एक करोड़ रुपए का माल बेच लेते हैं तो श्रमिकों का वेतन कितना होना चाहिए ? आजादी के 40 वर्षों के बाद भी ऐसा कोई कानून नहीं है जो ऐसा मार्गमिर्देश दे सके कि लाभ में श्रमिकों का अंश कितना होना चाहिए । बम्बई में एक व्यक्ति को 300 रुपये दिए जाते हैं लेकिन श्रीनगर में केवल 600 रुपए और हिमाचल या अन्य जगह पर तो 200 रुपए ही दिए जाते हैं । देश में श्रमिकों की ऐसी स्थिति है ।

ठेका श्रम विनियमन अधिनियम को लेते हैं । उन्हें नियमित करने के लिए क्या कोई उपबन्ध है ? इस समय देश में 25 प्रतिशत श्रम शक्ति बेरोजगार है । कानून के अन्तर्गत ठेका श्रमिकों को स्थाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है । नियोक्ता सभी श्रमिकों को पूर्ण रूप से अस्थाई रख सकता है । ठेका श्रमिकों की प्रतिशतता के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है ।

जैसाकि मैंने कहा है, उन्हें स्थाई करने का कोई कानून नहीं है । हम कहां हैं ? श्रमजीवी वर्ग में छः करोड़ हैं जोकि संगठित हैं । 15 करोड़ असंगठित लोगों को तो भूल जाइए । कृषि श्रमिकों तथा चाय, कॉफी बागानों, गन्ना मिलों आदि उद्योगों में लगे श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को लागू किया जाए । क्या सरकार में इसे लागू करने की इच्छा है ? सिर्फ यह सरकार ही नहीं, बल्कि इसके लिए अन्य राज्य सरकारें भी उत्तरदायी हैं ।

अब 7 करोड़ बेरोजगार हैं । सातवीं योजना के दौरान पिछले चार वर्षों में इसमें 2 प्रतिशत की कमी हुई है । अब बड़े उद्योग तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आधुनिकीकरण करने की बजाय अपने उद्योग बन्द कर रहे हैं । इसमें टाटा की काफी साझेदारी है । बडे उद्योग अथवा 31 सबसे बड़े उद्योग केवल 900 करोड़ रुपए की कीमत का माल निर्यात कर रहे हैं जबकि उन्होंने सभी आयात रियायतों को प्राप्त किया है । वे श्रमिकों के लिए भी रुकावट बने हुए हैं । वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी रुकावट बने हुए हैं । हम तो वस्तुओं का निर्यात चाहते हैं और वे अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं ।

लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात में धीरूभाई अंबानी की एक पेट्रो-रसायन इकाई स्थापित की जा रही है । लेकिन इसकी रोजगार क्षमता केवल 500 व्यक्ति की है । इसी प्रकार गुजरात में थ्रूपस स्थापित किया जा रहा है लेकिन इसकी रोजगार क्षमता केवल 300 व्यक्ति की है । इसलिए, इससे इस देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में हर तरह की गड़बड़ उत्पन्न हो रही है ।

इसके लिए सरकार की श्रमिक-विरोधी नीतियां भी उत्तरदायी हैं । पिछले चार वर्षों से आयकर की सीमा 18,000 ही है जब मुद्रास्फीति में 5.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है । यदि एक व्यक्ति 1500 रुपए ले रहा है तो आप उससे यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वह आपकी विभिन्न बचत योजनाओं

का लाभ उठाने के लिए एक लाख रुपये की बचत करे ? आयकर-दाताओं का लगभग 80 प्रतिशत वेतनभोगी लोग हैं।

यह उचित समय है जबकि हमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना को संशोधित करना चाहिए। 1982 की गणना का एकतरफा तरीका बिल्कुल उचित नहीं है। उपभोक्त मूल्य सूचकांक की गणना करते समय अनेक मदों को जोड़ा जाता है। काजू, सूखे मेवे, ह्विस्की तथा बढ़िया किस्म की शराब को जोड़ा जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना करते समय क्या इन्हें जोड़ना चाहिए ? विभिन्न मदों के महत्व में परिवर्तन कर दिया गया है।

बम्बई में नवम्बर में 30 लाख इकाइयों में से केवल 1511 घरानों की जांच की गई है। यह दिखाया गया है कि गेहूं, चावल दाल, मूंगफली का तेल, टमाटर आटा सिनेमा की टिकटें आदि 25 मदों को शामिल किया गया है जिसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते में 40 से 150 रुपए की कमी हुई है। इन आंकड़ों की गणना करने का पूरा तरीका बदल गया है। बड़े घराने काफी उत्पादन कर रहे हैं लेकिन श्रमिकों में उनकी रुचि नहीं है। महंगाई भत्ते में कमी करने से देश में लाखों श्रमिक इससे वंचित हो गए हैं। आप लाखों श्रमिकों को दबा रहे हैं। यह पाप मत कीजिए। सरकार मूल्यवृद्धि पर नियन्त्रण करने में असमर्थ है।

6.00 म० प०

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र-कर्नाटक का बेलगाम-कारवाड-निपानी सीमा विवाद पिछले 32 वर्षों से अनिर्णीत पड़ा है। मराठी बोलने वाले लोगों को मिलाना मुख्य मुद्दा है। इस बारे में महाराष्ट्र सरकार ने भी सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। सरकार ने अभी तक महाजन रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। सरकार पिछले कई वर्षों से कह रही है कि दोनों मुख्य मंत्रियों को आपस में मिलकर विवाद का समाधान करना चाहिए। लेकिन अभी तक एक भी बैठक नहीं हुई है। यह केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है कि इस विवाद को संविधान के अन्तर्गत सुलझाइए।

अब कर्नाटक राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत है, मैं इस विवाद को सुलझाने के लिए आपके सम्मुख तीन सुझाव रखना चाहूंगा। पहले, नए मार्गनिर्देशों तथा संशोधनों के साथ महाजन प्रतिवेदन की जांच की जाए। दूसरे, अन्तर्राज्य परिषद् गठित कीजिए। तीसरा, विवादग्रस्त सीमा पर राय जानने के लिए मतदान कराया जाए। मुझे आशा है कि सरकार मेरे सुझावों को ध्यान में रखेगी और शीघ्र ही विवाद को सुलझाएगी।

डा० जी० विजय रामा राव (सिद्दिपेट) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सभा हर वर्ष बजट प्रावधानों तथा वित्तीय प्रावधानों पर चर्चा करती है।

आज हमारे देश की कुल जनसंख्या 800 मिलियन है। 800 मिलियन लोगों में से लगभग 650 मिलियन लोग गरीब हैं और इनमें से आधे गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। हमारे देश में एक गरीब आदमी की सम्पूर्ण प्रति व्यक्ति खपत केवल 2 रुपए है। यह दो रुपये और छः रुपए के बीच रहती है। इससे क्या पता लगता है ?

हर वर्ष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में लिए करोड़ों रुपये आबंटित करते हैं। हमारे सघन प्रयासों, कार्यों के बावजूद गरीबी का उन्मूलन नहीं होता है। इसमें ज्यादा कमी नहीं आ रही है। अमीर लोग

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। केवल पांच मिलियन लोग अमीर और लगभग अमीर हैं। वे खूब पैसा कमा रहे हैं। वे गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। वे कृषि मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों का शोषण कर रहे हैं।

जैसाकि मेरे मित्र ने अभी कहा है, शुरू से ही कृषि श्रमिकों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये लोग संगठित क्षेत्र में नहीं आते हैं। कृषि श्रमिकों और भवन निर्माण में लगे विभिन्न श्रमिकों की संख्या में हर रोज वृद्धि हो रही है और आपके विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बावजूद वे गरीबी की रेखा से नीचे हैं।

महोदय, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत खर्च हो रही धनराशि गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रही है। कुप्रशासन और गलत राजनैतिक उद्देश्य के कारण इस धनराशि का नब्बे प्रतिशत भाग बिचौलिए और एजेंटों के पास जा रहा है।

पिछले 40 या 41 वर्षों के दौरान गरीब लोगों के जीवन स्तर को देखकर आप हमारे देश में आर्थिक विकास और सामाजिक विकास का अन्दाजा लगा सकते हैं। मुझे तो यह महसूस होता है कि जब तक एक उचित कार्यक्रम तैयार करके कारगर रूप से कार्यान्वित नहीं किया जाता तब तक इस देश से गरीबी दूर नहीं की जा सकेगी।

जहां तक स्वर्ण आभूषण उद्योग को दी गई हाल की रियायतों का सम्बन्ध है, हमारे देश में स्वर्णाभूषणों के निर्माण में 30 लाख लोग लगे हुए हैं। हाल ही में यह प्रस्ताव किया गया है कि आभूषण बनाने के उद्योग को यंत्रीकृत किया जाए और यह कार्य कुछ अमीर लोगों को दे दिया जाए। यदि ऐसा है तो ये 30 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मैं तो सरकार से यह निवेदन करता हूं कि यह कार्य कुछ अमीर लोगों के हाथों में देने के बजाय आभूषण निर्माण उद्योग में वास्तविक कामगारों को सहकारी समितियां बनाने के लिए कहा जाए और यह आभूषण बनाने का कार्य सहकारी क्षेत्र को दिया जा सकता है ताकि ये गरीब स्वर्णकार अपनी आजीविका कमाना जारी रख सकें।

6.06 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 28 अप्रैल 1989/8 वैशाख, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दी स्टील स्लेट मैन्यु० कं० (प्रैस विभाग) अजमेरी गेट, दिल्ली-6